OJAANK IAS ACADEMY

2023 JULY

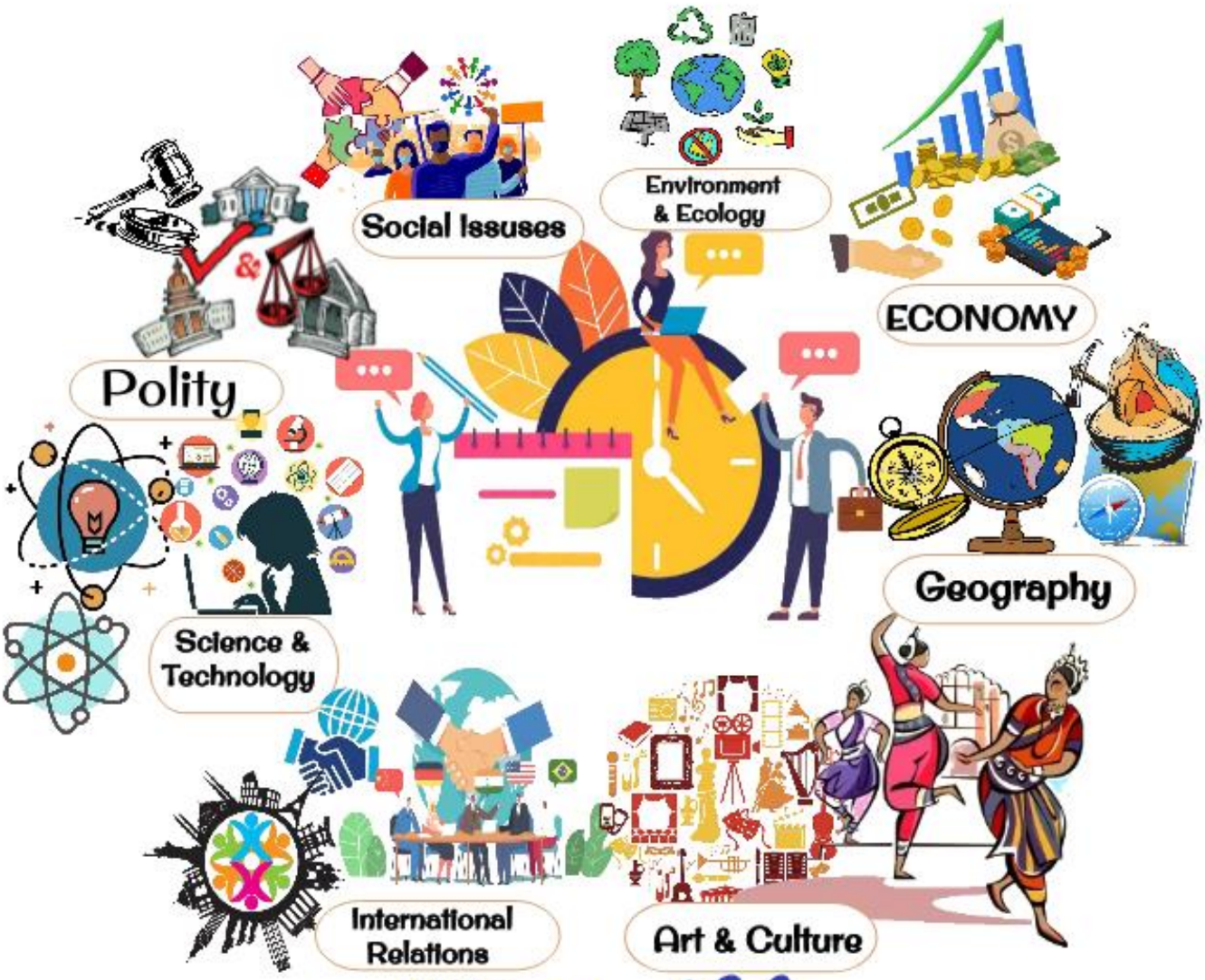

Monthly CURRENT AFFAIRS

C-49A Sector-48, Noida Gurukul Campus

©@Ojaank IAS Academy | 8750711100/22/33/44
Website- www.ojaank.com, App- Ojaank App, Youtube- IAS with Ojaank Sir

ABOUT OUR DIRECTOR

Ojaank Shukla

Ojaank Shukla is a **UPSC Mentor, Social Entrepreneur**, and Philanthropist, who is making waves in the education sector. He is the managing director of the renowned **"Ojaank IAS Academy,"** a Delhi-based institute that has gained a lot of love and respect in a short span of time. Also he has won the prestigious award "For Directing **Best IAS Academy 2019-2020"** and **"ET Leadership Excellency Award 2022".** And **Awarded by Bihar Governor in Excellence in Education Sector in 2023.** He believes that UPSC is not just an exam of knowledge but of personality, and he strives to inculcate these qualities in his students. His Youtube Channel named IAS with Ojaank Sir has over **2.3 Millions Subscribers**. And His **motto** is **innovation in Education**. The YouTube channel "IAS with Ojaank Sir" is primarily dedicated to **Hindi Medium** students who desire to make their career in Civil Services. He creates content for both Hindi and English medium students. Ojaank Shukla is also a **Neuro-Linguistic Programming (NLP)** Coach. He has a unique approach to teaching that helps students to retain concepts for a long duration.

99 Rupee UPSC Preparation Batch

One of Ojaank's decision to launch a **99 rupee UPSC** preparation batch **#hargharIAS**, was a game-changing one, because no one else in the UPSC preparation industry had ever charged such a low rate for coaching. As a result, this batch had over **80,000 students**, making it a huge success.

EMPOWERING WOMEN

Ojaank is also committed to promote the education and **empowerment of women,** The success of two exceptional Girls at his IAS Academy who topped their respective exams is one of the example of Ojaank's commitment to women's empowerment, which resulted him the **International Women's Excellency Award in 2021**. The first was **Shruti Sharma**, who secured the **Rank 1** in the **UPSC** exam. The second was **Sanchita Sharma**, who achieved **Rank 1** in the **UPSC** exam in 2021. **Garima Lohia**, who secured the **Rank 1** in the **UPSC** exam.

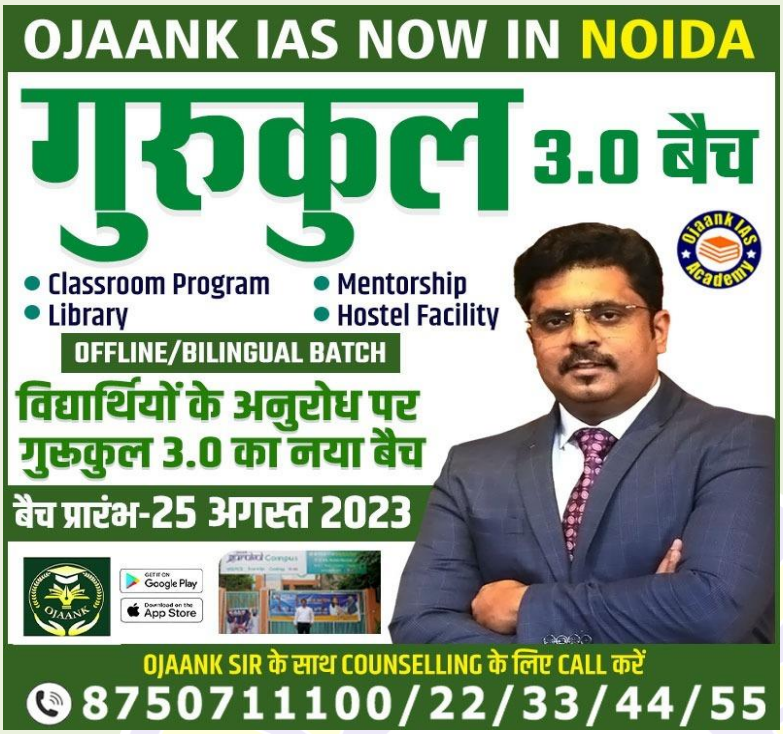

Reach the New Ojaank Gurukul Campus in Noida

Join Our Special Batchs

अनुक्रमणिका

अंतरराष्ट्रीय संबंध		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी)	10
2.	अंतरसरकारी वार्ता रूपरेखा	11
3.	एससीओ शिखर सम्मेलन 2023	12
4.	ईरान एससीओ में शामिल हुआ	14
5.	उच्च सागर संधि	16
6.	वैश्विक दक्षिण	17
7.	शांत कूटनीति	19
8.	सीपीटीपीपी व्यापार सौदा	21
9.	काला सागर अनाज पहल	23
10.	हेनले पासपोर्ट सूचकांक	24
11.	नाटो विनियस शिखर सम्मेलन 2023	26
12.	केर्च ब्रिज	27

अर्थव्यवस्था		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	ग्रीडफ्लेशन	28
2.	उत्प्रेरक	30
3.	इंडियन एक्सप्रेस	33
4.	गिफ्ट निफ्टी	34
5.	बायोबैंक का वैश्विक प्रशासन	36
6.	रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण	38
7.	वैश्विक शांति सूचकांक	41
8.	चीन सीमा निर्यात	42
9.	व्यापार भुगतान संकट	43
10.	एफपीआई संशोधन	44
11.	जीएसटी परिषद	46
12.	नकदी अधिक, अनाज कम	47
13.	भारत में गरीबी	50
14.	स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली	53
15.	एपीएमसी	54
16.	रूस के साथ भारत का तेल व्यापार	57
17.	निर्यात तैयारी सूचकांक, 2022	59
18.	ऑनलाइन गेम पर जीएसटी	60
19.	फुल-रिज़र्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग	61

राजनीति और शासन

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण	63
2.	राजनीति का अपराधीकरण	65
3.	जनगणना	66
4.	हर घर जल पहल	68
5.	प्रिज्म	70
6.	नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए योजना	71
7.	इंटरनेट शटडाउन	72
8.	अन्नपूर्ति	74
9	सरपंच-पतिवाद	75
10.	TRAI ओटीटी (OTT) ऐप्स पर लगा रहा बैन	77
11.	नारी अदालत	80
12.	प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक	81
13.	महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता	82
14.	बहुआयामी गरीबी सूचकांक	85
15.	चुनावी बांड	86
16.	सीबीआई और ईडी निदेशकों के लिए विस्तार	88
17.	वित्त आयोग	90
18.	डेटा सुरक्षा के लिए आयु की सहमति	91
19.	ऑनलाइन एयरटाइम वाउचर	93
20.	विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन)	94
21.	राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक	95
22.	आईटी अधिनियम की धारा 69(ए)।	97
23.	मॉब लिंचिंग	98
24.	स्थगन प्रस्ताव	99
25.	राष्ट्रपति शासन	101
26.	टेली-मानस	102
27.	मेरी माटी मेरा देश पहल	103
28.	अविश्वास प्रस्ताव	105

इतिहास / कला संस्कृति		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	हुल दिवस	106
2.	अल्लूरी सिताराम राजू	107
3.	दादाभाई नौरोजी	109
4.	बस्तिल्ले दिवस	110
5.	नवाब वाजिद अली शाह	111
6.	अफ़ीम युद्ध	113

भारतीय समाज		
S.No.	Topics	Page No.
1.	यूक्लिड मिशन	114
2.	हाथ से मैला ढोना	116

विज्ञान प्रौद्योगिकी		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	यूक्लिड मिशन	118
2.	न्युट्रीनो	119
3.	एस्पार्टेम	120
4.	गहरे समुद्र में खनन	121
5.	गुरुत्वाकर्षण तरंग	123
6.	एनीमिया और मातृ स्वास्थ्य	125
7.	लेप्टोस्पाइरोसिस	126
8.	रोगाणुरोधी प्रतिरोध	128
9.	चंद्रयान-3	130
10.	स्कॉर्पीन पनडुब्बियां	132
11.	आकाशीय बिजली/ विद्युत	134
12.	डिजिटल रस्साकशी	135
13.	क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (सीसीएचएफ)	137
14.	जीवाणुभोजी (Bacteriophages)	138
15.	सेमीकंडक्टर	140
16.	डीएनए (DNA) विधेयक	141
17.	नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन	143

पर्यावरण		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.	रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई (आरएसडब्ल्यू)	145
2.	एम्बरग्रीस	148
3.	मो जंगल जामि योजना	148
4.	अटलांटिक मेनहैडेन	149
5.	यूरोपीय संघ प्रकृति बहाली कानून	150
6.	ईवी टायर	152
7.	रेडियो कॉलर	153
8.	वैश्विक जैव ईंधन एलायंस (Alliance)	155
9.	जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक	157
10.	गाडगिल रिपोर्ट	159

प्रारंभिक विषयों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

- सागर सामाजिक सहयोग:
- जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD):
- वैश्विक वन समीक्षा (जीएफआर):
- पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई):
- इंडियन स्कीमर:
- ई लॉग्स (लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी) प्लेटफॉर्म:
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग:
- डेटा स्क्रैपिंग:
- नवजात जीनोम-अनुक्रमण:
- धातुकर्म कोक:
- प्रोजेक्ट वेव:
- eSARAS मोबाइल ऐप:
- युआन के मुकाबले रुपये में मजबूती:
- ज़ो लोग:
- सूडान (राजधानी: खार्तूम):
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे):
- टेली मानस:
- बहु बल्ली पशु बाड़ (बांस की बाड़):
- चिंकारा:
- खज़ान भूमि:
- ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र:
- खाद्य तेल:
- पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (पीपीआर):
- टेलर ग्लेशियर:

- टीके और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (GAVI):
- परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर):
- जियोकोडिंग:
- ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप (जीसीआरजी) का समूह:
- क्लोथो प्रोटीन:
- पोर्पनैकोट्टई साइट:
- प्रोजेक्ट 75 (भारत) - P75 (I):
- गेहूं की नई किस्म:
- एंटअमीबा मोशकोव्स्की:
- डी-डॉलरीकरण:
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी):
- शेल्फ क्लाउड:
- विश्व चुनाव निकाय संघ (ए-वेब):
- भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (IICA):
- ऑडिटऑनलाइन:
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ):
- मौन का अधिकार:
- कास पठार:
- एम्बरग्रीस (तैरता सोना):
- कृषि इन्फ्रा फंड योजना (एआईएफ):
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC):
- नमदा कला:
- रेत और धूल भरी आँधी (एसडीएस):
- मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी):
- अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM):
- अरुणा आसफ़ अली (1909-1996):
- अग्रिम प्राधिकरण योजना:
- गम्बूसिया एफिनिस (जी एफिनिस):
- इस्पात धातुमल
- लोक लेखा समिति (पीएसी):
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू):
- सिकाडा:
- भारत में निवेश करें:
- एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी:
- टैंकाई जहाज निर्माण विधि:
- सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र [स्टार सी] पहल:
- भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) 3.0:

- वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान शुरू की गई पहल:
- अमृत भारत स्टेशन योजना:
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट):
- डिग्री दिवस (डीडी):
- भांग:
- लुडविगिया पेरुवियाना:
- फ्रैगाइल एक्स या मार्टिन-बेल सिंड्रोम:
- औद्योगिक लाइसेंस:
- हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी:
- फ्लोरोकेमिकल्स:
- नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण:
- अनुसूचित जनजाति में जोड़े गए समुदाय:
- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) 5.2:

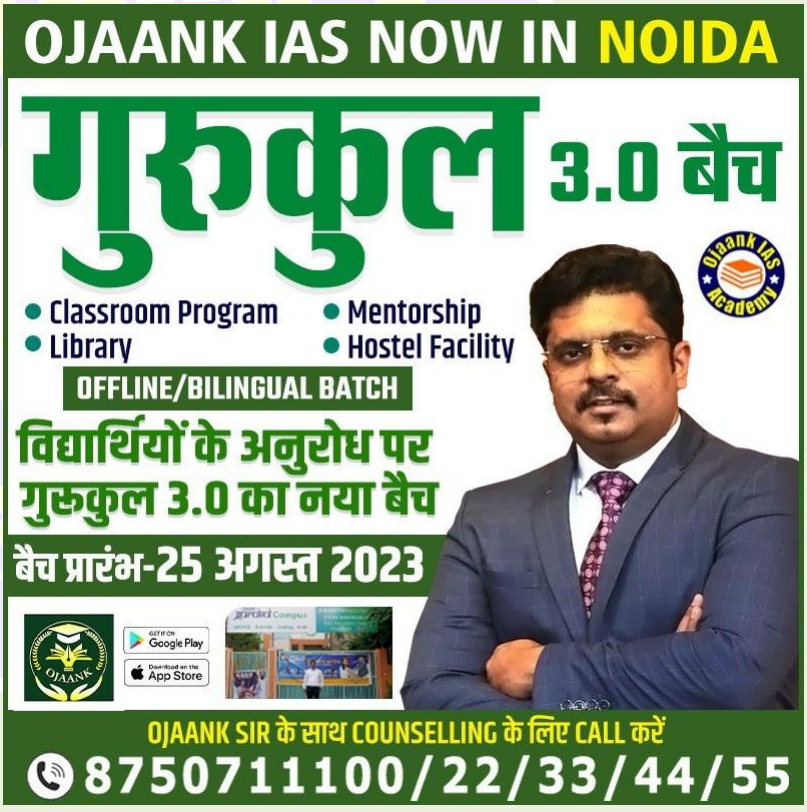

Ojaank Gurukul Campus in Noida sector 48 Visit now

1. जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी)

संदर्भ: सेनेगल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (**JETP**) सौदे में शामिल हो गया है, जो दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। इस सौदे का लक्ष्य सेनेगल के लिए नए वित्तपोषण में **5** बिलियन यूरो जुटाना है।

जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (JETP) क्या है?

- JETP एक वित्तपोषण तंत्र है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण में सहायता करना है।
- JETP को ऊर्जा संक्रमण के पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों पहलुओं को संबोधित करते हुए, अमीर देशों और कोयले पर निर्भर विकासशील देशों के बीच अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

JETP तंत्र और सामाजिक विचार:

- JETP विकासशील देशों को कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं।
- प्रभावित समुदायों की सुरक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान करने जैसे सामाजिक पहलू, जेईटीपी योजनाओं में महत्वपूर्ण हैं।
- पुनः कौशल विकास, कौशल उन्नयन और नई नौकरियाँ पैदा करना उचित ऊर्जा परिवर्तन के आवश्यक घटक हैं।

फंडिंग स्रोत और दाता पूल:

- JETP फंडिंग अनुदान, ऋण या निवेश के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
- इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप (IPG) और ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो (GFANZ) वर्किंग ग्रुप प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- IPG में जापान, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, ईयू और यूके जैसे देश शामिल हैं।
- GFANZ वर्किंग ग्रुप में बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंक और वित्त एजेंसियां शामिल हैं।

JETP की सफलता की कहानियां:

- दक्षिण अफ्रीका COP 26 ग्लासगो में 8.5 बिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण की प्रतिज्ञा के साथ JETP में प्रवेश करने वाला पहला देश था।
- इंडोनेशिया ने G20 बाली शिखर सम्मेलन में अपने JETP की घोषणा की, जिसे सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण में प्रारंभिक 20 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए।
- वियतनाम अगले तीन से पांच वर्षों में 15.5 बिलियन अमरीकी डालर का प्रारंभिक फंड हासिल करते हुए JETP पहल में शामिल हो गया।

भारत की भागीदारी की संभावनाएँ:

- भारत के साथ JETP सौदे की बातचीत चल रही है लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।
- चुनौतियों में भारत के कोयला आधारित बिजली क्षेत्र की जटिलता और ऋण के रूप में वित्तपोषण शामिल है।
- भारत अनुकूल परिस्थितियां चाहता है और ऊर्जा सुरक्षा एवं विकास पर कोई समझौता नहीं करना चाहता।

स्रोत: द हिंदू

2. अंतरसरकारी वार्ता रूपरेखा (IGN)

संदर्भ: अंतर सरकारी वार्ता रूपरेखा (IGN) बैठकें, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है, अब इतिहास में पहली बार वेबकास्ट की जा रही है।

आईजीएन (IGN) क्या है?

- अंतर सरकारी वार्ता ढांचा (IGN) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सुधार को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर विभिन्न राष्ट्र-राज्यों द्वारा एक सामूहिक प्रयास है।
- यह लेख IGN की संरचना का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और इसके सदस्यों के बीच सर्वसम्मति प्राप्त करने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है।

सुधार एजेंडा का विकास:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा 1993 से चर्चा में है, 2001 और 2007 में लगातार रिपोर्टें प्रकाशित हुईं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर इस मुद्दे के वर्तमान एजेंडे को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

आईजीएन (IGN) की संरचना:

- IGN में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- अफ्रीकी संघ
- G4 राष्ट्र (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान)
- सर्वसम्मति समूह (यूएफसी) के लिए एकजुट होना, जिसे "कॉफ़ी क्लब" के रूप में भी जाना जाता है
- 69 विकासशील देशों का समूह
- अरब लीग

Download (Ojaank Test Practice) from Google Play

- कैरेबियन समुदाय (CARICOM)
- प्रत्येक समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के संबंध में अद्वितीय रुख प्रस्तुत करता है, जो उसके सदस्य देशों के विविध हितों और दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आम सहमति की स्थापना:

- 27 जुलाई 2016 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "अभिसरण के तत्वों" घोषणा को मंजूरी देते हुए, सामान्य प्रशंसा द्वारा एक "मौखिक निर्णय" अपनाया।
- इस घोषणा में उस समय आईजीएन सदस्यों द्वारा प्राप्त सर्वसम्मति की स्थिति को रेखांकित किया गया था।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

3. एससीओ (SCO) शिखर सम्मेलन 2023

संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का आगामी आभासी शिखर सम्मेलन वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पूर्व अधिकारी और कई देशों में राजदूत रहे अशोक सज्जनहार ने इस आयोजन और इसके संभावित परिणामों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है।

क्या है एससीओ?

- एससीओ (SCO) 2001 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- एससीओ (SCO) की उत्पत्ति शंघाई फाइव तंत्र से हुई है, जिसे 1996 में सीमा विवादों को सुलझाने और चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
- उज्बेकिस्तान 2001 में संगठन में शामिल हुआ, जिससे एससीओ के रूप में इसका गठन हुआ।

सदस्य देश	चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान
उद्देश्य	क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना
सहयोग क्षेत्र	राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक
सुरक्षा सहयोग	संयुक्त सैन्य अभ्यास, आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करना

आर्थिक सहयोग	व्यापार सुविधा, निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास
प्रमुख निकाय	एससीओ(SCO) शिखर सम्मेलन, एससीओ(SCO) बिजनेस काउंसिल, एससीओ का इंटरबैंक कंसोर्टियम
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS)	आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समन्वय
संवाद सहयोगी	अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, आदि
पर्यवेक्षक राज्य	आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, आदि
आउटरीच और सहभागिता	संयुक्त राष्ट्र, आसियान, सीआईएस, और अन्य क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान बैठक का महत्व:

- शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जैसे प्रमुख नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।
- यह बैठक राष्ट्रपति पुतिन को विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों में रूस के घटते प्रभाव और प्रासंगिकता का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है।
- क्षेत्र में रूस की भूमिका के घटते महत्व से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के त्वरित समाधान की आवश्यकता हो सकती है।

भारत की सामरिक स्वायत्तता और आत्मविश्वास:

- प्रधान मंत्री मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया सफल यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों के विकास पर प्रकाश डालती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए एससीओ(SCO) में भारत की भागीदारी इसकी रणनीतिक स्वायत्तता और आत्म-आश्वासन को रेखांकित करती है।

श्री पुतिन को पीएम मोदी के बयान का प्रभाव:

- आभासी शिखर सम्मेलन का भारत-चीन सीमा गतिरोध पर तत्काल कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
- भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन प्रमुख बिंदुओं पर तनाव कम करने और पीछे हटने की दिशा में सीमित प्रगति हुई है।
- सीमा पार आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, जैसा कि अतीत में प्रदर्शित किया गया है, चर्चा के दौरान दोहराए जाने की संभावना है।

भारत-चीन संबंधों के लिए निहितार्थ:

- The India-China border conflict is unlikely to be affected by the virtual meeting right now.
- There have been several rounds of negotiations between China and India, but there hasn't been much progress in critical areas like de-escalation and disengagement.
- During the negotiations, India is likely to underline its resolute stance against cross-border terrorism.

एससीओ (SCO) में भारत के अवसर:

- भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में साझेदारी का विस्तार करना है।
- सोवियत स्वतंत्रता के बाद, पाकिस्तान के क्षेत्र के माध्यम से सीधी पहुंच की कमी के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंधों में बाधा उत्पन्न हुई।
- भारत की एससीओ सदस्यता विभिन्न स्तरों पर बातचीत की अनुमति देती है और मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

- एससीओ)SCO) आभासी शिखर सम्मेलन भारत के लिए प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ने और मध्य एशिया में अपनी प्रोफ़ाइल और कद बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
- विभिन्न मुद्दों पर दस्तावेजों को अपनाने सहित शिखर सम्मेलन के नतीजे, भारत के हितों को आगे बढ़ाने, व्यापार संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में योगदान देंगे।

स्रोत: द हिंदू

4. ईरान एससीओ (SCO) में हुआ शामिल

संदर्भ: प्रधान मंत्री मोदी ने समूह के आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नवीनतम सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत किया। ईरान की सदस्यता पर वर्षों से चर्चा होती रही है और हाल के भूराजनीतिक बदलावों ने इसे और अधिक प्रासंगिक बना दिया है।

एससीओ (SCO) के बारे में:

- 2001 में गठित एससीओ का लक्ष्य मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है।
- एससीओ (SCO) में आठ सदस्य देश शामिल थे, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे।
- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जबकि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त है।

ईरान की सदस्यता का महत्व:

- 2015 में परमाणु समझौते (JCPOA) पर हस्ताक्षर करने के बाद, ईरान की एससीओ सदस्यता की राह आसान हो गई।

- अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने क्षेत्र में चीनी प्रभाव बढ़ने के अवसर पैदा कर दिए हैं।
- ईरान ने अपने पारंपरिक सहयोगी रूस से परे घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की मांग की है, जिसमें सऊदी अरब तक पहुंचना और पाकिस्तान के साथ सीमा बाजार खोलना शामिल है।

भू-राजनीतिक प्रभाव:

- ईरान के ऊर्जा संसाधन और तेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग चीन के लिए फायदेमंद है क्योंकि वह अमेरिका का मुकाबला करना चाहता है।
- रूस का लक्ष्य एससीओ के भीतर गठबंधन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करना है, जिसमें बेलारूस की संभावित पूर्ण सदस्यता भी शामिल है।
- अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी और उनके साझा लोकतांत्रिक मूल्य चीनी अधिनायकवाद के विपरीत हैं, जो भारत के लिए एक नाजुक संतुलन अधिनियम बनाता है।

भारत का संतुलन अधिनियम:

- भारत ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और रक्षा समझौतों के माध्यम से अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया है।
- भारत के ईरान के साथ पारंपरिक वाणिज्यिक संबंध रहे हैं, मुख्य रूप से कच्चे तेल के आयात में।
- अमेरिका के साथ भारत के बदलते गठबंधन और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध एससीओ (SCO) की गतिशीलता के विकसित होने के साथ चुनौतियां पैदा करते हैं।

निष्कर्ष:

एससीओ (SCO) में ईरान की सदस्यता बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य और क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। भारत को एससीओ के भीतर उभरती गतिशीलता को देखते हुए अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

5. उच्च समुद्र संधि

संदर्भ: राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) या उच्च समुद्र संधि को 19 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISB) और फिश स्टॉक्स की स्थापना के बाद, यह यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के तहत तीसरा समझौता बन गया।

उच्च समुद्री संधि:

- समुद्री पर्यावरण की रक्षा का विचार 2002 में उभरा, जिससे 2008 में एक समझौते की आवश्यकता को पहचाना गया।
- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संधि बनाने के लिए एक तैयारी समिति का गठन किया।
- अंतर सरकारी सम्मेलन (IGC) आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2023 में संधि को अपनाया गया।
- संधि का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करना है।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- यह संधि महासागरों को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करती है।
- संरक्षित क्षेत्रों पर निर्णय के लिए कुछ पार्टियों द्वारा रुकावट को रोकने के लिए "तीन-चौथाई बहुमत वोट" की आवश्यकता होती है।
- संधि "स्पष्ट गृह तंत्र" के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी और मौद्रिक लाभ साझा करने का आदेश देती है।
- यह तंत्र समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों और क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरणों पर जानकारी तक खुली पहुंच सुनिश्चित करता है।
- संधि क्षमता निर्माण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए समुद्री प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है।
- वैज्ञानिक और तकनीकी निकाय मानक और दिशानिर्देश तैयार करेगा, जिससे सीमित क्षमता वाले देशों को मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

चुनौतियाँ और विवाद:

- बातचीत के दौरान समुद्री आनुवंशिक संसाधनों पर जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने का मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा था।
- बहसें सूचना साझाकरण की निगरानी और बायोप्रोस्पेक्टिंग अनुसंधान में संभावित बाधा पर केंद्रित थीं।
- संधि के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से लाभ साझा करने के संबंध में, "बढ़ावा देना" या "सुनिश्चित करना" जैसे वाक्यांशों के उपयोग ने गरमागरम बहस छेड़ दी।
- तटीय राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्र तल और उप-भूमि पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों की आवश्यकता के कारण बातचीत लंबी हो गई।
- ज़मीन से घिरे और दूर-दराज के राज्यों के हितों ने निर्णय लेने को और भी जटिल बना दिया।

संधि का विरोध:

- कई विकसित देशों ने समुद्री प्रौद्योगिकी के उन्नत अनुसंधान और विकास में शामिल निजी संस्थाओं के समर्थन के कारण इस संधि का विरोध किया।
- रूस और चीन ने भी आपत्ति व्यक्त की, रूस अंततः सर्वसम्मति निर्माण के अंतिम चरण के दौरान पीछे हट गया, यह तर्क देते हुए कि संधि में संरक्षण और स्थिरता के बीच संतुलन का अभाव है।

संधि का महत्व:

- उच्च समुद्र संधि समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने और अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और स्थिरता को संरक्षित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह संधि वैज्ञानिक जानकारी साझा करने को बढ़ावा देती है और देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
- इससे अनुसंधान पहल को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की बेहतर समझ में मदद मिलेगी, जिससे अधिक प्रभावी संरक्षण उपाय हो सकेंगे।

निष्कर्ष:

हाई सीज़ संधि को अपनाना राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता की रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि चुनौतियों और विवादों ने बातचीत की प्रक्रिया को लंबा कर दिया, यह संधि वैश्विक सहयोग को बढ़ाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों की सुरक्षा के लिए नियमों के कार्यान्वयन के लिए मंच तैयार करती है।

स्रोत: द हिंदू

6. ग्लोबल साउथ

संदर्भ: यूक्रेन में युद्ध पर नाटो के साथ खड़े होने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई प्रमुख देशों की अनिच्छा ने एक बार फिर "ग्लोबल साउथ" शब्द को सामने ला दिया है।

ग्लोबल साउथ क्या है?

- "ग्लोबल साउथ" शब्द उन देशों को संदर्भित करता है जिन्हें अक्सर 'विकासशील', 'कम विकसित' या 'अविकसित' के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं, जो "वैश्विक उत्तर" की तुलना में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और कठोर जीवन स्थितियों की विशेषता रखते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 'ग्लोबल साउथ' शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि वियतनाम में युद्ध उत्तरी "वैश्विक दक्षिण पर प्रभुत्व" के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
- 1991 में सोवियत संघ के पतन से पहले, इन देशों को आमतौर पर 'तीसरी दुनिया' कहा जाता था।
- शीत युद्ध की समाप्ति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के बाद इस शब्द ने गति पकड़ी।

ग्लोबल साउथ की विशेषताएं:

- ग्लोबल साउथ में मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित निम्न आय वाले देश शामिल हैं।
- भूराजनीतिक रूप से, इन देशों का साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन का इतिहास रहा है।
- इनमें से कई देश औद्योगीकरण की प्रक्रिया में हैं और उन्हें नव औद्योगीकृत के रूप में वर्णित किया गया है।
- ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों में ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मैक्सिको शामिल हैं, जो अपनी बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं।

वर्गीकरण की आवश्यकता:

- पूर्व/पश्चिम द्विआधारी और विकसित/विकासशील के रूप में देशों के वर्गीकरण की रूढ़िवादिता को कायम रखने और पश्चिमी आदर्शों का समर्थन करने के लिए आलोचना की गई।
- प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व वर्गीकरण शीत युद्ध गठबंधनों से जुड़े थे।
- 'ग्लोबल साउथ' शब्द उपनिवेशीकरण के साझा इतिहास और समान सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर एक व्यापक वर्गीकरण प्रदान करता है।

यूक्रेनी युद्ध के बीच ग्लोबल साउथ:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग तब उभरा है जब भारत और चीन जैसे देश अमेरिका के नेतृत्व वाली प्रमुख वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।
- एशियाई देशों का उदय उत्तर को आदर्श मानने की धारणा पर सवाल उठाता है।
- ग्लोबल साउथ के वर्गीकरण की इसकी व्यापकता और संसाधन संचय के बारे में चिंताओं के साथ-साथ अफ्रीका की उपेक्षा के लिए आलोचना की गई है।

ग्लोबल साउथ का महत्व:

- भारत का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण देशों को कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए एकजुट करना है।
- ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग प्रगति की महत्वपूर्ण संभावनाओं को खोल सकता है, जिसमें तकनीकी और विचारों का आदान-प्रदान, विनिर्माण सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और बहुत कुछ शामिल है।
- ऊर्जा सुरक्षा, न्याय और सतत ऊर्जा परिवर्तन ग्लोबल साउथ के लिए आम चिंताएँ हैं, जिन्हें भारत उजागर करना चाहता है।

एकीकरण के लिए चुनौतियां:

- जलवायु क्षतिपूर्ति पर चल रही बहस ने विवाद पैदा कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है कि चीन और भारत को अपने बढ़ते औद्योगीकरण और ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन को देखते हुए योगदान देना चाहिए।
- चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध ने सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को प्रभावित किया है और उन्हें चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।
- बहुध्रुवीय दुनिया में बदलाव के बावजूद, अमेरिका अभी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों पर हावी है, जो वैश्विक दक्षिण के एकीकरण के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- ग्लोबल साउथ को चैंपियन बनाने के लिए भारत को विकासशील दुनिया के भीतर क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
- ग्लोबल साउथ के भीतर विविधता को पहचानना और एक ऐसी नीति दृष्टि विकसित करना महत्वपूर्ण है जो इसके सदस्य देशों की विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं को संबोधित करती हो।

निष्कर्ष:

ग्लोबल साउथ और भारत के बीच सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। भारत की विकास साझेदारियाँ परामर्श, परिणाम अभिविन्यास, जन-केंद्रित दृष्टिकोण और भागीदार देशों की संप्रभुता के सम्मान को प्राथमिकता देती हैं। भारत के दृष्टिकोण को चीन से अलग करने से ऋण जाल और वित्तीय रूप से अस्वस्थ उपक्रमों से बचने में मदद मिल सकती है, जिससे वैश्विक दक्षिण के भीतर सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

7. शांत कूटनीति

संदर्भ: लगभग 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के साझा इतिहास और सामान्य समुद्री हितों के साथ, भारत के विदेश मंत्री, एस. जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव, एनरिक मनालो ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया।

बैठक से उभरे महत्व और घटनाक्रम:

- मनीला में रेजिडेंट डिफेंस अटैची कार्यालय खोलने का निर्णय भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम से घनिष्ठ समन्वय, सूचना साझाकरण और संयुक्त रक्षा पहल की सुविधा मिलेगी।
- भारत और फिलीपींस के तटरक्षक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अपना सहयोग बढ़ाएंगे। इसमें समुद्री खतरों से निपटने के लिए संयुक्त गश्त, सूचना आदान-प्रदान और संयुक्त अभियान शामिल हैं।

- अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, फिलीपींस भारत द्वारा दी गई रियायती ऋण सहायता की मदद से नौसैनिक संपत्ति हासिल करेगा। यह समर्थन फिलीपींस की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में योगदान देगा।
- दोनों देश अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे और समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास करेंगे। यह सहयोग आपदा राहत प्रयासों सहित समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए परिचालन तत्परता और तैयारियों को बढ़ाएगा।

शांतिपूर्ण कूटनीति क्या है?

- शांत कूटनीति एक कूटनीतिक दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो जनता के ध्यान और मीडिया जांच से दूर, पर्दे के पीछे की बातचीत और विचार-विमर्श पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इसमें संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने और संघर्षों को हल करने के लिए गोपनीय चैनलों, अनौपचारिक संवादों और निजी बैठकों के माध्यम से राजनयिक प्रयासों में शामिल होना शामिल है।

कैसे शांत कूटनीति दक्षिण चीन सागर तनाव को कम कर सकती है:

- शांत कूटनीति दावेदार राज्यों के बीच विश्वास-निर्माण उपायों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बना सकती है। इसमें तनाव कम करने और विश्वास कायम करने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास, सूचना साझाकरण या सहकारी पहल पर समझौते शामिल हो सकते हैं।
- शांत कूटनीति चीन और दावेदार राज्यों जैसे हितधारकों के बीच गोपनीय और विवेकपूर्ण संचार की अनुमति देती है। यह खुले संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां चिंताओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त किया जा सकता है, जिससे बेहतर समझ पैदा होती है और मतभेदों को हल करने की संभावना होती है।
- शांत कूटनीति में तटस्थ तृतीय-पक्ष मध्यस्थों या सुविधाकर्ताओं की भागीदारी शामिल हो सकती है जो मतभेदों को पाटने और बातचीत प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में सहायता कर सकते हैं। ये मध्यस्थ एक तटस्थ परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं और हितधारकों के बीच रचनात्मक बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं।
- शांत कूटनीति अकादमिक विशेषज्ञों, थिंक टैंक और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अनौपचारिक आदान-प्रदान और संवाद को प्रोत्साहित करती है। ये इंटरैक्शन वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, नवीन विचार उत्पन्न कर सकते हैं और मौजूदा मुद्दों की गहरी समझ में योगदान कर सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- दक्षिण चीन सागर मुद्दे के समाधान के लिए एक राजनीतिक ढांचे और बातचीत की आवश्यकता है। आसियान देशों के नेताओं को "राजनीतिक समाधान खोजने के लिए शांत कूटनीति" में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि कानूनी तरीकों की सीमाएं हो सकती हैं। संवाद बातचीत और राजनयिक चैनलों के माध्यम से शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान का अवसर प्रदान करता है।
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे के प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता की स्थापना महत्वपूर्ण है। आसियान नेताओं से इस तरह के कोड को विकसित करने और लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया है। आचार संहिता विवादों को प्रबंधित करने, तनाव कम करने और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और नियम प्रदान कर सकती है।
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आसियान देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और एकता आवश्यक है। आसियान सदस्यों के बीच बेहतर समझ और समन्वय उनकी बातचीत की स्थिति

को मजबूत कर सकता है और क्षेत्रीय दावों और समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एकजुट मोर्चे को बढ़ावा दे सकता है।

- लेख में यूएनसीएलओएस सहित अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखने पर जोर दिया गया है। देशों को कानूनी और राजनयिक चैनलों का सम्मान करने, यूएनसीएलओएस के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और तटीय राज्यों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दक्षिण चीन सागर में स्थिरता बनाए रखने, विवादों को सुलझाने और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन आवश्यक है।

निष्कर्ष:

नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होकर और अंतरराष्ट्रीय कानून के महत्व पर जोर देकर, भारत क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दक्षिण चीन सागर में शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने, महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने और वैश्विक व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आसियान देशों के बीच बातचीत, राजनीतिक ढांचे और एकता की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

स्रोत: द हिंदू

8. सीपीटीपीपी (CPTPP) व्यापार सौदा

संदर्भ: यूके ने औपचारिक रूप से एक प्रमुख इंडो-पैसिफिक व्यापार समझौते, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से इस गुट में शामिल होना ब्रिटेन के सबसे बड़े व्यापार समझौते के रूप में देखा जा रहा है।

सीपीटीपीपी (CPTPP) क्या है?

2018 में स्थापित सीपीटीपीपी (CPTPP) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको और वियतनाम सहित 11 देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करता है।

सीपीआरपीपी (CPTPP) के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- समझौते के अनुसार देशों को टैरिफ को खत्म करने या उल्लेखनीय रूप से कम करने और सेवाओं और निवेश बाजारों को खोलने के लिए प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता है।
- सीपीटीपीपी (CPTPP) में प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षा पर नियम शामिल हैं।
- जबकि सीपीटीपीपी (CPTPP) का लक्ष्य चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व का मुकाबला करना है, चीन और ताइवान, यूक्रेन, कोस्टा रिका, उरुग्वे और इक्वाडोर जैसे अन्य देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

यूके (UK) के लिए सीपीटीपीपी (CPTPP) का महत्व:

- यूके सरकार को एशिया प्रशांत देशों में यूके के निर्यात के लिए टैरिफ कम होने का अनुमान है। सीपीटीपीपी (CPTPP) में शामिल होने से व्यापार के अवसरों का विस्तार होता है, क्योंकि यह ब्लॉक वैश्विक व्यापार का 15% और £12 ट्रिलियन की संयुक्त जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है।
- यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद, यूके अपनी "ग्लोबल ब्रिटेन" रणनीति के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करना चाहता है।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ समझौते हासिल करने में सीमाओं को देखते हुए, यूके का लक्ष्य यूरोपीय संघ की तुलना में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों और ब्लॉकों के साथ व्यापार समझौते स्थापित करना है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- आलोचकों का तर्क है कि सीपीटीपीपी (CPTPP) जैसे व्यापार सौदे ईयू छोड़ने से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष करेंगे, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बना हुआ है।
- बजट उत्तरदायित्व कार्यालय के अनुसार, ब्रेक्सिट से यूके की दीर्घकालिक उत्पादकता में 4% की कमी आने का अनुमान है।
- यूके के पास पहले से ही अधिकांश सीपीटीपीपी (CPTPP) सदस्यों के साथ व्यापार सौदे हैं, और समझौते में शामिल होने से अनुमानित आर्थिक वृद्धि सालाना 0.08% पर अपेक्षाकृत मामूली है।

हाल ही हुए परिवर्तनें:

- सीपीटीपीपी)CPTPP) सदस्य भविष्य की सदस्यता के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ब्लॉक के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता का आकलन कर रहे हैं।
- नए सदस्यों और उन्हें शामिल करने की समयसीमा पर निर्णय मौजूदा सीपीटीपीपी)CPTPP) प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

9. काला सागर अनाज पहल

संदर्भ: काला सागर अनाज सौदा 17 जुलाई को समाप्त होने वाला है। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपने कृषि निर्यात में अधूरे वादों और कठिनाइयों का हवाला देते हुए सौदे को नवीनीकृत करने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

काला सागर अनाज पहल:

- इस पहल ने रूस की नौसैनिक नाकाबंदी को कम कर दिया और तीन प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों को फिर से खोल दिया।
- संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने जुलाई 2022 में समझौता किया, जिससे मालवाहक जहाजों को यूक्रेनी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण से गुजरना पड़ा कि वे हथियार नहीं ले जा रहे हैं।
- सौदा दो बार बढ़ाया गया है लेकिन 17 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला है।
- समझौते ने 2022 के खाद्य संकट से निपटने के प्रयास के लिए कुछ बंदरगाहों से अनाज को सुरक्षित रूप से निर्यात करने की प्रक्रियाएँ बनाईं।
- यह अपने तीन प्रमुख बंदरगाहों, अर्थात् काला सागर में चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और युज़नी/पिवडेनी से यूक्रेनी निर्यात (विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए) के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करता है।

इस सौदे के परिणाम:

- सौदा होने के बाद से अब तक लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज भेजा जा चुका है।
- आपूर्ति की कमी के कारण बड़े लाभ के लिए इसे बेचने की उम्मीद में अनाज जमा करने वाले लोग अब बेचने के लिए बाध्य थे।
- इस पहल को जीवनयापन की वैश्विक लागत संकट में भारी अंतर लाने का श्रेय भी दिया गया है।

यह डील क्यों लॉन्च की गई?

- यूक्रेन गेहूं और मक्का सहित खाद्यान्न का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता कार्यक्रमों में योगदान देता है।
- रूस के आक्रमण और यूक्रेनी बंदरगाहों की नाकाबंदी ने विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और बढ़ती कीमतों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।

रूस का विरोध और कारण:

- रूस का तर्क है कि समझौते के तहत किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसका अपना कृषि निर्यात और उर्वरक प्रभावित हो रहा है।
- रूस को भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, बीमा, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भले ही उसके कृषि उत्पादों पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है।
- रूसी राष्ट्रपति ने निराशा व्यक्त की और कहा कि रूस ने समझौते को आगे बढ़ाने में सद्भावना दिखाई है लेकिन उनका मानना है कि बहुत हो गया।
- रूस का दावा है कि यह सौदा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था, लेकिन यूक्रेन ने मुख्य रूप से उच्च और मध्यम आय वाले देशों को निर्यात किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि खाद्य कीमतें कम हो गई हैं, जिससे गरीब देशों को लाभ हुआ है।

अनाज निर्यात और उत्पादन पर प्रभाव:

- रूस दुनिया का शीर्ष गेहूं निर्यातक बना हुआ है, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया है।
- यूक्रेन का अनाज शिपमेंट आधे से अधिक होने का अनुमान है, उत्पादन 11 साल के निचले स्तर पर है।
- शिपमेंट में आसानी के कारण यूक्रेन के अनाज बाजार एशिया और उत्तरी अफ्रीका से यूरोप में स्थानांतरित हो गए हैं, जिससे यूक्रेनी अनाज की भरमार हो गई है और पूर्वी यूरोपीय देशों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है।

YouTube
IAS with Ojaank Sir

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

10. हेनले पासपोर्ट सूचकांक

संदर्भ: भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पर अपनी रैंकिंग में सुधार देखा है, जो पिछले साल के 87 से सात स्थान चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालाँकि, रैंकिंग में वृद्धि के बावजूद, भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा-मुक्त पहुँच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या वही बनी हुई है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है?

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ताकत और मूल्य को मापती है।
- यह हेनले एंड पार्टनर्स, एक वैश्विक निवास और नागरिकता सलाहकार फर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- सूचकांक उन देशों और क्षेत्रों की संख्या के आधार पर पासपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग प्रदान करता है, जहां उनके धारक बिना वीज़ा की आवश्यकता के या आगमन पर वीज़ा पहुंच के साथ यात्रा कर सकते हैं।

इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है?

- यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त डेटा को ध्यान में रखता है।
- सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं।
- यह प्रत्येक पासपोर्ट के लिए एक "वीज़ा-मुक्त स्कोर" निर्दिष्ट करता है, जो उन गंतव्यों की संख्या को दर्शाता है, जिन पर पहले से वीज़ा प्राप्त किए बिना दौरा किया जा सकता है।
- वीज़ा-मुक्त स्कोर जितना अधिक होगा, पासपोर्ट उतना ही मजबूत होगा।

YouTube
IAS with Ojaank Sir

2023 में भारत का पासपोर्ट प्रदर्शन:

- 2023 में भारत 80वें स्थान पर है।
- 2014 में, 52 देशों द्वारा भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा-मुक्त पहुंच प्रदान करने के साथ भारत 76वें स्थान पर था।
- तब से, इसकी रैंकिंग में उतार-चढ़ाव आया है, 88वें (2015), 85वें (2016), 87वें (2017), 81वें (2018), 82वें (2019 और 2020), और 81वें (2021) स्थान के साथ।
- हेनले ओपननेस इंडेक्स में, जो वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या को मापता है, भारत केवल चार देशों को वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति देने के लिए 97 देशों में से 94वें स्थान पर है।

वैश्विक परिदृश्य:

- सिंगापुर ने जापान को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे उसके नागरिकों को वैश्विक स्तर पर 227 यात्रा स्थलों में से 192 तक वीजा-मुक्त पहुंच की अनुमति मिल गई है।
- जर्मनी, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, लक्ज़मबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन द्वारा साझा किया गया है।
- जापान, जो पहले पाँच वर्षों तक शीर्ष स्थान पर था, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में तीसरे स्थान पर खिसक गया।
- आतंकवाद और हालिया आर्थिक संकट के लिए मशहूर इस देश को सूची में 100वां स्थान दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिक बिना वीजा आवेदन किए सिर्फ 33 देशों की यात्रा कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

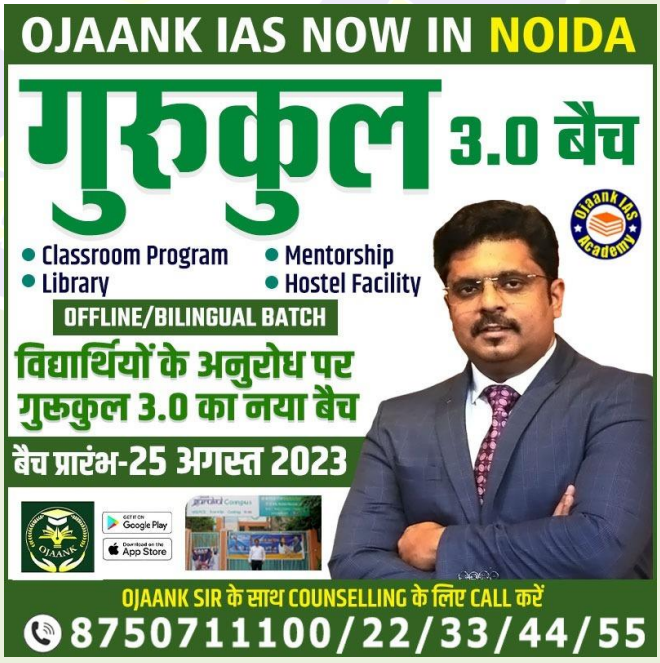

Reach the New Ojaank Gurukul Campus in Noida

11. नाटो विनियस (Vilnius) शिखर सम्मेलन, 2023

संदर्भ: जुलाई 2023 में आयोजित विनियस शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने और भविष्य के संघर्षों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण था। जबकि यूक्रेन की सदस्यता समयसीमा के संबंध में उम्मीदें अधिक थीं, शिखर सम्मेलन इस संबंध में असफल रहा।

नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के बारे में	
गठन	4 अप्रैल 1949 को स्थापित
सदस्य	इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं
मुख्यालय	ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है
उद्देश्य	राजनीतिक और सैन्य सहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना
मुख्य विशेषता: अनुच्छेद 5	परस्पर रक्षा प्रावधान, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण है
संचालन	दुनिया भर में शांति स्थापना और संकट प्रबंधन कार्यों में शामिल
नाटो-रूस संबंध	रूस के साथ जटिल संबंध, जिसमें सहयोग और तनाव शामिल हैं
सुरक्षा चुनौतियाँ विकसित हो रही हैं	आतंकवाद, साइबर खतरों और हाइब्रिड युद्ध जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलन

विनियस शिखर सम्मेलन से मुख्य निष्कर्ष:

धमकियों पर नाटो की प्रतिक्रिया:

- शिखर सम्मेलन की विज्ञप्ति में रूस को यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में नाटो सहयोगियों की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा माना गया।
- नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के लिए बेलारूस द्वारा क्षेत्र और बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के बारे में चिंता व्यक्त की। इसमें यूक्रेन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए ईरान द्वारा रूस को अनक्रूड एरियल व्हीकल्स (UAV) की डिलीवरी पर भी प्रकाश डाला गया।

बाल्टिक सागर में पुनः अंशांकन:

- शिखर सम्मेलन ने नाटो सदस्य के रूप में फिनलैंड की पहली भागीदारी को चिह्नित किया, जबकि तुर्की गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली की पुष्टि करने पर सहमत हुआ।
- यह बाल्टिक सागर क्षेत्र में रणनीतिक पुनर्गणना का मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर पहले रूस का प्रभुत्व था।

यूक्रेन के प्रति प्रतिबद्धताएँ:

- अपेक्षाओं के बावजूद, यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए कोई ठोस समयसीमा प्रदान नहीं की गई।
- यूक्रेन ने नाटो सदस्यों से अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं हासिल कीं, जिसमें नाटो-यूक्रेन परिषद का निर्माण और यूक्रेनी बलों को उन्नत करने में मदद के लिए एक बहु-वर्षीय कार्यक्रम शामिल है।
- जर्मनी, नॉर्वे और फ्रांस जैसे सदस्य देशों ने वित्तीय सहायता, सैन्य उपकरण और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग सहित यूक्रेन की रक्षा का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई।

चीन को लेकर चिंताएँ:

- शिखर सम्मेलन ने नाटो की चीन को उसकी सुरक्षा, हितों और मूल्यों के लिए खतरा मानने की बात दोहराई। इसमें चीन की अपारदर्शी रणनीति, इरादे, सैन्य निर्माण और रूस को उसके समर्थन पर प्रकाश डाला गया।
- नाटो ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और इसे यूरो-अटलांटिक सुरक्षा से जोड़ा।

रक्षा ख़र्च और तैयारी:

- नाटो ने अधिक विवादित सुरक्षा व्यवस्था के कारण जीडीपी बेसलाइन के 2 प्रतिशत से अधिक रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
- गठबंधन की तत्परता बढ़ाने के लिए सहयोगी क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं पर एक समझौते पर पहुँचे। योजनाएं बलों को उन्नत करने, अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और वित्तीय निहितार्थों को संबोधित करने पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष:

- कुल मिलाकर, शिखर सम्मेलन ने उभरते सुरक्षा परिदृश्य में नाटो की प्रासंगिकता और रणनीतिक प्राथमिकताओं की पुष्टि की।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

12. केर्च ब्रिज

संदर्भ: रूसी मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर यूक्रेनी समुद्री ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण रूस ने जवाबी कार्रवाई की।

केर्च ब्रिज के बारे में:

- केर्च ब्रिज, केर्च जलडमरूमध्य के पार, 19 किमी लंबा है और इसमें दो समानांतर रेल और सड़क मार्ग हैं।
- इसे 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा बड़ी धूमधाम से खोला गया था, चार साल बाद जब रूस ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर लिया था।
- यह 2014 में क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण का भी प्रतीक है।
- यह रूस के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि यह मुख्य भूमि और संलग्न क्रीमिया के बीच सीधा संपर्क प्रदान करता है।

रूस के लिए केर्च ब्रिज का महत्व:

- 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद, मुख्य भूमि रूस और क्रीमिया के बीच एक "भूमि पुल" को सुरक्षित करने के लिए पुल का निर्माण किया गया था।
- यह पुल दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को रसद आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पुल यूक्रेनी गोलाबारी की सीमा के भीतर रहता है, जिससे इसकी सुरक्षा रूस के सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

Source: Indian Express

1. ग्रीडफ्लेशन

संदर्भ: भारत और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के कारण ग्रीडफ्लेशन चर्चा में है।

विवरण:

- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति एक ऐसा शब्द है जो ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां मुद्रास्फीति आपूर्ति और मांग कारकों के बजाय अत्यधिक लालच और अटकलों से प्रेरित होती है। यह तब होता है जब निवेशक, उपभोक्ता और व्यवसाय कीमतों में लगातार वृद्धि की उम्मीद करते हैं और तदनुसार कार्य करते हैं, जिससे एक स्व-पूर्ति भविष्यवाणी बनती है।
- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति से संपत्ति के बुलबुले, वित्तीय अस्थिरता, आय असमानता और सामाजिक अशांति हो सकती है।

ग्रीडफ्लेशन:

- यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां उच्च मुद्रास्फीति आपूर्ति के झटके या मौद्रिक विस्तार के बजाय अत्यधिक मांग और अटकलों से प्रेरित होती है।
- यह कोई नई घटना नहीं है. यह अतीत में कई देशों और क्षेत्रों में देखा गया है, जैसे कि डॉट-कॉम बबल के दौरान अमेरिका, हाउसिंग बूम के दौरान चीन, और ऋण संकट के दौरान लैटिन अमेरिका।
- हालाँकि, महामारी के बाद की दुनिया में यह अधिक प्रचलित और निरंतर हो गया है, क्योंकि अभूतपूर्व राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन, कम ब्याज दरें, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और दबी हुई मांग ने मुद्रास्फीति के दबाव के लिए एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया है।

ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति के प्रभाव:

- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- यह उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकता है, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं।
- यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर सकता है, क्योंकि संपत्ति की बढ़ती कीमतों से अमीरों को फायदा होता है जबकि बाकी लोग जीवनयापन की बढ़ती लागत से पीड़ित होते हैं।
- यह वित्तीय बाजारों की अस्थिरता और नाजुकता को बढ़ा सकता है, जिससे उनमें गिरावट और संकट का खतरा बढ़ सकता है।
- यह वैश्विक असंतुलन, व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक संघर्ष को बढ़ा सकता है, क्योंकि विभिन्न देश मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अलग-अलग और असंगत नीतियां अपनाते हैं।

भारत में ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति के मुख्य चालक:

- बढ़ती वैश्विक वस्तु कीमतें, विशेष रूप से कच्चे तेल, धातु और खाद्य पदार्थों का भारत के आयात बिल और घरेलू उत्पादन लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, जिसने विनिर्माण, परिवहन, आतिथ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य कामकाज को बाधित कर दिया है।

- RBI द्वारा मात्रात्मक सहजता, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन और ऋण चुकौती पर रोक जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता डाली गई है।
- उपभोक्ता मांग में मजबूत सुधार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और ऑटोमोबाइल, टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं जैसी विवेकाधीन वस्तुओं के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे फिर से खुल रही है।
- व्यापारियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं द्वारा सट्टेबाजी का व्यवहार, जो आगे कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं और वस्तुओं और संपत्तियों की जमाखोरी करते हैं, कृत्रिम कमी पैदा करते हैं और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ:

- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए एक दुविधा पैदा करती है, जो विकास को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मांग का समर्थन करने और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने, और उम्मीदों को समायोजित करने और विश्वसनीयता कायम करने के बीच व्यापार-बंद का सामना करते हैं।
- इसके लिए विभिन्न अभिनेताओं और संस्थानों, जैसे केंद्रीय बैंकों, सरकारों, नियामकों, व्यवसायों और नागरिक समाज के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है।
- यह नीतियों, विनियमों, प्रौद्योगिकियों और व्यवहारों के संदर्भ में नवाचार और अनुकूलन की मांग करता है।
- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट या आसान नहीं है। लालच मुद्रास्फीति के लिए कोई एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है। विभिन्न देशों को उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग रणनीतियों और उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति को कम करने या रोकने में मदद करने वाले कदमों में शामिल हैं:

- व्यापक आर्थिक प्रबंधन के लिए अधिक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपनाना जो न केवल मुद्रास्फीति बल्कि विकास, रोजगार, असमानता और स्थिरता पर भी विचार करता है।
- केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही को मजबूत करना जो विश्वसनीय और प्रभावी मौद्रिक नीति का संचालन कर सके जो मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करती है और अत्यधिक धन सृजन को रोकती है।
- एक विवेकपूर्ण और प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति लागू करना जो अत्यधिक घाटा या ऋण पैदा किए बिना सार्वजनिक निवेश, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वितरण का समर्थन करती है।
- वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ाना जो नवाचार या प्रतिस्पर्धा को दबाए बिना वित्तीय बाजारों में अत्यधिक उत्तोलन, जोखिम लेने और सट्टेबाजी को रोक सकता है।
- संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देना जो सामाजिक या पर्यावरणीय मानकों से समझौता किए बिना वास्तविक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना जो राष्ट्रीय संप्रभुता या विविधता को कम किए बिना देशों में नीतियों, नियमों और मानकों में सामंजस्य स्थापित कर सके।

ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति से निपटने के लिए भारत की आगे की राह:

- यह सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का समन्वय करना कि वे व्यापक आर्थिक स्थिरता और विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुसंगत और पूरक हैं।
- कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति-पक्ष सुधारों को मजबूत करना। उदाहरण के लिए, सरकार को हाल ही में बनाए गए

कृषि कानूनों को लागू करना चाहिए, जिसका उद्देश्य कृषि बाजारों को उदार बनाना और किसानों को सशक्त बनाना है।

- आयात पर निर्भरता और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए ऊर्जा और कच्चे माल के स्रोतों में विविधता लाना। उदाहरण के लिए, सरकार को सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए, जो भारत के कार्बन पदचिह्न और ऊर्जा आयात बिल को कम कर सकता है।
- मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और गतिशीलता की अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए डेटा संग्रह और प्रसार की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करना। उदाहरण के लिए, सरकार को आधार वर्ष और विभिन्न मूल्य सूचकांकों के भार को अद्यतन करना चाहिए, जो वर्तमान में पुराने हो चुके हैं और बदलते उपभोग स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने और सट्टेबाजी व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए जनता और हितधारकों के साथ शिक्षित और संचार करना। उदाहरण के लिए, सरकार को मुद्रास्फीति के कारणों और परिणामों और उपभोक्ता इससे कैसे निपट सकते हैं, इस पर जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।

निष्कर्ष:

ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके मूल कारणों और परिणामों को संबोधित करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यवसायों और उपभोक्ताओं से एक समग्र और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तभी भारत महामारी के बाद की दुनिया में टिकाऊ और समावेशी विकास हासिल कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू

Join Our Special Batch

2. उत्प्रेरक

संदर्भ: उद्योग में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने की सुविधा और तेजी लाने के लिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्प्रेरक नामक एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, जिसका अर्थ उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है। केंद्र का लक्ष्य भारतीय उद्योग को कम कार्बन और टिकाऊ क्षेत्र में बदलने के लिए उत्प्रेरक बनना है।

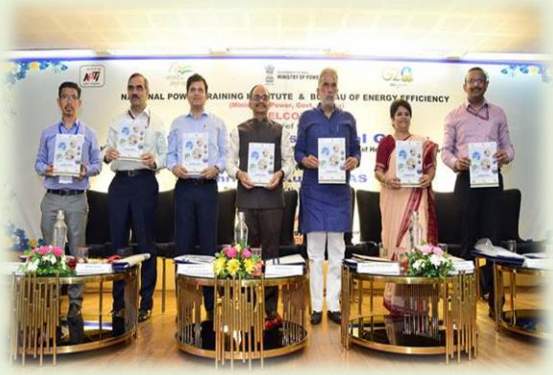

विवरण:

- भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के हिस्से के रूप में अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उद्योग की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, जो देश की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 40% है।
- उद्योग में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने की सुविधा और तेजी लाने के लिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्प्रेरक नामक एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है।

उत्प्रेरक:

- उत्प्रेरक का अर्थ ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग परिवर्तन और संवर्धन है।
- यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) की एक संयुक्त पहल है।

प्रमुख उद्देश्य:

- उत्प्रेरक का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के विभिन्न पहलुओं पर उद्योग हितधारकों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, नीति वकालत और ज्ञान प्रसार प्रदान करना है।
- केंद्र स्टील, सीमेंट, कपड़ा, रसायन आदि जैसे विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में नवीनतम और सर्वोत्तम ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करता है। यह एक प्रदर्शनी सह सूचना केंद्र और ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है जहां उद्योग हितधारक इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लाभों और व्यवहार्यता के बारे में जान सकते हैं।
- यह केंद्र उद्योग के पेशेवरों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और नेटवर्किंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह ऊर्जा-कुशल समाधानों को लागू करने में सर्वोत्तम प्रथाओं, केस अध्ययन, सफलता की कहानियों और चुनौतियों को साझा करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, वेबिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- केंद्र विभिन्न क्षेत्रों के ऊर्जा पेशेवरों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास में भी योगदान देता है। यह ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रमाणन कार्यक्रम, ऑनलाइन मॉड्यूल और अन्य शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है।
- केंद्र नीति निर्माण के लिए निविष्टियां प्रदान करता है, ऊर्जा दक्षता में शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ता है, और विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं के लिए नवीन व्यावहारिक समाधान विकसित करता है।

उत्प्रेरक की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

- यह इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, रसायन, उर्वरक, कागज और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए उद्योग की सभी ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा।
- यह ऊर्जा ऑडिट, बेंचमार्किंग, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परियोजना कार्यान्वयन, वित्तपोषण, निगरानी और सत्यापन और प्रमाणन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।
- यह विद्युत मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाएगा, जैसे PAT (प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार), उजाला (सभी के लिए किफायती LED द्वारा उन्नत ज्योति), SLNP (स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम), और EESL's का सुपर-कुशल उपकरण कार्यक्रम (SEEP) का लाभ उठाएगा।
- यह ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग संघों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग करेगा।

- यह ऊर्जा दक्षता के लाभों और उत्प्रेरक के तहत उपलब्ध अवसरों पर उद्योग हितधारकों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा।

महत्व:

- यह उद्योग को अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।
- यह उद्योग की परिचालन लागत को कम करके और उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करके उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता को बढ़ाएगा।
- यह ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कौशल विकास पैदा करेगा।
- यह नई प्रौद्योगिकियों और व्यापार मॉडल के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा।

इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ:

- ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए उद्योग हितधारकों के बीच जागरूकता और प्रेरणा की कमी।
- उच्च अग्रिम लागत और लंबी भुगतान अवधि कुछ ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों से जुड़ी हुई हैं।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्त और प्रोत्साहन तक पहुँचने में कठिनाई।
- ऊर्जा-कुशल उत्पादों और सेवाओं के लिए मानकीकरण और प्रमाणन की कमी।
- ऊर्जा दक्षता में शामिल विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों और योजनाओं के बीच समन्वय और अभिसरण की कमी।

उत्प्रेरक की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ संभावित उपाय हैं:

- उद्योग हितधारकों के बीच जागरूकता और मांग पैदा करने के लिए उत्प्रेरक की पहुंच और संचार रणनीति को मजबूत करना।
- लागत बाधाओं को दूर करने और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग हितधारकों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उत्प्रेरक हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा बचत की निगरानी और सत्यापन के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करना।
- उत्प्रेरक भागीदारों द्वारा पेश किए गए ऊर्जा-कुशल उत्पादों और सेवाओं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करना।
- विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा दक्षता में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और तालमेल बढ़ाना

निष्कर्ष:

उत्प्रेरक एक अनूठी पहल है जो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी तैनाती के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करती है। यह भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के साथ-साथ इसके पर्यावरणीय प्रभाव और कार्बन पदचिह्न को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इस प्रकार उत्प्रेरक भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हरित विकास के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है।

Source: Indian Express

www.ojaank.com

3. इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। 2023-24 के बजट में घोषित यह योजना टिकाऊ कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

क्या है PM-प्रणाम योजना?

- PM-प्रणाम का मतलब प्रधान मंत्री कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है।
- यह योजना सितंबर 2022 में रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित की गई थी।
- इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।

योजना की उल्लेखनीय विशेषताएं:

- यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो राज्य रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी के कारण धन में महत्वपूर्ण बचत प्रदर्शित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अनुदान प्राप्त होता है।
- रासायनिक उर्वरक की खपत कम होने से होने वाली सब्सिडी बचत का लगभग 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में आवंटित किया जाएगा जो सबसे अधिक बचत प्रदर्शित करता है। यह राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- दी गई धनराशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70%) वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी एकीकरण से जुड़ी संपत्ति बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करना, स्थानीय उत्पादन और वैकल्पिक उर्वरकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना शामिल है।
- दी गई धनराशि के शेष 30% का उपयोग उर्वरक उपयोग को कम करने में उनके योगदान के लिए किसानों और अन्य ग्रामीण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए किया जाएगा। यह टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है।
- इस योजना का उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करके पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है, जो बदले में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में योगदान देती है।
- उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, यह योजना कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उर्वरता को सुनिश्चित करती है। यह टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर जोर देता है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं।
- यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग के लिए कृषि में प्रौद्योगिकी के एकीकरण का समर्थन करती है। इसमें जमीनी स्तर पर उत्पादन इकाइयों की स्थापना, स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वैकल्पिक उर्वरकों की पहुंच शामिल है।

Source: Indian Express

4. गिफ्ट निफ्टी

संदर्भ: गिफ्ट निफ्टी (जिसे पहले SGX NIFTY के नाम से जाना जाता था) ने गुजरात के गिफ्ट सिटी से कारोबार शुरू किया, जो भारत और सिंगापुर के पूंजी बाजारों के बीच पहली सीमा पार पहल थी। ट्रेडिंग सत्र में 30,000 से अधिक ट्रेड हुए, जो इस सहयोग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

गिफ्ट निफ्टी क्या है?

- गिफ्ट निफ्टी में माइग्रेशन की शुरुआत पीएम मोदी ने जुलाई 2022 में की थी।
- गिफ्ट निफ्टी विदेशी निवेशकों तक गिफ्ट आईएफएससी की पहुंच बढ़ाने और गिफ्ट सिटी में पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- SGX और NSE के बीच सहयोग दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध को मजबूत करता है।
- NSE IX को साझेदारी को स्थिरता प्रदान करते हुए अन्य एक्सचेंजों के साथ समान व्यवस्था में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- शुरुआती पांच साल के अनुबंध को अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ऑपरेटिंग समय:

- गिफ्ट निफ्टी एक व्यापारिक लिंक स्थापित करता है जहां व्यापार और मिलान भारत में होता है, जबकि समाशोधन और निपटान सिंगापुर में होता है।
- यह एशिया समय क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक संचालित होता है।
- दूसरा सत्र, शाम 4:35 बजे से 2:45 बजे (अगले दिन) तक, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के निवेशकों को लक्षित करता है।

SGX और NSE के बीच डील:

- पांच साल का अनुबंध सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई IX) के बीच 50:50 राजस्व-साझाकरण व्यवस्था स्थापित करता है।
- सिंगापुर-जनित व्यवसाय के लिए, एसजीएक्स को 75% राजस्व प्राप्त होगा, जबकि एनएसई को शेष 25% प्राप्त होगा।
- एनएसई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) व्यवसाय का 75% हिस्सा अपने पास रखेगा, शेष 25% एसजीएक्स को जाएगा।
- एक बार "सीमा मात्रा" तक पहुंचने के बाद, राजस्व बंटवारा दोनों संस्थाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

गिफ्ट निफ्टी में बदलाव:

- 30 जून को, सिंगापुर में SGX NIFTY पर ट्रेडिंग समाप्त हो गई, संपूर्ण ट्रेडिंग वॉल्यूम और तरलता GIFT IFSC में स्थानांतरित हो गई।
- ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर गिफ्ट निफ्टी कर दिया गया, जो चार उत्पादों की पेशकश करता है: गिफ्ट निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और गिफ्ट निफ्टी आईटी डेरिवेटिव अनुबंध।

गिफ्ट सिटी, गांधीनगर

- **GIFT** सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है (काफी हद तक एक आधुनिक आईटी (**IT**) पार्क की तरह)।
- **GIFT** का विचार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट **2007** के दौरान आया था।
- प्रारंभिक योजना पूर्वी चीन वास्तुकला डिजाइन और अनुसंधान संस्थान (ईसीएडीआई) द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में शहर में लगभग **225** इकाइयाँ/कंपनियाँ कार्यरत हैं जिनमें **12000** से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं।

प्रमुख विशेषताएं:

- पूरा शहर **FTTX** (फाइबर टू द होम/ऑफिस) की अवधारणा पर आधारित है।
- फाइबर ऑप्टिक को दोष-सहिष्णु रिंग आर्किटेक्चर में रखा गया है ताकि सेवाओं का अधिकतम अपटाइम सुनिश्चित किया जा सके।
- **GIFT** सिटी की प्रत्येक इमारत एक बुद्धिमान इमारत है।
- रसोई गैस की पाइप से आपूर्ति होती है। भारत का पहला शहर-स्तरीय **DCS** (जिला शीतलन प्रणाली) भी गिफ्ट सिटी में चालू है।

5. बायोबैंक (Biobanks) का वैश्विक प्रशासन

संदर्भ: जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, जिसे आमतौर पर जैव अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ने हाल के वर्षों में आनुवंशिक अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों और खाद्य सुरक्षा और जैव उत्पादन में नवाचारों में प्रगति के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। हालाँकि, जैविक डेटा के जिम्मेदार संग्रह, भंडारण और साझाकरण, विशेष रूप से बायोबैंक के रूप में, समान पहुंच और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन की आवश्यकता होती है।

जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था क्या है?

- जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, जिसे जैव अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, उस क्षेत्र को संदर्भित करती है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अनुसंधान और औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।
- इसमें स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में नवीन उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए जैविक ज्ञान, सिद्धांतों और तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल है।
- जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जैविक प्रणालियों को समझने और उनमें हेरफेर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जीनोमिक्स, जैव सूचना विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर निर्भर करती है।
- इसमें नई दवाओं, उपचारों और चिकित्सा उपचारों का विकास, कृषि फसलों और पशुधन में सुधार, जैव ईंधन और नवीकरणीय सामग्रियों का उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के लिए स्थायी समाधान का निर्माण शामिल है।

जैव अर्थव्यवस्था में भारत की क्षमता:

- भारत की बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2030 तक भारत में बायोइकोनॉमी के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित बाजार मूल्य का अनुमान लगाती है। यह क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास और आर्थिक संभावनाओं को इंगित करता है।
- भारत में बायोटेक स्टार्ट-अप की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दस वर्षों में 50 से बढ़कर 5,300 से अधिक हो गई है। यह संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैव-अर्थव्यवस्था में अनुसंधान, विकास और औद्योगिक भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार को दर्शाता है।
- भारत वर्तमान में कुल 340 वैश्विक बायोबैंक में से 19 पंजीकृत बायोबैंक की मेजबानी करता है। यह बुनियादी ढांचा अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए जैविक डेटा के संग्रह, संरक्षण और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत के लिए बायोबैंक का महत्व:

- बायोबैंक संबंधित स्वास्थ्य जानकारी के साथ-साथ रक्त, ऊतक और डीएनए जैसे जैविक नमूने संग्रहीत करते हैं। ये नमूने और डेटा शोधकर्ताओं को बीमारियों का अध्ययन करने, आनुवंशिक कारकों को समझने, बायोमार्कर की पहचान करने और नए नैदानिक उपकरण और उपचार विकसित करने में सक्षम बनाते हैं।

- विशिष्ट बीमारियों या आनुवंशिक स्थितियों वाले व्यक्तियों से नमूने और स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करके, बायोबैंक रोग के कारण, प्रगति और उपचार के विकल्पों पर शोध की सुविधा प्रदान करते हैं।
- बायोबैंक में संग्रहीत आनुवंशिक और आणविक डेटा का विश्लेषण करके, शोधकर्ता व्यक्तिगत विविधताओं की पहचान कर सकते हैं और किसी व्यक्ति की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना के आधार पर अनुरूप उपचार दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं।
- बायोबैंक से बड़े पैमाने पर डेटा सेट का विश्लेषण करके, शोधकर्ता जोखिम कारकों की पहचान कर सकते हैं, रोग की व्यापकता को समझ सकते हैं, रोग के रुझान की निगरानी कर सकते हैं और रोग की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं।

असमान डेटा संग्रह और लाभ परिनियोजन:

- ग्लोबल नॉर्थ में बायोबैंक की सघनता के कारण, उन क्षेत्रों में प्रचलित आनुवंशिक स्थितियों और बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान और वित्त पोषण में पूर्वाग्रह है। यह पूर्वाग्रह वैश्विक दक्षिण के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध में बाधा डालता है, जिससे इन क्षेत्रों की आबादी के लिए निष्कर्षों की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता सीमित हो जाती है।
- मुख्य रूप से ग्लोबल नॉर्थ में स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्लोबल साउथ से नमूनों का उपयोग करने में विसंगति है। इस असंगति का तात्पर्य है कि ग्लोबल साउथ में एकत्र किए गए डेटा से प्राप्त शोध परिणाम उस क्षेत्र में आबादी के सामने आने वाली स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं।
- परिणाम नीतियों पर स्पष्ट रिटर्न की कमी के कारण ग्लोबल साउथ में एकत्र किए गए डेटा से प्राप्त लाभों की अपर्याप्त साझेदारी होती है। ग्लोबल साउथ के बायोबैंक डेटा का उपयोग करके किए गए शोध के लाभ और परिणाम उन देशों और आबादी के बीच समान रूप से साझा नहीं किए जाते हैं जहां से डेटा उत्पन्न हुआ था।

जैव अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान और नेतृत्व:

- भारत ने स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। देश SARS-CoV-2 वैक्सीन विकास, तैनाती और कूटनीति में शामिल रहा है। इसकी विशेषज्ञता और भागीदारी ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- बायोबैंकिंग प्रशासन और वैश्विक प्लेटफार्मों में वैश्विक दक्षिण प्रतिनिधित्व की वकालत करने में भारत की भागीदारी असमानताओं को दूर करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत का नेतृत्व वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग, विश्वास और निष्पक्ष भागीदारी को बढ़ावा देने में योगदान देता है।
- चतुर्भुज गठबंधन और इसकी G20 अध्यक्षता के साथ भारत का सहयोग वैश्विक कूटनीति और सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है। ये संलग्नक भारत को वैश्विक शासन संरचनाओं और तंत्रों की वकालत करने में सक्षम बनाते हैं जो जैव-अर्थव्यवस्था में समान पहुंच, लाभ साझाकरण और वित्त पोषण को बढ़ावा देते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- वैश्विक शासन संरचनाओं में ग्लोबल साउथ के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीतियों में ग्लोबल साउथ की विशिष्ट आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है।
- मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिए बायोबैंकिंग के लिए वैश्विक दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। ये दिशानिर्देश वैश्विक दक्षिण की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नैतिक डेटा संग्रह, भंडारण, साझाकरण और लाभ वितरण को संबोधित करेंगे।

- समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए परिणाम नीतियों पर स्पष्ट रिटर्न देना महत्वपूर्ण है। ये नीतियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ग्लोबल साउथ में एकत्र किए गए डेटा से प्राप्त लाभों को उन देशों और आबादी के साथ साझा किया जाएगा जहां से डेटा उत्पन्न हुआ था।
- जैव-अर्थव्यवस्था में वैश्विक प्रशासन को देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। यह सहयोग वैश्विक दक्षिण में असमानताओं को दूर करने, विश्वास बनाने और क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

- वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने, समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने के लिए बायोबैंकिंग में न्यायसंगत शासन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर बायोबैंकिंग के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का समय आ गया है।

स्रोत: द हिंदू

6. रुपये (Rupee) का अंतर्राष्ट्रीयकरण

संदर्भ: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दीर्घकालिक रोडमैप के संबंध में भारत सरकार की हालिया घोषणा में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस कदम का उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा के रूप में रुपये की ऐतिहासिक प्रमुखता को पुनर्जीवित करना और वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1950 के दशक में, भारतीय रुपये को संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर सहित कई खाड़ी देशों में कानूनी मुद्रा का दर्जा प्राप्त था। विभिन्न लेनदेन के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, और ये खाड़ी राजतंत्र पाउंड स्टर्लिंग का उपयोग करके रुपये खरीदते थे।
- सोने की तस्करी से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1959 में लागू किया गया था। इस कानून के कारण खाड़ी रुपया का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य केवल पश्चिम एशियाई क्षेत्र में प्रचलन था। केंद्रीय बैंक ने खाड़ी क्षेत्र के लिए विशिष्ट नोट जारी किए, और भारतीय मुद्रा रखने वाले व्यक्तियों को नए खाड़ी रुपये के लिए अपने रुपये का आदान-प्रदान करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया।
- 1966 में, भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, जिसका अंततः खाड़ी रुपये की स्वीकार्यता पर प्रभाव पड़ा। अवमूल्यन ने भारतीय रुपये की स्थिरता में विश्वास को कम कर दिया, जिससे कुछ पश्चिम एशियाई देशों ने खाड़ी रुपये को अपनी संप्रभु मुद्राओं से बदलने के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र में संप्रभु मुद्राओं की शुरूआत आर्थिक कारकों और भारतीय रुपये की स्थिरता के बारे में चिंताओं दोनों से प्रेरित थी।

भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से क्या तात्पर्य है?

भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक वैश्विक मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये की स्वीकार्यता, उपयोग और मान्यता बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें रुपये को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक व्यापक रूप से उपयोग और व्यापार करना, इसकी परिवर्तनीयता बढ़ाना और सीमा पार लेनदेन, व्यापार निपटान और निवेश गतिविधियों के लिए इसे अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ:

- रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार लेनदेन को सुगम बनाया जा सकता है। इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ सकता है, विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में उतार-चढ़ाव से जुड़े विनिमय दर जोखिमों को कम करता है। जब रुपया अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उपयोग किया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी मुद्रा की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देता है।
- रुपये की अधिक अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता सीमा पार व्यापार और प्रेषण में लगे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए लेनदेन लागत को कम कर सकती है।
- अधिक अंतर्राष्ट्रीयकृत रुपये से गहरे और अधिक तरल रुपये-मूल्य वाले वित्तीय बाजारों का विकास होगा। इसमें रुपया बांड बाजार और डेरिवेटिव बाजार शामिल हैं। यह फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों और व्यवसायों के लिए अधिक स्थिरता और अवसर प्रदान करने में मदद करता है।

रुपये की अंतर्राष्ट्रीय मांग की चुनौती:

- वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की दैनिक औसत हिस्सेदारी लगभग 1.6% है। यह इंगित करता है कि अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी मुद्राओं की तुलना में रुपये का व्यापक रूप से व्यापार नहीं किया जाता है या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।
- भारत पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जो स्थानीय वित्तीय निवेश को विदेशी परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने और इसके विपरीत को संदर्भित करता है। भारत के चालू और पूंजी खाते के घाटे को देखते हुए, ये प्रतिबंध पूंजी उड़ान और विनिमय दर की अस्थिरता के जोखिमों को कम करने के लिए लगाए गए हैं। हालाँकि, वे रुपये को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने की आसानी को सीमित कर देते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो जाती है।
- किसी मुद्रा को आरक्षित मुद्रा माने जाने के लिए, इसे पूरी तरह से परिवर्तनीय, आसानी से उपयोग करने योग्य और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। रुपये को वर्तमान में आरक्षित मुद्रा का दर्जा प्राप्त नहीं है, और इसकी सीमित परिवर्तनीयता और उपयोग केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मात्रा में रुपये रखने के लिए इसके आकर्षण में बाधा डालते हैं।

चीन के अनुभव से सीखना:

- चीन ने रेनमिनबी (RMB) का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। इसने शुरू में वाणिज्यिक व्यापार और ब्याज भुगतान जैसे चालू खाता लेनदेन के लिए चीन के बाहर आरएमबी (RMB) के उपयोग की अनुमति दी, और धीरे-धीरे इसे चुनिंदा निवेश लेनदेन तक विस्तारित किया। इस क्रमिक दृष्टिकोण ने जोखिमों को प्रबंधित करने और एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने में मदद की।

- चीन ने "डिम सम" बांड और ऑफशोर आरएमबी (RMB) बांड बाजार जैसे अपतटीय बाजारों की स्थापना की, जिसने हांगकांग में वित्तीय संस्थानों को आरएमबी-मूल्य वाले बांड जारी करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, चीन ने केंद्रीय बैंकों, अपतटीय समाशोधन बैंकों और अपतटीय भाग लेने वाले बैंकों को ऋण प्रतिभूतियों में अतिरिक्त आरएमबी निवेश करने की अनुमति दी। इन उपायों ने आरएमबी की तरलता को बढ़ाया और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाया।
- चीन ने ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, उज़्बेकिस्तान और थाईलैंड सहित कई देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते में प्रवेश किया। इन समझौतों ने विभिन्न मुद्राओं में समान मात्रा में धन के आदान-प्रदान को सक्षम किया, जिससे आरएमबी में व्यापार और निवेश लेनदेन की सुविधा हुई और अन्य मुद्राओं पर निर्भरता कम हो गई।
- चीन ने शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र लॉन्च किया, जिसने अनिवासी तटवर्ती और अपतटीय खातों के बीच मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। इस क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को आरएमबी में लेनदेन करने के लिए एक मंच प्रदान किया और मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा दिया।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- 2060 तक पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ रुपये को अधिक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। इसमें वित्तीय निवेश को भारत और विदेशों के बीच स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देना, मुद्रा विनिमय और पूंजी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध हटाना शामिल होगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को एक गहरा और अधिक तरल रुपया बांड बाज़ार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे विदेशी निवेशकों और भारतीय व्यापार भागीदारों को रुपये में निवेश के अधिक विकल्प मिल सकेंगे, जिससे मुद्रा का आकर्षण और उपयोग बढ़ेगा।
- भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अपने लेनदेन का बिल रुपये में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रुपये के आयात/निर्यात लेनदेन के लिए व्यापार निपटान औपचारिकताओं को अनुकूलित करने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के अधिक उपयोग की सुविधा मिलेगी, जिससे विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी।
- भारत व्यापारिक साझेदारों के साथ अतिरिक्त मुद्रा विनिमय समझौते स्थापित कर सकता है। ये समझौते भारत को व्यापार और निवेश लेनदेन को रुपये में निपटाने की अनुमति देंगे, जिससे अमेरिकी डॉलर जैसी आरक्षित मुद्राओं पर निर्भरता की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

निष्कर्ष:

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार के रोडमैप में भारतीय व्यवसायों, वित्तीय स्थिरता और घाटे को वित्तपोषित करने की सरकार की क्षमता के लिए अपार संभावनाएं हैं। पूर्वानुमानित मुद्रा प्रबंधन नीतियों और चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ, अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर रुपये की यात्रा भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।

स्रोत: द हिंदू

7. वैश्विक शांति सूचकांक, 2023

संदर्भ: वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) का 17वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें शांति के स्तर के आधार पर 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों की रैंकिंग की गई।

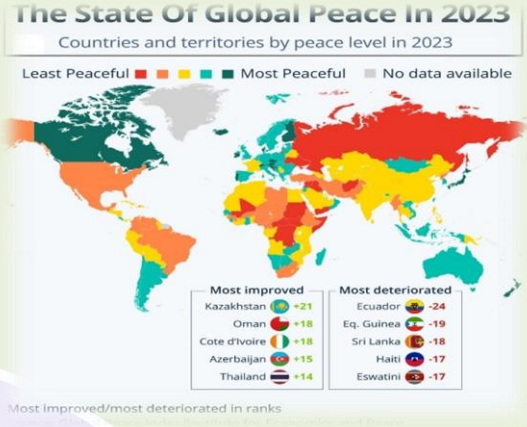

वैश्विक शांति सूचकांक क्या है?

- इसे मई 2009 से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी किया गया है।
- जीपीआई 163 देशों को कवर करता है, जो दुनिया की 99.7% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिष्ठित स्रोतों से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करते हैं।
- सूचकांक तीन क्षेत्रों में शांति को मापता है: सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और सैन्यीकरण। ये डोमेन किसी देश की शांति की समग्र समझ प्रदान करते हैं।

रैंकिंग और मुख्य विशेषताएं:

- आइसलैंड ने 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश का खिताब बरकरार रखा है, इसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया हैं।
- अफगानिस्तान लगातार आठवें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं।
- रैंकिंग में भारत दो पायदान ऊपर चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें शांति में 3.5% का सुधार हुआ, जिसका श्रेय हिंसक अपराध में कमी, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार और राजनीतिक अस्थिरता में कमी को दिया गया।
- नेपाल, चीन, श्रीलंका, अमेरिका और पाकिस्तान क्रमशः 79वें, 80वें, 107वें, 131वें और 146वें स्थान पर हैं।

वैश्विक शांति प्रवृत्तियाँ:

- 2023 की रिपोर्ट वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट पर प्रकाश डालती है। यह पिछले पंद्रह वर्षों में तेरहवीं गिरावट का प्रतीक है।
- 2022 में, 84 देशों ने शांति में सुधार का प्रदर्शन किया, जबकि 79 देशों ने गिरावट का अनुभव किया।
- पिछले पंद्रह वर्षों में, शांति का वैश्विक औसत स्कोर पांच प्रतिशत कम हो गया है, जो दुनिया भर में शांति में गिरावट का संकेत देता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ojaank Gurukul Campus Now in Noida

8. चीन सीमा निर्यात

संदर्भ: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की। सेमीकंडक्टर विनिर्माण और विभिन्न अन्य उद्योगों में इन कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस कदम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।

चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध:

- गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए निर्यात ऑपरेटरों को एक विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- ऑपरेटरों को आयातकों, अंतिम उपयोगकर्ताओं, अंतिम उपयोग और मूल निर्यात अनुबंध का विवरण प्रदान करना होगा। बिना अनुमति के निर्यात करना उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए प्रशासनिक दंड और संभावित आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

महत्व और चिंताएँ:

- गैलियम सेमीकंडक्टर वेफर्स, एकीकृत सर्किट, मोबाइल संचार, उपग्रह संचार, एलईडी, ऑटोमोटिव, प्रकाश व्यवस्था और सेंसर अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
- गर्मी प्रतिरोध और ऊर्जा रूपांतरण दक्षता जैसे गुणों के कारण जर्मेनियम का उपयोग फाइबर-ऑप्टिक केबल, इन्फ्रारेड इमेजिंग डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और सौर कोशिकाओं में किया जाता है।
- गैलियम उत्पादन में 80% और जर्मेनियम उत्पादन में 60% चीन का दबदबा है, जिससे यूरोपीय आयोग और भारत जैसे आयात पर अत्यधिक निर्भर देशों के लिए चिंताएँ पैदा हो रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ:

- अमेरिका चीन के निर्यात नियंत्रणों का विरोध करता है और इस मुद्दे के समाधान के लिए भागीदारों और सहयोगियों के साथ परामर्श करने की योजना बना रहा है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- विकास के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इसकी सुरक्षा संबंधी प्रकृति पर संदेह जताया।
- अमेरिका, जापान और नीदरलैंड ने उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं को लक्षित करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू किया है।

चीन का परिप्रेक्ष्य:

- चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि निर्यात उपाय किसी विशेष देश के लिए लक्षित नहीं हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और स्थिर करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हैं।
- कुछ चीनी अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि निर्यात नियंत्रण अभी शुरुआत है, और यदि भविष्य में प्रतिबंध तेज होते हैं तो चीन अपने जवाबी कदम बढ़ा सकता है।

भारत पर प्रभाव:

- तत्काल आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और बढ़ी हुई कीमतों के कारण भारत को अपने उद्योगों में अल्पकालिक व्यवधान का अनुभव हो सकता है।

- भारत की चिप-निर्माण योजनाओं और उद्योगों पर दीर्घकालिक प्रभाव वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों, घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमताओं और भारत-अमेरिका जैसी रणनीतिक साझेदारी जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पर पहल।
- भारत गैलियम और जर्मेनियम के लिए जस्ता और एल्यूमिना उत्पादन से अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति का पता लगा सकता है, इंडियम और सिलिकॉन जैसे वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर सकता है और घरेलू अर्धचालक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

निष्कर्ष:

गैलियम और जर्मेनियम पर चीन के निर्यात नियंत्रण ने विभिन्न उद्योगों, विशेषकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण विश्व स्तर पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ चल रहे 'चिप युद्ध' की भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं।

स्रोत: द हिंदू

9. व्यापार भुगतान संकट

संदर्भ: रूस से तेल आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता ने विभिन्न कारकों के कारण भुगतान करने में चुनौतियाँ पेश की हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाई गई तेल मूल्य सीमा का उल्लंघन, रूस द्वारा दी गई कम छूट और वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग के भू-राजनीतिक प्रभावों ने भुगतान प्रक्रिया को जटिल बना दिया है।

रूस से तेल आयात:

- इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक खिलाड़ियों को पछाड़कर रूस भारत को तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- रूस से भारत में कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है, जो 2022-23 में 31 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 गुना अधिक है।
- 60 डॉलर प्रति बैरल से कम कीमत वाले रूसी-ग्रेड तेल की समुद्री आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रूस के पास है।

भुगतान के लिए मुद्रा:

- रूसी बैंकों पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे भुगतान में बाधा आ रही है।
- तेल लेनदेन परंपरागत रूप से डॉलर पर निर्भर रहा है, लेकिन मूल्य सीमा और प्रतिबंधों ने भारत को वैकल्पिक भुगतान तंत्र तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
- रूसी तेल के लिए कुछ गैर-डॉलर भुगतान चीनी युआन और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में तय किए गए हैं।

रुपया-रूबल तंत्र से जुड़े मुद्दे:

- रुपये-रूबल व्यापार व्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की बातचीत को रूबल परिवर्तनीयता के बारे में संदेह और रुपये की अस्थिरता पर चिंताओं के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
- तेल व्यापार में उछाल के कारण महत्वपूर्ण व्यापार घाटा हुआ है, जो 2022-23 में 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

भू-राजनीतिक प्रभाव:

- भुगतान के लिए चीनी युआन का उपयोग भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भूराजनीतिक चिंताओं को बढ़ाता है।
- अमेरिकी प्रतिबंधों ने देशों को डी-डॉलरीकरण का पता लगाने और वैश्विक आरक्षित मुद्रा के विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है।

संभावित समाधान:

- रूस के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करने में भारत में ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना या भारत सरकार के बांड में रूसी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
- भारत का लक्ष्य भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाना है, हालांकि इसकी क्रय शक्ति और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं।

निष्कर्ष:

रूस से तेल आयात के भुगतान में भारत की चुनौतियाँ तेल मूल्य सीमा के उल्लंघन, सीमित भुगतान तंत्र और भू-राजनीतिक विचारों के कारण उत्पन्न हुई हैं। असफल रुपया-रूबल तंत्र और बढ़ते व्यापार घाटे ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

स्रोत: द हिंदू

10. एफपीआई (FPI) संशोधन

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से यह स्पष्ट करने को कहा है कि 2018 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) विनियमों में संशोधन क्यों किए गए। इन संशोधनों ने एफपीआई स्वामित्व संरचनाओं में अस्पष्टता को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण खंडों को समाप्त कर दिया था।

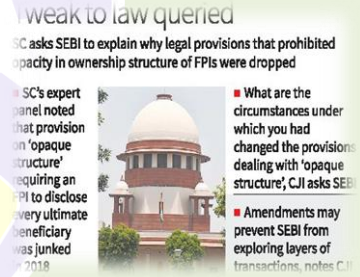

- एक न्यायिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह के खिलाफ आरोपों की सेबी की जांच एफपीआई (FPI) स्वामित्व संशोधनों के कारण बाधित हुई थी।
- रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लिखित एफपीआई (FPI) सहित 13 विदेशी संस्थाओं के "स्वामित्व" का निर्धारण करने में सेबी के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि उनकी स्वामित्व श्रृंखला में स्पष्टता की कमी है।

एफपीआई (FPIs) क्या हैं?

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) विदेशी व्यक्तियों, संस्थागत निवेशकों, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और अन्य संस्थाओं द्वारा किसी विदेशी देश के वित्तीय साधनों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है।
- इन निवेशों में आम तौर पर स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) और अन्य व्यापार योग्य वित्तीय संपत्तियों जैसी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल होती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- एफपीआई (FPI) में भौतिक संपत्तियों या व्यवसायों के प्रत्यक्ष स्वामित्व के बजाय वित्तीय साधनों का अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है। निवेशक लक्ष्य देश में कंपनियों, सरकारों या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो रखते हैं।

- एफपीआई (FPI) निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देते हैं। विभिन्न देशों और परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करके, निवेशक एक ही बाजार या परिसंपत्ति प्रकार में एकाग्रता से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं।
- एफपीआई (FPI) उच्च तरलता प्रदान करते हैं क्योंकि उनमें वित्तीय उपकरणों में व्यापार शामिल होता है जिन्हें द्वितीयक बाजार में आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। निवेशकों के पास बाजार की स्थितियों या निवेश उद्देश्यों के आधार पर अपनी स्थिति में जल्दी से प्रवेश करने या बाहर निकलने की सुविधा है।
- एफपीआई (FPI) विदेशी निवेशकों को अन्य देशों के प्रतिभूति बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह उन्हें विभिन्न बाजारों के आर्थिक विकास और संभावित रिटर्न में भाग लेने और उन निवेश अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

मुख्य मुद्दा: एफपीआई (FPI) विनियम संशोधन

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) विनियम पहली बार 2014 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पेश किए गए थे।
- 2018 के संशोधनों ने एफपीआई (FPI) विनियमों में उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया जो अपारदर्शी संरचनाओं को संबोधित करते थे और एफपीआई को स्वामित्व श्रृंखला में प्रत्येक अंतिम प्राकृतिक व्यक्ति का खुलासा करने की आवश्यकता थी।
- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्रावधानों को हटाने से सेबी को अपारदर्शी संरचनाओं वाले संदिग्ध 13 विदेशी संस्थाओं की जांच में "मुर्गी और अंडे की स्थिति" में डाल दिया गया था।
- रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि सेबी की जांच के लिए जांच के दायरे में आने वाली संस्थाओं के केवल लाभकारी मालिकों के बजाय अंतिम आर्थिक स्वामित्व के बारे में जानकारी की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न और सेबी (SEBI) की प्रतिक्रिया:

- मुख्य न्यायाधीश ने सेबी (SEBI) से अपारदर्शी संरचनाओं से संबंधित प्रावधानों में किए गए बदलावों के पीछे की परिस्थितियों और कारणों को स्पष्ट करने को कहा।
- सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच पूरी गति से आगे बढ़ रही है और एजेंसी अदालत द्वारा निर्धारित विस्तारित समय सीमा को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रही है।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2018 में किए गए संशोधनों ने सेबी की वर्तमान जांच को अप्रभावी बना दिया है, क्योंकि अपारदर्शी संरचना की परिभाषा हटा दी गई है। उन्होंने दावा किया कि इन संशोधनों का उद्देश्य धोखाधड़ी के जोखिम को रोकना था।

न्यायालय की चिंताएँ और स्पष्टीकरण का अनुरोध:

- मुख्य न्यायाधीश ने 2018 में सेबी द्वारा किए गए परिवर्तनों के पीछे के कारणों को समझने में अदालत की रुचि व्यक्त की।
- अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया कि संशोधन सेबी को लेनदेन की परतों में जाने से रोक सकता है, जिससे संभावित रूप से जांच में बाधा आ सकती है।

निष्कर्ष:

अदालत ने इन बदलावों से जुड़ी परिस्थितियों और अडानी समूह के खिलाफ सेबी (SEBI) की जांच पर उनके प्रभाव पर स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत की चिंता उन संभावित सीमाओं को समझने में निहित है जो ये संशोधन सेबी की स्वामित्व श्रृंखला और लेनदेन की परतों का पता लगाने की क्षमता पर लगा सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

11. जीएसटी (GST) परिषद

संदर्भ: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अपनी 50वीं बैठक बुलाई, जिसमें कर दरों में महत्वपूर्ण संशोधन और स्पष्टीकरण की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त, परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर भी चर्चा की। इसने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जीएसटी नेटवर्क को शामिल करने से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की मांग की।

जीएसटी (GST) परिषद क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 2016 में 101वें संवैधानिक संशोधन के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण निकाय है।
- केंद्र सरकार और राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी यह परिषद जीएसटी (GST) से संबंधित सिफारिशें और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जीएसटी (GST) परिषद की संरचना:

- जीएसटी (GST) परिषद एक संयुक्त मंच है जिसमें केंद्र के सदस्य (केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री) और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य परिषद का सदस्य बनने के लिए वित्त, कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य प्रासंगिक मंत्री को नामित करता है।

जीएसटी (GST) परिषद के उद्देश्य:

- परिषद जीएसटी (GST) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें उन वस्तुओं और सेवाओं पर सुझाव शामिल हैं जिन्हें जीएसटी के अधीन किया जाना चाहिए या छूट दी जानी चाहिए, साथ ही मॉडल जीएसटी कानूनों का निर्माण भी शामिल है।
- परिषद जीएसटी(GST) व्यवस्था के तहत विभिन्न दर स्लैब निर्धारित करती है। इसके पास विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू कर दरें तय करने का अधिकार है।

हालिया कर दर परिवर्तन प्रस्ताव:

- इन वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
- इन वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई।
- सिनेमा सेवाओं पर लगाए गए पिछले 18% की तुलना में इन वस्तुओं के लिए जीएसटी दर बिना किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% तक कम कर दी गई थी।
- एसयूवी (SUV) के लिए कर उपचार को स्पष्ट किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च जीएसटी (GST) मुआवजा उपकर सेडान को प्रभावित नहीं करता है। किसी वाहन को एसयूवी के रूप में वर्गीकृत करने की शर्तों को लोकप्रिय रूप से एसयूवी के रूप में देखे जाने की आवश्यकता को बाहर करने के लिए संशोधित किया गया था। 170 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस अब बिना लदे वाहन के लिए होना चाहिए।
- परिषद ने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की।

अन्य सिफारिशें: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण

- जीएसटी (GST) अपीलीय न्यायाधिकरणों की 50 पीठ स्थापित करने के राज्यों के प्रस्तावों की जांच की गई। ये ट्रिब्यूनल जीएसटी (GST) विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- सरकार का लक्ष्य चार से छह महीने के भीतर न्यायाधिकरणों को क्रियाशील बनाना है, जिसकी शुरुआत राज्यों की राजधानियों और उन स्थानों पर जहां उच्च न्यायालयों की पीठें हैं, न्यायपीठों की स्थापना से होगी।
- काउंसिल ने ट्रिब्यूनल सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और सेवा शर्तों को मंजूरी दे दी, जो 1 अगस्त से लागू होगी।

पीएमएलए (PMLA) के तहत जीएसटी नेटवर्क को शामिल करना:

- भाजपा द्वारा शासित नहीं होने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रशासित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में जीएसटी नेटवर्क को लाने के फैसले की आलोचना की।
- तमिलनाडु ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह करदाताओं के हितों के खिलाफ है और जीएसटी (GST) कानून के तहत अपराधों को अपराधमुक्त करने के उद्देश्य के खिलाफ है।
- राजस्व सचिव ने प्रावधान का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की आवश्यकता है और सीधे तौर पर जीएसटी कानून से संबंधित नहीं है।
- जीएसटीएन (GSTN)निजी व्यवसायों के बारे में जानकारी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा नहीं करेगा। ईडी न तो जानकारी प्राप्त करेगा और न ही प्रदान करेगा, लेकिन वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में कर अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए जीएसटीएन को जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

12. नकदी ज्यादा, अनाज कम

संदर्भ: तीन साल पहले, वित्तीय बाधाओं ने केंद्र और राज्यों को महामारी लॉकडाउन के दौरान कमजोर परिवारों को नकद हस्तांतरण प्रदान करने से रोक दिया था। हालाँकि, FCI के गोदामों में गेहूं और चावल प्रचुर मात्रा में थे, जिससे 813.5 मिलियन लोगों को वितरण की अनुमति मिली। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य उलट गया है, सरकारों के पास धन तो है लेकिन अनाज का भंडार सीमित है, जिससे भविष्य के प्रावधानों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

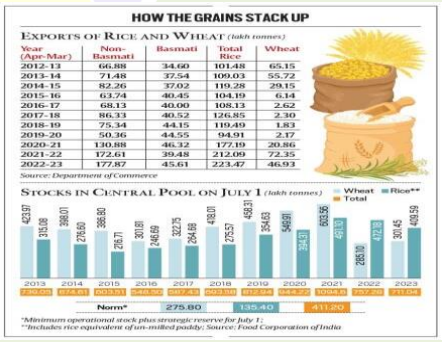

अनाज वितरण और निर्यात परिदृश्य:

अनाज वितरण:

- महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक 813.5 मिलियन लोगों को व्यावहारिक रूप से प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त वितरित किया।
- यह वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से संभव हुआ और इसका उद्देश्य नौकरी और आय के नुकसान से पीड़ित गरीब और कमजोर परिवारों का समर्थन करना था।

अनाज का उठाव:

- 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के बाद पहले सात वर्षों के दौरान गेहूं और चावल का उठाव कुल 92.9 मिलियन टन हो गया, जो 62.5 मिलियन टन के वार्षिक औसत को पार कर गया।
- 2021-22 में उठाव बढ़कर 105.6 मिलियन टन हो गया।
- 2022-23 में उठाव 92.7 मिलियन टन के उच्च स्तर पर रहा।

अनाज निर्यात:

- 2021-22 में, भारत ने 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जिसका मूल्य 9.66 बिलियन डॉलर था। 2022-23 में चावल का निर्यात 22.3 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसका मूल्य 11.14 बिलियन डॉलर था।
- 2021-22 में गेहूं का निर्यात 7.2 मिलियन टन ($2.12 बिलियन) और 2022-23 में 4.7 मिलियन टन ($1.52 बिलियन) हुआ।

कर्नाटक मामला: अनाज से नकद हस्तांतरण की ओर बदलाव

- जैसे ही आर्थिक गतिविधियाँ फिर से शुरू हुईं, केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। सकल जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई, जो सरकारों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में वृद्धि का संकेत है।
- जनवरी 2023 से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मासिक अनाज कोटा 10 किलोग्राम से घटाकर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया।
- कर्नाटक सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के सभी सदस्यों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए एफसीआई से अतिरिक्त अनाज की मांग की।
- केंद्र ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदान किए गए 5 किलो से अधिक अतिरिक्त चावल वितरित करने की अनुमति नहीं दी।
- परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार ने इसके बदले नकद हस्तांतरण देना शुरू कर दिया। उन्होंने अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले बीपीएल परिवार के मुखियाओं के बैंक खातों में 170 रुपये स्थानांतरित करना शुरू कर दिया।

नकद हस्तांतरण के निहितार्थ:

मुद्रास्फीति का दबाव:

- जब परिवारों को मुफ्त अनाज के बदले नकदी मिलती है, तो उनके पास चावल या अन्य सामान खरीदने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पैसे का उपयोग करने की सुविधा होती है।
- बाजार में चावल की बढ़ती मांग से कीमतें ऊंची हो सकती हैं, जो संभावित रूप से मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकती है।

मुफ़्त अनाज वितरण का अवस्फीतिकारी प्रभाव:

- जब अधिशेष अनाज को मौद्रिक लेनदेन के बिना वितरित किया जाता है, तो यह बाजार में अनाज की कीमतों को स्थिर या कम करने में मदद कर सकता है।
- यह मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकता है और कमजोर आबादी के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित कर सकता है।

बजटीय विचार:

- इस आवंटन को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समग्र वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो।
- नकद हस्तांतरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नकद हस्तांतरण और मुफ्त अनाज वितरण के बीच चयन करने में एक निर्णायक कारक हो सकती है।

लाभार्थियों के लिए लचीलापन:

- अनाज की पूर्व निर्धारित मात्रा प्राप्त करने के बजाय, परिवार यह तय कर सकते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नकदी कैसे आवंटित की जाए।
- यह लचीलापन परिवारों को भोजन से परे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, या अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने की अनुमति देता है।

बाज़ार की गतिशीलता:

- नकद हस्तांतरण स्थानीय बाजारों में धन पहुंचाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है। इसका सकारात्मक गुणक प्रभाव हो सकता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा।
- दूसरी ओर, मुफ्त अनाज वितरण से बाजार में अनाज की मांग सीमित हो सकती है, जिससे संभावित रूप से किसानों और व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

खत्म होता अनाज भंडार और अनिश्चित मानसून:

समाप्त अनाज भंडार:

- केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल भंडार आज पांच साल के निचले स्तर पर है।
- हालाँकि ये स्टॉक अभी भी आवश्यक न्यूनतम मानक से ऊपर हैं, लेकिन मानसून और इस साल की चावल की फसल पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ हैं, जो खरीद और भविष्य के स्टॉक को प्रभावित कर सकती हैं।

उत्पादन पर मानसून का प्रभाव:

- खराब वितरित बारिश के कारण चावल की खेती सामान्य से कम हुई है, किसानों ने मानसून के मौसम के दौरान चावल के सामान्य कुल 399.45 लाख हेक्टेयर में से केवल 123.18 लाख हेक्टेयर में बुआई की है। इसके अतिरिक्त, संचयी बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% कम है।
- मानसून की दूसरी छमाही में अपर्याप्त वर्षा न केवल खरीफ चावल बल्कि आगामी रबी गेहूं की फसल पर भी असर डाल सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- आर्थिक कठिनाइयों से प्रभावित सबसे कमजोर परिवारों की सहायता के लिए केंद्रित नकद हस्तांतरण कार्यक्रम लागू करें।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रणनीतिक भंडार के लिए अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनाज खरीद तंत्र को मजबूत करें।
- आपात स्थिति के लिए पर्याप्त भंडार बनाए रखते हुए तत्काल खपत के लिए अनाज वितरण को संतुलित करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करें।
- एक ही फसल पर निर्भरता कम करने और भोजन और पोषण विविधता को बढ़ाने के लिए बाजरा, दालें और सब्जियों जैसे विविध खाद्य विकल्पों का पता लगाएं।

- आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार, भोजन की बर्बादी को कम करना और एक लचीली खाद्य प्रणाली के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना।

निष्कर्ष:

ख़त्म होते अनाज भंडार की वर्तमान स्थिति, मॉनसून के प्रदर्शन और वैश्विक बाज़ार की गतिशीलता से जुड़ी अनिश्चितताओं के साथ, सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार सुनिश्चित करते हुए कमजोर परिवारों की दुर्दशा को कम करने के लिए नकद हस्तांतरण की आवश्यकता को संतुलित करना एक नाजुक कार्य है।

स्रोत: द हिंदू

Ojaank Gurkul Campus now in Noida sector 48

13. भारत में गरीबी

संदर्भ: कोविड-19 के घटते प्रभाव और रूस-यूक्रेन युद्ध के सौहार्दपूर्ण समाधान की आशापूर्ण संभावनाओं के साथ, भारत को अब अपनी भविष्य की विकास रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 2,379 डॉलर होने का अनुमान है, जिसे अगले 25 वर्षों में लगभग छह गुना बढ़ाने की जरूरत है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य उच्च जीवन स्तर और गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आगे की चुनौतियों की व्यापक समझ और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की आवश्यकता है।

प्रति व्यक्ति आय क्या है?

- प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा अर्जित औसत आय से है। इसकी गणना किसी जनसंख्या की कुल आय को उस जनसंख्या में व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है।
- प्रति व्यक्ति आय किसी दी गई आबादी के भीतर औसत जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का संकेतक प्रदान करती है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

- जीएफसीएफ (GFCF) एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था के भीतर मशीनरी, उपकरण, भवन और बुनियादी ढांचे जैसी अचल संपत्तियों में निवेश के कुल मूल्य को संदर्भित करता है।
- यह निश्चित पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- जीएफसीएफ कुल मांग का एक अनिवार्य घटक है और इसे आर्थिक विकास का चालक माना जाता है।
- अचल संपत्तियों में निवेश का उच्च स्तर उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- जीएफसीएफ (GFCF) अनुपात को अक्सर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष अचल संपत्तियों में कुल निवेश के अनुपात को दर्शाता है।

वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन अनुपात (ICOR) क्या है?

- आईसीओआर (ICOR) एक आर्थिक संकेतक है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा को मापता है।
- यह पूंजी निवेश में परिवर्तन और आउटपुट या जीडीपी में संबंधित परिवर्तन के बीच के अनुपात को दर्शाता है।
- यह किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी उपयोग की दक्षता और निवेश की उत्पादकता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- कम आईसीओआर (ICOR) इंगित करता है कि उत्पादन में दी गई वृद्धि उत्पन्न करने के लिए कम मात्रा में निवेश की आवश्यकता है, जो पूंजी की उच्च दक्षता और उत्पादकता को दर्शाता है।
- एक उच्च आईसीओआर (ICOR) बताता है कि समान स्तर की उत्पादन वृद्धि हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है, जो पूंजी उपयोग की कम दक्षता का संकेत देता है।

विकास लक्ष्य और निवेश आवश्यकताएँ:

- अगले 25 वर्षों में 7 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि बनाए रखने के लिए, भारत को 28 प्रतिशत की जीएफसीएफ (GFCF) दर बनाए रखनी होगी।
- एनएसओ (NSO) की नवीनतम विज्ञप्ति के अनुसार, 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों में जीएफसीएफ दर जीडीपी का 29.2 प्रतिशत है।
- जबकि आमतौर पर माना जाने वाला 4 का वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) बेहतर पूंजी दक्षता का सुझाव देता है, हाल के रुझान 2016-17 से 2022-23 तक 4.65 के औसत आईसीओआर का संकेत देते हैं।
- विकसित हो रहे आईसीओआर (ICOR) को स्वीकार करें और जीडीपी के 30-32 प्रतिशत की अनुमानित निवेश दर की दिशा में काम करें।
- सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश, विशेषकर कॉरपोरेट और गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्रों से, को बढ़ाने की जरूरत है।
- उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश जो विकास को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।

वर्तमान में कौन से वैश्विक कारक चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं?

- शांति के लिए समग्र माहौल - विकास के लिए आवश्यक - बिगड़ गया - यूक्रेन-रूस संघर्ष।
- लंबे समय तक तनाव और संघर्ष- वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
- वैश्विक व्यापार के प्रति कुछ देशों का रुख बदल रहा है।

- विकसित देश, जो पहले मुक्त व्यापार की वकालत करते थे, अब आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं - भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौतियां, खासकर जब वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करते हैं।
- तेल जैसे महत्वपूर्ण आयातों की आपूर्ति में व्यवधान, विकासशील और विकसित देशों के लिए समान रूप से झटका पैदा कर सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों का समावेश - औद्योगिक संरचना और रोजगार परिदृश्य पर प्रभाव - भारत जैसे आबादी वाले देशों के लिए चुनौती
- पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए विकास दर में समझौते और समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

भारत को अपनी वृद्धि बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए?

- 1991 में भारत के आर्थिक परिवर्तन ने अतीत से प्रस्थान करते हुए अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया।
- भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जिसमें कृषि, विनिर्माण और निर्यात शामिल हो।
- सेवा क्षेत्र में भारत की ताकत को देखते हुए, इस लाभ को बनाए रखना और बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत ने पिछले 75 वर्षों में एक मजबूत और विविध अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, भारत की प्रति व्यक्ति आय कई देशों की तुलना में कम बनी हुई है, जो निरंतर विकास की आवश्यकता पर बल देती है। घरेलू चुनौतियों का समाधान करके, अवसरों का लाभ उठाकर और समावेशी विकास को प्राथमिकता देकर, भारत समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू

Join Now

14. स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS)

Context: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपये (INR) और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (AED) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।

स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS):

- इस ढांचे का लक्ष्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) स्थापित करना है।
- एलसीएसएस (LCSS) निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- एलसीएसएस (LCSS) आईएनआर-एईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास की सुविधा प्रदान करता है।
- स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेनदेन लागत और निपटान समय को अनुकूलित करता है।
- एलसीएसएस (LCSS) संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों से प्रेषण का लाभ उठाता है।

भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ना: UPI-IPP **लिंकेज**

- समझौता ज्ञापन (MoU) में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (IPP) से जोड़ना शामिल है।
- यह दोनों देशों के कार्ड स्विच (RuPay स्विच और यूएईस्विच) और मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ने का पता लगाता है।
- यूपीआई-आईपीपी लिंकेज तेज, सुविधाजनक, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पार फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
- यह समझौता घरेलू कार्डों की पारस्परिक स्वीकृति और कार्ड लेनदेन के प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है।

इस कदम का प्रभाव:

- वित्त वर्ष 2023 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- यह समझौता भारतीय निर्यातकों को रुपये-आधारित व्यापार में विनिमय दर जोखिमों से बचाव में मदद करता है।
- यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है।
- अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, श्रीलंका और बांग्लादेश के देशों ने रुपये के संदर्भ में व्यापार में रुचि दिखाई है।

निर्यातकों के लिए महत्व:

- निर्यात अनुबंधों और चालानों को स्थानीय मुद्राओं में अंकित करने से विनिमय दर के जोखिम कम हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है।
- भारत और यूएई की बैंकिंग प्रणालियों के बीच बढ़ा हुआ सहयोग व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है।
- यूएई को प्रमुख भारतीय निर्यात में खनिज ईंधन, मोती, कीमती पत्थर, विद्युत मशीनरी और उपकरण शामिल हैं।
- यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, और 2022 में भारत-यूएई व्यापार 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

प्रेषण के लिए लाभ:

- यह समझौता प्रेषण से जुड़ी उच्च लेनदेन लागत और विनिमय दर मार्जिन को कम करता है।
- यह प्रेषण को अधिक किफायती और कुशल बनाता है, खासकर कम वेतन पाने वालों के लिए।
- 2022 में, भारत में प्रेषण 24.4% बढ़कर $111 बिलियन हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों से प्रेषण प्रवाह भारत के कुल प्रेषण प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

व्यापक प्रभाव:

- यह समझौता स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है।
- भारत और यूएई के बीच मजबूत आर्थिक संबंध निवेश, प्रेषण और व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं।
- यह समझौता रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसकी वैश्विक स्वीकृति का विस्तार करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
- सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगापुर के PayNow के साथ सहयोग जैसे समान प्रयास किए गए हैं।

निष्कर्ष:

यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, प्रेषण की सुविधा देता है और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है। लेनदेन लागत को कम करके और वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, समझौता भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, व्यापार विकास और सहयोग को बढ़ावा देता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

15. एपीएमसी (APMC)

संदर्भ: नीति आयोग के विशेषज्ञों ने भारत के कृषि क्षेत्र में मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें पेश की हैं।

नीति आयोग:

- नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत में एक नीति थिंक टैंक और एक सरकारी संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलने के लिए की गई थी, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी थी।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- इसमें एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है, जो आमतौर पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या नीति विशेषज्ञ होता है, और इसमें कई पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और नीतिगत इनपुट प्रदान करना है।

APMC क्या है?

- एपीएमसी (APMC) राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हैं, जो भारतीय संविधान के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में कृषि की स्थिति को दर्शाते हैं।
- एपीएमसी (APMC) के अस्तित्व का उद्देश्य किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाना और उचित खुदरा मूल्य प्रसार बनाए रखना है।
- सभी खाद्य उपज को पहले बाजार प्रांगण में लाया जाना चाहिए और फिर कृषि उपज विपणन विनियमन (APMR) अधिनियम के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेचा जाना चाहिए।

APMC की स्थापनाएँ:

- 1886 में हैदराबाद रेजीडेंसी ऑर्डर के तहत कच्चे कपास के विनियमन ने भारत में कृषि उपज बाजार विनियमन की शुरुआत की।
- 1928 में कृषि पर रॉयल कमीशन ने विपणन प्रथाओं के विनियमन और विनियमित बाजारों की स्थापना की सिफारिश की।
- भारत सरकार ने 1938 में एक मॉडल विधेयक तैयार किया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हुई।
- 1960 और 1970 के दशक के दौरान, अधिकांश राज्यों ने कृषि उपज बाजार विनियमन (APMR) अधिनियमों को अधिनियमित और लागू किया, जिससे प्राथमिक थोक संयोजन बाजारों को उनके दायरे में लाया गया।

APMCs का कार्य:

APMCs दो सिद्धांतों पर काम करते हैं:

- सुनिश्चित करें कि बिचौलियों (या साहूकारों) द्वारा किसानों का शोषण न किया जाए जो किसानों को अपनी उपज को बेहद कम कीमत पर फार्म गेट पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं।
- सभी खाद्य उपज को पहले बाज़ार प्रांगण में लाया जाना चाहिए और फिर नीलामी के माध्यम से बेचा जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य जो एपीएमसी बाजारों (मंडियों) का संचालन करता है, राज्य को भौगोलिक रूप से विभाजित करते हुए, अपनी सीमाओं के भीतर विभिन्न स्थानों पर अपने बाजार स्थापित करते हैं।
- किसानों को अपनी उपज अपने क्षेत्र की मंडी में नीलामी के माध्यम से बेचने की आवश्यकता होती है।
- व्यापारियों को मंडी के भीतर काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

नीति आयोग द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधार:

वैकल्पिक विपणन विकल्प:

- विशेषज्ञ व्यक्तिगत किसानों या किसान समूहों द्वारा कृषि उपज की ऐप-आधारित बिक्री के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त, वे वैकल्पिक विपणन रास्ते के रूप में ई-कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स की क्षमता पर जोर देते हैं।
- मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली के कारण भूजल के अत्यधिक दोहन को संबोधित करने के लिए, वे किसानों को सब्सिडी राशि का सीधे भुगतान करने और मीटर वाली बिजली आपूर्ति पर स्विच करने की सलाह देते हैं।

कृषि का आधुनिकीकरण:

- पेपर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कृषि में लगभग 80% निवेश निजी स्रोतों, मुख्य रूप से किसानों से आता है। हालाँकि, कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी कम बनी हुई है, और उनका मानना है कि कृषि व्यवसाय में कॉर्पोरेट विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।
- वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला विकास जैसे क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करने से समय और स्थान के साथ बाजार एकीकरण और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।

किसानों की आय में वृद्धि:

- छोटी भूमि वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए, विशेषज्ञ उन्हें गैर-कृषि स्रोतों के साथ अपनी कृषि आय को पूरक करते हुए उच्च मूल्य वाली फसलों और पशुधन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने का सुझाव देते हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को बाजार की विकृतियों से बचने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यह पेपर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों, मूल्य स्थिरता और रणनीतिक स्टॉक से जुड़े किसानों को एमएसपी का भुगतान करने के लिए खरीद और मूल्य कमी भुगतान के संयोजन का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है।

पूर्व सुधार: तीन कृषि कानून

- 2020 में तीन अधिनियमों के रूप में सुधार पारित किए गए (बाद में निरस्त कर दिए गए) जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध हुआ।
- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम: इस अधिनियम का उद्देश्य एपीएमसी की भौतिक सीमाओं के बाहर किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है, जिससे किसानों को अपनी उपज अन्य बाजारों में और सीधे खरीदारों को बेचने की अनुमति मिलती है।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान समझौता: इस अधिनियम ने किसानों को खरीदारों के साथ समझौते करने, उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य और विभिन्न कृषि सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार दिया।
- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम: इस संशोधन में अधिक खुले बाजार को बढ़ावा देते हुए, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई।

निष्कर्ष:

हालाँकि सुधारों का लक्ष्य अधिक प्रतिस्पर्धी और उदारीकृत बाज़ार बनाना है, लेकिन किसानों की चिंताओं को दूर करना और उनके हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कृषि सुधारों के भविष्य को आकार देने के लिए आम जमीन खोजने के लिए सरकार और किसानों के बीच रचनात्मक बातचीत और सहयोग आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

YouTube
IAS with Ojaank Sir

16. रूस के साथ भारत का तेल व्यापार

संदर्भ: एक वर्ष से अधिक समय से, भारत, 85% से अधिक की आयात निर्भरता के साथ कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, रूसी तेल के साथ एक भावुक चक्कर में उलझा हुआ है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, रूस ने इच्छुक खरीदारों को भारी छूट देना शुरू कर दिया क्योंकि पश्चिमी देशों ने उसके तेल से मुंह मोड़ लिया। संघर्ष से पहले, भारत के तेल व्यापार में रूस की एक छोटी भूमिका थी, जिस पर मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं का वर्चस्व था। हालाँकि, रूस द्वारा दी गई छूट से भारी बदलाव आया, जिससे यह भारत के लिए कच्चे तेल का प्राथमिक स्रोत बन गया।

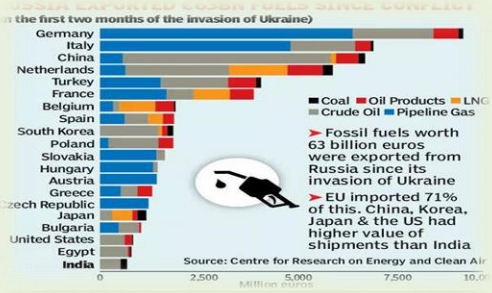

रूसी तेल आयात में नवीनतम वृद्धि:

- वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 से रूस से भारत का तेल आयात दस गुना से अधिक बढ़ गया है।
- इस स्थिर वृद्धि ने गति पकड़ी, विशेष रूप से दिसंबर 2022 में जी7 द्वारा समुद्री रूसी कच्चे तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल मूल्य सीमा लगाने के बाद।
- 14 महीने की अवधि के दौरान रूस की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 24.2% हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में मात्र 2% थी। इसके विपरीत, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के बाजार शेयरों में पर्याप्त गिरावट देखी गई।
- भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी लगभग आधी गिरकर मई 2022 में 75.3% से मई 2023 में 40.3% हो गई।
- भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में, कई ओपेक सदस्यों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जबकि रूस की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 40.4% हो गई।

इसने भारत के ऊर्जा परिदृश्य को कैसे बदल दिया?

- यूक्रेन संघर्ष से पहले, रूस भारत के तेल व्यापार में एक छोटा खिलाड़ी था, और देश इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर था।
- रूस द्वारा दी गई भारी छूट ने भारत के लिए कच्चे तेल के अपने स्रोतों में विविधता लाने, कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का अवसर पैदा किया।
- रूसी तेल पर छूट ने भारतीय रिफाइनरों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बचत प्रदान की। मई 2023 तक, भारतीय रिफाइनर्स ने रियायती रूसी तेल की बढ़ती खरीद के कारण लगभग 7.17 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई।
- इन बचतों ने भारत के व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटे पर सकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान हुआ।

चिंताएँ क्या हैं?

- भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ भारत के गहरे होते ऊर्जा संबंध भारत को भू-राजनीतिक जोखिमों में डाल सकते हैं।

- रूसी तेल के साथ संबंध अन्य देशों के साथ राजनयिक जटिलताओं को जन्म दे सकता है।
- ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के बावजूद, रूसी तेल पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है।
- रूस से भारत का पर्याप्त आयात इसे आपूर्ति में व्यवधान या रूसी निर्यात को प्रभावित करने वाले भूराजनीतिक विकास के प्रति संवेदनशील बना सकता है।
- रूसी तेल पर छूट के स्तर की अस्थिरता भारत की ऊर्जा व्यापार गणना में अनिश्चितता बढ़ाती है।
- रूसी तेल कार्गो के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी के कारण सटीक छूट का निर्धारण चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे व्यापार वार्ता और वित्तीय योजना में अनिश्चितताएं पैदा होती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- भारत को एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए कच्चे तेल के अपने स्रोतों में विविधता जारी रखनी चाहिए।
- तेल मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और रूस द्वारा दी जाने वाली वास्तविक छूट को समझने से सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
- जैसे-जैसे भारत रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को गहरा कर रहा है, उसे अन्य तेल उत्पादक देशों, विशेषकर ओपेक के देशों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करना चाहिए।
- भारत को एक व्यापक और दूरदर्शी ऊर्जा नीति विकसित करनी चाहिए जो अल्पकालिक ऊर्जा जरूरतों और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों पर विचार करती हो।
- विविध ऊर्जा स्रोतों और कुशल ऊर्जा व्यापार का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों, पाइपलाइनों और भंडारण सुविधाओं सहित पर्याप्त ऊर्जा बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत के तेल व्यापार में अभूतपूर्व बदलाव भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच रूस की गहरी छूट के नाटकीय प्रभाव को दर्शाता है। हालाँकि हाल ही में छूट में कमी ने भारतीय रिफाइनर्स के लिए चुनौतियाँ पैदा की हैं, रूसी तेल के साथ मामले ने भारत के ऊर्जा व्यापार की गतिशीलता पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इस रिश्ते का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन रूस की छूट के गहरे प्रभाव को भारत के तेल व्यापार इतिहास में एक परिवर्तनकारी प्रकरण के रूप में याद किया जाएगा।

स्रोत: द हिंदू

Join Now

17. निर्यात तैयारी सूचकांक, 2022

संदर्भ: तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक निर्यात-प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में उभरा है, जिसने नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

Himalayan

State	Score	Rank
Uttarakhand	40.79	1
Himachal Pradesh	40.43	2
Tripura	27.46	3
Sikkim	27.41	4
Manipur	15.78	5

Coastal

State	Score	Rank
Gujarat	78.86	1
Maharashtra	77.14	2
Karnataka	61.72	3
Tamil Nadu	56.84	4
Andhra Pradesh	50.39	5

Landlocked

State	Score	Rank
Haryana	53.20	1
Uttar Pradesh	51.09	2
Madhya Pradesh	51.03	3
Punjab	50.99	4
Telangana	47.92	5

UT/City States

State	Score	Rank
Delhi	43.66	1
Goa	41.95	2
Jammu and Kashmir	30.06	3
Chandigarh	28.41	4
Puducherry	22.19	5

निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI):

- ईपीआई (EPI) एक व्यापक उपकरण है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की निर्यात तत्परता का आकलन करना है।
- सूचकांक विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करता है, जो प्रत्येक क्षेत्र में ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और प्रभावी नीति निर्माण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

ईपीआई (EPI) चार स्तंभों पर केंद्रित है:

- यह स्तंभ किसी राज्य की व्यापार नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जो निर्यात और आयात दोनों के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
- निवेश को आकर्षित करने और स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए एक सक्षम बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता महत्वपूर्ण है।
- यह स्तंभ निर्यात के लिए विशिष्ट कारोबारी माहौल का आकलन करता है, निर्यातकों को प्रदान किए गए समर्थन और सुविधा के स्तर का निर्धारण करता है।
- एकमात्र आउटपुट-आधारित पैरामीटर, यह स्तंभ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निर्यात पदचिह्नों की पहुंच की जांच करता है, उनकी वास्तविक निर्यात उपलब्धियों को मापता है।
- निर्यात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; निर्यात अवसंरचना; व्यापार समर्थन; अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना; निर्यात विविधीकरण; और विकास उन्मुखीकरण।

राज्यों का प्रदर्शन:

- शीर्ष दावेदार: महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात (पिछले साल के नेता) दूसरे स्थान पर रहे, जबकि हरियाणा ने पांचवें स्थान पर दावा किया।
- शीर्ष रैंकिंग में तटीय राज्यों का दबदबा रहा, शीर्ष पांच में से चार स्थानों पर उनका कब्जा रहा। आंध्र प्रदेश ने भी नौवां स्थान हासिल किया।
- गुजरात अग्रणी व्यापारिक निर्यातक के रूप में शीर्ष स्थान रखता है, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का एक तिहाई हिस्सा है।
- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पांच निर्यातक हैं।
- भारत के कुल निर्यात का प्रभावशाली 75% योगदान केवल सात राज्यों द्वारा किया जाता है।

निर्यात में वृद्धि के कारण:

- शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने राज्य और जिला दोनों स्तरों पर निर्यात प्रोत्साहन नीतियां लागू की हैं।
- इन राज्यों के पास एक विविध निर्यात टोकरी है, जो उनके वैश्विक पदचिह्न को प्रदर्शित करती है।
- सफल राज्य अपने क्षेत्र के लिए अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों के निर्यात में तमिलनाडु और कर्नाटक अग्रणी हैं।

भारत का निर्यात प्रदर्शन:

- महामारी की चुनौतियों और आपूर्ति पक्ष के मुद्दों के बावजूद, भारत का माल निर्यात मजबूत रहा, जो वित्त वर्ष 2013 में 447 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- सरकार ने वैश्विक प्रतिकूलताओं के कारण वित्त वर्ष 2014 के लिए एक विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने से परहेज किया, लेकिन माल निर्यात में $450 बिलियन से $500 बिलियन का लक्ष्य रखा जा सकता है।
- वित्त वर्ष 2023 में सेवा निर्यात 323 बिलियन डॉलर था, जिससे भारत का कुल निर्यात 770 बिलियन डॉलर हो गया।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ojaank Gurukul Campus in Noida visit now

18. ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी (GST)

संदर्भ: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर शीर्ष 28% स्लैब लगाने का निर्णय लिया है। सरकार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई का अनुमान है।

कौशल के खेल और संभावना के खेल के बीच अंतर:

- 150 से अधिक वर्षों से, कानूनी प्रणाली ने कौशल के खेल और संयोग के खेल के बीच अंतर किया है।
- जबकि संयोग के खेल पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होते हैं और जुए के समान होते हैं, कौशल के खेल में क्षमता का स्तर शामिल होता है, जहां परिणाम खिलाड़ियों की क्षमताओं से निर्धारित होता है।
- 1867 का सार्वजनिक जुआ अधिनियम कौशल के खेल को जुए से अलग मानता है, जो जुए को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने के पीछे क्या तर्क है?

- प्राथमिक उद्देश्य तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर कर लगाकर सरकारी खजाने के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है, जिसने महत्वपूर्ण वृद्धि और लोकप्रियता देखी है।
- ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर 28% जीएसटी लागू करने का उद्देश्य कर प्रणाली में मनोरंजन और मनोरंजक गतिविधियों के विभिन्न रूपों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।

- उच्च कर दर लागू करना ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर नियामक नियंत्रण के साधन के रूप में काम कर सकता है, संभावित रूप से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- वैश्विक मानकों के तुलनीय कर की दर निर्धारित करने से उद्योग के भीतर कर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- सरकार को इस क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए गेमिंग कंपनियों, खिलाड़ियों और विशेषज्ञों सहित उद्योग हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा करनी चाहिए।
- वर्तमान कर संरचना पर फिर से विचार करने और संपूर्ण एकत्रित राशि पर कर लगाने के बजाय सेवा शुल्क पर ध्यान केंद्रित करने जैसे विकल्प तलाशने पर विचार करें। वैश्विक प्रथाओं के साथ जुड़ने से अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत कराधान हो सकता है।
- संभावित सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं, खिलाड़ी सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कर राजस्व का एक हिस्सा आवंटित करें।
- घरेलू गेमिंग कंपनियों को उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करें।

निष्कर्ष:

ऑनलाइन गेम में जमा की गई पूरी राशि पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय उद्योग के लिए विनाशकारी हो सकता है। उद्योग की रोजगार क्षमता और समग्र आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। उचित कराधान और विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, नीति निर्माता सरकार के खजाने के लिए राजस्व एकत्र करते हुए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

19. फुल-रिज़र्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग

संदर्भ: पूर्ण-रिज़र्व बैंकिंग, जिसे 100% रिज़र्व बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, और आंशिक-रिज़र्व बैंकिंग बैंकिंग की दो अलग-अलग प्रणालियाँ हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि बैंक ग्राहक जमा और उधार प्रथाओं को कैसे संभालते हैं।

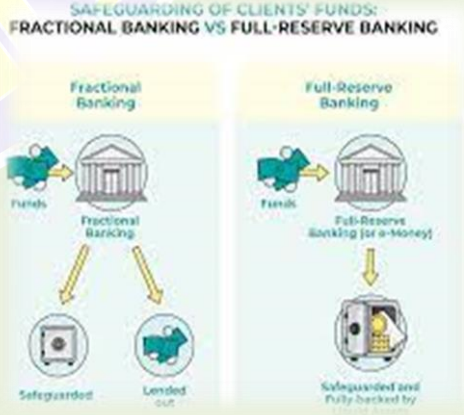

फुल-रिज़र्व बैंकिंग क्या है?

- पूर्ण-रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में, बैंक ग्राहकों से मांग जमा के रूप में प्राप्त सभी धन को जमाकर्ताओं के धन के सुरक्षित रक्षक के रूप में कार्य करते हुए अपनी तिजोरियों में रखते हैं।
- बैंक केवल सावधि जमा से पैसा उधार दे सकते हैं, जिसे ग्राहक एक सहमति अवधि के बाद वापस ले सकते हैं।
- पूर्ण रिज़र्व यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा कर सकते हैं, भले ही सभी ग्राहक एक साथ अपना पैसा निकालना चाहें, जिससे बैंक चलने का जोखिम कम हो जाता है।
- बैंक ऋण के माध्यम से पैसा नहीं बना सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की धन आपूर्ति पर उनका प्रभाव सीमित हो जाता है और संभावित रूप से कृत्रिम उछाल और मंदी को रोका जा सकता है।

फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग:

- भिन्नात्मक-आरक्षित प्रणाली में बैंक मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक धन के रूप में उधार देते हैं, जिससे उन्हें तिजोरियों में मौजूद भौतिक नकदी से अधिक उधार देने की अनुमति मिलती है।
- यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक धन नकदी निकासी को कम करता है, लेकिन यदि जमाकर्ता वास्तविक नकदी भंडार से अधिक नकदी की मांग करते हैं तो अत्यधिक ऋण से बैंक को नुकसान हो सकता है।
- समर्थकों का तर्क है कि फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग बैंकों को ग्राहकों की बचत पर पूरी तरह भरोसा किए बिना ऋण बनाने की अनुमति देकर निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

दोनों प्रणालियों के लिए तर्क:

समर्थकों का मानना है कि फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग अर्थव्यवस्था को वास्तविक बचत की बाधाओं से मुक्त करती है, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करती है।

समर्थकों का तर्क है कि पूर्ण-रिज़र्व बैंकिंग अधिक स्वाभाविक है, यह बैंकों को चलने से रोकती है, और बैंकों की पैसा बनाने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता को रोका जा सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें।

Click here ⟶ www.ojaank.com

1. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण

संदर्भ: महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि भारत में विभिन्न समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण के कारण शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करना मुश्किल है। मुंबई में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने इस बयान का विरोध किया।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण पर न्यायालय के फैसले:

- भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण का अधिकार है क्योंकि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाता है।
- अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने का निर्देश दिया।
- एनएएलएसए निर्णय यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होना चाहिए या नहीं।

क्षैतिज आरक्षण को समझना:

- भारत में आरक्षण को दो श्रेणियों में बांटा गया है- लंबवत और क्षैतिज।
- ऊर्ध्वाधर आरक्षण का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सहित जाति पदानुक्रम और पिछड़ेपन से उत्पन्न सामाजिक विषमता को संबोधित करना है।
- श्रेणियों के भीतर वंचित समूहों के लिए सकारात्मक नीतियां प्रदान करने के लिए क्षैतिज आरक्षण सभी ऊर्ध्वाधर समूहों में कटौती करता है। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण की गारंटी दी जाती है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्षैतिज आरक्षण की मांग:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में लंबे समय तक हाशिए पर रहने का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए विशिष्ट प्रावधानों और उनकी सामाजिक पहचान की मान्यता की आवश्यकता है।
- एक अध्ययन से पता चलता है कि 2017 में केवल 6 प्रतिशत ट्रांसजेंडर लोगों को औपचारिक रूप से नियोजित किया गया था, और कई सामाजिक कारकों और अस्तित्व की जरूरतों के कारण अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं।
- एनएएलएसए के फैसले की व्याख्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में उनकी पहचान के कारण ओबीसी श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के निर्देश के रूप में की गई है।
- क्षैतिज आरक्षण की मांग यह चिंता पैदा करती है कि दलित, बहुजन और आदिवासी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जाति और लिंग पहचान के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाने के बीच चयन करना पड़ सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और बहिष्कार हो सकता है।

क्षैतिज आरक्षण पर प्रगति:

- NALSA फैसले के बाद से, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के अधिकार को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाया है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015, जिसमें आरक्षण के प्रावधान शामिल थे, को लोकसभा में खारिज कर दिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में आरक्षण का उल्लेख नहीं है।
- विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016, केंद्र सरकार के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- तमिलनाडु ने ट्रांस-महिलाओं को सबसे पिछड़े वर्ग (MBC) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया, और कर्नाटक ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण पेश किया। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने शिक्षा और नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने में प्रगति की कमी के कारण उनके अधिकारों को बरकरार रखने के लिए कानूनी चुनौतियों की आवश्यकता है।
- जाति और जनजातीय पृष्ठभूमि सहित ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर विविध पहचान पर विचार करते हुए क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करना, समान प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
- क्षैतिज आरक्षण का कार्यान्वयन रोजगार चुनौतियों का समाधान करने और विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने में योगदान दे सकता है।
- क्षैतिज आरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना और जनता का समर्थन जुटाना समावेशी नीतियों की वकालत को मजबूत कर सकता है।
- ट्रांसजेंडर अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं और संगठनों के साथ जुड़ने से सार्थक क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

2. राजनीति का अपराधीकरण

संदर्भ: चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के विवरण का खुलासा करने में विफल रहते हैं। एडीआर ऐसी जानकारी प्रकाशित करने में पार्टियों की गैर-अनुपालन पर प्रकाश डालता है और चूक करने वाली पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता है।

एडीआर (ADR) के बारे में:

- एडीआर एक चुनावी निगरानी संस्था है जिसे 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के प्रोफेसरों द्वारा स्थापित किया गया था।
- निगरानी संस्था राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर चिंता जताती रही है।

एडीआ (ADR) द्वारा उठाई गई चिंताएँ:

- इससे पता चला कि 2019 में नवनिर्वाचित 43% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे।
- एडीआर(ADR) ने खुलासा किया कि राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और ईसीआई (ECI)के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
- एडीआर(ADR) पार्टियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्धारित फॉर्म (C2 और C7) में कमियों की पहचान करता है।
- कई पार्टियों के पास कार्यात्मक वेबसाइटों का अभाव है या वे सुलभ लिंक प्रदान करने में विफल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत, पार्टियां आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए "जीतने की क्षमता" और लोकप्रियता का हवाला देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का शासनादेश (2018):

- सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को अपनी वेबसाइटों पर उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों का खुलासा करने का आदेश दिया है।
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) इस जानकारी को प्रकाशित करने के लिए प्रारूप निर्दिष्ट करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को आपराधिक मामले का ब्योरा प्रमुखता से प्रकाशित करने का आदेश दिया.
- लंबित मामलों वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास के बारे में पार्टी को सूचित करना होगा।
- पार्टियों और उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के बाद कई बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

एडीआर (ADR) की कार्रवाई और मांगें:

- ADR ने ECI के साथ उपाय करने का निर्देश दिया।
- एडीआर (ADR) ने ईसीआई से संभावित डी-पंजीकरण सहित डिफॉल्टिंग पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
- एडीआर (ADR) दोषी पक्षों की सूची प्रकाशित करने और जुर्माना लगाने का आह्वान करता है।

निष्कर्ष:

- एडीआर (ADR) का पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है।
- पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए इन आदेशों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

Source: The Hindu

3. जनगणना

संदर्भ: भारत में जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे 2024 के आम चुनावों से पहले जनगणना आयोजित करने की संभावना खारिज हो गई है।

भारत की जनगणना क्या है?

- भारत की जनगणना भारत सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या सर्वेक्षण है।
- इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान आयोजित की गई थी।
- 1949 से, गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, जनगणना के संचालन के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
- भारत की जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

समय सीमा का विस्तार और प्रशासनिक परिवर्तन:

- भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने जनगणना के लिए सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख को 1 जनवरी, 2024 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया।
- जनगणना संचालन निदेशालय को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य सरकारों को 31 दिसंबर तक कोई भी आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन करने और अधिकार क्षेत्र में बदलाव के बारे में जनगणना कार्यालय को सूचित करने के लिए सूचित करे।

विलम्ब के कारण:

- सीमाएँ स्थिर होने के बाद, जनगणना के लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम तीन महीने की आवश्यकता होती है।
- एक साथ आम चुनाव होने के कारण यह अभ्यास अप्रैल 2024 से पहले शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि समान कार्यबल को चुनाव कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाएगा।
- आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो नागरिकों को स्वयं गणना करने की अनुमति देगी।

जनगणना के चरण और जनसंख्या अनुमान:

- जनगणना दो चरणों में की जाती है: मकान सूचीकरण और आवास जनगणना और जनसंख्या गणना चरण, जिसमें आमतौर पर लगभग 11 महीने लगते हैं।
- एनपीआर को जनगणना के पहले चरण के साथ अद्यतन किया जाता है।
- 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के दौरान 121.1 करोड़ से 151.8 करोड़ तक की अपेक्षित वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें घनत्व 368 से 462 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जाता है।

जनगणना का उद्देश्य और महत्व:

- जनगणना केंद्र और राज्य सरकारों को योजना बनाने और नीतियां बनाने के लिए जानकारी प्रदान करती है।
- यह देश की जनसांख्यिकीय संरचना की पहचान करने में मदद करता है और भविष्य के विकास और संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करता है।
- जनगणना डेटा यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि राज्यों और इलाकों को धन और सहायता कैसे वितरित की जाती है।
- डेटा का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, विद्वानों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है।

जनगणना का महत्व और प्रभाव:

- जनगणना शासन के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार के रूप में कार्य करती है।
- यह जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, आवास, प्रवासन और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर डेटा प्रदान करता है।
- जनगणना के आंकड़ों का उपयोग संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण के लिए किया जाता है।
- जनगणना प्रगति की समीक्षा करने, सरकारी योजनाओं की निगरानी करने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करती है।
- यह वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करता है, पहचान निर्माण का समर्थन करता है, और अंतर-अस्थायी तुलनीयता सुनिश्चित करता है।

जनगणना 2021 में देरी का प्रभाव:

- विलंबित जनगणना डेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों की पहचान को प्रभावित करता है, जिससे लोग सब्सिडी वाले भोजन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

- देरी से नीति नियोजन, बजट निर्धारण और उन योजनाओं के प्रशासन में बाधा आती है जो सटीक जनसांख्यिकीय डेटा पर निर्भर करती हैं।
- पुराना जनगणना डेटा सटीक प्रवासन पैटर्न को पकड़ने में विफल रहता है और विभिन्न क्षेत्रों में नीति और योजना को प्रभावित करता है।

विलम्ब के कारण:

- प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएँ स्थिर करने के बाद ही जनगणना की जा सकती है, जिसमें समय लगता है।
- आधिकारिक तौर पर महामारी को देरी का कारण बताया गया है, हालांकि प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लिए जनगणना का उपयोग करने की योजना ने इस प्रक्रिया में और देरी कर दी है।
- जनगणना की समय-सीमा पर सरकार की तात्कालिकता और स्पष्टीकरण की कमी देरी में योगदान करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- मकान सूचीकरण एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में तेजी लायें।
- डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए मोबाइल ऐप्स और स्व-गणना का उपयोग करें।
- स्व-गणना के दौरान डेटा गुणवत्ता और कवरेज की पूर्णता से संबंधित चिंताओं का समाधान करें।

निष्कर्ष:

- जनगणना के संचालन में देरी से भारत में सटीक जनसंख्या डेटा और योजना के लिए चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
- 2024 के आम चुनावों के बाद आयोजित होने वाली अगली जनगणना, पहली डिजिटल जनगणना के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जो नागरिकों को स्वयं-गणना करने का अवसर प्रदान करेगी।

Source: The Hindu

YouTube
IAS with Ojaank Sir

4. हर घर जल पहल

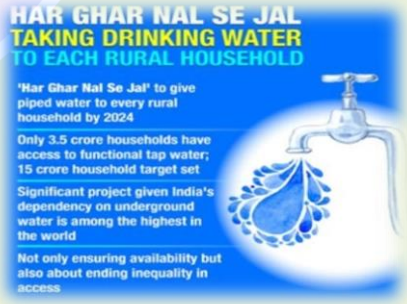

संदर्भ: जल जीवन मिशन का हिस्सा, हर घर जल पहल का लक्ष्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। हालांकि, कई स्रोतों और डेटा विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह पहल अपने लक्ष्य से कम होने की संभावना है। अप्रैल 2024 तक केवल 75% गाँव के घरों में पीने के पानी के नल होने की उम्मीद है।

हर घर जल पहल: एक संक्षिप्त पुनर्कथन:

- हर घर जल (अनुवाद: हर घर को पानी) 2019 में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है।
- इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है।
- वित्त मंत्री ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की।

- अगस्त 2022 में, गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 100% नल-जल पहुंच के साथ क्रमशः पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बन गए।
- जनवरी 2023 तक, अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों गुजरात, पुडुचेरी और तेलंगाना ने भी 100% नल-जल पहुंच हासिल कर ली है।
- अपनी स्थापना के बाद से, इस योजना ने भारत में घरेलू स्वच्छ नल के पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

पहल के समक्ष चुनौतियाँ:

- कोविड-19 महामारी और राज्यों में योग्य जनशक्ति की कमी ने योजना के कार्यान्वयन में देरी में योगदान दिया है।
- चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप स्टील और सीमेंट की बड़ी कमी हो गई, जो धातु पाइपों के निर्माण और उन्हें जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे देरी और कीमतों में संशोधन हुआ।
- कुछ राज्यों को स्वीकार्य गुणवत्ता के टैंक, हौज और जल कनेक्शन के निर्माण के लिए कुशल श्रमिकों को खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- राजस्थान जैसे कुछ राज्यों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं।
- जबकि राज्य उच्च कवरेज आंकड़ों की रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट किए गए और सत्यापित कनेक्शन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

उम्मीदें और प्रगति:

- अधिकारियों को अब उम्मीद है कि मार्च 2024 तक लगभग 75% और दिसंबर 2024 तक 80% घरों को कवर कर लिया जाएगा।
- लगभग एक करोड़ परिवारों (कुल का 5%) ने योजना के तहत काम भी शुरू नहीं किया है।
- गांवों में उन सभी घरों को जोड़ने में, जिनके पास पहले से ही जल स्रोतों तक पहुंच है, औसतन आठ महीने लगते हैं, जिससे कुछ स्थानों पर 2025-26 से पहले इसे पूरा करने की संभावना नहीं है।

राजनीतिक कारक और संबंध स्थिति:

- बिहार और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने केंद्रीय निधियों पर भरोसा नहीं किया और राजनीतिक विचारों के कारण अपनी कनेक्शन स्थिति को प्रमाणित नहीं किया।
- 100% अनुपालन के रूप में प्रमाणित "हर घर जल" गांव प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री की छवियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं, खासकर यदि केंद्रीय धन का उपयोग किया गया हो।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Now In noida

5. प्रिज्म

संदर्भ: लोकसभा अध्यक्ष ने नीतिगत मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों (सांसदों) के लिए 24 घंटे की अनुसंधान संदर्भ टेलीफोन हॉटलाइन 'प्रिज्म' की स्थापना की है।

प्रिज्म (PRISM) क्या है?

- संसद सदस्यों के लिए संसदीय अनुसंधान और सूचना सहायता (PRISM) संसद सत्र के दौरान सप्ताहांत सहित चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य प्रथम-अवधि के सांसदों और व्यापक सचिवीय टीमों के बिना उन लोगों का समर्थन करना है जिनके लिए नीतिगत मामलों पर संसद में बोलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- 30-32 अधिकारियों की एक टीम अनुसंधान और संदर्भ सहायता प्रदान करने के लिए बारी-बारी से हॉटलाइन पर काम करती है।

उपयोग और पूछताछ:

- 2019 और 2023 के बीच, 87% सांसदों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन संदर्भ सेवाओं का उपयोग किया है, जिन्हें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी साझा किया जाता है।
- पूछताछ मुख्य रूप से किशोर न्याय विधेयक, वन्यजीव संरक्षण विधेयक जैसे विधेयकों और जलवायु परिवर्तन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मूल्य वृद्धि जैसे विषयों पर अल्पकालिक चर्चा पर केंद्रित थी।

प्रिज्म (PRISM) की आवश्यकता:

- व्यापक शोध समर्थन के बिना विधेयकों पर बोलने के लिए कहे जाने पर प्रथम-अवधि के सांसदों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- हॉटलाइन और संदर्भ सेवाएँ सांसदों की सहायता करने में अमूल्य साबित हुई हैं, जिससे उन्हें बहस और चर्चा में प्रभावी ढंग से योगदान करने की अनुमति मिलती है।
- इस पहल ने विशेष रूप से उन सांसदों को सहायता प्रदान की है जो अंग्रेजी या हिंदी में कुशल नहीं हो सकते हैं, जिससे वे संसद में प्रासंगिक मुद्दों को उठाने में सक्षम हो सकें।

महत्व:

- संसद एक खंडित वातावरण हो सकती है, जिसमें वर्षों से विभिन्न गुट और क्लब बन रहे हैं।
- विशेष रूप से, बैकबेंचर्स अक्सर गुमनामी में बहुत समय बिताते हैं।
- PRISM द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान और संदर्भ सेवाएँ नीतिगत बहसों में सूचित भागीदारी की सुविधा प्रदान करके इन वर्षों को बैकबेंच पर अधिक उत्पादक बना सकती हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

6. नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए योजना

संदर्भ: केंद्र ने यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भवती होने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़ितों को चिकित्सा, वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है।

नाबालिग बलात्कार पीड़ितों का समर्थन:

- निर्भया फंड के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य नाबालिग पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करना है और इसके लिए 74.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के साथ सहयोग किया है।
- यह मिशन वात्सल्य की मौजूदा प्रशासनिक संरचना का लाभ उठाता है, जो बाल संरक्षण और कल्याण पर केंद्रित है।

योजना के उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य एक ही ढांचे में पीड़ित बालिकाओं को व्यापक सहायता और समर्थन प्रदान करना है।
- तत्काल और गैर-आपातकालीन सेवाओं में शिक्षा, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य देखभाल (मातृत्व, नवजात शिशु और शिशु देखभाल सहित), मनोवैज्ञानिक सहायता और कानूनी सहायता तक पहुंच शामिल है।
- यह योजना नाबालिग पीड़िता और उसके नवजात शिशु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।

पात्रता और कवरेज:

- योजना के तहत सहायता के लिए पात्र पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं जो POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार के कारण गर्भवती हो जाती हैं और या तो अनाथ हैं या उनके परिवारों द्वारा त्याग दी गई हैं।
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ितों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति रखने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य पहल:

- सरकार ने बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों के लिए कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए देश भर में 415 फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं।
- नई योजना नाबालिग पीड़ितों को व्यापक सहायता प्रदान करके न्यायिक उपायों का पूरक है।

समर्थन की आवश्यकता:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 51,863 मामले दर्ज किए।
- विश्लेषण से पता चलता है कि 99% मामलों में लड़कियाँ शामिल थीं, जिनमें से कई हमले के परिणामस्वरूप गर्भवती होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का अनुभव करती हैं।
- कुछ पीड़ितों को उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या त्याग दिया जाता है, जबकि अन्य अनाथ होते हैं, जिससे उनकी चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

7. इंटरनेट शटडाउन

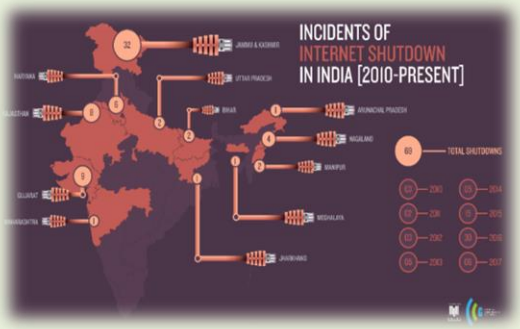

संदर्भ: हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर (J&K), मणिपुर और पंजाब जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के साधन के रूप में तेजी से इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया है। 2016 से 2022 के बीच दुनिया भर में 60% इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ है।

भारत में इंटरनेट बंद होने के कारण:

- भारत में लगभग 40-50% इंटरनेट शटडाउन आधिकारिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव के कारण होता है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के दौरान अफवाहों को फैलने, नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा भड़काने से रोकने के लिए शटडाउन लगाया जाता है।
- सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने, गतिविधियों के समन्वय और प्रदर्शनकारियों की आगे की लामबंदी को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की स्थितियों के दौरान अक्सर शटडाउन लगाया जाता है।
- परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश लगाने और बेईमान गतिविधियों में मदद करने वाले ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन लगाया गया है।
- धार्मिक जुलूसों के दौरान, विशेष रूप से धार्मिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में, भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शटडाउन भी देखा गया है।

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव:

- इंटरनेट शटडाउन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और निजता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का प्रयोग कम हो जाता है। ये शटडाउन लोगों की संवाद करने, खुद को अभिव्यक्त करने और आवश्यक जानकारी तक पहुंचने की क्षमता को सीमित कर देते हैं।
- इंटरनेट शटडाउन का व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन पर जो अपने संचालन के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। शटडाउन के दौरान ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को वित्तीय नुकसान होता है।
- इंटरनेट शटडाउन से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ कार्य पहुंच से बाहर हो गए हैं, जिससे लोगों की भलाई, शैक्षिक अवसर और उत्पादकता प्रभावित हो रही है।
- लंबे समय तक और मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। वे लोगों की अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता को सीमित करते हैं, असहमति को दबाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करते हैं।

बार-बार शटडाउन लगाने के पीछे तर्क:

- इंटरनेट शटडाउन अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून और व्यवस्था की स्थितियों को बढ़ने से रोकने के उपाय के रूप में लगाया जाता है।
- संकट या अशांति के समय में, इंटरनेट बंद करना गलत सूचना और फर्जी खबरों के तेजी से प्रसार को रोकने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

- सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले विरोध प्रदर्शनों, प्रदर्शनों या अन्य गतिविधियों के संगठन और समन्वय को बाधित करने के लिए भी शटडाउन लगाया जाता है।
- नकल रोकने के लिए परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा सकता है। ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके, अधिकारियों का लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करना है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले:

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक समीक्षा के अधीन इंटरनेट शटडाउन आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
- फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य (2020): मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए इंटरनेट पहुंच के महत्व की पुष्टि की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि इंटरनेट पहुंच पर प्रतिबंध अस्थायी, आनुपातिक और कारणों सहित उचित होना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- सुरक्षा, सुरक्षा और समाज की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकारों के लिए एक वैध चिंता का विषय है। इंटरनेट शटडाउन असाधारण स्थितियों में नियोजित किया जा सकता है जहां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए वास्तविक और आसन्न खतरा हो या जब हिंसा या अशांति के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हो।
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन सहित कोई भी उपाय, सामने आए खतरे के अनुपात में होना चाहिए। शटडाउन को लक्षित, समय-सीमित और सटीक रूप से विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, न कि संपूर्ण प्रतिबंध लगाने से जो पूरी आबादी को प्रभावित करते हैं।
- स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट पहुंच पर कोई भी प्रतिबंध संवैधानिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हो।
- सरकारों को इंटरनेट शटडाउन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी औचित्य प्रदान करना चाहिए, जिसमें ऐसे विशिष्ट जोखिमों या खतरों का विवरण शामिल होना चाहिए जो ऐसे उपायों को उचित ठहराते हैं। शटडाउन के दौरान किसी भी दुर्व्यवहार या उल्लंघन को संबोधित करने के लिए जवाबदेही तंत्र मौजूद होना चाहिए।

निष्कर्ष:

आजीविका, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर शटडाउन का प्रभाव वैकल्पिक समाधान तलाशने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। यह जरूरी है कि हितधारक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता और परिणामों पर पुनर्विचार करें।

Source: Indian Express

YouTube
IAS with Ojaank Sir

8. अन्नपूर्ति

संदर्भ: 'राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान स्वचालित मल्टी-कमोडिटी अनाज वितरण मशीन, अन्नपूर्ति के हालिया प्रदर्शन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) भारत द्वारा विकसित एक अभिनव समाधान का प्रदर्शन किया।

अन्नपूर्ति क्या है?

- अन्नपूर्ति, जिसे अनाज एटीएम के रूप में भी जाना जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी वाला अनाज प्रदान करने का तेज़, स्वच्छ और सटीक तरीका प्रदान करता है।
- डब्ल्यूएफपी इंडिया द्वारा विकसित, यह एक स्वचालित बहु-वस्तु वितरण समाधान है जो चावल, गेहूं और अनाज जैसी वस्तुओं तक कुशल पहुंच सुनिश्चित करता है।
- लाभार्थी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अन्नपूर्ति के माध्यम से अपने अधिकारों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- अन्नपूर्ति पूर्ण अधिकारों तक 24×7 पहुंच प्रदान करती है, बिखराव, बर्बादी और गलत वजन को खत्म करती है।
- मशीन 0.01 प्रतिशत की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ पांच मिनट के भीतर 50 किलोग्राम तक एक या दो अनाज का वितरण कर सकती है।

लाभ और संभावित अनुप्रयोग:

- अन्नपूर्ति में खाद्य-आधारित सुरक्षा जाल की महत्वपूर्ण क्षमता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों को उनका मासिक सब्सिडी वाला अनाज तुरंत मिले।
- मशीन की सटीकता और विश्वसनीयता नुकसान को रोकती है और सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को उनका हकदार हिस्सा मिले।
- प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट जैसी आपात स्थितियों के दौरान, अन्नपूर्ति प्रभावित आबादी को खाद्यान्न के कुशल और समय पर वितरण की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- इसकी स्वचालित प्रणाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, शारीरिक श्रम पर निर्भरता को कम करती है और त्रुटियों को कम करती है।
- अन्नपूर्ति छोटे किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- एक विश्वसनीय और कुशल वितरण चैनल की पेशकश करके, किसान अपनी उपज सीधे अन्नपूर्ति को बेच सकते हैं, उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं और बिचौलियों को कम कर सकते हैं।

टिकाऊ और मॉड्यूलर डिज़ाइन:

- अन्नपूर्ति को कुशल ऊर्जा खपत सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- केवल 0.6 वाट प्रति घंटे की खपत दर के साथ, यह पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करता है।
- अन्नपूर्ति का मॉड्यूलर डिज़ाइन उपलब्ध स्थान के आधार पर लचीलेपन और स्केलेबिलिटी की अनुमति देता है।
- भंडारण इकाई और घटकों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप आसानी से इकट्ठा और अनुकूलित किया जा सकता है।
- अन्नपूर्ति को स्वचालित रीफिलिंग के लिए सौर पैनलों, इन्वर्टर बैटरी और लिफ्ट के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- यह एकीकरण पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

9. सरपंच-पतिवाद

संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायपालिका के बजाय सरकार को उन निर्वाचित महिलाओं के पीछे शक्ति का प्रयोग करने वाले पुरुषों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए जो जमीनी स्तर की राजनीति में "बेपरवाह पत्नियाँ और बहुएँ" बनी हुई हैं। अदालत की टिप्पणी एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आई, जिसमें अनिर्वाचित पुरुष रिश्तेदारों द्वारा राजनीतिक प्रभाव डालने, पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में महिला आरक्षण की भावना को कमजोर करने की घटना पर प्रकाश डाला गया था।

पीआरआई (PRIs) में महिलाएं: कानूनी पहलू

(a) 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992:

- देश भर में पीआरआई (PRIs) में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण अनिवार्य है।
- ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में मान्यता देता है, इसे कार्य करने और राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाता है।
- कुछ राज्यों ने आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि शामिल हैं।
- पीआरआई (PRIs) में 30.41 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 13.74 लाख (45.2%) महिलाएं हैं।

(b) संविधान का अनुच्छेद 15(3):

- राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- सरकार को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू करने की अनुमति देता है।

(c) अनुच्छेद 243D:

- महिलाओं के लिए पीआरआई में अध्यक्षों की कुल सीटों और कार्यालयों की एक तिहाई संख्या के आरक्षण का प्रावधान है।
- आरक्षित सीटों और कार्यालयों को एक पंचायत के भीतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के माध्यम से आवंटित किया जाता है।
- महिलाओं के लिए ये आरक्षण पीआरआई (PRIs) के तीनों स्तरों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण के अतिरिक्त हैं।

(d) अंतर्विभागीय आरक्षण:

- पीआरआई (PRIs) में महिलाओं के लिए सीटों और कार्यालयों का आरक्षण भी पीआरआई (PRIs) के सभी तीन स्तरों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए समग्र आरक्षण के अंतर्गत आता है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को होने वाले परस्पर विरोधी नुकसानों का समाधान करना है।

(e) प्रस्तावित 110वां संविधान संशोधन विधेयक:

- सभी राज्यों की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लाने के लिए इसे 2009 में लोकसभा में पेश किया गया।
- इस विधेयक का उद्देश्य 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य मौजूदा 33.3% से अधिक आरक्षण को बढ़ाना है।
- कई प्रयासों के बावजूद, बिल कानून में पारित नहीं हुआ।

भारत में प्रॉक्सी सरपंच:

- यह आम तौर पर देखा जाता है जहां एक निर्वाचित महिला सरपंच (पंचायत की मुखिया) अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां किसी और को सौंप देती है, आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को।
- यह प्रॉक्सी तब अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सरपंच के प्रतिनिधि या विकल्प के रूप में कार्य करती है।
- अक्सर यह प्रतिनिधिमंडल महिलाओं से जबरदस्ती हासिल किया जाता है।

बनाए गए मुद्दे:

- प्रॉक्सी सरपंच पंचायत राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- यह महिलाओं के राजनीतिक अभियान में प्राप्त लाभ को कमजोर करता है और सीधे शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार का उपयोग करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।
- प्रॉक्सी सरपंचों की नियुक्ति पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को कायम रख सकती है और इस रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकती है कि महिलाएं नेतृत्व पदों के लिए सक्षम या उपयुक्त नहीं हैं।
- जब एक प्रॉक्सी नियुक्त की जाती है, तो यह अक्सर निर्वाचित महिला सरपंच को दरकिनार कर देती है, जिससे उसे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है।
- प्रॉक्सी सरपंचों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों की समझ की कमी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां और पहल होती हैं जो लिंग-संबंधी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।

याचिका में जताई गई चिंता:

- एनजीओ (NGC) ने तर्क दिया कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान के बावजूद, निर्वाचित महिलाओं के लिए पुरुषों का प्रॉक्सी के रूप में काम करना संवैधानिक लोकतंत्र का मजाक है।
- संशोधन का उद्देश्य सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना और जमीनी स्तर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

न्यायालय की प्रतिक्रिया:

- अदालत ने इस मुद्दे को स्वीकार किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सशक्तिकरण की भावना पैदा करना न्यायपालिका की भूमिका नहीं है।
- अदालत ने बताया कि प्रभावशाली व्यक्तियों की पत्नियों को चुनाव लड़ने से रोकना संभव नहीं है, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक विकासवादी प्रक्रिया की आवश्यकता है।
- अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंचायती राज मंत्रालय को याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान करना चाहिए और महिला आरक्षण के उद्देश्यों को लागू करने के लिए बेहतर तंत्र तलाशना चाहिए।
- याचिकाकर्ता ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन और महिलाओं के लिए सही सहायता तंत्र का प्रावधान करने का सुझाव दिया। हालाँकि, न्यायालय ने इसे न्यायपालिका से अवास्तविक अपेक्षा माना।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- पीआरआई (PRIs) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के समर्थन में पुरुष सहयोगियों को बढ़ावा देना। पुरुषों को सक्रिय रूप से लैंगिक समानता की वकालत करने, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत राजनीतिक वातावरण बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- पीआरआई (PRIs) में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
- महिलाओं को उनके अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी के महत्व और पीआरआई (PRIs) में उनकी भागीदारी के प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- अंतर-पीढ़ीगत संवाद आयोजित करें जहां बुजुर्ग नेता और महिलाएं ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण का आदान-प्रदान कर सकें। इससे पीढ़ी के अंतर को पाटने, अंतर-पीढ़ीगत सहयोग को बढ़ावा देने और पीआरआई (PRIs) में महिलाओं की सामूहिक शक्ति को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

उपयुक्त समाधान ढूंढना और पंचायत शासन में महिला आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना कार्यकारी प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

10. TRAI ओटीटी (OTT) ऐप्स पर लगा रहा बैन

संदर्भ: एक आश्चर्यजनक कदम में, ट्राई (TRAI) व्हाट्सएप, ज़ूम और गूगल मीट (Google Meet) जैसी ओटीटी (OTT) संचार सेवाओं को विनियमित करने पर अपने पिछले रुख पर पुनर्विचार कर रहा है। इन सेवाओं के लिए एक विशिष्ट नियामक ढांचे के खिलाफ सलाह देने के लगभग तीन साल बाद, ट्राई (TRAI) ने एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें हितधारकों को ओटीटी (OTT) सेवाओं को विनियमित करने पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) क्या है?

- ट्राई (TRAI) देश में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र नियामक निकाय है।
- ट्राई (TRAI) का प्राथमिक कार्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और भारत में दूरसंचार उद्योग की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है।
- ट्राई (TRAI) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य करता है, जिसमें नियम और नीतियां तैयार करना, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करना, नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, विवादों का समाधान करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण करना शामिल है।
- ट्राई (TRAI) दूरसंचार और प्रसारण से संबंधित मामलों पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

ओवर-द-टॉप (OTT) क्या है?

- ओटीटी (OTT) का तात्पर्य केबल या सैटेलाइट टेलीविजन प्रदाताओं जैसे पारंपरिक वितरण चैनलों को दरकिनार करते हुए इंटरनेट पर सीधे उपयोगकर्ताओं तक ऑडियो, वीडियो और अन्य मीडिया सामग्री की डिलीवरी से है।
- ओटीटी (OTT) संचार सेवाएं उपयोगकर्ताओं को वॉयस और वीडियो कॉल करने, त्वरित संदेश भेजने और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का उपयोग करके समूह चैट में संलग्न होने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- लोकप्रिय ओटीटी (OTT) सेवाओं के उदाहरणों में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और डिज़नी+ जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म, स्पॉटिफ़ और ऐप्पल म्यूज़िक जैसी संगीत स्ट्रीमिंग सेवाएं, व्हाट्सएप और स्काइप जैसे संचार ऐप और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

इंटरनेट सेवाओं को विनियमित करने की बढ़ती जटिलता:

- इंटरनेट परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें नई प्रौद्योगिकियाँ, प्लेटफ़ॉर्म और सेवाएँ नियमित रूप से उभर रही हैं, जिससे नियामकों के लिए नवीनतम विकास और उनके संभावित प्रभावों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी परंपरागत रूप से विशिष्ट सेवाएं डिजिटल क्षेत्र में परिवर्तित हो रही हैं। इंटरनेट सेवाएँ अब संचार, मनोरंजन, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग और बहुत कुछ सहित कार्यात्मकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती हैं।
- इंटरनेट राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे सभी न्यायक्षेत्रों में समान नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। विभिन्न देशों में इंटरनेट प्रशासन, गोपनीयता कानून, सामग्री विनियमन और डेटा सुरक्षा के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।
- इंटरनेट सेवाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग ने गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

ट्राई ओटीटी (OTT) ऐप्स पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने की योजना क्यों बना रहा है?

- दूरसंचार या संपूर्ण इंटरनेट बंद करने से किसी देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ओटीटी ऐप्स पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाकर, ट्राई का लक्ष्य विशिष्ट ऐप्स या सामग्री से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए आर्थिक प्रभावों को कम करना है।
- गतिशील आईपी (IP) पते और क्लाउड सर्वर पर होस्ट की गई वेबसाइटों से निपटने के दौरान वेबसाइटों या ऐप्स को ब्लॉक करने के पारंपरिक तरीकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। HTTPS जैसी उन्नत तकनीक और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल सेवा प्रदाताओं के लिए व्यक्तिगत ऐप स्तर पर सामग्री को ब्लॉक या फ़िल्टर करना कठिन बना देते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, ट्राई (TRAI) का मानना है कि नेटवर्क-स्तरीय फ़िल्टरिंग या अन्य नवीन तरीकों के माध्यम से विशिष्ट वेबसाइटों या ऐप्स तक पहुंच को पहचानना और ब्लॉक करना अभी भी संभव है।
- ओटीटी (OTT) ऐप्स पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने की ट्राई की खोज आईटी पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप है। समिति ने सुझाव दिया कि संपूर्ण इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में विशिष्ट वेबसाइटों या ऐप्स को लक्षित ब्लॉक करना अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है।

ओटीटी संचार सेवाओं को विनियमित करना क्यों आवश्यक है?

- विनियम गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता अधिकारों के लिए मानक स्थापित करके उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। ओटीटी (OTT) संचार सेवाएं बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा को संभालती हैं और संवेदनशील बातचीत की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करने और उनके डेटा को अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा उपाय करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- न्यूनतम सेवा मानक स्थापित करके, अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपयोगकर्ताओं के पास संचार सेवाओं तक लगातार और विश्वसनीय पहुंच हो, जिससे व्यवधान और सेवा रुकावटें कम हों।
- ओटीटी (OTT) संचार सेवाएं व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी बातचीत सहित रोजमर्रा के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैध अवरोधन क्षमताओं, अवैध गतिविधियों के लिए सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे की अखंडता को बनाए रखने जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियामक निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
- नियामक उपायों का उद्देश्य पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटरों और ओटीटी (OTT) सेवा प्रदाताओं के बीच एक समान अवसर तैयार करना है। ओटीटी (OTT) संचार सेवाओं को विनियमित करने से दायित्वों में कथित असमानता को दूर किया जा सकता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ओटीटी (OTT) संचार सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यावसायिक संचार और बहुत कुछ को सक्षम करते हुए सामाजिक कामकाज का अभिन्न अंग बन गई हैं। विनियम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सेवाएँ सार्वजनिक हित में संचालित हों और सामाजिक जिम्मेदारियों को कायम रखें। उदाहरण के लिए, नियम इन प्लेटफार्मों पर गलत सूचना, घृणास्पद भाषण या हानिकारक सामग्री से निपटने जैसे मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

ओटीटी (OTT) संचार सेवाओं को विनियमित करने पर अपने रुख पर फिर से विचार करने का ट्राई का निर्णय इंटरनेट उद्योग की उभरती गतिशीलता को दर्शाता है। परामर्श पत्र और दूरसंचार विधेयक का मसौदा इस क्षेत्र में नियामक समानता और वित्तीय विचारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हितधारक सुझाव देते हैं, यह देखना बाकी है कि ट्राई ओटीटी (OTT) सेवाओं को विनियमित करने और डिजिटल परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देने के बीच कैसे संतुलन बनाएगा।

स्रोत: द हिंदू

Now In Noida

11. नारी अदालत

संदर्भ: सरकार ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं के लिए अदालतें स्थापित करने के लिए एक अनूठी पहल 'नारी अदालत' शुरू कर रही है।

नारी अदालत:

- नारी अदालत का उद्देश्य घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक मानदंडों का मुकाबला करने जैसे मुद्दों के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच प्रदान करना है।
- पायलट प्रोजेक्ट असम और जम्मू-कश्मीर के 50-50 गांवों में शुरू होगा, जिसे अगले छह महीनों में देश भर में लागू करने की योजना है।

संरचना और कार्यप्रणाली:

- प्रत्येक नारी अदालत में 7-9 सदस्य होंगे, जिनमें आधे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे और बाकी आधे शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा वाली महिलाएं होंगी।
- यह व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करेगा, सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा, फीडबैक एकत्र करेगा, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का समाधान करेगा।
- मंच सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह की पेशकश करेगा।

कार्यान्वयन और सहयोग:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्पित मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
- पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्र कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
- नारी अदालतों की एकरूपता और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ तैयार की गई हैं और जारी की जाएंगी।

विचार की शुरुआत:

- यह योजना पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा संचालित पारिवारिक महिला लोक अदालतों (महिलाओं की जन अदालत) से प्रेरणा लेती है।
- ये अदालतें पारिवारिक मामलों, वैवाहिक विवादों, द्विविवाह, उत्तराधिकार और श्रम से संबंधित मोटर वाहन दुर्घटना विवादों से संबंधित मामलों को संबोधित करती थीं।
- 2014-15 में योजना बंद होने से पहले एनसीडब्ल्यू-सहायता प्राप्त पारिवारिक महिला लोक अदालतों ने कुल 298 सत्र आयोजित किए।

ऐसी योजना की आवश्यकता:

- महिलाओं की एकमात्र अदालतें पारंपरिक अदालत प्रणालियों में लैंगिक पूर्वाग्रह का मुकाबला करती हैं, जो महिलाओं के मामलों के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करती हैं।
- ये अदालतें सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ती हैं जो महिलाओं को न्याय मांगने से रोकती हैं, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्थान प्रदान करती हैं जहां वे स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती हैं।

- महिलाओं की एकमात्र अदालतें महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और स्वतंत्र रूप से न्याय तक पहुंचने का अधिकार देती हैं।
- ये अदालतें घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और लिंग आधारित भेदभाव सहित महिलाओं के अद्वितीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- ग्रामीण स्तर पर स्थित होने के कारण, केवल महिला अदालतें उन महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करती हैं, जिन्हें मुख्यधारा की अदालतों तक पहुंचने में भौगोलिक और तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ये अदालतें मध्यस्थता और बातचीत के विकल्प प्रदान करती हैं, जो विवादों को सुलझाने के लिए अधिक प्रभावी और कम प्रतिकूल हैं, खासकर पारिवारिक और सामुदायिक विवादों में।
- महिलाओं की एकमात्र अदालतें कानूनी मिसाल कायम करती हैं और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करती हैं और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष:

नारी अदालत पहल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर केवल महिला अदालतों की स्थापना महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

12. प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI)

संदर्भ: केंद्र सरकार द्वारा जारी वार्षिक प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) वर्ष 2021-22 के लिए स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को रैंक करता है। जबकि चंडीगढ़ और पंजाब शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे, किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड, दक्ष हासिल नहीं किया, जो बोर्ड भर में सुधार की गुंजाइश का संकेत देता है।

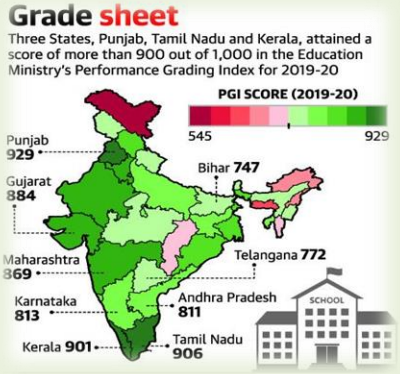

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI):

- प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक उपकरण है, जिसमें प्रमुख लीवर शामिल हैं जो उनके प्रदर्शन और सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संचालित करते हैं।
- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए पीजीआई को डिजाइन किया है।

पीजीआई (PGI) के मुख्य पैरामीटर:

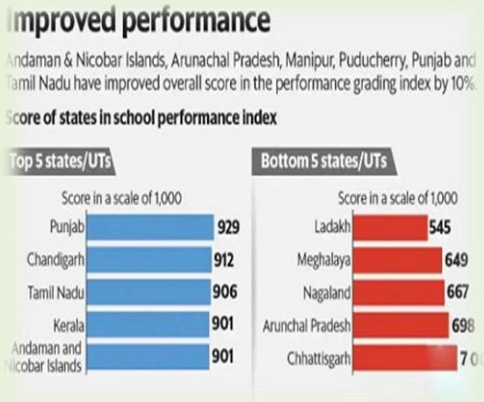

- भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना।
- शुद्ध नामांकन अनुपात, प्रतिधारण दर, शैक्षिक स्तरों के बीच बदलाव और स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने का मूल्यांकन करना।
- विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तक बैंकों, व्यावसायिक शिक्षा विषयों, मध्याह्न भोजन आपूर्ति, कार्यात्मक पेयजल सुविधाओं और वर्दी और मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के प्रावधान की उपलब्धता की जांच करना।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों और सामान्य वर्ग के बीच प्रदर्शन अंतर के साथ-साथ रैंप और विकलांग-अनुकूल शौचालयों जैसे समावेशी बुनियादी ढांचे की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए।
- डिजिटल उपस्थिति रिकॉर्ड, एकल-शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों की उपस्थिति, शैक्षिक पदों में रिक्तियां, निरीक्षण और शिक्षक मूल्यांकन का आकलन करना।

पीजीआई (PGI) ग्रेड और रैंकिंग:

- दक्ष (Daksh) : पीजीआई (PGI)में सर्वोच्च ग्रेड, 1,000 में से 940 अंक से ऊपर स्कोर।
- आकांशी (Akanshi)-3: 460 अंक तक के स्कोर के साथ सबसे निचला ग्रेड।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: चंडीगढ़ और पंजाब ने छठा उच्चतम ग्रेड, प्रचेस्टा-2 प्राप्त किया, इसके बाद गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु ने प्रचेस्टा-3 प्राप्त किया।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित तेरह राज्यों को आकांशी-1 राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो सुधार की पर्याप्त गुंजाइश का संकेत देता है।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि राज्य पीजीआई (PGI) में अपने समग्र स्कोर को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक डोमेन में विशिष्ट कार्रवाई कर सकते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

13. महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता

संदर्भ: परिवार नियोजन पहल में भारत की प्रगति और जीवन प्रत्याशा, मातृ स्वास्थ्य और लिंग सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियाँ। प्रत्येक महिला के लिए प्रजनन स्वायत्तता सुनिश्चित करने के बजाय, समाज कुल प्रजनन दर और परिवार के आदर्श जनसंख्या आकार पर केंद्रित हो गया है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस का विषय, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना: हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना, भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, मुख्य घटक के रूप में प्रजनन स्वायत्तता को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

प्रजनन स्वायत्तता से क्या तात्पर्य है?

- प्रजनन स्वायत्तता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने प्रजनन स्वास्थ्य और विकल्पों के बारे में हस्तक्षेप, दबाव या भेदभाव के बिना सूचित निर्णय लेने के अधिकार और क्षमता से है।
- इसमें बच्चे पैदा करना है या कब करना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं और गर्भधारण के बीच कितना अंतर रखना है, यह तय करने की स्वतंत्रता शामिल है।
- प्रजनन स्वायत्तता में व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है, जिसमें परिवार नियोजन के तरीके, गर्भनिरोधक, यौन शिक्षा, प्रसवपूर्व देखभाल, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं और प्रजनन स्वास्थ्य निर्णयों के लिए समर्थन शामिल है।

परिवार नियोजन में भारत की प्रगति:

- भारत को उसकी परिवार नियोजन पहल के लिए सराहा गया है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक संभावित लाभार्थी को व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- गर्भनिरोधक टोकरी का विस्तार करने और आपातकालीन गर्भनिरोधक सहित आधुनिक लघु और लंबे समय तक काम करने वाले प्रतिवर्ती गर्भ निरोधकों, स्थायी तरीकों, सूचना, परामर्श और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।
- भारत ने मातृ स्वास्थ्य में प्रभावशाली प्रगति की है, जैसा कि मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी के रूप में परिलक्षित होता है। वर्तमान दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 है, जो 2004 में 254 से कम है।
- भारत ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में प्रगति हासिल की है। 2000 के दशक की शुरुआत से बाल विवाह की संख्या आधी हो गई है, और किशोर गर्भधारण में काफी कमी आई है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- प्रगति के बावजूद, भारत में कई महिलाओं में शारीरिक स्वायत्तता का अभाव है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में केवल 10% महिलाएँ स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं।
- सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि 11% महिलाओं का मानना है कि अगर कोई महिला अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती है तो वैवाहिक हिंसा स्वीकार्य है।
- भारत में लगभग आधी गर्भावस्थाएँ अनियोजित होती हैं, जो प्रभावी परिवार नियोजन सेवाओं और शिक्षा को सुनिश्चित करने में एक चुनौती को उजागर करती हैं।
- हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक असमानताएँ और असमानताएँ लगातार बनी हुई हैं जिन्हें वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।
- लिंग-आधारित भेदभाव और हिंसा को कायम रखने वाले दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड महिला सशक्तीकरण के लिए चुनौतियां बने हुए हैं।

भारत के लिए अवसर:

- भारत के पास लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और समावेशी विकास सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को 10 प्रतिशत अंक बढ़ाकर, भारत महत्वपूर्ण आर्थिक विकास क्षमता को अनलॉक कर सकता है। अनुमान है कि यह संभावित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 70% से अधिक का योगदान दे सकता है, जो 2025 तक अतिरिक्त $770 बिलियन होगा।

- शिक्षा और परिवार नियोजन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से मानव पूंजी का संचय हो सकता है, जो सतत विकास और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
- महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाकर, भारत उन अपार प्रतिभा, विचारों और नवाचार का लाभ उठा सकता है जो महिलाएं सामने लाती हैं।
- भारत के पास कानून और नीतियां बनाने और लागू करने का अवसर है जो महिलाओं, लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और जीवन बदलने वाले व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला के जीवन के हर चरण, प्रसव से लेकर किशोरावस्था और परिपक्वता तक निवेश करने की आवश्यकता है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सहायता प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है जो महिलाओं को सूचित विकल्प चुनने और अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाता है।
- महिलाओं, लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने वाले अधिकार-आधारित कानून और नीतियां बनाना और लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें इन समूहों के साथ जुड़ना, उनकी जरूरतों को समझना और एक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है जो उनके अधिकारों और निर्णय लेने में समर्थन करता है।
- व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए जो सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। इसमें गर्भनिरोधक टोकरी का विस्तार करना, परिवार नियोजन विधियों, सूचना, परामर्श और आपातकालीन गर्भनिरोधक तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
- समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए लिंग-न्यायसंगत दृष्टिकोण और समाधान अपनाना आवश्यक है। इसमें लैंगिक भेदभाव और हिंसा को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को चुनौती देना और मौलिक मूल्य के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है।

निष्कर्ष:

इस विश्व जनसंख्या दिवस पर, आइए हम व्यक्तिगत अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और कल्याण को जनसंख्या और विकास चर्चा में सबसे आगे रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। समृद्ध भारत और सभी के लिए बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए लिंग-न्यायपूर्ण दृष्टिकोण और समाधान अपनाना आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

Join Gurukul Batch in Noida Now

14. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का नवीनतम अपडेट जारी किया गया। भारत ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

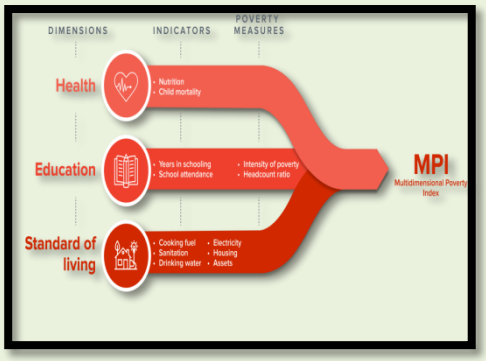

MPI क्या है?

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाली तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय माप है।
- यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में तीव्र अभावों को ध्यान में रखकर पारंपरिक मौद्रिक गरीबी उपायों को पूरा करता है जिनका एक व्यक्ति एक साथ सामना करता है।
- वैश्विक एमपीआई को 2010 में यूएनडीपी (UNDP) की प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा विकसित किया गया था।
- तब से इसे ओपीएचआई द्वारा और एचडीआर में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता रहा है।

तीव्र प्रगति और एमपीआई मूल्यों में कमी:

- रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है, जो दर्शाता है कि पर्याप्त प्रगति प्राप्त की जा सकती है।
- भारत के अलावा, यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं।
- एमपीआई (MPI) मूल्यों को आधा करने से बहुआयामी गरीबी में पर्याप्त कमी का पता चलता है, जो कल्याण के कई संकेतकों में सुधार को दर्शाता है।

गरीबी न्यूनीकरण:

- भारत में, बहुआयामी गरीबी में लोगों की संख्या 2005-06 में लगभग 645 मिलियन से घटकर 2015-16 में लगभग 370 मिलियन और 2019-21 में 230 मिलियन हो गई।
- भारत में पोषण, बाल मृत्यु दर, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आवास जैसे विभिन्न संकेतकों में कमी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि सबसे गरीब राज्यों और वंचित समूहों, जिनमें हाशिए पर मौजूद जातियों के बच्चे और व्यक्ति शामिल हैं, ने गरीबी कम करने में सबसे तेज़ प्रगति का अनुभव किया है।

बहुआयामी गरीबी में योगदान देने वाले कारक:

- गरीबी में विभिन्न कारक शामिल हैं जैसे खराब स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं की कमी, आजीविका के सीमित विकल्प, सीमित शिक्षा, अशक्तता और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता।
- गरीबी के संकेतक के रूप में केवल आय पर ध्यान केंद्रित करना अपर्याप्त है। बहुआयामी गरीबी उपाय व्यक्तियों को होने वाले विभिन्न नुकसानों पर विचार करके गरीबी की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं।
- बहुआयामी गरीबी उपाय गरीबी से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों और उप-समूहों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्षित हस्तक्षेपों की पहचान में सहायता करते हैं।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी हस्तक्षेप:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लक्ष्य भारत की दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी पहल ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर और नियमित आय प्रदान करती हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उद्देश्य गरीबों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है।

आगे की चुनौतियां:

- कोविड-19 महामारी ने गरीबी को बढ़ा दिया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों की गरीबी बढ़ गई है।
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी की घटनाएं अधिक देखी जा रही हैं।
- आर्थिक विकास के बावजूद, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बहुआयामी अभाव से पीड़ित है।
- गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का पर्याप्त आवंटन एक चुनौती बना हुआ है, और धन की उपलब्धता अक्सर लक्ष्य में कटौती का निर्देश देती है।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं का उचित कार्यान्वयन और लक्ष्यीकरण भारत में लगातार मुद्दे रहे हैं, अतिव्यापी कार्यक्रमों के कारण अक्षमताएं पैदा होती हैं।

निष्कर्ष:

विभिन्न संकेतकों में पर्याप्त सुधार के साथ, बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति सराहनीय है। हालाँकि, निरंतर गरीबी में कमी और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए गरीबी, क्षेत्रीय असमानताओं, रोजगार सृजन, संसाधन आवंटन और कार्यान्वयन बाधाओं की चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

15. चुनावी बॉण्ड

संदर्भ: चुनावी बॉण्ड भारत में राजनीतिक दलों के लिए दान के प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरे हैं, जिसमें भाजपा को बहुमत हिस्सेदारी हासिल है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016-17 और 2021-22 के बीच, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को चुनावी बांड के माध्यम से कुल 9,188.35 करोड़ रुपये का दान मिला। भाजपा को ₹5,271.97 करोड़ मिले, जबकि अन्य राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से ₹1,783.93 करोड़ मिले।

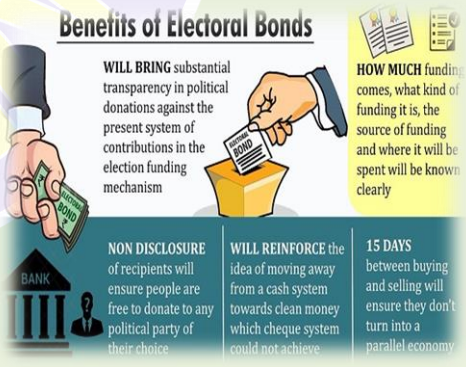

चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दान:

- छह साल की अवधि में, विश्लेषण किए गए 31 राजनीतिक दलों को कुल 16,437.63 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। इसमें से 55.9% चुनावी बांड से, 28.07% कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 16.03% अन्य स्रोतों से आया।
- भाजपा ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से ₹5,271.97 करोड़ के दान की घोषणा की, जो अन्य सभी राष्ट्रीय दलों के कुल दान से अधिक है।
- कांग्रेस को ₹952.29 करोड़ (कुल दान का 61.54%) के साथ चुनावी बांड के माध्यम से दूसरी सबसे बड़ी राशि प्राप्त हुई। तृणमूल कांग्रेस को ₹767.88 करोड़ (कुल दान का 93.27%) प्राप्त हुआ।

- बीजेडी, डीएमके और टीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों को उनके कुल दान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनावी बॉण्ड से प्राप्त हुआ।
- 2017-18 और 2021-22 के बीच चुनावी बांड के माध्यम से राष्ट्रीय दलों के दान में 743% की वृद्धि देखी गई, जबकि कॉर्पोरेट दान में केवल 48% की वृद्धि हुई।

चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य विशेषताएं:

- रिपोर्ट में विश्लेषण की गई महत्वपूर्ण समय अवधि के दौरान चुनावी फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना 2018 पेश की गई थी।
- वित्त अधिनियम, 2017 ने राजनीतिक दान के लिए कंपनी के औसत तीन साल के शुद्ध लाभ की 7.5% की पिछली सीमा को समाप्त कर दिया।
- कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से चुनावी बांड खरीद सकती है। बांड को ₹1,000, ₹10,000, ₹10 लाख और ₹1 करोड़ के मूल्यवर्ग में खरीदा जा सकता है। इसके बाद खरीदार अपनी पसंद के किसी योग्य राजनीतिक दल को बांड दान कर सकता है।
- चुनावी बॉण्ड खरीदने के लिए, खरीदार को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को पूरा करना होगा और बैंक खाते से भुगतान करना होगा। केवल भारतीय नागरिकता या निगमन वाले व्यक्ति और कंपनियां ही इस योजना में भाग ले सकते हैं।
- चुनावी बॉण्ड की अवधि 15 दिनों की होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समानांतर मुद्रा के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
- चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दानदाताओं को अपनी पहचान विवरण, जैसे स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, दानकर्ता की पहचान बैंक को पता होती है।
- केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। बांड को केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।

योजना से संबंधित मुद्दे:

- अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को सक्षम करने के लिए इस योजना को आलोचना का सामना करना पड़ा है। जबकि दाता की पहचान हासिल कर ली जाती है, इसे पार्टी या जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सीमित हो जाती है।
- चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किया गया दान आयकर छूट के लिए पात्र नहीं हो सकता है, जिससे संभावित रूप से दानकर्ता इस योजना में भाग लेने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
- दानदाताओं की गोपनीयता से समझौता किया जा सकता है क्योंकि बैंक को उनकी पहचान के बारे में जानकारी होगी।
- यह योजना संभावित रूप से सत्ता में पार्टियों का पक्ष ले सकती है, क्योंकि सरकार दानदाताओं और प्राप्त धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है।
- 2017 के वित्त अधिनियम में संशोधन, धन के स्रोतों का खुलासा किए बिना व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को असीमित दान की अनुमति देता है, जिससे राजनीति में धन के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

16. सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) निदेशकों के लिए विस्तार

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देता है। अदालत ने वर्तमान ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को नवंबर में अपना तीसरा विस्तार समाप्त होने से चार महीने पहले इस्तीफा देने का भी निर्देश दिया।

संशोधन और कार्यकाल विस्तार:

- परंपरागत रूप से सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) निदेशकों का कार्यकाल दो साल का तय होता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम और मौलिक नियमों में संशोधन किए गए। ये संशोधन निदेशकों को अधिकतम तीन वार्षिक विस्तार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिससे उनका कार्यकाल दो साल की सीमा से आगे बढ़ जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन देना बंद करने का निर्देश देने के तुरंत बाद संशोधन पेश किए गए थे। इन संशोधनों ने सरकार को मिश्रा को दो अतिरिक्त विस्तार देने का एक रास्ता प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 2021 और 2022 में दिए गए लगातार सेवा विस्तार को अवैध माना।
- अदालत ने मिश्रा को 31 जुलाई तक इस्तीफा देने का आदेश दिया, जिससे उनके उत्तराधिकारी को जिम्मेदारियों का सुचारू हस्तांतरण हो सके। मिश्रा ने पांच साल तक ईडी निदेशक के रूप में कार्य किया है।
- अदालत अपने ही न्याय मित्र द्वारा की गई दलीलों से असहमत थी, जिन्होंने अदालत से संशोधनों को रद्द करने का आग्रह किया था। न्याय मित्र ने तर्क दिया कि सेवा विस्तार की संभावना निदेशकों को सरकार की इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रभावित कर सकती है, जिससे एजेंसियों की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

उच्च-स्तरीय समितियाँ और औचित्य:

- संशोधनों के लिए उच्च-स्तरीय समितियों को सेवा विस्तार के लिए निदेशकों की सिफारिश करने की आवश्यकता है।
- समितियों में एजेंसी के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसे सदस्य शामिल होते हैं। ये समितियाँ सिफारिश करती हैं कि क्या सार्वजनिक हित में विस्तार की आवश्यकता है।
- समितियाँ अपनी सिफ़ारिशों के लिए लिखित औचित्य प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

संशोधनों की संवैधानिकता:

- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे और इन्हें आसानी से असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

- अदालत ने कहा कि संशोधन उन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित किए गए जिन्हें लोगों की जरूरतों और हितों का ज्ञान है।
- अदालत ने माना कि उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की बुद्धिमत्ता पर तब तक सवाल नहीं उठाना चाहिए जब तक कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन न हो।.

	केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)	प्रवर्तन निदेशालय (ED)
शासनादेश	भारत में प्रमुख अपराधों की जांच और समाधान करता है	आर्थिक और वित्तीय नियमों को लागू करता है
क्षेत्राधिकार	राष्ट्रव्यापी	राष्ट्रव्यापी
कानूनी अधिकार	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946	धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002
कार्यात्मक फोकस	आपराधिक जांच	आर्थिक एवं वित्तीय अपराध
जांच शक्तियाँ	गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और पूछताछ	कुर्की, जब्ती और गिरफ्तारी
सहयोग	राज्य पुलिस और एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है	विभिन्न एजेंसियों और बैंकों के साथ समन्वय करता है
रिपोर्टिंग प्राधिकारी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
भ्रष्टाचार जांच	एक भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग है	एक अलग आर्थिक अपराध प्रभाग है
उल्लेखनीय मामले	2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, आदि।	विजय माल्या प्रत्यर्पण, पीएनबी (PNB) धोखाधड़ी मामला

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

17. वित्त आयोग

संदर्भ: भारत में वित्त आयोग (FC) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधन आवंटन के लिए राजकोषीय ढांचे का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित, एफसी ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, क्षैतिज वितरण और सहायता अनुदान पर सिफारिशें प्रदान करते हैं। हालाँकि, अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में इन सिफारिशों की प्रभावशीलता विवाद का विषय बनी हुई है।

वित्त आयोग का उद्देश्य और दायरा:

- वित्त आयोगों का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और उनकी सिफारिशों में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, क्षैतिज वितरण और सहायता अनुदान।
- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण संघ से राज्य हस्तांतरण पर केंद्रित है।
- क्षैतिज वितरण में एक विशिष्ट सूत्र के आधार पर राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन शामिल होता है।
- अनुच्छेद 275 के अंतर्गत शामिल सहायता अनुदान, जरूरतमंद समझे जाने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- अनुदान और सहायता अनुदान के बीच अंतर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुदान एक हाथ की दूरी पर काम करता है और नियंत्रण के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

पिछले वित्त आयोग की सिफ़ारिशें:

13वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें:

- मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अदालत के कामकाजी घंटों की संख्या बढ़ाएं।
- लोक अदालतों को समर्थन बढ़ाएँ।
- हाशिये पर पड़े लोगों के लिए कानूनी सहायता बढ़ाने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करें।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों की क्षमता में वृद्धि करना।
- प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रत्येक राज्य में एक न्यायिक अकादमी के निर्माण का समर्थन करें।
- विशेष अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करें।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें:

- विभिन्न राज्यों में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के स्तर पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करें।
- राज्यों के बीच लागत विकलांगताओं का अनुमान लगाने के लिए संबंधित इकाई लागत डेटा एकत्र करें।
- सांख्यिकी मंत्रालय के प्रयासों से सांख्यिकीय आंकड़ों में कमियों को भरना।

वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ:

- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को अक्सर केवल पवित्र इरादे के रूप में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सिफ़ारिशों को ठोस कार्रवाइयों में तब्दील करने में प्रतिबद्धता और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।
- लेख में कुछ राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ अनुदान से जुड़ी शर्तों से संबंधित चुनौतियों का संकेत देती हैं। सशर्तताएँ राज्यों के व्यय विकल्पों को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जिससे अनुशंसित सुधारों को लागू करने में बाधाएँ पैदा हो सकती हैं।

- विशिष्ट सुधारों के लिए आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं हो सकती है, जिससे अपर्याप्त कार्यान्वयन हो सकता है। वित्तीय बाधाएं और प्रतिस्पर्धी बजटीय प्राथमिकताएं अनुशंसित उपायों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सीमित कर सकती हैं।
- वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी या असहमति सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने में शामिल चुनौतियों और जटिलताओं को पहचानें, जैसे समन्वय मुद्दे, प्रशासनिक क्षमता और परिवर्तन का प्रतिरोध। यह समझ इन चुनौतियों से निपटने के लिए यथार्थवादी अपेक्षाओं और रणनीतियों को आकार देने में मदद करेगी।
- कार्यान्वयन तंत्र और प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान दें। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना, सभी स्तरों पर प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना और सुचारू निष्पादन की सुविधा के लिए शर्तों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना शामिल है।
- कार्यान्वित सुधारों की प्रगति और परिणामों पर नज़र रखने के लिए प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करें। नियमित मूल्यांकन से कार्यान्वयन कमियों की पहचान करने और पाठ्यक्रम में सुधार और सुधार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- अनुशंसित सुधारों की खरीद-फरोख्त और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए हितधारक जुड़ाव और आम सहमति निर्माण को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन के प्रति एक साझा दृष्टिकोण और सामूहिक प्रतिबद्धता बनाने के लिए सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों सहित प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करें।

निष्कर्ष:

भारत में वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय हस्तांतरण निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, विभिन्न चुनौतियों और सीमाओं के कारण उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन अक्सर अपेक्षाओं से कम हो जाता है। वित्त आयोगों के पिछले अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षाओं को वास्तविक परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

18. डेटा सुरक्षा के लिए आयु की सहमति

संदर्भ: भारत में आगामी डेटा संरक्षण विधेयक केंद्र को माता-पिता की निगरानी के बिना इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए सहमति की आयु 18 से कम करने का अधिकार दे सकता है। विधेयक विशिष्ट कंपनियों को बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करने में अतिरिक्त दायित्वों से छूट दे सकता है यदि वे डेटा को "सत्यापनीय रूप से सुरक्षित" तरीके से संसाधित कर सकते हैं।

खबरों में क्यों?

- यह पिछले डेटा संरक्षण विधेयक से विचलन का प्रतीक है, जहां आयु सीमा 18 वर्ष हार्ड-कोडित थी।
- यह परिवर्तन यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे पश्चिमी दुनिया में डेटा सुरक्षा नियमों के अनुरूप है।

एक खण्ड की यात्रा:

- जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण समिति की 2018 की रिपोर्ट में 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए माता-पिता की सहमति लेने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सुझाव दिया गया कि यदि संशोधन किए गए तो सहमति की उम्र कम की जा सकती है।
- पीडीपी (PDP) विधेयक, 2019 ने सिफारिश को बरकरार रखा और एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया।
- संयुक्त समिति ने 2021 के अंत में अपनी अंतिम सिफारिशों में सहमति की आयु को घटाकर 13/14/16 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा।
- विधेयक के मसौदे में बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों में असंतोष फैल गया है।
- संसद के मानसून सत्र में लाए गए डेटा संरक्षण विधेयक ने कथित तौर पर एक बच्चे की परिभाषा को ऐसे व्यक्ति में बदल दिया है, जिसने अठारह वर्ष की आयु या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कम आयु पूरी नहीं की है।

डेटा विनियमों के लिए बच्चों की वैश्विक परिभाषाएँ:

- सहमति की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन सदस्य राज्यों को इसे कम से कम 13 वर्ष करने की अनुमति है। बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के लिए विशिष्ट सुरक्षा मौजूद है।
- बच्चों को 13 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित किया गया है, और उनके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
- अधिनियम उम्र की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है लेकिन संगठनों को मामले-दर-मामले के आधार पर किसी व्यक्ति की सहमति देने की क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता होती है।
- 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली संस्थाओं को माता-पिता की सहमति प्राप्त करनी होगी, और बच्चों के डेटा को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निष्कर्ष:

- भारत के डेटा संरक्षण विधेयक में सहमति की उम्र कम करना डेटा संरक्षण नियमों में देखे गए वैश्विक रुझान को दर्शाता है। देशों में बच्चों को परिभाषित करने के लिए अलग-अलग आयु सीमाएं हैं और माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। विधेयक में अंतिम परिवर्तन भारत के डेटा संरक्षण कानून में बच्चों की उम्र निर्धारित करने, उद्योग हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने पर चर्चा और विचार-विमर्श की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।

Source: Indian Express

19. ऑनलाइन एयरटाइम वाउचर्स

संदर्भ: भारत के चुनाव आयोग ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को एयरटाइम आवंटित करने की पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की है। नई प्रणाली भौतिक वाउचर एकत्र करने की पारंपरिक पद्धति को प्रतिस्थापित करती है और इसके बजाय एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करती है।

प्रचार अभियान के लिए एयरटाइम वाउचर:

- इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रचार उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक समान पहुंच प्रदान करना है।
- चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक प्रसारकों पर समय का आवंटन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के आधार पर जनवरी 1998 में अधिसूचित एक योजना द्वारा नियंत्रित होता है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी को दूरदर्शन (DD) और आकाशवाणी पर एक समान आधार समय मिलता है।
- एयरटाइम के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पिछले चुनावी प्रदर्शन, विधायिका में प्रतिनिधित्व और पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों की संख्या जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
- अधिकृत पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा प्रसारण और प्रसारण की तारीख और समय प्रसार भारती द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से और पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्व निर्धारित किया जाता है।

इन वाउचरों का विनियमन:

- प्रासंगिक कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पार्टी प्रतिलेखों की जांच की जाती है। ये कोड ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं जो अन्य देशों की आलोचना करती है, धर्मों या समुदायों पर हमला करती है, हिंसा भड़काती है, या व्यक्तिगत हमलों में संलग्न होती है।
- जांची गई सामग्री पर असहमति को एक शीर्ष समिति को भेजा जाता है जिसमें आकाशवाणी और डीडी के सदस्य शामिल होते हैं। समिति का निर्णय अंतिम है.

डिजिटल वाउचर का महत्व:

- यह निर्णय बेहतर चुनावी प्रक्रिया और सभी हितधारकों के लिए बेहतर सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- राजनीतिक दलों को अब चुनाव के दौरान टाइम वाउचर लेने के लिए आयोग के कार्यालयों में प्रतिनिधि भेजने की जरूरत नहीं होगी।

परिचालन चुनौतियाँ:

- यह योजना विशेष रूप से राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियों के लिए उपलब्ध है, जिससे इसकी वास्तविक इक्विटी के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं।
- शीर्ष समिति में आकाशवाणी और डीडी के अधिकारी शामिल हैं, जो हितों के संभावित टकराव के बारे में चिंता जताते हैं।
- जब प्रतिलेख सामग्री पर राजनीतिक दलों के साथ टकराव उत्पन्न होता है तो इन अधिकारियों से अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

20. विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN)

संदर्भ: राष्ट्रपति मुर्मू ने एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) को लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

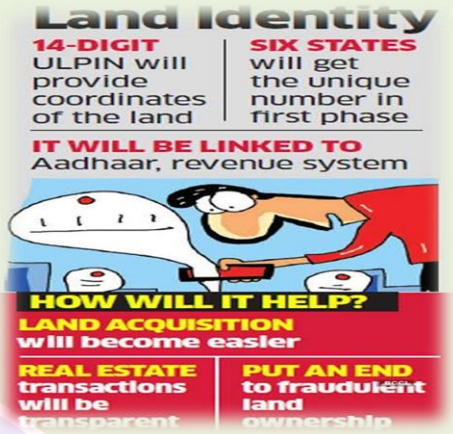

ULPIN क्या है?

- ULPIN या भू-आधार प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आईडी है।
- यह 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) का अगला कदम है।
- पहचान भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक पर आधारित होगी, और विस्तृत सर्वेक्षण और भू-संदर्भित भूकर मानचित्रों पर निर्भर है।
- यूएलपीआईएन (ULPIN) एनआईसी (NIC) के कैडस्ट्रल मैपिंग समाधान, भुनक्शा में भू-संदर्भित आकार फ़ाइल के आयात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन (ECCMA) मानकों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):

- डीआईएलआरएमपी (DILRMP) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों में समानताओं का लाभ उठाकर पूरे देश में एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करना है।
- यह वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सर्कल दरों, पंजीकरण कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों के साथ भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं और डेटाबेस को एकीकृत करता है।
- कार्यक्रम में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण गतिविधियाँ और पंजीकरण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है।

ULPIN के लाभ:

- यूएलपीआईएन (DILRMP) के कार्यान्वयन और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से भूमि से संबंधित अनैतिक और अवैध गतिविधियों में काफी कमी आ सकती है। डिजिटलीकरण से आई पारदर्शिता से जवाबदेही बढ़ती है और कदाचार पर अंकुश लगता है।
- यूएलपीआईएन (DILRMP) भूमि पार्सल के उचित उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा और नई योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता करेगा।
- ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें जानकारी तक बेहतर पहुंच और भूमि विवादों से संबंधित सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के समय भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण मूल्यवान साबित होता है, क्योंकि यह दस्तावेजों के नुकसान को रोकने में मदद करता है और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को तेज करता है।

विकास और कल्याण पर प्रभाव:

- पारदर्शी और सुलभ भूमि जानकारी प्रदान करके, डिजिटलीकरण सूचित निर्णय लेने और प्रभावी संसाधन प्रबंधन का समर्थन करता है।
- विभिन्न सरकारी विभागों के साथ भूमि रिकॉर्ड को जोड़ने से कल्याणकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन में मदद मिलती है। पीएम आवास योजना.
- सटीक और अद्यतन भूमि डेटा लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करता है और लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करता है।

स्रोत: द हिंदू

YouTube
IAS with Ojaank Sir

21. राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक

संदर्भ: राजस्थान सरकार ने विधानसभा में 'राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023' पेश किया है, जो राज्य में चार महीने से भी कम समय में चुनाव से पहले आखिरी सत्र होने की उम्मीद है। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 का उद्देश्य राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन प्रदान करना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विधेयक पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसकी अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और नकद हस्तांतरण योजनाओं के बजाय कानून के माध्यम से रोजगार और पेंशन प्रदान करने पर इसके फोकस की प्रशंसा की है।

Rajasthan minimum income Bill: provisions, what makes it unique

HAMZA KHAN
JAIPUR, JULY 19

THE ASHOK Gehlot government on Tuesday tabled the Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill, 2023, which effectively seeks to cover the entire adult population of the state with guaranteed wages or pension.

What is the Bill?

Under the Bill, all families of the state get guaranteed employment of 125 days every year, while the aged, disabled, widows, and single women get a minimum pension of Rs 1,000 per month. Importantly, the pension will be increased at the rate of 15 per cent each year.

The Bill has three broad categories: right to minimum guaranteed income, right to guaranteed employment, and right to guaranteed social security pension.

The government anticipates an additional expenditure of Rs 2,500 crore per year for this scheme, which may increase with time.

What are its major provisions?

MINIMUM GUARANTEED INCOME: Each adult citizen of the state has been guaranteed a minimum income for 125 days a year through the Rajasthan government's flagship Indira Gandhi Shahri Rozgar Guarantee Yojana for urban areas, and through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in rural areas.

In his budget speech this year, Chief Minister Gehlot had increased the employment guarantee per family from 100 days to 125 days for his urban employment scheme. The state will supplement the MGNREGA's 100 days by providing jobs for an additional 25 days in rural areas.

Next, the government will provide eligible categories with a minimum pension of Rs 1,000.

GUARANTEED EMPLOYMENT: The right to employment states that post the work in urban or rural employment schemes, the minimum wages should be paid "weekly or in any case not later than a fortnight."

EXPLAINED POLICY

The state will designate a program officer — not below the rank of Block Development Officer in rural areas and an Executive Officer of the local body in urban areas — to implement the Act. Among other things, the Program Officer shall ensure that the work site is within a radius of five kilometres of where the job card is registered in both rural and urban areas.If the Program Officer fails to provide employment within 15 days from the receipt of the application, the applicant shall be entitled to an unemployment allowance on a weekly basis, "and in any case not later than a fortnight."

GUARANTEED SOCIAL SECURITY PENSION: Every person falling in the category of old age/specially abled/widow/single woman within prescribed eligibility criteria shall be entitled to a pension.

This will increase over the base rate in two instalments — 5 per cent in July and 10 per cent in January of each financial year 24 starting 2024-2025.

Why the Bill?

While announcing the scheme in his budget speech earlier this year, CM Gehlot had said that Mahatma Gandhi's message, "The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members", was a focal point of all his government's policies.

Last week, at an interaction with social security pension beneficiaries, the CM had said, "When the government gives you Rs 1,000, it is not a favour. The one who rules has a moral responsibility that everyone gets justice. And we are bringing in a law so that no one can stop the pension."

The Bill is part of a bouquet of schemes and measures undertaken by his government to provide relief from inflation with an eye on the polls later this year.

How have social activists reacted?

Social activist Nikhil Dey of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), which had shared a draft of the Bill with the state government, said, "The Bill contains many firsts in the country. It is a very welcome step. We're really happy that it has come, especially since it has all the essentials."

He said that the Bill's approach — guaranteeing minimum employment and pensions by law — distinguishes it from the cash transfer schemes in operation in various other states.

While the civil society network Soochna Evum Rozgaar Adhikar Abhiyan had submitted a more detailed draft to the government, Dey said that parts which have been skipped can still be included in the rules brought under the Act.

बिल क्या है?

- राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिन का रोजगार की गारंटी मिले,
- वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
- हर साल 15 फीसदी की दर से पेंशन बढ़ाई जाएगी।
- विधेयक में तीन व्यापक श्रेणियां हैं: न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।
- सरकार को इस योजना पर प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है, जो समय के साथ बढ़ सकता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

न्यूनतम गारंटीकृत आय:

- राजस्थान के प्रत्येक वयस्क नागरिक को प्रत्येक वर्ष 125 दिनों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी।
- शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
- मनरेगा के 100 दिनों का पूरक- ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार।

रोजगार की गारंटी:

- काम पूरा होने के बाद-न्यूनतम मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- कार्यान्वयन जिम्मेदारी - एक कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से - यह सुनिश्चित करती है कि नौकरी स्थल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पंजीकृत जॉब कार्ड पते के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं।
- यदि कार्यक्रम अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है तो आवेदक साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन:

- वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और निर्धारित पात्रता वाली एकल महिलाएं श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति पेंशन के हकदार हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 से शुरू होकर पेंशन राशि जुलाई में 5% और जनवरी में 10% सालाना बढ़ जाएगी।

विधेयक के पीछे तर्क क्या है?

- यह विधेयक सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है और इसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है।
- सबसे हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करना।
- "महात्मा गांधी का संदेश है कि किसी समाज का असली माप इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है"
- मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उपायों के एक समूह के रूप में।
- सुरक्षा जाल प्रदान करें और समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ कम करें।

बिल पर आलोचना:

- आगामी चुनावों के करीब विधेयक का परिचय- राजनीति से प्रेरित।
- मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया लोकलुभावन उपाय।
- बिल के प्रावधानों को लागू करने की वित्तीय व्यवहार्यता- स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करना।
- लंबे समय में राज्य के वित्त पर बोझ।
- लाभार्थियों की उचित पहचान, निगरानी तंत्र, और गारंटीकृत आय, रोजगार और पेंशन की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 को राज्य के सभी निवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यदि सही ढंग से और कुशलता से लागू किया गया तो यह कानून एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां प्रत्येक नागरिक का कल्याण प्राथमिकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

22. आईटी (IT) एक्ट की धारा 69(ए)

संदर्भ: भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। इसने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से मणिपुर की दो महिलाओं की नग्न परेड और यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले वीडियो को हटाने का अनुरोध किया है।

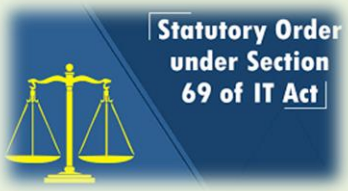

आईटी (IT) अधिनियम की धारा 69(ए) क्या है?

- धारा 69(ए) सरकार को आईएसपी, वेब होस्टिंग सेवाओं, खोज इंजन इत्यादि जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री-अवरुद्ध आदेश जारी करने की अनुमति देती है।
- यदि सामग्री को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, या यदि यह संज्ञेय अपराधों के लिए उकसाता है, तो इसे अवरुद्ध किया जा सकता है।
- सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों को एक समीक्षा समिति को भेजा जाता है, जो आवश्यक निर्देश जारी करती है। ऐसे आदेशों को आमतौर पर गोपनीय रखा जाता है।

धारा 69(ए) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए को रद्द कर दिया, जिसमें संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर जुर्माना लगाया गया था।
- न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 की धारा 69 (ए) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि यह संकीर्ण रूप से तैयार की गई है और इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अवरोध केवल तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार इसकी आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो, और अवरोध के कारणों को कानूनी चुनौतियों के लिए लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

धारा 69(ए) पर अन्य निर्णय:

- ट्विटर ने पिछले साल जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की धारा 69(ए) के तहत जारी सामग्री-अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
- इस साल जुलाई में, कर्नाटक HC की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र के पास ट्वीट्स को ब्लॉक करने का अधिकार है।
- न्यायमूर्ति कृष्णा डी दीक्षित ने फैसला सुनाया कि केंद्र की अवरुद्ध शक्तियां न केवल एकल ट्वीट तक बल्कि संपूर्ण उपयोगकर्ता खातों तक भी विस्तारित हैं।

निष्कर्ष:

धारा 69(ए) का अनुप्रयोग कानूनी और सामाजिक बहस का विषय रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं को संतुलित करना है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

www.ojaank.com

23. अल्पावधि चर्चाएँ

संदर्भ: विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत अन्य सभी कार्यों को निलंबित करने का आह्वान किया, जबकि सरकार ने नियम 176 के तहत "अल्पावधि चर्चा" को प्राथमिकता दी। प्रभावी संसदीय चर्चा के लिए इन नियमों की बारीकियों और उनके निहितार्थ को समझना आवश्यक है।

Question 66. What is a Short Duration Discussion?

Answer. In order to provide opportunities to Members to discuss matters of urgent public importance, a convention was established in March 1953 which was incorporated later into the *Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha* under Rule 193 as Short Duration Discussion. Under this Rule, Members can raise discussion for short durations without a formal motion or vote thereon.

इस पर चर्चा क्यों?

- सार्वजनिक मामलों को संबोधित करने और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में संसदीय बहसें महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं।
- वे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारीपूर्ण चर्चाओं में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे अधिक प्रभावी निर्णय लेने और शासन में सुधार होता है।

नियम 267: व्यवसाय का निलंबन

- नियम 267 राज्यसभा सांसदों को सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा में शामिल होने की अनुमति देता है।
- राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य दिन के सूचीबद्ध कार्य से संबंधित नियम के आवेदन को निलंबित करने के लिए सभापति की सहमति ले सकता है।
- यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो संबंधित नियम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है।

नियम 176 के अंतर्गत अल्पावधि चर्चाएँ:

- नियम 176 राज्यसभा में ढाई घंटे तक चलने वाली छोटी अवधि की चर्चा की सुविधा देता है।
- अत्यावश्यक सार्वजनिक मामले उठाने के इच्छुक सांसदों को महासचिव को एक लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें चर्चा को उचित ठहराने वाला एक व्याख्यात्मक नोट भी शामिल हो।
- सभापति, परिषद के नेता के परामर्श से, औपचारिक प्रस्तावों या मतदान के बिना चर्चा निर्धारित करते हैं।
- नोटिस जारी करने वाला सदस्य एक संक्षिप्त बयान प्रस्तुत करता है, जिसके बाद मंत्री का संक्षिप्त उत्तर होता है।

नियम 267 से जुड़ा विवाद:

- विपक्ष असंतोष व्यक्त करता है क्योंकि नियम 267 के तहत उनके नोटिस का हाल ही में समाधान नहीं किया गया है।
- अतीत में, विभिन्न अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान इस नियम के तहत विविध विषयों पर कई चर्चाएँ हुईं।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के विकल्प के रूप में नियम 267 का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां चर्चा में निंदा के तत्वों वाले प्रस्ताव शामिल होते हैं, जो राज्यसभा पर लागू नहीं होते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

24. स्थगन प्रस्ताव

संदर्भ: संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन, लोकसभा में स्थगन की कार्यवाही देखी गई क्योंकि विपक्षी दलों ने राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच मणिपुर में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न पर तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को संबोधित करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को बरकरार रखने का आग्रह किया। यह लेख स्थगन प्रस्तावों की अवधारणा और भारतीय संसद में उठाए गए अन्य संसदीय प्रस्तावों से उनके मतभेदों पर प्रकाश डालेगा।

स्थगन प्रस्ताव क्या है?

- स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे को उठाने के लिए किया जाता है जिसके लिए तत्काल चर्चा और बहस की आवश्यकता होती है।
- यह संसद सदस्यों (सांसदों) को सदन के नियमित कामकाज को बाधित करने और एक विशिष्ट मामले पर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देता है जिसे अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है।
- स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की सहमति चाहता है।
- स्थगन प्रस्ताव का नोटिस उस दिन सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा महासचिव को दिया जाना चाहिए, जिस दिन इसे उठाया जाना है।

भारतीय संसद में संसदीय प्रक्रियाएँ:

- लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद सदस्यों के पास प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं।
- चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत लोकसभा में चर्चा हो सकती है - नियम 193 के तहत मतदान के बिना बहस, नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव (मतदान के साथ), एक स्थगन प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव।
- अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर इसी तरह के उपाय राज्यसभा में भी मौजूद हैं।

नियम 193: अल्पावधि चर्चा

- लोकसभा के नियमों के नियम 193 और राज्यसभा के नियमों के नियम 176 के तहत अल्पावधि चर्चा हो सकती है।
- इन चर्चाओं के लिए सभापति या अध्यक्ष की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि मामला अत्यावश्यक और पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का है।
- इसके बाद सभापति या स्पीकर चर्चा के लिए एक तारीख तय कर सकते हैं, जिसमें ढाई घंटे तक का समय दिया जा सकता है।
- लागू किए जाने वाले नियम पर असहमति के कारण मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

नियम 184: मत के साथ प्रस्ताव

- सामान्य जनहित के मामले पर कोई प्रस्ताव नियम 184 के तहत स्वीकार किया जा सकता है यदि वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो।

- प्रस्ताव में तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, आरोप या मानहानिकारक बयान नहीं होने चाहिए।
- इसे हाल की घटना तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और किसी वैधानिक प्राधिकारी, आयोग या जांच अदालत के समक्ष लंबित मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए।
- अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसे प्रस्ताव को उठाने की अनुमति दे सकता है, और चर्चा के लिए एक समय अवधि आवंटित की जा सकती है।

स्थगन प्रस्ताव का महत्व:

- यह संसद को महत्वपूर्ण मामलों पर तुरंत चर्चा करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी या देरी न हो।
- यह सरकार को उसके कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- अत्यावश्यक मामलों को उठाकर और चर्चा शुरू करके, सांसद स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण और सरकारी प्रतिक्रियाएँ मांग सकते हैं, जो शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- स्थगन प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होने वाली चर्चाएं अत्यावश्यक मामलों को सार्वजनिक डोमेन में लाती हैं, जिससे देश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है।
- सरकार स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए बाध्य है।
- यह सरकार को मुद्दे के समाधान के लिए अपना रुख, कार्रवाई और योजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- यह विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने और सरकार की कमियों को सामने लाने का अधिकार देता है।
- यह उन्हें असहमति की आवाज़ उठाने और सरकारी नीतियों की आलोचना करने का मंच देता है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा मिलता है।

स्थगन प्रस्ताव पर आलोचना:

- स्थगन प्रस्ताव, एक बार स्वीकृत होने के बाद, सदन की नियमित कार्यवाही को बाधित करता है।
- उस सत्र के लिए निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण विधायी व्यवसाय, बहस या बिल विलंबित या स्थगित हो सकते हैं, जिससे संसद की समग्र उत्पादकता प्रभावित होगी।
- स्थगन प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होने वाली बहस में समय लग सकता है।
- कुछ आलोचकों का तर्क है कि स्थगन प्रस्ताव अन्य संसदीय प्रस्तावों, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तत्काल चर्चा के प्रस्ताव के साथ ओवरलैप होता है, जो जरूरी मामलों पर चर्चा करने के अवसर भी प्रदान करता है।
- कुछ मामलों में, स्थगन प्रस्ताव का वास्तव में अत्यावश्यक मामलों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- हालाँकि स्थगन प्रस्ताव अत्यावश्यक मामलों को उठाता है और सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन यह तत्काल कार्रवाई या समाधान की गारंटी नहीं देता है।

निष्कर्ष:

हाल ही में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मणिपुर में जातीय हिंसा पर तत्काल चर्चा की मांग के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद के पास प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शर्तें और निहितार्थ हैं। जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है, यह देखना बाकी है कि सरकार और विपक्षी दल इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की मांगों को कैसे पूरा करेंगे।

स्रोत: द हिंदू

25. राष्ट्रपति शासन

संदर्भ: एक राजनीतिक दल ने मणिपुर में राज्य सरकार को बर्खास्त करने और तटस्थ प्रशासन के तहत शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने का आह्वान किया है।

राष्ट्रपति शासन क्या है?

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति को ऐसे राज्य में केंद्रीय शासन लगाने का अधिकार देता है जहां संवैधानिक तंत्र टूट गया हो।
- हालाँकि शुरुआत में इसका उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों के लिए था, लेकिन अक्सर इसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

अनुच्छेद 356 के प्रावधान:

- अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य सरकार की कार्यकारी और विधायी शक्तियां वापस लेने की अनुमति देता है जब वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती।
- यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट गया है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वत: संज्ञान लेकर अनुच्छेद 356 लागू कर सकते हैं।
- इसे एक बार में छह महीने के लिए लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि तीन साल होगी।
- राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक उत्पति:

- अनुच्छेद 356 इस अधिनियम की धारा 93 से प्रेरित था, जो एक प्रांत के राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में सरकार की शक्तियों को संभालने की अनुमति देता था।
- प्रावधान ने प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों को आवश्यक होने पर अंतिम शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया।

अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग:

- कांग्रेस के प्रभुत्व के दौरान अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राज्यों में वामपंथी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों के खिलाफ किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1959 तक छह बार इसका इस्तेमाल किया, जिसमें केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को हटाना भी शामिल था।
- बाद के दशकों में, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल विभिन्न केंद्रीय सरकारों द्वारा राज्य सरकारों के खिलाफ अक्सर किया गया, जिनमें इंदिरा गांधी और जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें भी शामिल थीं।

ऐतिहासिक फैसला: एस आर बोम्मई मामला

- 1994 के आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के उपयोग पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए।
- अदालत ने कहा कि सरकार के भौतिक रूप से टूटने या 'त्रिशंकु विधानसभा' होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- फैसले में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को अपना बहुमत साबित करने या हिंसक टूटने की घटनाओं को साबित करने का मौका देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

स्रोत: द हिंदू

26. टेली-मानस

संदर्भ: सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेली मानस, ने अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से पूरे भारत में व्यक्तियों से 2,00,000 से अधिक कॉल प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

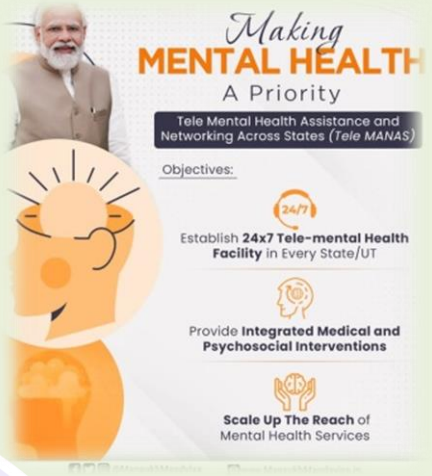

टेली-मानस क्या है?

- अक्टूबर 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) पहल शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य पूरे देश में चौबीसों घंटे मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरदराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करना।

योजना का कार्यान्वयन:

- कार्यक्रम में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले उत्कृष्टता के 38 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है जो 20 से अधिक भाषाओं में काम कर रहे हैं।
- पूरे देश में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) स्थापित किया गया है, जिससे कॉल करने वालों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पसंद की भाषा चुनने की सुविधा मिलती है। सेवा 1-800-91-4416 पर भी उपलब्ध है।

दो स्तरीय कार्य:

- टेली-मानस को दो स्तरीय प्रणाली में आयोजित किया जाएगा; टियर 1 में राज्य टेली-मानस सेल शामिल हैं जिनमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
- टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों और/या ऑडियो-विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

कॉल जनसांख्यिकी और चिंताएँ:

- दो-तिहाई कॉल करने वाले 18-45 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि 12.5% 46-64 वर्ष आयु वर्ग के हैं, और 8% 18 वर्ष से कम आयु के हैं।
- दो लाख कॉलों में से 59.6% पुरुष कॉलर्स द्वारा और 40% महिला कॉलर्स द्वारा किए गए थे।
- मदद मांगने के सबसे आम कारण उदासी की सामान्य भावनाएं (28.8%), नींद से संबंधित समस्याएं (27.6%), चिंता (20.4%), रिश्ते के मुद्दे (10%), आक्रामकता (9.2%), और गतिविधियों में कम रुचि (9.7%) थीं।

योजना का विस्तार:

- केंद्रीकृत इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से बुनियादी सहायता और परामर्श प्रदान करने वाले प्रारंभिक रोलआउट को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा रहा है।
- इसे राष्ट्रीय टेलीकंसल्टेशन, ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य केंद्रों और विशेष देखभाल के लिए आपातकालीन मनोरोग सुविधाओं जैसी अन्य सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।

- इससे न केवल तत्काल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलेगी बल्कि देखभाल की निरंतरता भी सुगम होगी।
- अंततः, इसमें मानसिक कल्याण और बीमारी के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया जाएगा, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली सभी प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP)

- भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP) की घोषणा की।
- बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) कार्यक्रम का नोडल केंद्र है।
- कार्यक्रम में एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया जो कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान कर सके।
- महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां सामने ला दी हैं, और एनटीएमएचपी का लक्ष्य सभी के लिए सुलभ और सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकंसल्टेशन, चैटबॉट और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल होगा।
- एनटीएमएचपी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत होगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

27. मेरी माटी मेरा देश पहल

संदर्भ: केंद्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए 'आजादी का अमृत महोत्सव' की भव्य परिणति के रूप में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान शुरू किया है।

मेरी माटी मेरा देश:

- इस पहल का उद्देश्य शहीदों के बलिदान का सम्मान और स्मरण करना है।
- इसमें स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा कर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी।

पांच सूत्री एजेंडा:

शिलाफलकम स्थापना: राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के नाम से स्मारक बनाए जाएंगे। देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वीरों को याद किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा।

प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा: स्मारक स्थलों पर लोगों द्वारा राष्ट्र और उसके मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक गंभीर प्रतिज्ञा ली जाएगी।

वसुधा वंधन: प्रत्येक ग्राम पंचायत या गांव स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाकर, धरती माता का कायाकल्प करके और अमृत वाटिका (अनन्त उद्यान) विकसित करके 'वसुधा वंधन' में भाग लेगा।

वीरों का वंदन: स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित और सम्मानित किया जाएगा। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, सीएपीएफ और राज्य पुलिस कर्मियों के साथ-साथ ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को भी राष्ट्र के लिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए मान्यता मिलेगी।

राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराया जाएगा, और राष्ट्रगान एक सुर में गूंजेगा, जो हवा को देशभक्ति और गर्व से भर देगा।

कार्यान्वयन और घटनाएँ:

- कार्यक्रम पंचायत और गांव से लेकर ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक पंचायत/गांव से मिट्टी युवा स्वयंसेवकों द्वारा एकत्र की जाएगी और ब्लॉक में लाई जाएगी, जहां से 'मिट्टी कलश' (मिट्टी के बर्तन) को समारोहपूर्वक दिल्ली ले जाया जाएगा।
- एकत्रित मिट्टी का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय अखंडता के नायकों का सम्मान करते हुए, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक अद्वितीय उद्यान, अमृत वाटिका बनाने के लिए किया जाएगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

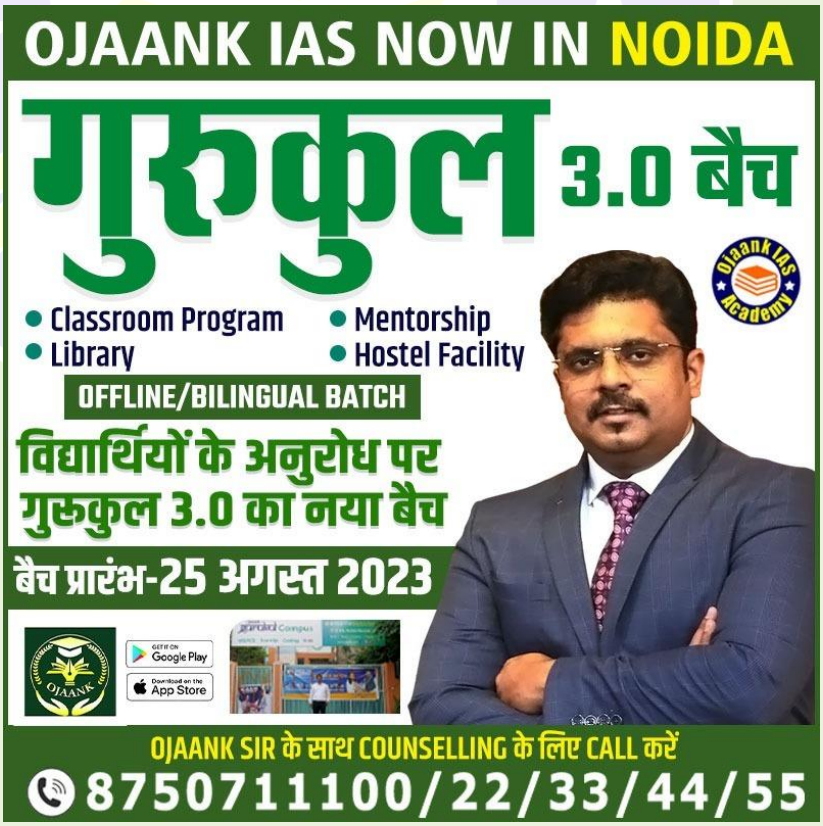

28. अविश्वास प्रस्ताव

संदर्भ: नए एलायंस इंडिया से जुड़े विपक्षी दल प्रधानमंत्री को मणिपुर अशांति पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव:

- भारतीय संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव सरकार की ताकत और जवाबदेही का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह प्रस्ताव विपक्षी दलों या किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास की कमी को व्यक्त करने की अनुमति देता है, जिससे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो सकती है।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया:

- अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 198 के तहत निर्धारित की गई है।
- ऐसे में प्रस्ताव में उल्लेखित किए जाने वाले विशिष्ट आधारों की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि उल्लेखित भी किया जाए, तो ये आधार प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनते हैं।
- इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
- लोकसभा का कोई भी सदस्य सुबह 10 बजे से पहले लिखित सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। एक बार स्वीकृत होने के बाद, अध्यक्ष 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख की घोषणा करता है।
- मतदान ध्वनि मत, प्रभाग मत (इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पर्चियों या मतपेटी का उपयोग करके) या गुप्त मतपत्र के माध्यम से किया जा सकता है।

परिणाम:

- यदि सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने में विफल रहती है, तो वह सत्ता से इस्तीफा देने के लिए बाध्य है।
- एक सफल अविश्वास प्रस्ताव महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन और सरकार में फेरबदल का कारण बन सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

इतिहास / कला एवं संस्कृति

1. हुल दिवस

संदर्भ: प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में संथालों के बलिदान का सम्मान करते हुए हुल दिवस मनाया।

हुल दिवस क्या है?

- संथाल विद्रोह, जिसे 'हूल' के नाम से जाना जाता है, संथालों के नेतृत्व में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध था, जो अंग्रेजों द्वारा उन पर किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े थे।
- यह लेख संथाल विद्रोह के महत्व, उनकी पहचान, हूल के पीछे के कारणों, उसके संगठन और उसके स्थायी प्रभाव की पड़ताल करता है।

संथाल एवं उनका प्रवासन:

- संथाल लोग, या संथाली, बंगाल के बीरभूम और मानभूम क्षेत्रों से आधुनिक संथाल परगना में चले गए।
- अंग्रेजों ने अपनी राजस्व संग्रह रणनीति के तहत, स्वदेशी पहाड़िया समुदाय को बेदखल करके, संथालों को दामिन-ए-कोह के जंगली इलाके में स्थानांतरित कर दिया।
- हालाँकि, संथालों को शोषणकारी साहूकारों और पुलिस सहित गंभीर औपनिवेशिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

हुल के पीछे कारण:

- संथालों ने जबरन वसूली, दमनकारी निकासी, संपत्ति की बेदखली, गलत माप और अन्य अवैधताओं के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
- जनजातीय परिषदों और बैठकों में विद्रोह की संभावना पर चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 30 जून, 1855 को 6,000 से अधिक संथालों की एक विशाल सभा हुई, जो विद्रोह की शुरुआत थी।
- सिधू और कान्हू के नेतृत्व में, संथाल अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, उन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रतीकों पर हमला किया और साहूकारों और जमींदारों को मार डाला।

हुल का संगठन:

- आम धारणा के विपरीत, हूल एक सुनियोजित और संगठित राजनीतिक युद्ध था।
- दस्तावेज़ों और ऐतिहासिक वृत्तांतों से प्राप्त साक्ष्यों से गुरिल्ला संरचनाओं, सैन्य टीमों, जासूसों, गुप्त ठिकानों, रसद और समन्वय के लिए संदेश वाहकों के नेटवर्क जैसी तैयारियों का पता चलता है।
- गैर-आदिवासी हिंदू जातियों ने भी विद्रोह में भाग लिया, जो आंदोलन की विविध प्रकृति को उजागर करता है।

हुल के बारे में कम ज्ञात तथ्य:

- विद्रोह में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों दोनों, 32 समुदायों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि यह पूरी तरह से संथाल विद्रोह था।
- फूलो-झानो, दो बहनें, ने 1,000 महिलाओं की एक सेना का नेतृत्व किया, जिन्होंने खाद्य आपूर्ति प्रदान करने, जानकारी इकट्ठा करने और ब्रिटिश शिविरों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दो बार हार गई, जिससे यह धारणा खारिज हो गई कि वे अजेय थे।

ब्रिटिश आख्यान और विवरण:

- ब्रिटिश रिपोर्ट और व्यक्तिगत आख्यान संथाल विद्रोह के कारणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिनमें अत्यधिक कराधान, झूठ और ब्रिटिश अधिकारियों की लापरवाही, साहूकारों द्वारा जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न शामिल हैं।
- संथालों को साहूकारों या 'महाजनों' द्वारा दी गई पीड़ाएँ विद्रोह का प्राथमिक कारण थीं।

कैदियों और दैवीय हस्तक्षेप के लेख:

- अन्य जनजातीय विद्रोहों के समान, सपनों में या विद्रोहियों से पहले देवताओं के प्रकट होने के वृत्तांत मौजूद हैं।
- पकड़े गए संथालों की न्यायिक कार्यवाही में ऐसे उदाहरण सामने आए जहां देवताओं ने विद्रोही नेताओं को अंग्रेजों और उत्पीड़कों के खिलाफ लड़ने का निर्देश दिया।

हुल का स्थायी प्रभाव:

- संथाल विद्रोह 1855 में इसके दमन से समाप्त नहीं हुआ; यह भविष्य के विद्रोहों को प्रेरित करता रहा, जैसे 1857 के विद्रोह में संथाल की भागीदारी।
- हुल विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था और इसने झारखंड में बाद के आंदोलनों की नींव रखी।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

2. अल्लूरी सीताराम राजू

संदर्भ: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह के समापन समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अन्याय और शोषण के खिलाफ राजू के संघर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला।

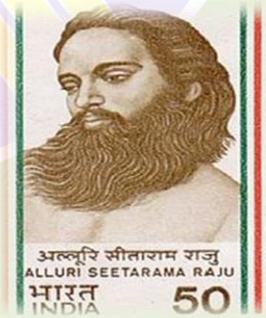

अल्लूरी सीताराम राजू:

- माना जाता है कि राजू का जन्म 1897 या 1898 में आंध्र प्रदेश में हुआ था।
- वह 18 साल की उम्र में संन्यासी बन गए और अपनी तपस्या, ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञान और जंगली जानवरों को वश में करने की अपनी क्षमता के कारण पहाड़ी और आदिवासी लोगों के बीच एक रहस्यमय आभा प्राप्त की।

क्रांतिकारी गतिविधियाँ:

- राजू ने गंजम, विशाखापत्तनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ प्रभावी गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल दिया।
- 1882 के वन अधिनियम और अन्य औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासियों की पारंपरिक पोडु खेती को खतरे में डाल दिया और उन्हें श्रम के लिए मजबूर कर दिया।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी शक्तियों में कटौती से प्रभावित आदिवासी और मुत्तदार (ग्राम प्रधान) अगस्त 1922 में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में एक साथ शामिल हुए।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- राजू का गुरिल्ला युद्ध, जिसे रम्पा या मान्यम विद्रोह के नाम से जाना जाता है, मई 1924 तक जारी रहा।
- यह विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ मेल खाता था।
- राजू ने गांधी की प्रशंसा की और खादी (घर का बना कपड़ा) पहनने और शराब छोड़ने के उनके विचारों को बढ़ावा दिया।
- हालाँकि, राजू का मानना था कि गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत, भारत को केवल बल के प्रयोग से ही आज़ाद किया जा सकता है।

कब्जा और निष्पादन:

- मई 1924 में अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर राजू का प्रतिरोध समाप्त हो गया।
- विद्रोह में शामिल होने के कारण उन्हें फाँसी दे दी गई।
- राजू को 'मण्यम वीरुडु' या जंगल के नायक के रूप में जाना जाने लगा और उनके प्रयासों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में याद किया जाता है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, अल्लूरी सीतारमा राजू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने, आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने और सशक्त तरीकों से भारत की आजादी की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्रोत: द हिंदू

3. दादाभाई नौरोजी (1825-1917)

संदर्भ: ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी ने भारत के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विद्वतापूर्ण कार्य ने जल निकासी सिद्धांत पर जोर देते हुए ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया।

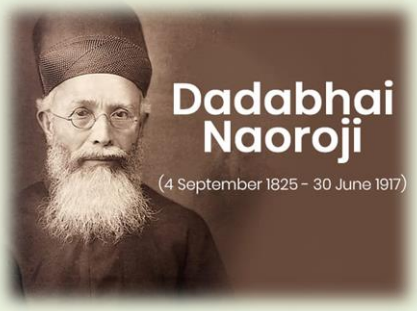

दादाभाई नौरोजी कौन थे?

- नौरोजी का जन्म नवसारी, गुजरात में एक पारसी पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा एलफिंस्टन इंस्टीट्यूट स्कूल में प्राप्त की।
- उन्होंने पारसी सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने और पारसी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए रहनुमाई मजदायसन सभा और रस्ट गोफ्तार अखबार की स्थापना की।
- नौरोजी ने भारतीय राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और नकारात्मक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सह-स्थापना की।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तीन बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 से 1895 तक फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय सांसद बने।
- उनकी पुस्तक "पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" ने भारत से ब्रिटेन में धन के प्रवाह और भारत के विकास पर इसके प्रभाव को उजागर किया।

जल निकासी सिद्धांत और गरीबी पर उनका प्रस्ताव:

- उन्होंने धन की निकासी में योगदान देने वाले छह कारकों की पहचान की, जिनमें विदेशी शासन, आप्रवासन की कमी और असमान रोजगार के अवसर शामिल हैं।
- नौरोजी ने अनुमान लगाया कि भारत से ब्रिटेन तक 200-300 मिलियन पाउंड की निकासी हुई, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।
- नौरोजी ने तर्क दिया कि भारत ने रेलवे जैसी सेवाओं के लिए भुगतान किया, लेकिन मुनाफा देश से बाहर चला गया, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ।
- भारत में ब्रिटिश श्रमिकों को अपनी कमाई वापस भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और भारतीय वस्तुओं का कम मूल्यांकन किया गया, जिससे आर्थिक शोषण की अनुमति मिली।

प्रमुख कृतियाँ:

- 1854 में रास्ट गोफ्तार एंग्लो-गुजराती समाचार पत्र शुरू किया।
- पारसियों के आचरण और रीति-रिवाज (बॉम्बे, 1864)
- यूरोपीय और एशियाई जातियाँ (लंदन, 1866)
- भारतीय सिविल सेवा में शिक्षित मूल निवासियों का प्रवेश (लंदन, 1868)
- भारत की चाहत और साधन (लंदन, 1876)
- भारत की स्थिति (मद्रास, 1882)

विरासत और दृश्य:

- उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिम्मेदार सरकार और भारतीय स्वायत्तता की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है।
- महात्मा गांधी नौरोजी के लेखन से प्रभावित थे और उन्हें भारतीय लोगों के लिए एक पिता के रूप में मान्यता दी थी।
- बाल गंगाधर तिलक ने नौरोजी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि अगर मौका दिया गया तो भारतीय सर्वसम्मति से उन्हें चुनेंगे।
- नौरोजी के योगदान को उनके नाम पर नामित विभिन्न सड़कों, सड़कों और पुरस्कारों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

4. बैस्टील (Bastille) दिवस

संदर्भ: फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल दिवस भी कहा जाता है, हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंच में ला फेटे नेशनले या ले 14 जुइलेट के नाम से जाना जाने वाला यह दिन आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है। फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक, यह बैस्टिल, एक सैन्य किले और राजनीतिक जेल के पतन का प्रतीक है, जिसे उस समय राजशाही और शस्त्रागार का प्रतीक माना जाता था।

फ्रेंच क्रांति:

- फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 और 1799 के बीच हुई, फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का एक महत्वपूर्ण काल था।
- क्रांति की विशेषता आमूल-चूल सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का दौर था, जिसमें देखा गया-
- फ्रांसीसी राजशाही को उखाड़ फेंकना
- गणतंत्र की स्थापना, एवं
- राजा लुई सोलहवें और रानी मैरी एंटोनेट सहित हजारों लोगों की फाँसी (गिलोटिन) ।

बैस्टिल का पतन:

- पेरिस में स्थित बैस्टिल, राजशाही द्वारा निरंकुश शासन और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करता था।
- राजा लुई सोलहवें के नेतृत्व से असंतोष बढ़ गया और 14 जुलाई, 1789 को पेरिसवासी बैस्टिल में एकत्र हुए।
- भीड़ ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और किले के हथियारों तक पहुंच की मांग की। गवर्नर ने इनकार कर दिया, जिससे हिंसक झड़प हुई।
- घंटों की लड़ाई के बाद, किला गिर गया क्योंकि पेरिस के लोगों ने इसके रक्षकों को परास्त कर दिया।

आयोजन का महत्व:

- बैस्टिल का पतन राजशाही पर लोगों की जीत और दमनकारी पुराने शासन के अंत का प्रतीक था।
- इस घटना ने तीव्र हिंसा और उथल-पुथल का दौर शुरू कर दिया, जिससे क्रांतिकारियों के लिए सत्ता पर कब्ज़ा करने और एक नई व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
- फ्रांसीसी क्रांति के कारण सामंतवाद का उन्मूलन हुआ, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा हुई और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई।
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के क्रांतिकारी सिद्धांतों ने वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

आयोजन का वैश्विक महत्व:

- बैस्टिल का पतन अन्य देशों के लिए अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा बन गया।
- फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित हुए, जिसने पूरे इतिहास में बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रभावित किया।
- व्यक्तिगत अधिकारों, लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक समानता पर क्रांति के जोर ने दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

5. नवाब वाजिद अली शाह (1822-1887)

संदर्भ: अवध के अंतिम राजा, नवाब वाजिद अली शाह के द्विशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कोलकाता में एक प्रदर्शनी, हेरिटेज वॉक और वार्ता आयोजित की जाएगी।

नवाब वाजिद अली शाह:

- मिर्जा वाजिद अली शाह (30 जुलाई 1822 - 1 सितंबर 1887) अवध के ग्यारहवें और अंतिम राजा थे, जिन्होंने 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक शासन किया।
- उन्हें एक कवि, नाटककार, नर्तक और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने शासन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शासनकाल और पतन:

- फरवरी 1847 में वाजिद अली शाह अवध के राजा बने, उन्होंने राज्य के पतन की अवधि के दौरान यह पद संभाला।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाजिद अली शाह के राज्याभिषेक की नौवीं वर्षगांठ से ठीक दो दिन पहले 11 फरवरी 1856 को अवध पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में उन्हें पेंशन पर रहते हुए कोलकाता के पास मेटियाब्रुज़ में गार्डन रीच में निर्वासित कर दिया गया।

कला के संरक्षक:

- वाजिद अली शाह संगीत के उदार संरक्षक और प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने का पोषण किया और ठुमरी के हल्के शास्त्रीय रूप को समृद्ध किया। उन्होंने ग़ज़लों की रचना की और नए राग पेश किए, जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पर अमिट प्रभाव छोड़ा।
- वाजिद अली शाह के संरक्षण ने लखनऊ में कथक नृत्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने नाटक, भावना और साहित्य को शामिल करते हुए कलात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया। राजा ने कथक को दरबारी नृत्य के रूप में लोकप्रिय बनाया और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया।
- राजा ने एक भव्य तमाशा जोगिया जश्न की स्थापना की और कविता, गीतात्मक रचनाओं और कथक प्रदर्शन से भरे रहस (नृत्य-नाटक) का मंचन किया। उनके योगदान ने हिंदुस्तानी थिएटर के विकास की नींव रखी।

साहित्यिक गतिविधियाँ:

- वाजिद अली शाह फ़ारसी और उर्दू दोनों के विपुल लेखक थे। उनके कार्यों में इतिहास, साहित्य और व्यक्तिगत चिंतन सहित विभिन्न विषय शामिल थे। उल्लेखनीय कार्यों में "हुज़्न-ए-अख्तर," एक आत्मकथात्मक कृति, और "बानी," संगीत और नृत्य पर एक ग्रंथ शामिल हैं।
- राजा ने अपने दरबार में मिर्ज़ा ग़ालिब सहित कई कवियों और लेखकों को संरक्षण दिया। उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकारों को पेंशन प्रदान की और उन कार्यों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जो उस युग की संस्कृति और जीवन को प्रतिबिंबित करते थे।

निर्वासन के वर्ष और विरासत (1856-1887):

- अपना राज्य खोने के बाद वाजिद अली शाह कोलकाता के पास मेटियाब्रुज़ में बस गये। उन्होंने लखनऊ का एक लघु संस्करण बनाया और अपनी शानदार जीवनशैली बरकरार रखी। मटिया बुर्ज, एक शानदार परिसर, उनके प्रिय शहर की याद दिलाता है।
- वाजिद अली शाह की रचनाएँ, जिनमें उनकी प्रसिद्ध ठुमरी "बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय" भी शामिल है, प्रभावशाली हैं और विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। संगीत, नृत्य, साहित्य और रंगमंच में उनका योगदान उनकी विरासत को संरक्षित करते हुए सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखता है।

निष्कर्ष:

अवध के अंतिम राजा मिर्जा वाजिद अली शाह ने निर्वासित होने से पहले 1847 से 1856 तक शासन किया। संगीत, नृत्य, रंगमंच और साहित्य सहित कलाओं के उनके संरक्षण ने अवध की सांस्कृतिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी। चुनौतियों का सामना करने और अपने राज्य को खोने के बावजूद, वाजिद अली शाह के कलात्मक प्रयास और स्थायी विरासत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को प्रेरित और समृद्ध करती रही है।

स्रोत: द हिंदू

6. अफ़ीम युद्ध

संदर्भ: चीन पर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा छेड़े गए अफ़ीम युद्ध, उदाहरण देते हैं कि कैसे अफ़ीम, एक निर्जीव वस्तु के रूप में, विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में एक शक्तिशाली ऐतिहासिक एजेंट बन गई।

अफ़ीम और चाय की कहानी:

- 2,000 साल पहले चीन में उत्पन्न हुई चाय, 17वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश अभिजात वर्ग के बीच लोकप्रिय हो गई और वर्ग बाधाओं को पार कर सर्वोत्कृष्ट ब्रिटिश पेय बन गई।
- हालाँकि, चाय के आयात के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा।
- 1763 में, अंग्रेजों ने अफ़ीम उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार हासिल कर लिया, जिसकी चीन में पहले से ही माँग थी। भारत में अपनी तेजी से बढ़ती कॉलोनी से चीन को अफ़ीम बेचने से चाय के आयात के कारण होने वाले व्यापार घाटे की भरपाई करने में मदद मिली।

भारत में अफ़ीम की खेती:

- ब्रिटिश अफ़ीम विभाग के तहत, भारत में अफ़ीम उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई, जो एक सदी के भीतर लगभग 800% बढ़ गई। 1780 और 1880 के बीच चीन को भारत का कुल अफ़ीम निर्यात सौ गुना बढ़ गया।
- दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत में सारी अफ़ीम उगाई जाती थी, वहीं अंग्रेज़ों ने इसे अपने उपनिवेश में बेचने से परहेज किया और इसके बजाय इसे चीनी समाज में धकेलने का विकल्प चुना।

चीन की लत और सामाजिक-आर्थिक संकट:

- अत्यधिक नशे की लत और दुर्बल करने वाली दवा ने चीन के उच्च वर्गों और साहित्यकारों के बीच व्यापक लत पैदा कर दी, जिससे सामाजिक-आर्थिक संकट पैदा हो गया।
- सत्तारूढ़ किंग राजवंश की अफ़ीम व्यापार पर अंकुश लगाने में असमर्थता ने राज्य की मशीनरी और चीन के शासन की वैधता को नष्ट कर दिया।

अफ़ीम युद्ध:

- 1839 में, अपने बेटे के अफ़ीम के उपयोग की खोज के बाद, किंग सम्राट ने एक कार्रवाई शुरू की, जिससे कैंटन में ब्रिटिश अफ़ीम व्यापारियों के साथ तनाव पैदा हो गया।
- प्रथम अफ़ीम युद्ध (1839-42): ब्रिटिश सेनाएं "मुक्त व्यापार" की रक्षा के लिए चीन पहुंचीं, जिससे चीन को लगातार हार का सामना करना पड़ा। नानकिंग की संधि ने चीन को ब्रिटिश अफ़ीम व्यापारियों को मुआवजा देने, हांगकांग को सौंपने और यूरोपीय व्यापार के लिए और अधिक बंदरगाह खोलने के लिए मजबूर किया।
- दूसरा अफ़ीम युद्ध (1856-60): एक चीनी अधिकारी और ब्रिटिश व्यापारियों के बीच संघर्ष से शुरू हुए युद्ध ने चीन में यूरोपीय उपस्थिति का और विस्तार किया और अफ़ीम व्यापार को वैध बना दिया।

ऐतिहासिक एजेंट के रूप में अफ़ीम:

- अफ़ीम युद्धों ने एशिया में उपनिवेशवाद का प्रतीक बना दिया, जिससे भारतीय श्रम और चीनी संयम की कीमत पर उपनिवेशवादियों को भारी मुनाफा हुआ।
- दुनिया भर में ओपिओइड संकट सामाजिक वर्गों को पार करने की अफ़ीम की क्षमता को दर्शाता है, जिससे यह दुखद परिणामों के साथ एक ऐतिहासिक शक्ति बन गई है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय समाज

1. मॉब लिंचिंग

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई 2018 के फैसले के बाद से लिंचिंग की घटनाओं को संबोधित करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाइयों का आकलन करने का फैसला किया है, जिसमें इन कृत्यों को भीड़तंत्र के रूप में निंदा की गई है। अदालत ने राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं से संबंधित दर्ज की गई शिकायतों, दर्ज की गई एफआईआर और अदालती कार्यवाही पर वर्ष-वार डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

मॉब लिंचिंग: एक पृष्ठभूमिकर्ता

- 2018 सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सतर्कता, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा और घृणा अपराधों के बढ़ते मुद्दों को संबोधित किया।
- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों या मुख्य समूहों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकें, इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को सतर्कता का सहारा लेने के बजाय पुलिस को कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार है।
- अदालत ने घोषणा की कि लिंचिंग कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती है, जिससे समाज में अराजकता और हिंसा फैलती है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को गौरक्षकों सहित अन्य सतर्कताओं को होने से रोकना चाहिए। सतर्कता की कार्रवाइयां राज्य की कानूनी संस्थाओं को नष्ट करती हैं और संवैधानिक व्यवस्था को बाधित करती हैं।
- अदालत ने भीड़ हिंसा की घटनाओं के कारण बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ते ध्रुवीकरण पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतें देश में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं बननी चाहिए।
- अदालत ने लिंचिंग और भीड़ की हिंसा से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला, जो असहिष्णुता, गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार से प्रभावित होकर व्यापक घटनाओं में बदल सकती है।

निवारक और उपचारात्मक उपायों के लिए निर्देश:

- राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
- राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां भीड़ द्वारा हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की घटनाएं हुई हैं।

- पुलिस अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 129 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करके भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए, और आईपीसी की धारा 153 ए के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।
- नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अपराधों की जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकारों को सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357A के अनुरूप लिंचिंग और भीड़ हिंसा पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवजा योजना स्थापित करनी चाहिए।
- विशेष नामित अदालतों या फास्ट-ट्रैक अदालतों को प्रत्येक जिले में लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मामलों को संभालना चाहिए।

राज्य सरकारों को निर्देश:

- जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं पर व्यापक डेटा संकलित करने का निर्देश दिया है।
- डेटा में दर्ज की गई शिकायतों, दर्ज की गई एफआईआर और अदालतों में जमा किए गए चालान की जानकारी शामिल होनी चाहिए, जिसमें हर साल हुई प्रगति पर प्रकाश डाला जाए।
- अदालत ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय तहसीन पूनावाला मामले में अदालत के 2018 के फैसले के जवाब में किए गए उपायों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के संबंधित विभाग प्रमुखों के साथ बैठकें करे।
- अदालत ने पहले नफरत भरे भाषणों, भीड़ हिंसा और लिंचिंग पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्यों द्वारा विशेष कार्य बलों के गठन का निर्देश दिया था।

निष्कर्ष:

मॉब लिंचिंग के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी इस मुद्दे को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डेटा के समेकन का निर्देश देकर और 2018 के फैसले के अनुपालन का आग्रह करके, अदालत का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना है। इन उपायों का उद्देश्य सतर्कता पर अंकुश लगाना, कानून के शासन की रक्षा करना और भीड़ हिंसा और लिंचिंग के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

2. हाथ से मैला ढोना

संदर्भ: सामाजिक न्याय मंत्रालय ने खुलासा किया कि जहां 530 जिलों ने खुद को मैला ढोने से मुक्त बताया है, वहीं बड़ी संख्या में जिलों ने अभी भी ऐसा नहीं किया है।

भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा:

- मैनुअल स्केवेंजिंग सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल को हाथ से निकालने की प्रथा है।
- भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
- यह अधिनियम मानव मल को उसके निपटान तक मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या किसी भी तरीके से संभालने के लिए किसी भी व्यक्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- 2013 में, मैनुअल स्कैवेंजर्स की परिभाषा को भी व्यापक किया गया था, जिसमें सेप्टिक टैंक, खाई या रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए नियोजित लोगों को भी शामिल किया गया था।
- यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "अमानवीय प्रथा" के रूप में मान्यता देता है और "हाथ से मैला ढोने वालों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को सुधारने" की आवश्यकता का हवाला देता है।

इसके बने रहने के कारण:

- हाथ से मैला ढोने का काम अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों द्वारा किया जाता है जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे वे शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- अधिनियम का कमजोर कार्यान्वयन और अकुशल मजदूरों का शोषण हाथ से मैला ढोने की प्रथा को जारी रखने में योगदान देता है।
- सीवरों में स्वचालित सफाई विधियों को अपनाने की उच्च लागत नगरपालिका अधिकारियों के लिए एक बाधा है।
- ठेकेदार इस प्रथा को कायम रखते हुए कम वेतन पर काम करने के इच्छुक अकुशल मजदूरों को अवैध रूप से नियोजित करते हैं।
- यह प्रथा मौजूदा जाति पदानुक्रम द्वारा प्रबलित है, जिसमें अधिकांश मैनुअल मैला ढोने वाले निचली जातियों से संबंधित हैं।

Various Policy Initiatives:

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020: प्रस्तावित संशोधन सीवर सफाई को मशीनीकृत करने, साइट पर सुरक्षा प्रदान करने और सीवर से संबंधित मौतों के मामले में मुआवजे की पेशकश करने का प्रावधान करता है।

मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: यह अधिनियम शुष्क शौचालय निषेधों से आगे जाता है और अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढों में सभी प्रकार के मलमूत्र की सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।

राष्ट्रीय गरिमा अभियान: 2012 में शुरू की गई "मैला मुक्ति यात्रा" का उद्देश्य भोपाल से शुरू होकर देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना है।

अत्याचार निवारण अधिनियम: यह अधिनियम सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के हैं।

मुआवजा: पीईएमएसआर (**PEMSR**) अधिनियम और सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीड़ित परिवारों के लिए **10** लाख रुपये का मुआवजा अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK): भारत में कचरा एकत्र करने वालों की स्थितियों की जांच करके, एनसीएसके (NCSK) सरकार को सिफारिशें प्रदान करता है।

नमस्ते योजना: नमस्ते योजना का उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ाना है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त जिलों की लंबित घोषणा वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश:

- जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से हैं, जहां अभी तक खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित करने वाले जिलों की संख्या सबसे अधिक है।
- जबकि बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त जिलों की 100% घोषणा हासिल कर ली है, कई अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने केवल 15% से 20% जिलों को इस प्रथा से मुक्त बताया है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- सार्वजनिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा हाथ से मैला ढोने वालों की संलिप्तता के खिलाफ नियमित सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
- आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों के लिए हाथ से मैला ढोने वालों की उचित पहचान और क्षमता निर्माण होना चाहिए।
- हाथ से मैला ढोने वालों की कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

Ojaank Gurukul Campus in Noida

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. यूक्लिड मिशन

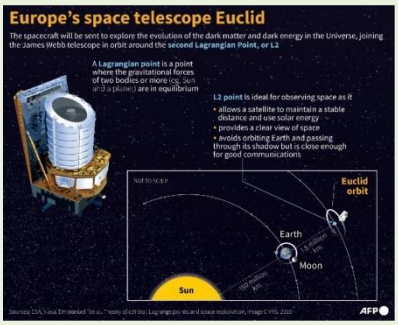

संदर्भ: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के साथ एक असाधारण मिशन शुरू कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य अरबों आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करना है, जिससे ब्रह्मांड के विकास के साथ-साथ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सके।

यूक्लिड मिशन क्या है?

- यूक्लिड मिशन का प्राथमिक लक्ष्य डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करना है, जो मिलकर ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।
- आकाशगंगाओं के वितरण और विकास का मानचित्रण करके, यूक्लिड का लक्ष्य ब्रह्मांड को आकार देने वाली मूलभूत शक्तियों पर प्रकाश डालना है।

मिशन का दायरा और अवधि:

- यूक्लिड एक अंतरिक्ष-आधारित मिशन है, जो एक परिष्कृत दूरबीन और अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है।
- मिशन का नाममात्र परिचालन जीवनकाल 6 वर्ष होने की उम्मीद है, जिसके दौरान यह आकाश का व्यापक सर्वेक्षण करेगा।

प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यान:

- यूक्लिड को 1 जुलाई, 2023 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
- अंतरिक्ष यान में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है जिसे विभिन्न तरंग दैर्ध्य में आकाशगंगाओं का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जांच:

- 1998 में खोजी गई डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड के विस्तार के अप्रत्याशित त्वरण की व्याख्या करती है।
- यूक्लिड के मिशन का लक्ष्य इस त्वरण का अधिक सटीक माप प्रदान करना है, जिससे संभावित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांडीय इतिहास में विविधताओं को उजागर किया जा सके।
- डार्क मैटर, आकाशगंगाओं और समूहों पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से अनुमानित है, उनकी अखंडता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप:

- यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 1.2-मीटर प्राथमिक दर्पण से सुसज्जित है, जो इसे आकाशगंगाओं के विस्तृत अवलोकन को कैप्चर करने की अनुमति देता है।
- इसमें दो मुख्य वैज्ञानिक उपकरण हैं: दृश्य-तरंग दैर्ध्य कैमरा (VIS) और निकट-अवरक्त कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर (NISP)।

दृश्य-तरंगदैर्ध्य कैमरा (VIS):

VIS उपकरण दृश्य प्रकाश में छवियों को कैप्चर करेगा, जिससे आकाशगंगाओं के आकार, आकार और रूपात्मक गुणों का अध्ययन किया जा सकेगा।

नियर-इन्फ्रारेड कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर (NISP):

- NISP निकट-अवरक्त रेंज में आकाशगंगाओं का निरीक्षण करेगा, उनकी दूरी, रेडशिफ्ट और क्लस्टरिंग गुणों पर आवश्यक डेटा प्रदान करेगा।
- विभिन्न ब्रह्मांडीय युगों में आकाशगंगाओं के वितरण को मापकर, NISP बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडीय संरचनाओं के अध्ययन में सहायता करेगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

2. न्यूट्रीनो

संदर्भ: आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, अमुंडसेन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पर स्थित एक गीगाटन डिटेक्टर, ने न्यूट्रिनो का उपयोग करके आकाशगंगा की एक छवि बनाकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। न्यूट्रिनो सूक्ष्म कण हैं और भूत जैसे खगोलीय दूत के रूप में काम करते हैं।

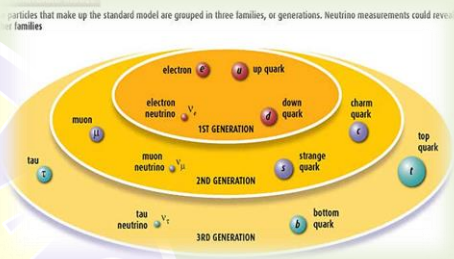

आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला:

- आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला एक अद्वितीय डिटेक्टर है जो 5,000 से अधिक प्रकाश सेंसर के साथ अंटार्कटिक बर्फ के एक घन किलोमीटर को घेरता है।
- यह उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाता है, जिसमें तारकीय संलयन प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में लाखों से अरबों गुना अधिक ऊर्जा होती है।

न्यूट्रिनो क्या हैं?

- कण भौतिकी के मानक मॉडल में न्यूट्रिनो मौलिक कण हैं।
- वे लेप्टान नामक प्राथमिक कणों के परिवार से संबंधित हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन भी शामिल हैं।
- न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत कम होता है, और वे पदार्थ के साथ बहुत कमजोर तरीके से संपर्क करते हैं, जिससे उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

न्यूट्रिनो के गुण:

बिजली का आवेश	विद्युतीय रूप से तटस्थ
द्रव्यमान	अत्यंत कम (सटीक द्रव्यमान ज्ञात नहीं)
स्वाद	इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो
इंटरैक्शन	कमजोर इंटरेक्शन
गति	प्रकाश की गति के निकट
घुमाना	फर्मियन, अर्ध-पूर्णांक स्पिन
न्यूट्रिनो दोलन	यात्रा के दौरान न्यूट्रिनो का स्वाद बदल जाता है
इंटरैक्शन	पदार्थ के साथ बहुत कमजोर अंतःक्रिया
प्रचुरता	ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर कणों में से एक
लौकिक संदेशवाहक	दूर के ब्रह्मांडीय स्रोतों से जानकारी ले जा सकते हैं

आकाशगंगा से न्यूट्रिनो उत्सर्जन:

- आइसक्यूब सहयोग के शोध से आकाशगंगा से उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो उत्सर्जन के साक्ष्य का पता चलता है।
- यह उत्सर्जन, प्रकाश के विपरीत, शोधकर्ताओं को हमारी आकाशगंगा के भीतर आस-पास के स्रोतों से परे ब्रह्मांड का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।
- आकाशगंगा के आकाशगंगा तल से न्यूट्रिनो का पता लगाना ब्रह्मांडीय किरणों और उच्च-ऊर्जा कणों के स्रोत के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करता है।

चुनौतियाँ और सफलताएँ:

- आकाशगंगा के दक्षिणी आकाश से न्यूट्रिनो का पता लगाने में पृथ्वी के वायुमंडल के साथ कॉस्मिक-किरण अंतःक्रिया के पृष्ठभूमि हस्तक्षेप के कारण चुनौतियाँ सामने आईं।
- आइसक्यूब शोधकर्ताओं ने न्यूट्रिनो घटनाओं की पहचान और विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सहित उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीक विकसित की है।
- इन विधियों ने न्यूट्रिनो कैस्केड की पहचान में सुधार किया और ऊर्जा और दिशा पुनर्निर्माण की सटीकता को बढ़ाया।

निहितार्थ और भविष्य की संभावनाएँ:

- अध्ययन में दस साल के आइसक्यूब डेटा से 60,000 न्यूट्रिनो का उपयोग किया गया, जो पिछले अध्ययनों की तुलना में अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
- अनुसंधान उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो के स्रोत के रूप में आकाशगंगा की पुष्टि करता है, जिससे आकाशगंगा के भीतर विशिष्ट स्रोतों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा सकेगी।
- न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान प्रकाश का उपयोग करके पारंपरिक अवलोकनों को पूरक करते हुए, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

स्रोत: द हिंदू

3. एस्पार्टेम (Aspartame)

संदर्भ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की कैंसर अनुसंधान शाखा कथित तौर पर एस्पार्टेम, एक लोकप्रिय चीनी विकल्प 'एस्पार्टेम' को "संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी" के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) की इस संभावित सूची ने विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि यह पिछले अध्ययनों का खंडन करता है जिसमें एस्पार्टेम को कैंसर से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला था।

एस्पार्टेम क्या है?

- एस्पार्टेम का व्यापक रूप से विभिन्न खाद्य और पेय उत्पादों में कृत्रिम स्वीटनर के रूप में उपयोग किया जाता है।
- यह दो अमीनो एसिड, एल-एसपारटिक एसिड और एल-फेनिलएलनिन के डाइपेप्टाइड से बना है।
- यह टेबल शुगर से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है और आमतौर पर आहार शीतल पेय, शुगर-फ्री गम और अन्य शुगर-फ्री उत्पादों में उपयोग किया जाता है।

- यह उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो कैलोरी का सेवन कम करना चाहते हैं या मधुमेह का प्रबंधन करना चाहते हैं।

सुरक्षा रिकॉर्ड और विनियामक स्वीकृतियाँ:

- एस्पार्टेम पर 40 वर्षों में व्यापक अध्ययन किया गया है, 100 से अधिक अध्ययनों में इसके सेवन से होने वाले नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला है।
- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 1981 से भोजन में इसके उपयोग की अनुमति दी है, और सुरक्षा के लिए इसकी कई बार समीक्षा की गई है।
- यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA), साथ ही विभिन्न देशों में राष्ट्रीय नियामक भी एस्पार्टेम को उपभोग के लिए सुरक्षित मानते हैं।
- हालाँकि, फेनिलकेटोनुरिया (PKU), एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार वाले व्यक्तियों को फेनिलएलनिन की उपस्थिति के कारण एस्पार्टेम से बचना चाहिए।

WHO की लिस्टिंग के विवाद और प्रभाव:

- पिछले IARC फैसलों ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं, मुकदमों का कारण बना है, और सार्वजनिक भ्रम के कारण निर्माताओं को विकल्प तलाशने के लिए प्रभावित किया है।
- IARC द्वारा एस्पार्टेम को "संभवतः कैंसरकारी" के रूप में सूचीबद्ध करना इसकी सुरक्षा पर पिछली वैज्ञानिक सहमति का खंडन करता है।
- आलोचकों का तर्क है कि IARC आकलन जनता को भ्रमित करने वाला हो सकता है और अनावश्यक भय और गलत सूचना पैदा कर सकता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

4. गहरे समुद्र में खनन

संदर्भ: इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) गहरे समुद्र में खनन पर बातचीत फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातु निकालना शामिल है। इन वार्ताओं ने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और आवासों पर संभावित प्रभावों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे नियमों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

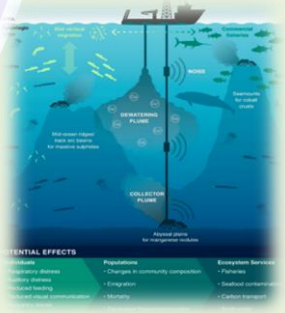

अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण

- ISA एक जमैका-आधारित संगठन है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है।
- प्राधिकरण अपने 167 सदस्य देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के बाहर समुद्र तल पर अधिकार क्षेत्र रखता है।

गहरे समुद्र में खनन क्या है?

- गहरे समुद्र में खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्र तल से खनिज भंडार और धातुओं को निकालना शामिल है।
- ये भंडार निकल, दुर्लभ पृथ्वी और कोबाल्ट जैसी सामग्रियों से समृद्ध हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सेलफोन और कंप्यूटर जैसे रोजमर्रा के उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे खनन के प्रकारों में शामिल हैं-

- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल संग्रह: समुद्र तल से जमा-समृद्ध नोड्यूल का संचयन।
- समुद्र तल सल्फाइड खनन: समुद्र तल सल्फाइड के विशाल भंडार से खनिज निकालना।
- कोबाल्ट क्रस्ट स्ट्रिपिंग: समुद्र तल पर चट्टानों से कोबाल्ट क्रस्ट को हटाना।

खनन प्रौद्योगिकी का विकास:

- कंपनियाँ समुद्र तल से सामग्री को वैक्यूम करने के लिए बड़े पंपों के उपयोग की खोज कर रही हैं।
- गहरे समुद्र में रोबोटों को नोड्यूल एकत्र करने का तरीका सिखाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तकनीक विकसित करना।
- पानी के नीचे के पहाड़ों और ज्वालामुखियों से सामग्री निकालने के लिए उन्नत मशीनों का उपयोग करना।

रणनीतिक महत्व:

- गहरे समुद्र में खनन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है क्योंकि तटवर्ती भंडार कम हो जाते हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी प्रगति पर बढ़ती निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की अत्यधिक मांग है।

यूएनसीएलओएस (UNCLOS) और अन्वेषण लाइसेंस:

- देश अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर शासन करते हैं, जबकि ऊंचे समुद्र यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- समुद्र तल और उसके खनिज संसाधनों को वैश्विक संपत्ति माना जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- खनन कंपनियाँ क्लेरियन-क्लिपरटन फ्रैक्चर ज़ोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्वेषण लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए देशों के साथ सहयोग करती हैं।

विनियम स्थापित करने का दबाव:

- 2021 में, नाउरू और नाउरू ओशन रिसोर्सेज इंक ने खनिजों के दोहन के लिए आवेदन किया, जिससे एक ऐसा खंड शुरू हो गया जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) को जुलाई 2023 तक नियम स्थापित करने की आवश्यकता है।
- संभावित पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावों को संबोधित करने और समुद्री आवासों की सुरक्षा के लिए व्यापक नियमों की आवश्यकता को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरणीय चिंता:

- गहरे समुद्र तल के केवल एक छोटे से हिस्से की खोज की गई है, जिससे खराब समझे जाने वाले समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- शोर, कंपन और प्रकाश प्रदूषण, साथ ही रसायनों का रिसाव और फैलाव समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- मूल्यवान सामग्रियों को निकालने के बाद स्लरी तलछट को वापस समुद्र में पंप करने से फिल्टर-फीडिंग प्रजातियों को नुकसान हो सकता है और पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- फ़्रांस, जर्मनी और प्रशांत द्वीप देशों सहित एक दर्जन से अधिक देश पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू होने तक प्रतिबंध या स्थगन की वकालत करते हैं।

- खनन के संभावित प्रभावों को समझने के लिए गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक शोध महत्वपूर्ण है।
- प्रदूषण को कम करने, पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी को कम करने और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करने सहित जिम्मेदार खनन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

गहरे समुद्र में खनन अक्षय ऊर्जा और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मूल्यवान खनिजों को अनलॉक करने की क्षमता रखता है। हालाँकि, यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म देती है और नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के साथ संसाधन निष्कर्षण को संतुलित करने के लिए मजबूत नियमों की आवश्यकता होती है। टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक गहरे समुद्र में खनन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुसंधान, जिम्मेदार प्रथाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।

स्रोत: द हिंदू

5. गुरुत्वाकर्षण तरंग

संदर्भ: वैज्ञानिकों ने हाल ही में पूरे ब्रह्मांड में कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व का सुझाव देने वाले ठोस सबूत प्रस्तुत किए हैं। ये तरंगें, अंतरिक्ष-समय के ताने-बाने में तरंगें, विशाल वस्तुओं की गति, टकराव और विलय से निर्मित होती हैं।

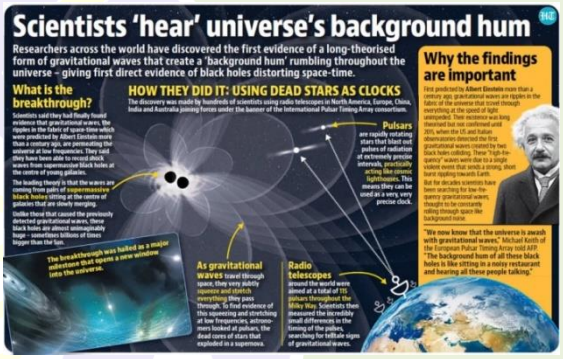

गुरुत्वीय तरंगें क्या हैं?

- 1915 में, आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण का एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तावित किया, इसे विशाल वस्तुओं के कारण अंतरिक्ष-समय की वक्रता के रूप में वर्णित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान वाली वस्तुएं आसपास के स्थान-समय को विकृत करती हैं, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है।
- जब विशाल वस्तुएं गति पकड़ती हैं या गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुभव करती हैं, तो वे तरंगों के रूप में फैलते हुए, अंतरिक्ष-समय सातत्य में गड़बड़ी पैदा करती हैं। ये तरंगें ऊर्जा को स्रोत से दूर ले जाती हैं और अंतरिक्ष-समय में खिंचाव और संपीड़न प्रभाव पैदा करती हैं।
- जबकि गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न होती हैं, वे कुछ मूलभूत विशेषताओं को साझा करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह, गुरुत्वाकर्षण तरंगों में तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आयाम जैसे गुण होते हैं।

पहचान और महत्व:

- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना एक जटिल वैज्ञानिक प्रयास है जिसके लिए संवेदनशील उपकरणों और सटीक माप की आवश्यकता होती है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला प्रत्यक्ष पता 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) डिटेक्टरों द्वारा लगाया गया था। इस खोज ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की और 2017 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अर्जित किया।

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक नया तरीका प्रदान करती हैं, जो विशाल वस्तुओं के व्यवहार और गुणों के साथ-साथ अंतरिक्ष और समय की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने ब्लैक होल की टक्कर, न्यूट्रॉन सितारों के विलय और संभावित अज्ञात घटनाओं जैसी प्रलयंकारी घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नई खिड़की खोल दी है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें वैज्ञानिकों को आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का परीक्षण और परिष्कृत करने, इसकी सीमाओं की जांच करने और आगे के वैज्ञानिक अन्वेषण के अवसर प्रदान करने की अनुमति देती हैं।

हालिया निर्णायक:

- अनुसंधान में इंडियन पल्सर टाइमिंग ऐरे (InPTA) सहित पांच अंतरराष्ट्रीय टीमों का सहयोग शामिल था, जो पुणे में एक सहित दुनिया भर में छह बड़े रेडियो दूरबीनों का उपयोग कर रही थी।
- कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए, वैज्ञानिकों ने पिछले अध्ययनों की तुलना में एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया।
- पल्सर, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, का अध्ययन किया गया क्योंकि वे सटीक ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में काम करते हैं।
- 15 वर्षों की अवधि में, शोधकर्ताओं ने 25 पल्सर का अवलोकन किया और उनके संकेतों के आगमन के समय में मामूली बदलाव की पहचान की। इन विचलनों को कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण अंतरिक्ष-समय में होने वाली विकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
- पहले से ज्ञात तरंगों के विपरीत, ये कम-आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंगें संभवतः विशाल ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न हुई थीं, जो हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं, जो आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं।

खोज का महत्व:

- वैज्ञानिक दशकों से कम-आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्मांड के भीतर एक सतत पृष्ठभूमि शोर मानते हुए।
- यह खोज ब्रह्मांड की प्रकृति और विकास के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करती है, जो विशाल ब्लैक होल के आसपास के वातावरण पर प्रकाश डालती है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड में एक नई खिड़की प्रदान करती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उन घटनाओं का पता लगाने में मदद मिलती है जो पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से पहुंच योग्य नहीं थीं।
- इन तरंगों का पता लगाने से ब्रह्मांड में वस्तुओं की बड़े पैमाने पर गति का प्रमाण मिलता है, जो गतिशीलता और बातचीत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

रहस्य को सुलझाना:

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें वैज्ञानिकों को ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी पहले से न देखी जा सकने वाली घटनाओं को समझने की अनुमति देती हैं।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगों का विश्लेषण आकाशगंगाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- आइंस्टीन के सिद्धांत ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी धारणा में क्रांति ला दी, उन्हें अंतरिक्ष-समय की अवधारणा में जोड़ दिया, जो पदार्थ से प्रभावित एक लचीला और संवादात्मक ताना-बाना है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने का एक साधन प्रदान करती हैं, जो आकाशगंगाओं के निर्माण, गुरुत्वाकर्षण संपर्क की प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सवालों का समाधान करती हैं।

स्रोत: द हिंदू

6. एनीमिया एवं मातृ स्वास्थ्य

संदर्भ: भारत में हाल की चर्चाओं ने हीमोग्लोबिन के स्तर के माप और प्रबंधन को लेकर बहस के साथ एनीमिया (Anaemia) को सबसे आगे ला दिया है। वुमन (WOMAN)-2 परीक्षण सहयोगियों ने द लैंसेट में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें प्रसवोत्तर रक्तस्राव में एनीमिया (Anaemia) के महत्व पर जोर दिया गया और भारत में सूचित नीतिगत निर्णय लेने का आह्वान किया गया। एनीमिया (Anaemia) दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करता है और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के मामलों में उच्च मृत्यु दर से जुड़ा है।

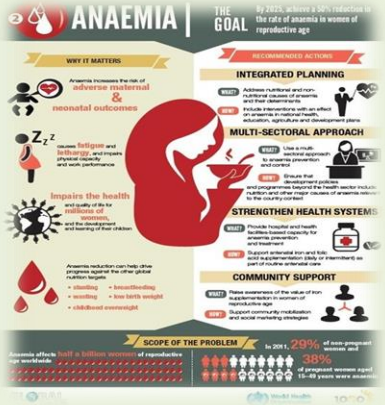

एनीमिया क्या है?

- एनीमिया(Anaemia) एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है।
- इस स्थिति के कारण ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की रक्त की क्षमता कम हो सकती है।
- एनीमिया (Anaemia) के लक्षण अंतर्निहित कारण और स्थिति की गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
- हालाँकि, एनीमिया के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:
- थकान और कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, तेज़ या अनियमित दिल की धड़कन, चक्कर आना और चक्कर आना, ठंडे हाथ और पैर, सिरदर्द

एनीमिया (Anaemia) मातृ जोखिमों से कैसे जुड़ा है?

- गर्भावस्था के दौरान एनीमिया (Anaemia) के कारण समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और मातृ मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- एनीमिया (Anaemia) के कारण थकावट हो सकती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए शारीरिक मांगों को संभालना कठिन हो जाता है।
- एनीमिया (Anaemia) एक खतरनाक स्थिति, प्रीक्लेम्पसिया विकसित होने की अधिक संभावना से जुड़ा हुआ है।
- एनीमिया (Anaemia) के कारण बच्चे के जन्म के बाद अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है।
- एनीमिया (Anaemia) प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे गर्भवती महिलाएं संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- गर्भावस्था के दौरान आम तौर पर, यह मातृ एवं भ्रूण के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

एनीमिया (Anaemia) और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के बीच संबंध:

- दुनिया भर में प्रजनन आयु की आधा अरब से अधिक महिलाएं एनीमिया (Anaemia) से पीड़ित हैं।
- एनीमिया (Anaemia) के कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, जो विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
- परीक्षण में पाकिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया और जाम्बिया की महिलाओं में जन्म से पहले हीमोग्लोबिन के स्तर और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के जोखिम के बीच संबंध की जांच की गई।

WOMAN-2 परीक्षण के निष्कर्ष:

- कम हीमोग्लोबिन का स्तर सीधे तौर पर बढ़े हुए रक्त हानि और नैदानिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव से जुड़ा था।
- एनीमिया (Anaemia) से पीड़ित महिलाओं में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कम रक्त हानि के बाद झटका लगता है।
- मध्यम एनीमिया (Anaemia) की तुलना में गंभीर एनीमिया मृत्यु की उच्च संभावना या लगभग छूटने वाली घटनाओं से जुड़ा था।

सिफ़ारिशें और रोकथाम रणनीतियाँ:

- प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम और उपचार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- भारत सरकार विशेषकर किशोरियों में एनीमिया(Anaemia) को दूर करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की खुराक उपलब्ध कराती है।
- भारत में एनीमिया (Anaemia) के बढ़ते स्तर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक गहन सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सटीक हीमोग्लोबिन माप के लिए रक्त निकालने के संबंध में सांस्कृतिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं पर विचार करना चाहिए।
- एनीमिया (Anaemia)रोकथाम पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की व्यापक समझ महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

- वुमन (Woman)-2 परीक्षण प्रसवोत्तर रक्तस्राव में एनीमिया के महत्व पर प्रकाश डालता है, भारत में नीति निर्माताओं से एनीमिया प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों का उपयोग करने का आग्रह करता है।
- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को एनीमिया के बढ़ते स्तर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रोकथाम, उपचार और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- आउटरीच कार्यक्रम डिज़ाइन करते समय सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि लक्षित आबादी द्वारा उनकी प्रासंगिकता और स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत: द हिंदू

7. लेप्टोस्पाइरोसिस (Leptospirosis)

सन्दर्भ: लेप्टोस्पायरोसिस आज विश्व में एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग बनकर उभरा है। यह एक संभावित घातक ज़ूनोटिक जीवाणु रोग है जिसका भारी वर्षा या बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर प्रकोप होता है।

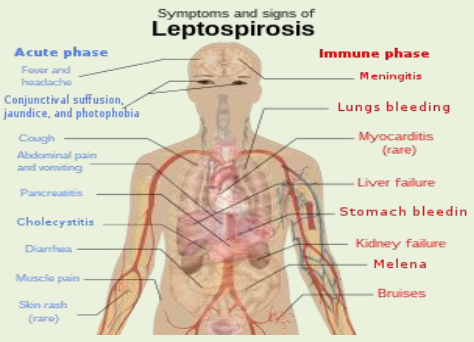

लेप्टोस्पायरोसिस क्या है?

- लेप्टोस्पायरोसिस एक ज़ूनोटिक जीवाणु रोग है जो विशेष रूप से भारी वर्षा या बाढ़ के बाद एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है।
- यह उच्च मृत्यु दर के साथ प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करता है और भविष्य में इसका बोझ बढ़ने की आशंका है।
- यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंटररोगन्स जीवाणु के कारण होता है, जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।

रोग संचरण और जोखिम कारक:

- लेप्टोस्पाइरा संक्रमित जानवरों के मूत्र में बहता है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होता है।
- कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते सहित जंगली और घरेलू दोनों जानवर इस बीमारी को फैला सकते हैं।
- जानवरों के मूत्र के सीधे संपर्क या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित मिट्टी और पानी के संपर्क में आने से खतरा पैदा होता है।
- कृषि श्रमिकों, पशु संचालकों और स्वच्छता सेवाओं से जुड़े लोगों को खतरा बढ़ गया है।
- दूषित झीलों और नदियों में जल-आधारित गतिविधियों में शामिल होने से भी खतरा बढ़ सकता है।

लक्षण और गलत निदान:

- लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण हल्के फ्लू जैसी बीमारी से लेकर कई अंगों को प्रभावित करने वाली जीवन-घातक स्थितियों तक भिन्न होते हैं।
- लक्षण डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसी अन्य बीमारियों की नकल करते हैं, जिससे कम रिपोर्टिंग और सीमित जागरूकता होती है।
- विश्वसनीय निदान उपकरणों की कमी रोग का सटीक पता लगाने में बाधा डालती है।
- पर्यावरण की अपर्याप्त निगरानी बीमारी के बोझ को कम आंकने में योगदान करती है।

भ्रांतियाँ और निवारक उपाय:

- चूहे ही एकमात्र कारण नहीं हैं; विभिन्न जानवर जलाशय मेजबान के रूप में कार्य करते हैं।
- नमी और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं से जोखिम का खतरा बढ़ जाता है।
- खराब अपशिष्ट प्रबंधन, आवारा जानवरों का उच्च घनत्व और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं इस बीमारी को फैलाने में योगदान करती हैं।
- मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को शामिल करते हुए 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है।
- जानवरों के साथ या बाढ़ वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दस्ताने और जूते का उपयोग करना चाहिए।
- पशुओं को साफ-सुथरा रखने की स्थिति सुनिश्चित करने से लेप्टोस्पायरोसिस संचरण का खतरा कम हो जाता है।
- उचित स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना, बीमारी के बारे में शिक्षित करना और स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करना आवश्यक निवारक उपाय हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

8. रोगाणुरोधक प्रतिरोध (AMR)

संदर्भ: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को आज वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अशुभ खतरों में से एक माना जाता है। एएमआर के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए एक सामूहिक और व्यापक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है और रोकथाम, नियंत्रण और निगरानी प्रयासों में विभिन्न हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

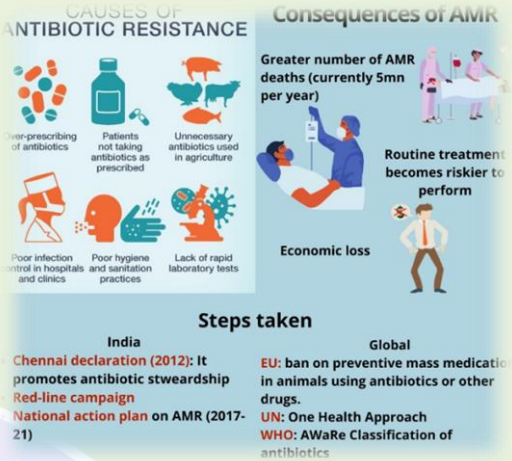

परिभाषा:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मतलब है कि कुछ दवाएं जो कभी बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवियों के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज में प्रभावी थीं, अब काम नहीं करतीं क्योंकि रोगजनक उनके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं।
- सरल शब्दों में, यह तब होता है जब हमें बीमार करने वाले रोगाणु उन दवाओं के प्रति "प्रतिरक्षित" हो जाते हैं जिनका उपयोग हम उनके इलाज के लिए करते हैं।

एएमआर (AMR) की व्यापकता:

- हालिया अनुमानों के अनुसार, 2019 में वैश्विक स्तर पर 1.27 मिलियन मौतों का सीधा कारण दवा-प्रतिरोधी संक्रमण था। 2050 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन तक मौतें हो सकती हैं।
- अगर अनियंत्रित रहा, तो एएमआर सालाना सकल घरेलू उत्पाद में 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती कर सकता है और अगले दशक में 24 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकता है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के 2022 के एक अध्ययन से पता चला है कि व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधकों के प्रति प्रतिरोध हर साल 5% से 10% तक बढ़ जाता है।

एएमआर (AMR): वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय

- बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों सहित रोगजनकों के कारण होने वाले संक्रमण में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध तेजी से विकसित हो रहा है, जिसका प्रभावी ढंग से इलाज करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
- एएमआर (AMR) उपचार विफलताओं का कारण बन सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक दवाएं अब प्रतिरोधी उपभेदों के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकती हैं।
- एएमआर (AMR) उपचार की जटिलता और लागत को बढ़ाता है, अस्पताल में लंबे समय तक रहना पड़ता है, और मजबूत और अधिक महंगी दवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। दवा-प्रतिरोधी रोगजनकों के कारण होने वाले स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण एक विशेष चिंता का विषय हैं।
- हाल के वर्षों में नई रोगाणुरोधी दवाओं का विकास धीमा हो गया है। प्रतिरोध के कारण प्रभावशीलता खो रहे उपचारों को प्रतिस्थापित करने के लिए नए प्रभावी उपचारों की कमी है।
- एएमआर (AMR) एक वैश्विक मुद्दा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रतिरोधी रोगज़नक़ यात्रा और व्यापार के माध्यम से देशों के बीच फैल सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।

एएमआर (AMR) रोकथाम और राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का वर्तमान परिदृश्य:

- पिछले दस वर्षों में, एएमआर की रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिक्रिया अधिकांश राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे डब्ल्यूएचओ (WHO), एफएओ (FAO), ओआईई (OIE), स्वास्थ्य देखभाल समुदायों और नागरिक समाज आदि के लिए उच्च प्राथमिकता रही है।
- 2015 में, WHO ने AMR पर ग्लोबल एक्शन प्लान (GAP) लॉन्च किया, जो देशों को अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है।

अब तक कई देशों द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

- भारत के एनएपी (NAP) को 2017 में मंजूरी दी गई थी। यह समझा जाता है कि अब एनएपी 2.0 की परिकल्पना की गई है।
- भारत की अध्यक्षता में जी20 स्वास्थ्य एजेंडे में एएमआर एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

एएमआर से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना:

- भारत का एनएपी (NAP) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा समन्वित कार्रवाई पर जोर देता है। इसमें संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- यह योजना स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, नीति निर्माताओं और आम जनता को जिम्मेदार रोगाणुरोधी उपयोग और एएमआर (AMR)रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए वकालत और जागरूकता निर्माण गतिविधियों पर केंद्रित है।
- भारत का एनएपी (NAP) रोगाणुरोधकों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समुदायों को शामिल करने और सशक्त बनाने पर जोर देता है।
- एनएपी (NAP) एएमआर (AMR) के प्रसार को कम करने के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों पर जोर देता है। इसमें उचित स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल लागू करना शामिल है।

एएमआर से निपटने के लिए ठोस, संयुक्त प्रयास की आवश्यकता:

- एएमआर (AMR) को मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के अंतर्संबंध को पहचानते हुए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एएमआर (AMR)से व्यापक रूप से निपटने के लिए मानव और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों, कृषि, पर्यावरण एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
- भोजन, पेयजल और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को एएमआर (AMR) को संबोधित करने में समान स्वामित्व साझा करना चाहिए। पशुपालन और मुर्गीपालन जैसे गैर-मानव उपभोग क्षेत्रों में एंटीबायोटिक पहुंच और उपयोग को विनियमित करना महत्वपूर्ण है।
- संक्रमण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन, फार्मेसियों का विनियमन, सीवेज और फार्मास्युटिकल अपशिष्टों का उपचार और एएमआर निगरानी मुख्य रूप से राज्य स्तर पर लागू की जाती है।
- एंटीबायोटिक्स विनिर्माण इकाइयों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित अनुपचारित अपशिष्ट जल और अपशिष्टों द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। एएमआर से निपटने के लिए प्रभावी स्वच्छता और अपशिष्ट उपचार बुनियादी ढाँचा आवश्यक है।

इससे ज्यादा और क्या?

- नई एंटीबायोटिक दवाओं और नए रोगाणुरोधकों की खोज और व्यावसायीकरण के लिए युद्ध स्तर पर समानांतर प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सोशल मीडिया और इसके असंख्य प्लेटफार्मों ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। हमारे मन और व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। हम
- हमारे दिमाग और व्यवहार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एएमआर के संदेश को फैलाने के लिए सोशल मीडिया और इसके कई प्लेटफार्मों का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- इसका उद्देश्य रोगाणुरोधी दवाओं के तर्कसंगत और सही उपयोग के लिए समुदाय में जागरूकता पैदा करना होना चाहिए।

निष्कर्ष:

- एएमआर (AMR) की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए सामूहिक और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। नए निदान, वैकल्पिक उपचार और प्रौद्योगिकी-संचालित हस्तक्षेप जैसे नए समाधानों को अपनाना आवश्यक है। इन उपायों को अपनाकर, हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, आर्थिक बोझ कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

9. चंद्रयान-3 मिशन

संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन चंद्रयान 2 का अनुसरण करता है, जिसे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सितंबर 2019 में चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

चंद्रयान-3: मिशन विवरण और लैंडिंग

- चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क III (जीएसएलवी एमके III) रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा।
- अंतरिक्ष यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की उम्मीद है।
- चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस तक काम करेगा, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है।

चंद्र दक्षिणी ध्रुव का महत्व:

- विशाल द्रव्यमान और स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों की उपस्थिति के कारण चंद्र दक्षिणी ध्रुव एक आकर्षक स्थान है, जिसमें अस्थिर यौगिक और जल-बर्फ जमा हो सकते हैं।
- दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन की उम्र और प्रभाव पिघलने का अध्ययन ग्रहों के निर्माण में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
- दक्षिणी ध्रुव पर अस्थिर जमा भविष्य की खोज और खगोल विज्ञान जांच के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम कर सकता है।
- ध्रुव के पास की कुछ पर्वत चोटियाँ लंबे समय तक सूर्य की रोशनी प्राप्त करती हैं, जिससे वे निरंतर सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए संभावित स्थल बन जाते हैं।
- दक्षिणी ध्रुव के गड्ढों में प्रारंभिक सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड हो सकता है, जो बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है।

उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव को चुनना:

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ा छायादार क्षेत्र, जो स्थायी अंधकार में रहता है, इसे अप्रकाशित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाता है।
- दक्षिणी ध्रुव ऐटकेन बेसिन के किनारे पर स्थित है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्रभाव बेसिन है।
- नासा का चंद्र टोही ऑर्बिटर दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर डेटा एकत्र करता है, जिससे क्षेत्र की वैज्ञानिक समझ बढ़ती है।
- चंद्रमा के लंबे घूर्णन चक्र (लगभग 30 दिन) के परिणामस्वरूप दिन और रात की लंबी अवधि होती है, जिससे दक्षिणी ध्रुव अधिक सुलभ हो जाता है।

प्रक्षेपवक्र और लैंडिंग प्रक्रिया:

- चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के समान प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगा, चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए एक प्रणोदन मॉड्यूल का उपयोग करेगा।
- एक बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के भीतर, मॉड्यूल खुद को 100 x 100 किमी की गोलाकार कक्षा में ले जाएगा। इसके बाद लैंडर अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा।

वैज्ञानिक पेलोड:

- लैंडर, जिसका नाम 'विक्रम' है, चंद्रमा की सतह के तापमान और भूमिगत विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए चार वैज्ञानिक पेलोड तैनात करेगा।
- रोवर, जिसका नाम 'प्रज्ञान' है, चंद्रमा की सतह के चारों ओर घूमते समय रासायनिक और दृश्य परीक्षण करेगा।

चंद्रयान 3 के उद्देश्य:

- चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना है।
- यह मिशन चंद्रमा की सतह को पार करने की रोवर की क्षमता का प्रदर्शन करेगा।
- चंद्रयान 3 चंद्रमा पर इन-सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा।

विकास और विलंब:

- चंद्रयान 3 का विकास चरण जनवरी 2020 में शुरू हुआ, जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष यान के डिजाइन और संयोजन पर काम कर रहे थे।

- COVID-19 महामारी के कारण प्रणोदन प्रणालियों के निर्माण और परीक्षण में देरी हुई।
- शुरुआत में 2021 की शुरुआत में लॉन्च की योजना बनाई गई थी, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान अब जुलाई 2023 में लॉन्च करने के लिए तैयार है।

चंद्रयान 3 का महत्व:

- चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है।
- हाल के वर्षों में, चंद्रयान-1 द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज के बाद चंद्रमा की खोज में नए सिरे से रुचि बढ़ी है।

निष्कर्ष:

- चंद्रयान 3 चंद्रमा का पता लगाने और सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के भारत के निरंतर प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।
- मिशन की सफलता वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देगी और चंद्र सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएगी।
- जैसा कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य के चंद्र अभियानों की योजना बना रही हैं, पांच दशकों से अधिक समय के बाद चंद्रमा पर मानवता की वापसी आसन्न लगती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

10. स्कॉर्पीन पनडुब्बियां

संदर्भ: तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीद (भारतीय) श्रेणी के तहत खरीदी जाएंगी। मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) पनडुब्बियों का निर्माण करेगी।

स्कॉर्पीन पनडुब्बियां और प्रोजेक्ट-75:

- एमडीएल (MDL) पहले से ही फ्रांसीसी रक्षा फर्म से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ, प्रोजेक्ट-75 के तहत छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।
- छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में से पांच का जलावतरण हो चुका है, अंतिम पनडुब्बी के अगले साल की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है।
- प्रोजेक्ट-75 को काफी देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली पनडुब्बी की डिलीवरी मूल रूप से 2012 में निर्धारित की गई थी।

अतिरिक्त पनडुब्बियों की आवश्यकता:

- प्रोजेक्ट-75 के तहत विलंबित डिलीवरी की भरपाई करने और भारत के पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद आवश्यक है।
- भारतीय नौसेना वर्तमान में 16 पारंपरिक पनडुब्बियों का संचालन करती है, लेकिन इसे अपने संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को चलाने के लिए न्यूनतम 18 पनडुब्बियों की आवश्यकता है।
- किसी भी समय लगभग 30% पनडुब्बियों की मरम्मत की जाती है, जिससे परिचालन पनडुब्बियों की संख्या में और कमी आती है।
- उच्च स्वदेशी सामग्री वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और एमडीएल की पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी।

स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की क्षमताएं:

- स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को दुश्मन के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और डुबाने के लिए पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियों के रूप में डिजाइन किया गया है।
- वे विभिन्न प्रकार के टॉरपीडो और मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं, जो निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली प्रणालियों से लैस हैं।
- स्कॉर्पीन पनडुब्बियां लगभग 220 फीट लंबी और ऊंचाई लगभग 40 फीट होती हैं। सतह पर आने पर उनकी अधिकतम गति 11 समुद्री मील और पानी में डूबने पर 20 समुद्री मील होती है।
- ये पनडुब्बियां डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती हैं, जो लगभग 50 दिनों की सहनशक्ति प्रदान करती हैं।

परमाणु पनडुब्बियों से तुलना:

- भारत वर्तमान में अरिहंत श्रेणी की दो परमाणु-संचालित पनडुब्बियों (SSBMs) का संचालन करता है।
- परमाणु पनडुब्बियों में सैद्धांतिक रूप से असीमित सहनशक्ति होती है और ये बिना ईंधन भरे 30 साल तक काम कर सकती हैं। वे उच्च गति भी प्राप्त कर सकते हैं।
- परमाणु पनडुब्बियां महंगी होती हैं और इन्हें संचालित करने के लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- डीजल-इलेक्ट्रिक तकनीक ने पारंपरिक पनडुब्बियों की रेंज और चुपके में काफी सुधार किया है।
- एआईपी (AIP) सिस्टम के साथ स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को रेट्रोफिटिंग करने से उनकी सहनशक्ति और चुपके क्षमताओं में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीदने का भारत का निर्णय इसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाता है और स्वदेशी विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करता है। इन पनडुब्बियों के शामिल होने से बढ़ते बेड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने और परिचालन तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: द हिंदू

11. आकाशीय बिजली/ विद्युत

संदर्भ: एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, और इसलिए, सरकार इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने के खिलाफ है।

इस पर चर्चा क्यों?

- बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अनुरोध किया है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा माना जाए, जिससे पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवजे के पात्र बन सकें।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2021 में बिजली गिरने से 2,880 मौतें हुईं, जो "प्रकृति की शक्तियों" से होने वाली सभी आकस्मिक मौतों का 40% है।

आकाशीय बिजली क्या है?

- बिजली वायुमंडल में बिजली का तीव्र और शक्तिशाली निर्वहन है, जो अक्सर पृथ्वी की ओर निर्देशित होती है।
- बिजली का गिरना कई किलोमीटर ऊँचे विशाल, नमी वाले बादलों में होता है।
- तापमान 0°C से नीचे गिरने पर बादलों में जलवाष्प संघनित होकर छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है।
- बर्फ के क्रिस्टलों के बीच टकराव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है और बादल के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज का निर्माण होता है।
- बिजली बादलों के भीतर (इंटर-क्लाउड और इंट्रा-क्लाउड) या बादल और जमीन के बीच (क्लाउड-टू-ग्राउंड) हो सकती है।

बिजली गिरने की तीव्रता:

- एक सामान्य बिजली की चमक लगभग 300 मिलियन वोल्ट और 30,000 एम्पीयर तक पहुंच सकती है, जो घरेलू करंट से काफी अधिक है।
- घरेलू करंट 120 वोल्ट और 15 एम्पियर है, जो बिजली की अपार शक्ति को उजागर करता है।

बिजली गिरने की घटनाओं को कम करना:

- भारत ने बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी है।
- 96% से अधिक बिजली गिरने से होने वाली मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, जिससे इन समुदायों पर लक्षित शमन और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।
- कम लागत वाले बिजली संरक्षण उपकरणों को अधिक व्यापक रूप से तैनात करने की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- राज्यों को बिजली से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए, ताप कार्य योजनाओं के समान, बिजली कार्य योजनाएं विकसित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पता लगाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए बिजली अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

12. डिजिटल रस्साकशी

संदर्भ: निजी डिजिटल मुद्राओं का उद्भव केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है और नई गतिशीलता और संभावनाओं को पेश करके स्थापित व्यवस्था को बाधित कर सकता है। मुद्रा आपूर्ति, संचलन और मूल्य पर नियंत्रण आर्थिक प्रणालियों और राष्ट्रीय प्रक्षेप पथों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सरकारें और केंद्रीय बैंक मुद्रा प्रबंधन, आर्थिक नीतियों को आकार देने और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, निजी डिजिटल मुद्राओं का उदय इस नियंत्रण में नई गतिशीलता और चुनौतियाँ पेश करता है, जो संभावित रूप से स्थापित व्यवस्था को बाधित करता है।

निजी डिजिटल मुद्राएँ क्या हैं?

- निजी डिजिटल मुद्राएँ, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भी जाना जाता है, डिजिटल या आभासी मुद्राएँ हैं जो लेनदेन को सुरक्षित करने और नई इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक का उपयोग करती हैं।
- वे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और आम तौर पर विकेंद्रीकृत होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या विनियमित नहीं होते हैं।
- कुछ सबसे प्रसिद्ध निजी डिजिटल मुद्राओं में बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), रिपल (XRP), और लाइटकॉइन (LTC) शामिल हैं।

स्थिर सिक्के क्या हैं?

- स्टेबलकॉइन्स एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों की टोकरी के सापेक्ष स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- महत्वपूर्ण मूल्य अस्थिरता का अनुभव करने वाली कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, स्थिर सिक्कों का लक्ष्य स्थिरता प्रदान करना और मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करना है।
- वे अपने मूल्य को किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति, जैसे फ़िएट मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर), वस्तुओं (जैसे सोना), या परिसंपत्तियों के संयोजन से जोड़कर इस स्थिरता को प्राप्त करते हैं।

मौद्रिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है?

- मौद्रिक संप्रभुता किसी देश की बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी मुद्रा और मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखने की क्षमता है।
- यह किसी देश की सरकार और केंद्रीय बैंक का अधिकार है कि वह अपनी मुद्रा के मूल्य, आपूर्ति और संचलन को निर्धारित और प्रबंधित करे, साथ ही आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने वाली मौद्रिक नीतियों को आकार और कार्यान्वित करे।

निजी डिजिटल मुद्राओं द्वारा मौद्रिक संप्रभुता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ:

- निजी डिजिटल मुद्राएँ- ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं- बैंकों और केंद्रीय बैंकों जैसे केंद्रीय मध्यस्थों की आवश्यकता को दरकिनार कर देती हैं

- मूल्य हस्तांतरण की वैकल्पिक प्रणालियाँ - सहकर्मी से सहकर्मी लेनदेन - बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की प्रासंगिकता को कम करती हैं।
- विनियामक ढाँचे के बाहर काम करना - वित्तीय नियमों को लागू करने के संदर्भ में चुनौतियाँ - एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी आवश्यकताएँ, जो अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- अस्थिरता और सट्टा प्रकृति- वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम।
- तीव्र मूल्य में उतार-चढ़ाव और बाजार अस्थिरता - निवेशकों, उपभोक्ताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव - विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं - कम मजबूत वित्तीय प्रणाली।
- अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना- मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और आतंकवादी वित्तपोषण।

केस स्टडी 1: म्यांमार की शक्ति की डिजिटल गतिशीलता

- म्यांमार में, नेशनल यूनियन गवर्नमेंट (NUG) ने सैन्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था को दरकिनार करने-प्रतिरोध के लिए धन जुटाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है।
- एनयूजी ने जारी किया-डिजिटल म्यांमार क्यात (डीएमएमके)-सैन्य निरीक्षण से बचना-विनिमय दरों का स्वतंत्र निर्धारण।
- डीएमएमके- सीमा पार से भुगतान - प्रवासी समुदायों से दान एकत्र करना आसान है।
- धन उगाहने के साधन के रूप में कार्य करता है- सैन्य-जारी कयात की वैधता को चुनौती देता है।
- म्यांमार में विभाजित वित्तीय प्रणाली संप्रभु वैधता पर डिजिटल मुद्राओं के जोखिमों और परिणामों पर प्रकाश डालती है।

केस स्टडी 2: चीन का सतर्क मौद्रिक सुरक्षा दृष्टिकोण

- क्रिप्टोकरेंसी और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) पर विरोधाभासी विचार।
- क्रिप्टोकरेंसी- सख्त प्रतिबंध- कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- सक्रिय रूप से अपने डिजिटल युआन को बढ़ावा देता है - मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है - यूएस-नियंत्रित वित्तीय नेटवर्क पर निर्भरता कम करता है।
- वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार देने के लिए डिजिटल मुद्रा की क्षमता को स्वीकार करता है और इसे वैश्विक मौद्रिक विकेंद्रीकरण के उत्प्रेरक के रूप में देखता है।
- चीन का व्यापक प्रतिबंध- क्रिप्टोकरेंसी- मौद्रिक संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता।

केस स्टडी 3: भारत की आशंकाएँ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टो-परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े बढ़ते जोखिमों को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- प्राथमिक चिंता- स्टेबलकॉइन्स से जुड़े जोखिम- मोचन और निवेशक घबराहट के संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील- सावधानीपूर्वक शमन उपायों की आवश्यकता।
- आरबीआई ने अस्थिरता उत्पन्न करने की अपनी ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर जोर देते हुए निजी मुद्राओं को भी आगाह किया है - विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में धन आपूर्ति, ब्याज दरों और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर संप्रभु नियंत्रण को कमजोर करना।
- भारत का अपना सीबीडीसी- डिजिटल रुपया- एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है- चुनौतियों का मुकाबला करता है- क्रिप्टो-परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- निजी डिजिटल मुद्राओं के लिए स्पष्ट और व्यापक नियामक ढाँचे-उपभोक्ता संरक्षण, निवेशक सुरक्षा उपाय, वित्तीय अखंडता और जोखिम प्रबंधन को संबोधित करें।
- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग-संवाद-सूचना साझाकरण-मानकीकरण प्रयासों में संलग्न हों।
- विनियमित डिजिटल मुद्रा विकल्प के रूप में सीबीडीसी की क्षमता की खोज जारी रखें।
- सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता-निर्माण विश्वास- लाभ और जोखिम- जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान और विकास में निवेश करें- समाधानों का विकास करें- वित्तीय प्रणालियों को बढ़ाएं- दक्षता बढ़ाएं।

निष्कर्ष:

निजी डिजिटल मुद्राएँ मौद्रिक संप्रभुता के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती हैं। म्यांमार, चीन और भारत के उदाहरण मुद्रा नियंत्रण, वैधता और विश्वास के बीच जटिल परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल मुद्राओं के विकास की ओर बढ़ रही है, नवाचार और संप्रभु नियंत्रण बनाए रखने के बीच संतुलन मौद्रिक प्रणालियों के भविष्य को आकार देता रहेगा।

स्रोत: द हिंदू

13. क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF)

संदर्भ: यूरोप इस समय लू और जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिससे वायरस के फैलने के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं जो आमतौर पर ठंडे मौसम में नहीं पाए जाते हैं। WHO ने क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) के संबंध में एक चेतावनी जारी की है, जो कि टिक्स द्वारा प्रसारित एक संभावित घातक संक्रमण है।

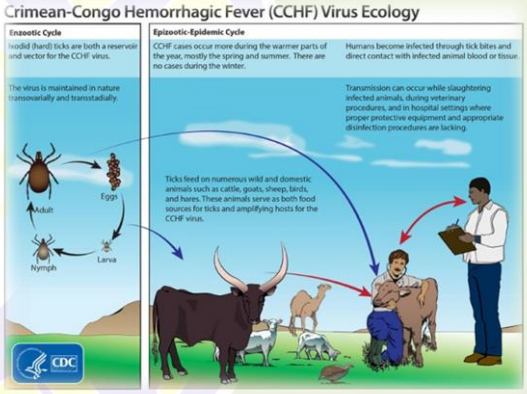

सीसीएचएफ क्या है?

- सीसीएचएफ एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो मुख्य रूप से टिक्स द्वारा फैलता है।
- यह पशु वध के दौरान विषाणुजनित पशु ऊतकों के संपर्क से भी हो सकता है।
- सीसीएचएफ का प्रकोप उच्च मामले-मृत्यु अनुपात (10-40%) के साथ महामारी का कारण बन सकता है और रोकथाम और उपचार के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है।

ट्रांसमिशन और होस्ट:

- यह वायरस कीड़ों के टिक परिवार में मौजूद है।
- मवेशी, बकरी, भेड़ और खरगोश जैसे जानवर वायरस के लिए प्रवर्धक मेजबान के रूप में काम करते हैं।
- मनुष्य संक्रमित टिक्स या जानवरों के रक्त के संपर्क से सीसीएचएफ से संक्रमित हो सकते हैं।
- संक्रामक रक्त या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से भी यह वायरस मनुष्यों के बीच फैल सकता है।
- प्रवासी पक्षी टिकों की मेजबानी कर सकते हैं, जिससे वायरस लंबी दूरी तक फैल सकता है।

लक्षण और उपचार:

- सीसीएचएफ (CCHF) के सामान्य लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन और पीठ में दर्द, सिरदर्द, आंखों में दर्द और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं।

- शुरुआती लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गले में खराश, इसके बाद मूड में बदलाव और भ्रम भी शामिल हो सकते हैं।
- बाद के चरणों में तंद्रा, अवसाद और आलस्य शामिल हो सकते हैं।
- मनुष्यों या जानवरों में सीसीएचएफ के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, और उपचार लक्षणों के प्रबंधन पर केंद्रित है।
- कुछ स्पष्ट लाभ के साथ CCHF संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का उपयोग किया गया है।

यूरोप में CCHF का प्रसार:

- CCHF अफ्रीका, बाल्कन देशों, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानिक है।
- 2016 में, स्पेन ने यूरोप में CCHF से पहली मौत की सूचना दी।
- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि CCHF, जिसकी मृत्यु दर 10% से 40% के बीच हो सकती है, यूरोप में उत्तर और पश्चिम की ओर फैल रहा है।
- स्पेन, रूस, तुर्की और यूके में सीसीएचएफ (CCHF) के मामले सामने आए हैं।

इस प्रसार के कारण:

- जलवायु परिवर्तन के कारण अव्यवस्थित तापमान पैटर्न रोगजनकों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण लंबी और शुष्क गर्मियों के कारण CCHF टिक यूरोप के माध्यम से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन टिक आवासों का विस्तार करके, जल आवासों में परिवर्तन करके, और जानवरों की आवाजाही और मानव संपर्क को सुविधाजनक बनाकर बीमारियों के प्रसार में योगदान देता है।

स्रोत: द हिंदू

14. जीवाणुभोजी (Bacteriophages)

संदर्भ: वायरस ने मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे बीमारियों का घातक प्रकोप हुआ है। हालाँकि, सभी वायरस हानिकारक नहीं होते हैं, और वैज्ञानिक वाइरोम (बैक्टीरियोफेज) के महत्व की खोज कर रहे हैं।

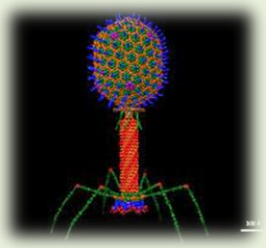

क्या आप जानते हैं?

- **वाइरोम और बैक्टीरियोफेज निकट से संबंधित हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज, या संक्षेप में फेज, एक प्रकार का वायरस है जो विशेष रूप से बैक्टीरिया को संक्रमित करता है।**
- **बैक्टीरियोफेज को विरोम का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वे किसी दिए गए वातावरण या जीव में मौजूद समग्र वायरल आनुवंशिक सामग्री में योगदान करते हैं।**

वाइरोम (Virome) क्या हैं?

- वे हमारे शरीर में बैक्टीरिया माइक्रोबायोम के समान, हमारे स्वास्थ्य में योगदान देने वाले वायरस का संग्रह हैं।
- हमारे अंदर अधिकांश वायरस बैक्टीरियोफेज हैं, जो मानव कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना हमारे माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया को मारते हैं।
- हमारे शरीर में लगभग 380 ट्रिलियन वायरस कण होते हैं, जो बैक्टीरिया की संख्या से 10 गुना अधिक है।
- कुछ वायरस लाभकारी भूमिका निभाते हैं, जैसे कैंसर कोशिकाओं को मारना, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रशिक्षण में सहायता करना, रोगजनकों से लड़ना और गर्भावस्था के दौरान जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करना।

बैक्टीरियोफेज और फेज थेरेपी:

- बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का शिकार करते हैं, उनकी सतह से जुड़ते हैं, वायरल डीएनए को इंजेक्ट करते हैं, और बैक्टीरिया कोशिका के फटने और नए वायरल कणों को छोड़ने से पहले बैक्टीरिया के अंदर दोहराते हैं।
- 20वीं सदी की शुरुआत में, वैज्ञानिकों ने जीवाणु संक्रमण के संभावित उपचार के रूप में फ़ेज़ की खोज की, लेकिन एंटीबायोटिक विकास ने इस शोध पर ग्रहण लगा दिया।
- एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के बढ़ने के साथ, वैज्ञानिक जीवाणु संक्रमण से निपटने के विकल्प के रूप में फ़ेज थेरेपी पर फिर से विचार कर रहे हैं।
- फ़ेज़ प्रभावी रूप से बहु-प्रतिरोधी रोगजनकों को लक्षित करते हैं, बैक्टीरिया के उपभेदों को खत्म करने में सटीक होते हैं, और एंटीबायोटिक्स की तरह आंत माइक्रोबायोम को बाधित नहीं करते हैं।

अभ्यास में फेज थेरेपी:

- फेज थेरेपी जॉर्जिया, यूक्रेन और रूस जैसे देशों में जारी रही, जहां एंटीबायोटिक्स दुर्लभ थे। इन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ उपचार के सफल परिणाम देखे गए हैं।
- फ़ेज़ थेरेपी विशेष चिकित्सा केंद्रों के साथ बेल्जियम, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ध्यान आकर्षित कर रही है और अन्वेषण और उपयोग में वृद्धि की मांग कर रही है।
- थेरेपी का मानकीकरण और संक्रमण पैदा करने वाले विशिष्ट बैक्टीरिया के लिए फेज तैयार करना चुनौती बनी हुई है। हालाँकि, फ़ेज़ थेरेपी का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा है, और मानव शरीर उन्हें अच्छी तरह से सहन कर सकता है।

भविष्य की संभावनाओं:

- फ़ेज़ एंटीबायोटिक दवाओं को प्रतिस्थापित करने की संभावना नहीं रखते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों के खिलाफ, संयोजन में उपयोग किया जा सकता है।
- विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के लिए प्रभावी फ़ेज़ थेरेपी स्थापित करने के लिए आगे बड़े पैमाने पर अनुसंधान और नैदानिक परियोजनाओं की सिफारिश की जाती है।

स्रोत: द हिंदू

15. सेमीकंडक्टर

संदर्भ: वेदांता लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम से फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की वापसी सहित हालिया असफलताओं के बावजूद, भारत अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

अर्धचालक क्या हैं?

- सेमीकंडक्टर सामग्रियों का एक वर्ग है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता की एक अनूठी संपत्ति प्रदर्शित करता है।
- कंडक्टरों के विपरीत, जो बिजली को अपने माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं, और इंसुलेटर, जो बिल्कुल भी बिजली का संचालन नहीं करते हैं, अर्धचालकों में विद्युत चालकता का एक मध्यवर्ती स्तर होता है।

अर्धचालकों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तुलना में बेहतर बिजली का संचालन करते हैं लेकिन कंडक्टर के रूप में उतने प्रभावी ढंग से नहीं। उनकी चालकता को नियंत्रित और संशोधित किया जा सकता है।
- अर्धचालकों में एक ऊर्जा बैंड गैप होता है जो वैलेंस बैंड को, जहां इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, चालन बैंड से अलग करता है, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यह बैंड गैप इंसुलेटर से छोटा लेकिन कंडक्टर से बड़ा होता है।
- अर्धचालकों की चालकता अत्यधिक तापमान पर निर्भर होती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, उनकी विद्युत चालकता भी बढ़ती है।
- अर्धचालकों को उनके विद्युत गुणों को बदलने के लिए जानबूझकर अशुद्धियों से मिलाया जा सकता है। डोपिंग अतिरिक्त चार्ज वाहक, या तो इलेक्ट्रॉन या छेद पेश करता है, जो चालकता को बढ़ा या घटा सकता है।

अर्धचालक और ट्रांजिस्टर:

- इसके मूल में, एक सेमीकंडक्टर चिप में सिलिकॉन जैसी सामग्रियों से तैयार किए गए ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर जानकारी को 0s और 1s के रूप में एन्कोड करते हैं और नया डेटा बनाने के लिए उनमें हेरफेर करते हैं।
- एक ट्रांजिस्टर में स्रोत, गेट और नाली शामिल होते हैं। गेट को खोलने या बंद करने के लिए हेरफेर करके डेटा को सेमीकंडक्टर चिप में संग्रहीत और हेरफेर किया जाता है।
- ट्रांजिस्टर शीर्ष पर कई धातु परतों से जुड़े होते हैं, जिससे विद्युत कनेक्शन का एक जटिल नेटवर्क बनता है जो चिप को कई कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है।

सेमीकंडक्टर नोड्स को समझना:

- सेमीकंडक्टर नोड्स ऐतिहासिक रूप से दो संख्याओं पर आधारित थे: गेट की लंबाई और धातु पिच। जैसे-जैसे ट्रांजिस्टर सिकुड़ते गए, यह नामकरण परंपरा विकसित हुई।
- बढ़ते लघुकरण के साथ, गेट की लंबाई और धातु की पिच दोनों ने नोड नामों में योगदान देना बंद कर दिया। आज के अत्याधुनिक 7 एनएम नोड में 7 एनएम के करीब कोई भौतिक पैरामीटर नहीं है।

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा:

- लीगेसी नोड्स के साथ शुरुआत करने का भारत का विकल्प रणनीतिक है। यह देश को दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे अनुप्रयोगों में विरासत नोड्स की मांग बढ़ जाती है।
- निरंतर सुधार और विकास के साथ, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ने और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है।

निष्कर्ष:

- विरासत नोड्स पर भारत का ध्यान इसकी अर्धचालक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है।
- इन नोड्स को अपनाना देश को विकास के लिए तैयार करता है और इसे वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में एक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।
- नवाचार और उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, भारत में सेमीकंडक्टर दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है।

स्रोत: द हिंदू

16. डीएनए (DNA) विधेयक

संदर्भ: केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 को लोकसभा से वापस ले लिया।

डीएनए (DNA) बिल, 2019: मुख्य बातें

- विधेयक, जिसे पहली बार 2003 में प्रस्तावित किया गया था, का उद्देश्य मुख्य रूप से आपराधिक जांच और पहचान स्थापित करने के लिए व्यक्तियों के डीएनए नमूने प्राप्त करने, भंडारण और परीक्षण करने के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करना है।
- इन वर्षों में, विधेयक में बदलाव हुए हैं और 2019 में इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।
- समिति ने धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों के आधार पर संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई।

प्रमुख विशेषताएं:

- विधेयक में मुख्य रूप से आपराधिक जांच और किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए नमूना संग्रह, परीक्षण और भंडारण के लिए एक नियामक ढांचा बनाने की मांग की गई है।
- डीएनए (DNA) परीक्षण पहले से ही आपराधिक जांच, माता-पिता की स्थापना और लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए नियोजित किया गया है।
- विधेयक का उद्देश्य राज्य स्तर पर क्षेत्रीय केंद्रों की संभावना के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक डीएनए (DNA) नियामक बोर्ड और एक डीएनए डेटा बैंक स्थापित करना है।
- बोर्ड डीएनए संग्रह, परीक्षण और भंडारण के लिए दिशानिर्देश और नियम तैयार करेगा।
- डेटा बैंक निर्दिष्ट नियमों के तहत एकत्र किए गए सभी डीएनए नमूनों को संग्रहीत करेगा।
- डीएनए (DNA) नमूना परीक्षण की अनुमति केवल नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं में ही दी जाएगी।

- विधेयक में उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया गया है जिनके तहत व्यक्तियों को डीएनए नमूने जमा करने के लिए कहा जा सकता है, ऐसे अनुरोधों के उद्देश्य, और इन नमूनों को संभालने, भंडारण और उन तक पहुंचने की सटीक प्रक्रियाएं।

विधेयक के ख़िलाफ़ विवाद और आपत्तियाँ:

- आलोचकों ने डीएनए प्रौद्योगिकी की अचूक प्रकृति और इसमें त्रुटि की संभावना के बारे में चिंता जताई।
- मुख्य बहस डीएनए जानकारी के दुरुपयोग की संभावना पर केंद्रित थी। विरोधियों को डर था कि घुसपैठिए डीएनए डेटा संग्रह और भंडारण से व्यक्तिगत गोपनीयता का दुरुपयोग और उल्लंघन हो सकता है।
- डीएनए जानकारी से न केवल किसी व्यक्ति की पहचान का पता चलता है, बल्कि शारीरिक और जैविक विशेषताएं जैसे आंख, बाल या त्वचा का रंग, बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता और संभावित चिकित्सा इतिहास भी पता चलता है। आलोचकों ने तर्क दिया कि ऐसी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत करने से गोपनीयता अधिकारों से समझौता हो सकता है।

स्थायी समिति की चिंताएँ:

- स्थायी समिति की रिपोर्ट में माना गया कि विधेयक तकनीकी, जटिल और संवेदनशील था।
- रिपोर्ट में धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों जैसे कारकों के आधार पर डीएनए प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग के बारे में कई सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को पहचाना और संबोधित किया गया।

विधेयक पर सरकार का बचाव:

- सरकार ने तर्क दिया कि लगभग 60 देशों ने इसी तरह का कानून बनाया है, जो भारत में ऐसे कानून की आवश्यकता को उचित ठहराता है।
- सरकार ने तर्क दिया कि संख्याओं का केवल एक सीमित सेट, डीएनए नमूनों से पता चल सकने वाले अरबों में से केवल 17, सूचकांकों में संग्रहीत किए जाएंगे। यह जानकारी एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगी और किसी भी व्यक्तिगत विवरण को प्रकट नहीं करेगी।

निष्कर्ष:

- विधेयक की वापसी डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा बनाने के सरकार के प्रयासों में रुकावट का प्रतीक है।
- उठाए गए विवाद और आपत्तियाँ एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
- केंद्र को आपराधिक जांच और अन्य उद्देश्यों के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के संभावित लाभों का उपयोग करते हुए दुरुपयोग और गोपनीयता पर चिंताओं का समाधान करना चाहिए।

DNA (डीएनए)

डीएनए, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक अणु है जो सभी ज्ञात जीवित जीवों और कई वायरस के विकास, विकास, कामकाज और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देश देता है।

इसे अक्सर "जीवन के निर्माण खंड" के रूप में जाना जाता है।

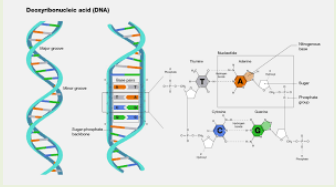

स्रोत: द हिंदू

17. नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS)

संदर्भ: भारत ने नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS) शुरू करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है, जो कि वैक्सीन और उपचार विकास के लिए अन्य देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक शोध मॉडल है।

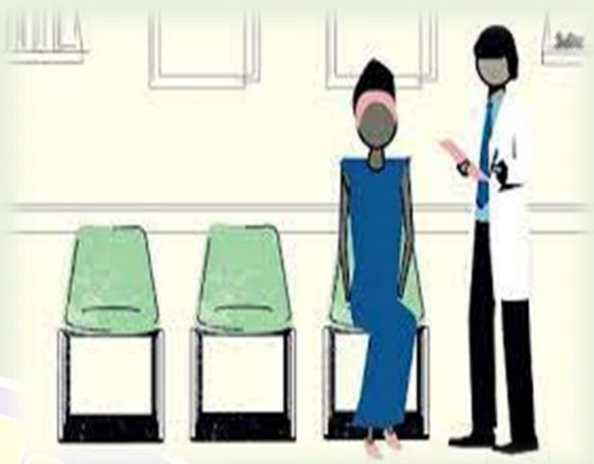

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च)ICMR) बायोएथिक्स यूनिट ने सीएचआईएस से जुड़ी आवश्यकता, लाभ और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करते हुए सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एक आम सहमति नीति वक्तव्य तैयार किया है।

नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS) क्या है?

- सीएचआईएस को मानव चुनौती परीक्षणों के रूप में भी जाना जाता है, नियंत्रित परिस्थितियों में स्वस्थ मानव स्वयंसेवकों को जानबूझकर संक्रामक एजेंटों के संपर्क में लाने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययन हैं।
- इन अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य रोगजनकों के व्यवहार, मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की बेहतर समझ हासिल करना और संक्रमण के खिलाफ संभावित टीकों, उपचारों या निवारक उपायों का परीक्षण करना है।

नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS) के बारे में मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

- सीएचआईएस (CHIS) में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को अपनी भागीदारी से जुड़े संभावित जोखिमों और लाभों को पूरी तरह से समझते हुए, सूचित सहमति प्रदान करनी होगी।
- सीएचआईएस (CHIS) का उपयोग विभिन्न संक्रामक एजेंटों, जैसे वायरस (जैसे, इन्फ्लूएंजा, डेंगू, जीका), बैक्टीरिया (जैसे, हैजा, टाइफाइड), और परजीवी (जैसे, मलेरिया) का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।
- सीएचआईएस (CHIS) उम्मीदवार टीकों की प्रभावकारिता और सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करके टीका विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सीएचआईएस (CHIS) के उपयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित लाभों के मुकाबले प्रतिभागियों के लिए संभावित जोखिमों को संतुलित करने के बारे में नैतिक बहस छेड़ दी है।

भारत में सीएचआईएस (CHIS) से जुड़ी नैतिक चिंताएँ:

- प्रतिभागियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, उचित मुआवजे, तीसरे पक्ष के जोखिम और अध्ययन से हटने और कमजोर प्रतिभागियों को शामिल करने की चिंताओं के कारण सीएचआईएस (CHIS) को नैतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।
- आईसीएमआर अध्ययन प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा उपायों के साथ एक विशेष नैतिकता समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
- तकनीकी, नैदानिक, नैतिक और कानूनी चुनौतियों ने भारत को पहले सीएचआईएस (CHIS) को अपनाने से रोका था, जो आंशिक रूप से देश के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित था।

भारत में सीएचआईएस (CHIS) के संभावित लाभ:

- भारत संक्रामक रोगों से रुग्णता और मृत्यु दर के एक महत्वपूर्ण बोझ का सामना कर रहा है, जो देश में बीमारी के बोझ का लगभग 30% योगदान देता है।
- सीएचआईएस (CHIS) रोग रोगजनन में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और बड़े नैदानिक परीक्षणों की तुलना में छोटे नमूना आकार के साथ त्वरित और लागत प्रभावी परिणामों को सक्षम बनाता है।
- सीएचआईएस (CHIS) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल निर्णय लेने, नीतियों, आर्थिक लाभ, बेहतर महामारी संबंधी तैयारियों और सामुदायिक सशक्तिकरण में योगदान दे सकता है।

सहयोग और विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना:

- आईसीएमआर सीएचआईएस (CHIS) की जटिलता पर प्रकाश डालता है और सुझाव देता है कि सही विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए शोधकर्ताओं, संस्थानों, संगठनों और देशों के बीच सहयोग आवश्यक हो सकता है।
- आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट के सर्वसम्मति नीति वक्तव्य का उद्देश्य सीएचआईएस (CHIS) से जुड़ी नैतिक चिंताओं को संबोधित करना, संक्रामक रोगों की वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने और उपचार रणनीतियों में तेजी लाने में इसकी संभावित भूमिका को स्वीकार करना है।

सार्वजनिक परामर्श और भविष्य की दिशाएँ:

- सीएचआईएस (CHIS) पर आईसीएमआर का सर्वसम्मति नीति वक्तव्य हितधारकों और विशेषज्ञों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए 16 अगस्त तक सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला है।
- आईसीएमआर (ICMR) नैतिक सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए और मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत में सीएचआईएस (CHIS) आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

निष्कर्ष:

- भारत में सीएचआईएस (CHIS) की शुरूआत चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने और संक्रामक रोगों के लिए लागत प्रभावी समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सार्वजनिक परामर्श और विशेषज्ञ सहयोग भारत में सीएचआईएस (CHIS) अनुसंधान की भविष्य की दिशा को आकार देने में मदद करेंगे और वैज्ञानिक प्रगति और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में योगदान देंगे।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

Ojaank IAS Gurukul Campus in Noida

पर्यावरण

1. रगोज़ सर्पिलिंग व्हाइटफ़्लाई (RSW)

संदर्भ: हाल ही में, पुणे शहर में 'रगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई' नामक एक आक्रामक कीट देखा गया है जो ताड़, नारियल और केले के पेड़ों पर हमला करता है। यह कीट न केवल नारियल के पेड़ों की उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि यह फल के पोषण मूल्य को भी प्रभावित करता है।.

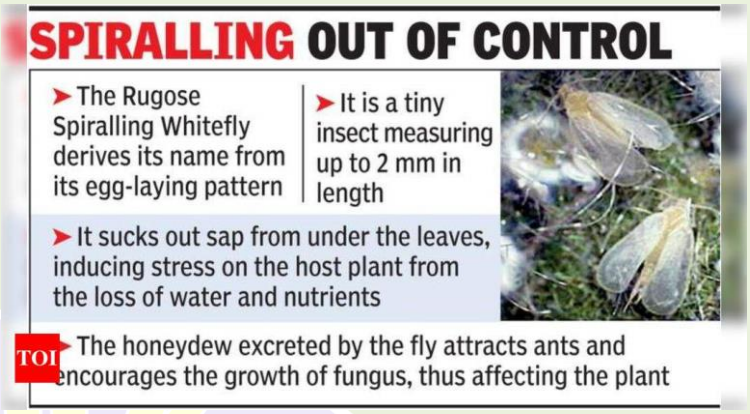

विवरण:

- रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई (RSW) सजावटी और फलों के पौधों का एक गंभीर कीट है जो महत्वपूर्ण क्षति और उपज हानि का कारण बन सकता है।
- RSW को इसकी उच्च प्रजनन दर, विस्तृत मेजबान सीमा और कुछ कीटनाशकों के प्रतिरोध के कारण नियंत्रित करना मुश्किल है। इसके अलावा, RSW संक्रमित पौधों के हवा या मानव-मध्यस्थता वाले परिवहन के माध्यम से तेजी से फैल सकता है।

रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई (RSW):

- रूगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई (RSW) व्हाइटफ़्लाई की एक प्रजाति है जो एलेरोडिडे परिवार से संबंधित है।
- यह मध्य अमेरिका और कैरेबियन का मूल निवासी है लेकिन फ्लोरिडा, हवाई, अफ्रीका और एशिया जैसे दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है।
- यह भारत में पहली बार 2016 में केरल में रिपोर्ट किया गया था, और तब से तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका पता चला है।

विशेषताएँ:

- RSW एक छोटा, सफेद कीट है जिसकी लंबाई लगभग 1-2 मिमी होती है।
- इसमें छेद करने वाले-चूसने वाले मुखभाग होते हैं जो इसे पौधों का रस पीने की अनुमति देते हैं।
- यह पत्तियों के नीचे की तरफ एक सर्पिल पैटर्न में अंडे देता है जिससे सफेद मोम जैसा जमाव बनता है। अंडों से निम्फ बनते हैं जो चपटे और शल्क जैसे होते हैं और पौधों के ऊतकों को खाते हैं।
- निम्फ हनीड्यू नामक एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं जो चींटियों और अन्य कीड़ों को आकर्षित करता है और काले कवक जैसे कवक के विकास को बढ़ावा देता है जो प्रकाश संश्लेषण को कम करता है।

चिंताओं:

- RSW कई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों, जैसे नारियल, केला, ताड़, आम, अमरूद, पपीता और नींबू का एक गंभीर कीट है। यह रस चूसकर और पौधों की शक्ति को कम करके सीधा नुकसान पहुंचाता है।
- यह कालिखयुक्त फफूंद के विकास को प्रेरित करके और वायरल रोगों के संचरण को सुविधाजनक बनाकर अप्रत्यक्ष क्षति का कारण बनता है।

- यह नारियल के आकार, वजन और तेल की मात्रा को प्रभावित करके नारियल की उपज और गुणवत्ता को कम कर सकता है।
- यह केले और अन्य फलों के स्वाद और दिखावट को प्रभावित कर सकता है।
- RSW में उच्च प्रजनन क्षमता और तेजी से फैलने की क्षमता है। एक मादा RSW अपने जीवनकाल में 200 अंडे तक दे सकती है, और अंडे 5-7 दिनों के भीतर फूट सकते हैं।
- वयस्क हवा के प्रवाह की मदद से लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और नए क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकते हैं।
- यह 23 परिवारों की 60 से अधिक पौधों की प्रजातियों को खा सकता है, जिससे फसल चक्र या मेजबान पौधों के प्रतिरोध द्वारा इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
- अंधाधुंध उपयोग और अत्यधिक निर्भरता के कारण इसने कई कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है।
- RSW को एक एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो नियंत्रण के विभिन्न तरीकों, जैसे कि सांस्कृतिक, जैविक, यांत्रिक और रासायनिक को जोड़ती है।

IPM की कुछ प्रथाएँ जिन्हें अपनाया जा सकता है वे इस प्रकार हैं:

- निगरानी और निगरानी: संक्रमण के लक्षणों के लिए फसलों का नियमित निरीक्षण करें और इसके गंभीर होने से पहले कार्रवाई करें।
- स्वच्छता: इनोकुलम के स्रोत और प्रजनन स्थलों को कम करने के लिए संक्रमित पौधों के हिस्सों और मलबे को हटाना और नष्ट करना।
- छंटाई: सफेद मक्खियों को प्राकृतिक शत्रुओं और सूर्य की रोशनी के संपर्क में लाने के लिए नारियल के पेड़ों की निचली पत्तियों की छंटाई करें।
- पलवार: नमी बनाए रखने और खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकना।
- जैविक नियंत्रण: सफेद मक्खियों की आबादी को कम करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं जैसे परजीवियों, शिकारियों और रोगजनकों का उपयोग करना। कुछ उदाहरण कोकिनेला सेप्टेमपंकटाटा (शिकारी) और ब्यूवेरिया बैसियाना (कवक) हैं।
- यांत्रिक नियंत्रण: पौधों से सफेद मक्खियों को फंसाने या उखाड़ने के लिए पीले चिपचिपे जाल या पानी के जेट का उपयोग करना।
- रासायनिक नियंत्रण: जब अन्य तरीके विफल हो जाते हैं या संभव नहीं होते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में चयनात्मक या वानस्पतिक कीटनाशकों का उपयोग करना। कुछ उदाहरण हैं नीम का तेल, एज़ाडिरेक्टिन, पाइरेथ्रम और स्पिनोसैड

निष्कर्ष:

- RSW किसानों की आजीविका और उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर फसल उत्पादन और सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों को तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। IPM प्रथाओं को अपनाकर, हम इस कीट से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

2. एम्बरग्रीस (Ambergris)

संदर्भ: ला पाल्मा के कैनरी द्वीप के तट पर एक शुक्राणु व्हेल के शव की खोज से एक असाधारण खोज हुई है। पोस्टमार्टम जांच के दौरान, एक रोगविज्ञानी को एम्बरग्रीस मिला, एक अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ जिसे अक्सर "तैरता हुआ सोना" कहा जाता है, जो व्हेल के बृहदान्त्र में फंसा हुआ था। बरामद एम्बरग्रीस की गांठ की अनुमानित कीमत लगभग €500,000 (4,47,62,500 रुपये) है।

एम्बरग्रीस क्या है?

- एम्बरग्रीस एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित शुक्राणु व्हेल के पाचन तंत्र में बनता है।
- एक सिद्धांत से पता चलता है कि एम्बरग्रीस का उत्पादन शुक्राणु व्हेल के जठरांत्र संबंधी मार्ग में भोजन के दौरान निगली गई कठोर वस्तुओं को पारित करने में सहायता के लिए किया जाता है।
- ताजा निकला हुआ एम्बरग्रीस हल्का पीला और वसायुक्त होता है, लेकिन यह पुराना हो जाता है और मोम जैसा हो जाता है और लाल-भूरे रंग का हो जाता है। इसमें समुद्री गंध के संकेत के साथ हल्की, मिट्टी जैसी, मीठी गंध होती है।

एम्बरग्रीस का उपयोग और दुर्लभता:

- परंपरागत रूप से, एम्बरग्रीस का उपयोग इत्र के उत्पादन में एक मस्की नोट जोड़कर किया जाता है।
- अतीत में, एम्बरग्रीस का उपयोग कुछ संस्कृतियों में भोजन, मादक पेय और तंबाकू को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता था।
- एम्बरग्रीस एक दुर्लभ पदार्थ है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी उच्च मांग और महत्वपूर्ण कीमत में योगदान देता है।

भारत में कानूनी प्रतिबंध:

- एम्बरग्रीस का स्रोत, स्पर्म व्हेल, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है।
- भारत सहित एम्बरग्रीस और इसके उप-उत्पादों का कब्ज़ा और व्यापार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निषिद्ध है।
- एम्बरग्रीस व्यापार में शामिल तस्करी नेटवर्क अक्सर भारत के तटीय क्षेत्रों से पदार्थ खरीदते हैं और इसे तुलनात्मक रूप से कम कठोर समुद्री व्यापार नियमों वाले देशों के माध्यम से ले जाते हैं।

Source: The Hindu

3. मो जंगल जामी योजना

संदर्भ: ओडिशा सरकार ने 2 जुलाई 2023 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मो जंगल जामी योजना नामक एक योजना शुरू की। 32 जिलों के 32000 गांवों में और इससे ओडिशा के लगभग 7.4 लाख आदिवासी परिवारों को लाभ होगा। कुल 38.76 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की गई थी। यह अगले दो वर्षों तक क्रियाशील रहेगा।

मो जंगल जामी योजना (MJJY):

- इसका मतलब है मेरी वनभूमि योजना।
- यह ओडिशा के आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका के अवसर और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
- इससे 35,739 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 7.35 मिलियन से अधिक परिवारों को लाभ होगा।
- इस योजना के सफल कार्यान्वयन से ओडिशा को पहला एफआरए अनुपालन राज्य बनने में मदद मिलेगी।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर ने इस योजना के लिए संभावित गांवों की पहचान की।

योजना के लाभ:

- आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व और वन संसाधनों तक आसान पहुंच।
- आजीविका के अवसर और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना।
- सरकार द्वारा संचालित मुख्यधारा के विकास के साथ जनजातीय समूहों का एकीकरण करना।
- गैर-सर्वेक्षित गांवों को राजस्व गांवों में बदलने से जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, स्कूल और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच संभव हो गई।
- भूमि अधिकारों की मान्यता के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना।

इससे वन प्रशासन में सुधार होगा:

- हालाँकि इस योजना की सफलता के लिए:
- राजस्व, वन एवं आदिवासी विभाग के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- सामुदायिक वन संसाधन (CFR) शीर्षकों की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता है।
- सभी मुद्दों का समाधान एवं प्रावधान निर्धारित समय-सीमा में लागू किया जाये।
- वितरित शीर्षकों के अभिलेखों के सुधार में कमियों को कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से जांचा जाना चाहिए।

ओडिशा राज्य में आदिवासी:

- राज्य में 13 जनजातीय समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- कुल मिलाकर ओडिशा 62 प्रकार की जनजातियों का घर है।
- कुल जनजातीय जनसंख्या अनुमानतः 1 मिलियन के करीब है जो कुल जनसंख्या का लगभग 23% है।
- 2011 की जनगणना के अनुमान के अनुसार, जनजातीय आबादी के मामले में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 32,562 एफआरए (वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत) संभावित गांव हैं।

स्रोत: द हिंदू

4. अटलांटिक मेनहैडेन

संदर्भ: शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि मछली खाने वाले पक्षी ऑस्प्रे की आबादी उनके प्राथमिक भोजन स्रोत अटलांटिक मेनहैडेन की घटती संख्या के कारण गिरावट का सामना कर रही है। चांदी जैसी छोटी मछली मेनहैडेन की कमी का कारण वाणिज्यिक मछली पकड़ने की प्रथा है। ऑस्प्रे प्रजनन में गिरावट मेनहैडेन संख्या में कमी के व्यापक पारिस्थितिक प्रभाव को दर्शाती है।

अटलांटिक मेनहैडेन के बारे में:

- अटलांटिक मेनहैडेन, जिसे वैज्ञानिक रूप से ब्रेवोर्टिया टायरानस के नाम से जाना जाता है, क्लूपीडे परिवार से संबंधित मछली की एक प्रजाति है।
- वे आमतौर पर फ्लोरिडा से नोवा स्कोटिया तक उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर पाए जाते हैं।
- अटलांटिक मेनहैडेन एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है और इसका महत्वपूर्ण व्यावसायिक और पारिस्थितिक महत्व है।

अटलांटिक मेनहैडेन का महत्व:

- मेनहैडेन पूर्वी समुद्री तट के साथ तटीय जल की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बड़ी मछलियों, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों को भोजन प्रदान करते हैं।
- मेनहैडेन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, और वे प्लवक जैसे छोटे जीवों का सेवन करते हुए पर्याप्त मात्रा में समुद्र के पानी को फ़िल्टर करते हैं।

वाणिज्यिक मछली पकड़ने का प्रभाव:

- अटलांटिक स्टेट्स मरीन फिशरीज कमीशन ने अगले दो वर्षों के लिए मेनहैडेन की स्वीकार्य पकड़ को बढ़ाकर 233,550 मीट्रिक टन कर दिया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 20% अधिक है।
- आयोग ने चेसापीक खाड़ी की कमी मत्स्य पालन के लिए 51,000 मीट्रिक टन का कोटा बनाए रखा, जहां मेनहैडेन का उपयोग चारा और मछली उत्पादों के लिए किया जाता है।
- आलोचकों का तर्क है कि महत्वपूर्ण मेनहैडेन मात्रा को हटाने से पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो रहा है, जिससे ओस्प्रे और धारीदार बास जैसी प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं जो मेनहैडेन पर निर्भर हैं।

कम प्रजनन संख्या और मेनहैडेन कमी:

- जून के मध्य में, शोधकर्ताओं को चेसापीक खाड़ी के हिस्से, मोबजैक खाड़ी में जांचे गए 84 घोंसलों में से केवल तीन युवा ऑस्प्रे मिले।
- विलियम एंड मैरी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने 50 से अधिक वर्षों से स्थानीय ऑस्प्रे आबादी की निगरानी करते हुए, सबसे कम प्रजनन संख्या दर्ज की।
- प्रजनन सफलता में गिरावट का कारण ऑस्प्रे के प्राथमिक खाद्य स्रोत अटलांटिक मेनहैडेन की कमी है।

मुकदमा और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण:

- मैरीलैंड के मनोरंजक मछुआरों के एक समूह ने वर्जीनिया समुद्री संसाधन आयोग पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि इसने मछली की आबादी और मनोरंजक मछली पकड़ने के उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले कोटा का समर्थन करके मेनहैडेन गिरावट में योगदान दिया।

- आलोचक ओमेगा प्रोटीन जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली औद्योगिक तकनीकों के नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं, जो मेनहैडेन को अस्थिर मात्रा में पकड़ते हैं, अन्य प्रजातियों की गिरावट में योगदान करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।
- गैर-लाभकारी संगठन संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए अटलांटिक और मैक्सिको की खाड़ी के तटों पर मेनहैडेन आबादी के पुनर्निर्माण की वकालत करते हैं।

चेसापीक खाड़ी से परे सकारात्मक संकेत:

- चेसापीक खाड़ी के बाहर, अटलांटिक आयोग द्वारा 2012 में अत्यधिक मछली पकड़ने के समाधान के लिए उपाय किए जाने के बाद से मेनहैडेन की आबादी में वृद्धि हुई है, जिससे दो साल के भीतर मछली की आबादी में सुधार हुआ है।
- मेनहैडेन आबादी की पुनर्प्राप्ति ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के तटों से हंपबैक व्हेल, टूना, शार्क और गंजा ईगल जैसे विभिन्न शिकारियों को वापस ला दिया है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

5. यूरोपीय संघ प्रकृति बहाली कानून

संदर्भ: यूरोपीय संघ की संसद द्वारा प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी देने से लुप्तप्राय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा की योजनाओं पर प्रतिक्रिया और बहस छिड़ गई है। यह कानून यूरोपीय ग्रीन डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य प्रजातियों के विलुप्त होने का समाधान करना और क्षतिग्रस्त आवासों को बहाल करना है।

प्रकृति पुनर्स्थापन कानून:

- कानून का लक्ष्य 2030 तक 30% स्थलीय, तटीय, मीठे पानी और समुद्री आवासों को बहाल करना है, जो वर्तमान में खराब स्थिति में हैं।
- किसान और रूढ़िवादी कानून निर्माता इस कानून का कड़ा विरोध करते हैं, विशेष रूप से सूखे हुए पीटलैंड को बहाल करने की योजना के संबंध में। उनका तर्क है कि मूल्यवान कृषि भूमि खो सकती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिणाम और संभावित खाद्य सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं।

पीटलैंड का महत्व और पर्यावरणीय प्रभाव:

- हजारों वर्षों में बने पीटलैंड, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र, किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं। वे पृथ्वी के सभी वनों की तुलना में लगभग दोगुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं।
- जब पीटलैंड को कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए सूखा दिया जाता है, तो वे कार्बन सिंक से महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस स्रोतों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो उत्सर्जन में योगदान करते हैं।
- यूरोप के आधे से अधिक पीटलैंड स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे महाद्वीप का लगभग 7% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।

पुनर्मूल्यांकन और प्रतिमान परिवर्तन का आह्वान:

- प्रस्तावित कानून में यूरोप में पूर्व पीटलैंड के 50% को फिर से गीला करने की योजना शामिल है, जिसका लक्ष्य उनके पर्यावरणीय कार्यों को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है।
- विशेषज्ञ कृषि में एक आदर्श बदलाव की वकालत करते हैं, सूखे पीटलैंड पर खेती से दूर जाकर पलुडीकल्चर (आर्द्रभूमि पर खेती) में निवेश करते हैं, जो कि पुनः गीली पीट मिट्टी पर कृषि है। यह दृष्टिकोण मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कार्बन उत्सर्जन को रोकेगा।

राजनीतिक चुनौतियाँ और समझौते:

- यूरोपीय पीपुल्स पार्टी सहित रूढ़िवादी समूह, आर्द्रभूमि बहाली योजनाओं के दायरे को कम करना चाहते हैं और कृषि भूमि के रूपांतरण का विरोध करते हैं।
- आलोचकों का दावा है कि आर्द्रभूमि बहाली के लिए गांवों को साफ़ किया जा सकता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। हालाँकि, इन दावों को गलत सूचना और लोकलुभावन करार दिया गया है।

आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ:

- यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि प्राकृतिक संसाधनों को बहाल करने में निवेश किए गए प्रत्येक यूरो से लंबी अवधि में कम से कम आठ गुना आर्थिक रिटर्न मिलेगा।
- हालाँकि पुनर्निर्मित भूमि पारंपरिक मोनोकल्चर का समर्थन नहीं कर सकती है, लेकिन यह इन्सुलेशन सामग्री और जैविक प्लास्टिक के विकल्प के लिए लकड़ी, घास और नरकट जैसी अन्य फसलों के विकास को सक्षम कर सकती है। पुनर्जीवित क्षेत्र वैकल्पिक पशुधन के लिए चारागाह भी बन सकते हैं।

निष्कर्ष:

यूरोपीय संघ के प्रकृति बहाली कानून की मंजूरी ने पर्यावरण संरक्षण और कृषि हितों के बीच बहस छेड़ दी है। जहां किसान कृषि भूमि के संभावित नुकसान और आर्थिक प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हैं, वहीं पर्यावरणविद खतरे में पड़े पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और स्थायी भूमि उपयोग के दीर्घकालिक लाभों के लिए तर्क देते हैं। कानून का कार्यान्वयन यूरोपीय ग्रीन डील द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्रोत: द हिंदू

6. ईवी (EV) टायर

संदर्भ: टायर निर्माता सही टायर विकसित करने का प्रयास करते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए प्रदर्शन और स्थायित्व को संतुलित करता है। ईवी के बढ़ते वजन और टॉर्क के लिए भार को संभालने और सड़क पर कुशलतापूर्वक बिजली स्थानांतरित करने के लिए मजबूत टायरों की आवश्यकता होती है। टायर कंपनियां ईवी की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन में सुधार कर रही हैं और रासायनिक फॉर्मूले विकसित कर रही हैं।

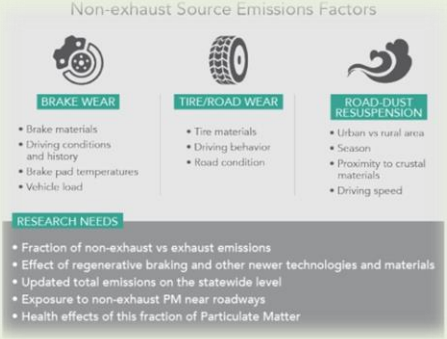

टायरों का पर्यावरणीय प्रभाव:

- टायर निकास उत्सर्जन से परे पर्यावरणीय क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- घिसे हुए टायर छोटे-छोटे कण छोड़ते हैं, जो हवा में फैल सकते हैं या मिट्टी पर जम सकते हैं, जिससे हवा और भूमि की गुणवत्ता को खतरा पैदा हो सकता है।
- जलमार्गों में प्रवेश करने वाले टायर के कण माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या में योगदान करते हैं।
- टायरों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) होते हैं जो वायुमंडल में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे धुंध बनने और वायु प्रदूषण में योगदान होता है।

टायर उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक वाहन:

- टायर पार्टिकुलेट प्रदूषण वाहन टेलपाइप से उत्सर्जन से अधिक हो गया है।
- पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी के अतिरिक्त वजन के कारण टायर घिसाव का उत्सर्जन अधिक होता है।
- एक अध्ययन से पता चला है कि टेस्ला मॉडल Y ने किआ नीरो की तुलना में 26% अधिक टायर घिसाव उत्सर्जन प्रदर्शित किया है।

पर्यावरणीय खतरे और समाधान:

- टायर कण प्रदूषण जल प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक के संचय में योगदान देता है।
- टायरों में मौजूद रसायन 6PPD जलीय जीवन, खाद्य पौधों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है।
- समग्र प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करते समय टायर उत्सर्जन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- स्थायी गतिशीलता के लिए कार के उपयोग को कम करते हुए पर्यावरणीय चिंताओं और आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करना आवश्यक है।

बाज़ार तंत्र और व्यक्तिगत क्रियाएँ:

- बाज़ार तंत्र टायर कंपनियों को कम उत्सर्जन वाले टायर फॉर्मूलेशन विकसित करने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- टायरों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) विषाक्तता के स्तर को विनियमित करने के लिए सख्त उद्योग मानकों की आवश्यकता है।
- ज़िम्मेदार ड्राइविंग की आदतें टायर घिसाव और कण उत्सर्जन को कम कर सकती हैं।
- टायरों को उनके पूर्ण जीवनकाल तक उपयोग करने से प्रारंभिक उपयोग अवधि के दौरान कण उत्सर्जन कम हो जाता है।

निष्कर्ष:

टायर डिजाइन और विनिर्माण को ईवी प्रदर्शन और प्रदूषण में कमी को संतुलित करना चाहिए। टायर और ईवी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए बाजार, उद्योग और व्यक्तिगत कार्रवाई महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विचारों और जिम्मेदार व्यवहार को एकीकृत करने वाले व्यापक समाधान टायरों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

7. रेडियो कॉलर

संदर्भ: अब तक, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में स्थानांतरित आठ चीतों की मौत हो चुकी है। हाल ही में कूनो में रेडियो कॉलर के कारण गर्दन पर लगे घावों के कारण संदिग्ध सेप्टिसीमिया के कारण दो चीतों की मौत ने पुनरुत्पादन परियोजना के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। तीन अन्य चीतों में भी इसी तरह की चोटें देखी गई हैं। इस अप्रत्याशित झटके ने भारत और अफ्रीका दोनों में निगरानी और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कॉलर के नियमित उपयोग से परिचित विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है।

जानवरों पर कॉलर क्या हैं?

जानवरों पर कॉलर गर्दन के चारों ओर पहने जाने वाले या किसी जानवर के गर्दन क्षेत्र से जुड़े उपकरणों को संदर्भित करता है। ये कॉलर विशिष्ट संदर्भ और शामिल जानवर के प्रकार के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

चीतों पर उपयोग किए जाने वाले रेडियो कॉलर क्या हैं?

- रेडियो कॉलर ट्रैकिंग कॉलर की तरह होते हैं जो जानवरों की निगरानी के लिए रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हैं।
- इनका उपयोग आमतौर पर वन्यजीव अनुसंधान में जानवरों की गतिविधियों, घरेलू क्षेत्रों और सामाजिक संपर्कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है।
- रेडियो कॉलर जंगली जानवरों के व्यवहार और पारिस्थितिकी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

कॉलर के साथ समस्या:

- किसी उपकरण को लंबे समय तक शरीर पर रखने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में घड़ी पहनने वालों की कलाई पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की उच्च उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिससे सेप्सिस या मृत्यु हो सकती है।
- इसी तरह, घरेलू कुत्तों में अक्सर तीव्र नम त्वचाशोथ या कॉलर के नीचे गर्म धब्बे विकसित हो जाते हैं, जो कि टिक या पिस्सू के काटने से खराब हो जाते हैं।
- इसके अलावा, टाइट-फिटिंग कॉलर दबाव परिगलन और गर्दन के चारों ओर बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं, जो बेडसोर जैसा दिखता है।

कुनो में चीतों की भेद्यता को प्रभावित करने वाले कारक:

- बाघों या तेंदुओं की तुलना में चीतों के पास रोएंदार शीतकालीन कोट होता है, जो अधिक पानी बरकरार रखता है और सूखने में अधिक समय लेता है।
- लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहने से समय के साथ त्वचा कमजोर हो जाती है।
- एक अध्ययन में पशु एथलेटिसिज्म पर विचार न करने के लिए 3% कॉलर वजन नियम की आलोचना की गई।
- एक्सेलेरोमीटर-आधारित शोध से पता चला है कि कॉलर चीतों पर गतिविधि के दौरान कॉलर के वजन के 18 गुना के बराबर बल लगाता है।
- यह वजन का बोझ, विशेष रूप से गीले कोट पर, उच्च गति की दौड़ के दौरान चीतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- चीते स्थानीय रोगजनकों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं जिनसे भारतीय बाघ और तेंदुए प्रतिरक्षित हैं।
- वैकल्पिक रूप से, चीतों में निष्क्रिय रोगज़नक़ हो सकते हैं जो नई परिस्थितियों में पनपते हैं, तनाव के कारण उनकी कमजोर प्रतिरक्षा को देखते हुए।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- रेडियो कॉलर के कारण गर्दन की चोटों के लिए सभी चीतों को ट्रैक करना, स्थिर करना और उनका मूल्यांकन करना एक तत्काल कार्रवाई है।
- रेडियो कॉलर के उपयोग का पुनर्मूल्यांकन करना और कॉलर संशोधनों या विकल्पों की खोज करना।
- हल्के कॉलर विकसित करना और कॉलर-प्रेरित चोटों के जोखिम को कम करने के लिए उचित फिटिंग सुनिश्चित करना।
- गैर-आक्रामक ट्रैकिंग विधियों का पता लगाया जा सकता है जिनमें कॉलर की आवश्यकता नहीं होती है।
- उचित पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करना।
- कुनो के चीतों में कॉलर-प्रेरित संक्रमण पैदा करने वाले विशिष्ट रोगजनकों को समझें और पहचानें।
- वन्यजीव जीवविज्ञानी, पशुचिकित्सकों, शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। परामर्श और ज्ञान एवं अनुभव साझा करना।

निष्कर्ष:

हाल ही में कूनो में चीतों की कॉलर-प्रेरित चोटों और मौतों ने पुनरुत्पादन परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। चीतों की सफलता और भलाई सुनिश्चित करने के लिए मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। हालाँकि, ऐसा समाधान ढूंढना जो चीतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ कॉलर के उपयोग को संतुलित करता हो, एक जटिल कार्य बना हुआ है।

स्रोत: द हिंदू

8. वैश्विक जैव ईंधन एलायंस (Alliance)

संदर्भ: आगामी 14वां स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और आठवां मिशन इनोवेशन (CEM14/MI-8) सम्मेलन, जो 19-22 जुलाई, 2023 को गोवा में होने वाला है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) की स्थापना का गवाह बनेगा। जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के नेतृत्व में ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) की संभावित स्थापना का उद्देश्य जैव ईंधन की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, वायु प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक संक्रमण में जैव ईंधन की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाना चाहता है।

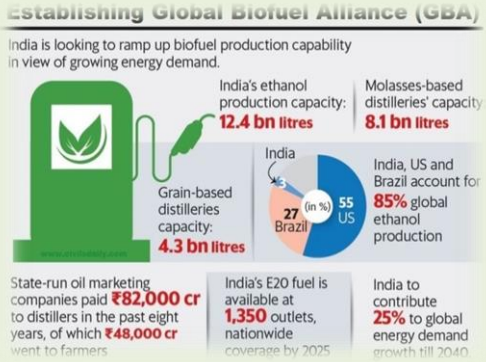

जैव ईंधन क्या है?

- जैव ईंधन जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे पौधे, कृषि फसलें, जैविक अपशिष्ट, या पशु उप-उत्पाद।
- यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
- जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

जैव ईंधन के प्रमुख प्रकार:

- बायोएथेनॉल एक अल्कोहल-आधारित ईंधन है जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का या गेहूं जैसी चीनी या स्टार्च फसलों को किण्वित करके उत्पादित किया जाता है। बायोएथेनॉल का उपयोग आमतौर पर परिवहन उद्देश्यों के लिए गैसोलीन में मिश्रण के रूप में किया जाता है।
- बायोडीजल का उत्पादन वनस्पति तेलों, पशु वसा या पुनर्नवीनीकृत खाना पकाने के तेल से किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों में पारंपरिक डीजल ईंधन के साथ सीधे प्रतिस्थापन या मिश्रण के रूप में किया जा सकता है।
- बायोगैस गैसों का मिश्रण है, मुख्य रूप से मीथेन, जो कृषि अवशेष, खाद्य अपशिष्ट या सीवेज जैसे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के अवायवीय पाचन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग या वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) के मुख्य उद्देश्य और पहल:

- जैव ईंधन के लिए मजबूत बाजार विकसित करना और जैव ईंधन में वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
- नीति समन्वय को बढ़ावा देना, ठोस नीति सबक साझा करना और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- सहयोग करें और पूरक करें- मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां- ऊर्जा संक्रमण पहल, जैसे- स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायोएनर्जी पहल और ग्लोबल बायोएनर्जी पार्टनरशिप (GBEP) ।
- तालमेल का लाभ उठाकर प्रभाव को अधिकतम करें और जैव ईंधन उद्योग के विकास में तेजी लाएं।

भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम:

- 2020-21 में, भारत ने 4.08 बिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रण दर 10.02% रही। इससे 2.7 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई और विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण बचत हुई।
- 2022-23 के लिए वर्तमान लक्ष्य 12% की सम्मिश्रण दर हासिल करना है, अंतिम लक्ष्य 2025 तक 20% है।
- भारत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) कार्यक्रम के माध्यम से सीबीजी को कचरे से प्राप्त स्वच्छ ईंधन के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अब तक 46 सीबीजी संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और लगभग 16,164 टन सीबीजी बेची जा चुकी है।
- लक्ष्य- 2024 तक पूरे भारत में 5,000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना, योगदान देना- अपशिष्ट प्रबंधन-प्रदूषण कम करना।
- भारत ने अपनी पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान - घरेलू स्तर पर उत्पादित टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) मिश्रण - का संचालन किया - विमानन क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने की प्रतिबद्धता।
- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव-विमानन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति की स्थापना देश में टिकाऊ विमानन ईंधन के विकास को आगे बढ़ाती है।

जीबीए के पीछे प्रेरणा: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

- ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
- आईएसए- सौर ऊर्जा समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- सुविधा- सौर परियोजना विकास - सौर वित्त सुविधा, सोलरएक्स ग्रैंड चैलेंज, सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र और 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल' जैसी पहल।
- जीबीए का लक्ष्य जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर और विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता को कम करके आईएसए की सफलता को दोहराना है।

निष्कर्ष:

जीबीए (GBA) वैश्विक जैव ईंधन उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। G20 प्रेसीडेंसी में भारत का नेतृत्व ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने में जैव ईंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। जीबीए का विस्तृत रोडमैप, महत्वाकांक्षी लक्ष्य और पहल एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

YouTube
IAS with Ojaank Sir

9. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक

संदर्भ: जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाना तय है। पहले इस पर 29 मार्च 2023 को लोकसभा में चर्चा होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया था. 2021 में पेश किया गया जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 मौजूदा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। हालाँकि, इसे इस चिंता के कारण आलोचना और आपत्तियों का सामना करना पड़ा है कि कुछ संशोधन उद्योग के हितों का पक्ष ले सकते हैं और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से कायम नहीं रख सकते हैं। विधेयक की अब तक की यात्रा ने भारत में जैव विविधता संरक्षण पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं।

विधेयक के उद्देश्य:

- संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य जंगली औषधीय पौधों पर नियमों को आसान बनाना है।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दें।
- सहयोगात्मक अनुसंधान और निवेश के लिए वातावरण को बढ़ावा देना।
- औषधीय उत्पाद बनाने वाले चिकित्सकों और कंपनियों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमति प्राप्त करने का बोझ कम करें।

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 के विवादास्पद प्रावधान:

- विधेयक में जैव विविधता कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को दोषी पक्षों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की दी गई शक्ति को वापस ले लिया गया है।
- यह विधेयक घरेलू कंपनियों को जैव विविधता बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त किए बिना जैव विविधता का उपयोग करने की अनुमति देता है। केवल विदेशी नियंत्रित कंपनियों को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- विधेयक में संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान शब्द शामिल है, जो भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों सहित उपयोगकर्ताओं को लाभों तक पहुंचने या साझा करने के लिए अनुमोदन के प्रावधानों से छूट देता है।

कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता:

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन भारत में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं।
- निरीक्षण और जवाबदेही की कमी से जैव विविधता संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग हो सकता है, जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान लाभ कमाने वाली घरेलू कंपनियों को उन समुदायों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना पारंपरिक ज्ञान का दोहन करने में सक्षम बना सकता है जिन्होंने इसे पीढ़ियों से संरक्षित और विकसित किया है।

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर जोर देता है। प्रस्तावित संशोधन इन सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सकते हैं।
- हालाँकि विधेयक का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना और नियमों को आसान बनाना है, लेकिन यह जैव विविधता हानि, आवास क्षरण और मजबूत संरक्षण उपायों की आवश्यकता के व्यापक मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकता है।
- जैव विविधता संरक्षण और लाभ-साझाकरण तंत्र को कमजोर करने से स्वदेशी और स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो अक्सर अपनी आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जैव विविधता पर निर्भर होते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- बिल में विवादास्पद प्रावधानों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्लेखन करें, विशेष रूप से उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने, घरेलू कंपनियों को अनुमति लेने से छूट देने और पारंपरिक ज्ञान को संहिताबद्ध करने से संबंधित।
- जैव विविधता के उपयोग से समान लाभ साझा करने के लिए मजबूत और पारदर्शी तंत्र स्थापित करें।
- जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए स्वदेशी समुदायों और पारंपरिक ज्ञान धारकों को पर्याप्त मुआवजा देना।
- उन व्यवसायों को प्रोत्साहित करें जो संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।
- जैव विविधता संरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन उपायों को मजबूत करें। गैर-अनुपालन को रोकने के लिए उल्लंघनों के लिए उचित दंड स्थापित करें।
- विधेयक को भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करें, विशेष रूप से उन प्रतिबद्धताओं के साथ जिन पर सीबीडी के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी।
- जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित और मॉनिटर करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) जैसे जैव विविधता शासन निकायों की क्षमता और अधिकार को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक जटिल दुविधा प्रस्तुत करता है। चूंकि विधेयक मानसून सत्र में चर्चा का इंतजार कर रहा है, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की जैव विविधता सुरक्षित है और वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

स्रोत: द हिंदू

10. गाडगिल रिपोर्ट

संदर्भ: हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक विनाशकारी भूस्खलन के कारण 27 लोगों की मौत हो गई और एक पूरा गाँव नष्ट हो गया। इस दुखद घटना ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट के संरक्षण पर 2011 की डॉ. माधव गाडगिल रिपोर्ट के बारे में चर्चा फिर से शुरू कर दी है।

डॉ. माधव गाडगिल की रिपोर्ट:

2010 में, पारिस्थितिकीविज्ञानी डॉ. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) की नियुक्ति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई थी।

मुख्य सिफ़ारिशें:

- रिपोर्ट में छह राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के 64 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) - ईएसजेड 1, ईएसजेड 2 और ईएसजेड 3 में वर्गीकृत करने और पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- रिपोर्ट में ईएसजेड 1 में खनन, ताप विद्युत संयंत्रों और बांधों के निर्माण सहित लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों को रोकने की सिफारिश की गई है। इसमें गोवा में ईएसजेड 1 में खनन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने, ईएसजेड 1 और ईएसजेड 2 में नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में, और मौजूदा उद्योगों के लिए शून्य प्रदूषण मानदंड लागू करना।
- रिपोर्ट में पश्चिमी घाट में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए चाय, कॉफी, इलायची, रबर, केला और अनानास जैसी एकल व्यावसायिक फसलें उगाने पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई है।
- इसने पर्यावरण के प्रशासन में विकेंद्रीकरण और स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की। क्षेत्र की पारिस्थितिकी के प्रबंधन और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।
- रिपोर्ट में नदी पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के साथ-साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों, प्लास्टिक की थैलियों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और नए हिल स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- विकास और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के डर से, सिफारिशों को हितधारक राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- प्रतिरोध के जवाब में, डॉ के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया गया था। 2014 में जारी इस पैनल की रिपोर्ट में केवल 37 प्रतिशत क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बताया गया, जो गाडगिल के प्रस्ताव से काफी कम है।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट को सांस्कृतिक (मानव बस्तियाँ) और प्राकृतिक (गैर-मानव बस्तियाँ) क्षेत्रों में विभाजित किया। इसने सांस्कृतिक भूमि को ईएसए के रूप में नामित करने का सुझाव दिया और विनियमन स्तरों के आधार पर गतिविधियों के लिए लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियां पेश कीं।

विवाद और आलोचना:

- डॉ. माधव गाडगिल ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि इसने उनके पैनल की मूल सिफारिशों के सार को विकृत और विकृत कर दिया है।
- उन्होंने आर्थिक निर्णयों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के महत्व और अधिक प्रकृति-समर्थक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

वर्तमान स्थिति:

2022 तक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने भौतिक भूदृश्य का संचालन करने और एक वर्ष के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की।

निष्कर्ष:

- रायगढ़ भूस्खलन त्रासदी और डॉ. माधव गाडगिल रिपोर्ट के बारे में चर्चा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।
- संरक्षण प्रयासों और विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच नाजुक संतुलन एक जटिल मुद्दा बना हुआ है।
- भावी पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए हितधारकों, सरकारों और विशेषज्ञों के लिए सहयोग करना और स्थायी समाधान ढूंढना आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

Ojaank Gurkul Campus in Noida

सागर सामाजिक सहयोग:

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने बंदरगाहों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के नए दिशानिर्देश - 'सागर सामाजिक सहयोग' लॉन्च किया।
- CSR बजट अनिवार्य रूप से शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से बनाया जाएगा।
- CSR खर्च का 20% सैनिक कल्याण बोर्ड को दिया जाना चाहिए।
- CSR के लिए कुछ कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।

जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD):

- हाल ही में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने "रिपोर्ट मछली रोग ऐप" लॉन्च किया।
- ऐप को CAR- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBFGR) द्वारा जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) के तहत विकसित किया गया था।
- NSPAAD को मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसे प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत क्रियान्वित किया गया है।
- यह जलीय जंतुओं में नए और विदेशी संक्रामक रोगों का तेजी से पता लगाने के लिए जलीय जंतु रोगों के वितरण और घटना पर जानकारी एकत्र करता है।

वैश्विक वन समीक्षा (GFR):

- वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) और मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म पर GFR को अद्यतन किया।
- 2022 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन हानि कुल 4.1 मिलियन हेक्टेयर थी, जो प्रति मिनट 11 फुटबॉल मैदानों के जंगल खोने के बराबर है।
- इस वन हानि से 2.7 गीगाटन (GT) CO2 उत्सर्जन हुआ, जो भारत के वार्षिक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के बराबर है।

पंचायत विकास सूचकांक (PDI):

- इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
- यह उनके द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान करता है।
- यह अंकों के आधार पर पंचायतों की रैंकिंग करता है और उन्हें चार ग्रेडों में वर्गीकृत करता है।
- ग्रेड में A (75 से 90%), B (60-75%), C (40-60%) और D (40% से कम) शामिल हैं।

इंडियन स्कीमर

- उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बैराज में रेत के ढेर पर पैदा हुए चार भारतीय स्कीमर (Skimmer) बच्चे बह गए हैं।
- इंडियन स्कीमर आमतौर पर अप्रैल और मई के आसपास घोंसला बनाता है।
- यह सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़ों के लार्वा को खाता है।
- यह मुख्य रूप से बड़ी, रेतीली, तराई की नदियों, झीलों और निकटवर्ती दलदलों के आसपास और गैर-प्रजनन के मौसम में, मुहाने और तटों पर रहता है।
- IUCN संरक्षण स्थिति: लुप्तप्राय
- प्रमुख खतरे: नदियों और झीलों का शोषण और क्षरण, घरेलू कौवे जैसे कॉर्विड द्वारा शिकार और आवारा और घरेलू कुत्तों की उपस्थिति।

ई लॉग्स (लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी) प्लेटफॉर्म:

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने उद्योग संघों को ई-लॉग प्लेटफॉर्म पर भाग लेने के लिए कहा।
- इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) के तहत की गई है।
- 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद(GDP) के अनुमानित 14% से घटाकर लगभग 8% करना।
- भारतीय वस्तुओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, क्षेत्र में आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग:

- आईएमटी(IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- राजमार्ग भारत के मणिपुर में मोरेह को म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड में माई सॉट से जोड़ेगा।
- भारत म्यांमार में आईएमटी राजमार्ग के दो खंडों का निर्माण कार्य कर रहा है-
- कालेवा-यज़ी सड़क खंड।
- तमू-क्यिगोन-कलेवा खंड पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण।
- साथ ही, आईएमटी(IMT) हाईवे को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है।

डेटा स्क्रैपिंग

- ट्विटर (Twitter) ने डेटा स्क्रैपिंग से निपटने के लिए अस्थायी रीडिंग सीमा की घोषणा की।
- डेटा स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपिंग वेबसाइटों या ऑनलाइन स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा निकालने की स्वचालित प्रक्रिया है।
- इसमें वेब पेजों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए सॉफ़्टवेयर टूल या प्रोग्रामिंग तकनीकों का उपयोग करना शामिल है।
- इसका उपयोग अकादमिक अनुसंधान, डेटा पत्रकारिता, या नवीन एप्लिकेशन और सेवाएं बनाने के लिए किया जा सकता है।
- लेकिन इससे कॉपीराइट का उल्लंघन, गोपनीयता का उल्लंघन, हेरफेर और डेटा का दुरुपयोग आदि भी हो सकता है।

नवजात जीनोम-अनुक्रमण:

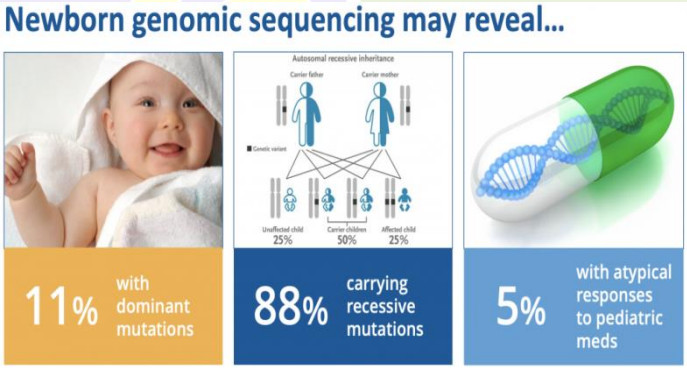

- जीनोम अनुक्रमण का अर्थ है किसी व्यक्ति के डीएनए(DNA) में आधार युग्मों के सटीक क्रम को समझना।
- जीनोम एक जीव का डीएनए का पूरा सेट है। इसमें सभी गुणसूत्र शामिल हैं, जिनमें डीएनए और जीन (डीएनए(DNA) के विशिष्ट खंड) शामिल हैं।
- नवजात शिशु के जीनोम-अनुक्रमण से शीघ्र निदान हो सकता है, उपचार की प्रभावशीलता बढ़ सकती है और शिशु को मृत्यु या विकलांगता से बचाया जा सकता है। इससे उपचार की सामर्थ्य भी बढ़ सकती है।
- नैतिक चिंताओं में गोपनीयता और परिवारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, लाभ का समान वितरण आदि के मुद्दे शामिल हैं।

धातुकर्म कोक(Coke):

- भारत ने धातुकर्म कोयला आयात में अचानक उछाल के खिलाफ सुरक्षा जांच शुरू कर दी है।
- अत्यधिक उच्च तापमान पर कोक ओवन में कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा धातुकर्म कोक का उत्पादन किया जाता है।
- लौह अयस्क को लौह में परिवर्तित करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट और फाउंड्री जैसी लौह और इस्पात उद्योग प्रक्रियाओं में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
- भारत वास्तविक मांग का केवल एक अंश ही पैदा करता है और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

प्रोजेक्ट वेव:

- इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल 'प्रोजेक्ट वेव (वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस)' के तहत नई सेवाओं का अनावरण किया है।
- इसे नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से पेश किया गया है।
- इसके तहत, पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) सेवा शुरू की गई है।

eSARAS मोबाइल ऐप:

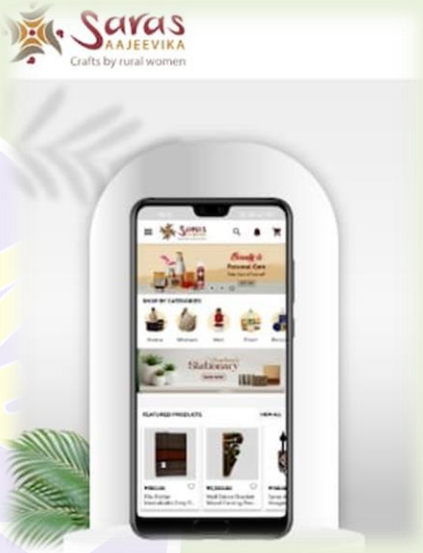

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने eSARAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- eSARAS एक ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप का उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक अधिक प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा।
- eSARAS पूर्ति केंद्र का उपयोग उन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्राहक eSARAS पोर्टल और eSARAS मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए DAY-NRLM का उद्देश्य SHG पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से आजीविका बढ़ाकर और SHG सदस्यों को बेहतर आय प्रदान करके ग्रामीण भारतीयों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है।

युआन के मुकाबले रुपये में मजबूती:

- पिछले तीन महीनों में चीनी युआन के मुकाबले रुपया 6% बढ़ा है।
- इसका कारण कोविड प्रतिबंधों के बाद चीन का लड़खड़ाना, अमेरिका में उच्च रिटर्न और कमजोर वैश्विक विकास के बीच निर्यात की धीमी मांग है।
- इससे चीन से आयात में बढ़ोतरी हो सकती है.
- इससे मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) को कम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि आयातित चीनी सामान सस्ता होगा।

ज़ो लोग:

- मणिपुर में मेइतीस और कुकी-ज़ोमी जनजातियों के बीच जातीय हिंसा के मद्देनजर मिज़ोरम के ज़ो लोगों के पुनर्मिलन का आह्वान किया जा रहा है।
- ज़ो लोगों में म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में फैले चिन-कुकी-मिज़ो जातीय समूह की सभी जनजातियाँ शामिल हैं।
- कई उप-जनजातियाँ और कबीले जैसे चिन, कुकी, मिज़ो, लुशेई, ज़ोमी, पैतेई, हमार, राल्ते, पावी, लाई, मारा, गंगटे, थाडौ, आदि।
- ऐसा माना जाता है कि जनजातियाँ तिब्बत के माध्यम से चीन से म्यांमार में बसने के लिए चली गईं।
- वे तिब्बती-बर्मन भाषाओं का एक समूह बोलते हैं।

सूडान (राजधानी: खार्तूम):

- खार्तूम में भारी लड़ाई छिड़ गयी।
- उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में स्थित, सूडान की सीमा मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया के साथ लगती है।
- दक्षिण सूडान 2011 में इससे अलग हो गया था।
- सूडान लाल सागर में सऊदी अरब के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है।
- सबसे ऊँची चोटी: डेरिबा काल्डेरा (जेबेल मार्रा पर्वत) ।
- प्रमुख नदी: नील नदी (सफेद नील और नीली नील खार्तूम में विलीन हो जाती है) ।
- प्रमुख झीलें: कुंडी, अब्यद और तुरदत अल-रहाद।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):

- हाल ही में यूके, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन ने 2020 में एक यूक्रेनी यात्री जेट को गिराए जाने के मामले में ईरान को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में ले गए।
- ICJ, जिसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मुख्यालय नीदरलैंड के "द हेग" में स्थित है।
- न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है, जिन्हें यूएनजीए और यूएनएससी द्वारा 9 साल की अवधि के लिए चुना जाता है।
- ICJ 2 प्रकार के मामलों पर विचार करता है, राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवाद (विवादास्पद मामले) और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों (सलाहकार कार्यवाही) द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय के लिए अनुरोध।

टेली मानस:

- भारत का पहला टेली-मानस चैटबॉट, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा, जम्मू-कश्मीर में लॉन्च किया गया था।
- केंद्र ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग (टेली-मानस) की घोषणा की थी।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, टेली-मानस एक दो स्तरीय प्रणाली है।
- टियर (Tier) 1 में राज्य टेली मानस सेल शामिल हैं, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
- टियर (Tier) 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMPH)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ और/या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ईसंजीवनी शामिल हैं।

बहु बल्ली पशु बाड़ (बांस की बाड़):

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत में राजमार्गों पर बहु बल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रहा है।
- इससे मवेशियों को सड़क पार करने और खतरनाक दुर्घटनाओं का कारण बनने से रोका जा सकेगा।
- बांस को क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है और पुनर्नवीनीकरण उच्च-घनत्व पॉली एथिलीन (HDPE) के साथ लेपित किया जाता है, जिससे यह स्टील का एक मजबूत विकल्प बन जाता है।
- बाड़ को कक्षा 1 की अग्नि रेटिंग प्राप्त है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करती है।

चिंकारा (Chinkara):

- चिंकारा या भारतीय चिकारा राजस्थान का राज्य पशु है।
- यह अधिकतर एक अकेला जानवर है, लेकिन कभी-कभी 2 - 4 व्यक्तियों के छोटे समूह बनाता है।
- चिंकारा शुष्क क्षेत्रों में निवास करता है, जिनमें रेतीले रेगिस्तान, समतल मैदान और पहाड़ियाँ, शुष्क झाड़ियाँ और हल्के जंगल शामिल हैं।
- वे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं।
- इस प्रजाति के रेंज राज्य भारत, ईरान, पाकिस्तान और संभवतः अफगानिस्तान हैं।
- विश्व की अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी भारत के थार रेगिस्तान में पाई जाती है।
- इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची और CITES परिशिष्ट III में सबसे कम चिंता वाली सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

खज़ान भूमि:

- हाल ही में, एनजीटी (NGT) ने कैवेलोसिम में खज़ान भूमि पर निर्माण के लिए पर्यावरण नियमों का पालन करने में गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की विफलता पर प्रकाश डाला।
- खज़ान गोवा की तटीय आर्द्रभूमि हैं।
- यह एक निचला, खारा जल-जमाव वाला क्षेत्र है जो ज्वारीय प्रवाह से प्रभावित होता है।
- इन्हें ईसाई युग में बांधों, स्लुइस गेटों और नहरों की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से मैंग्रोव जंगलों से पुनः प्राप्त किया गया है।
- इनका उपयोग कृषि, जलीय कृषि और नमक पैनिंग जैसे कई उत्पादक उपयोगों के लिए किया जाता है।
- वे क्षेत्र में बाढ़ के पानी के लिए मुख्य जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।

ज़ापोरीज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र:

- ज़ापोरीज़िया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो पूर्वी यूक्रेन में स्थित है लेकिन वर्तमान में रूस के नियंत्रण में है।
- छह परमाणु रिएक्टरों के साथ, यह निप्रो नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- यूक्रेन में अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र खमेलनित्सकी, रिव्ने और दक्षिण यूक्रेन हैं।

खाद्य तेल:

- कृषि मंत्रालय ने "मल्टी-सोर्स खाद्य तेल ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 2023" अधिसूचित किया है।
- नए नियम मिश्रण द्वारा संसाधित बहु-स्रोत खाद्य तेलों के मामले में खाद्य तेलों के मिश्रण प्रतिशत को निर्दिष्ट करना अनिवार्य बनाते हैं।
- खाद्य तेल कंपनियों को ब्रांड नाम के बाद लेबल पर प्रमुखता से यह उल्लेख करना होगा कि तेल "मल्टी सोर्स खाद्य तेल" है।
- उन्हें पैकेट में खाद्य तेल के नाम और मिश्रण की मात्रा का भी उल्लेख करना चाहिए और उनके स्वरूप यानी कच्चे या परिष्कृत का भी उल्लेख करना चाहिए।

पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (PPR):

- पीपीआर (PPR) ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊंचे चरागाहों में 60 भेड़ और बकरियों को मार डाला है।
- यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है।
- यह रिंडरपेस्ट वायरस से निकटता से संबंधित एक मोर्बिलीवायरस के कारण होता है, और बकरियों, भेड़ों और पालतू छोटे जुगाली करने वाले जानवरों के कुछ जंगली रिश्तेदारों के साथ-साथ ऊंटों को भी प्रभावित करता है।
- इसकी विशेषता गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर है।
- पीपीआर (PPR) वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करता है।

टेलर ग्लेशियर:

- वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर की जीभ से 'लाल रंग' की लार क्यों निकलती है।
- इसे ब्लड फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे पहली बार 1911 में एक ब्रिटिश अभियान द्वारा खोजा गया था।
- प्रतिष्ठित लाल रंग का कारण छोटे 'लौह-समृद्ध नैनोस्फेयर' की उपस्थिति थी।
- स्थान: मैकमुर्डो सूखी घाटियाँ, अंटार्कटिका।
- मंगल ग्रह पर बर्फ के नीचे की जमीन के बारे में जानने के लिए इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

टीके और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (GAVI):

- GAVI के अनुसार, अफ्रीका के लगभग 12 देशों को अगले दो वर्षों में मलेरिया वैक्सीन (मॉस्किरिक्स) की 18 मिलियन खुराकें प्राप्त होंगी।
- गावी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है (2000 में बनाया गया), जिसका लक्ष्य टीकों के न्यायसंगत और टिकाऊ उपयोग को बढ़ाकर जीवन बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- साझेदार में WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं।

परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR):

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को बाहर निकालने के लिए VRRRs की नीलामी को आगे बढ़ाया।
- वीआरआरआर रिवर्स रेपो का उपखंड है। वीआरआरआर नीलामी मौजूदा नकदी को निकालकर सिस्टम में अधिशेष तरलता को कम करने के लिए की जाती है।
- रिवर्स रेपो एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं।
- धन की कमी होने पर RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जारी करता है वह रेपो दर है।

जियोकोडिंग:

- जीएसटी (GST) नेटवर्क (GSTN) ने फर्जी पंजीकरण और फर्जी टैक्स क्रेडिट से निपटने के लिए सभी राज्यों और क्षेत्रों के लिए जियोकोडिंग शुरू की है।
- जीएसटीएन (GSTN) रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पते के स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए जियोकोडिंग की शुरुआत की गई है।
- यह किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है।
- जीएसटीएन (GSTN) पहले ही व्यवसायों के 1.8 करोड़ प्रमुख स्थानों को जियोकोड कर चुका है।
- जीएसटीएन (GSTN), गैर-लाभकारी संगठन, जीएसटी (GST) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आईटी (IT) बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है।

ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप (GCRG) का समूह:

- भारत संयुक्त राष्ट्र के जीसीआरजी में शामिल हो गया है।
- GCRG की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) द्वारा 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी।
- इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख शामिल होते हैं।
- यह निर्णय निर्माताओं को कमजोर देशों की मदद के लिए समाधान जुटाने और रणनीति विकसित करने में मदद करेगा।

क्लोथो प्रोटीन:

- नेचर एजिंग (Nature Aging) में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि उम्रदराज़ बंदरों को क्लोथो का इंजेक्शन लगाने से उनके संज्ञानात्मक कार्य में सुधार हो सकता है।
- निष्कर्षों से न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- क्लोथो एक 'दीर्घायु कारक' प्रोटीन है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन जो उम्र के साथ हमारे शरीर में कम होता जाता है।
- चूहों पर पिछले शोध से पता चला था कि क्लोथो के इंजेक्शन जानवरों के जीवन को बढ़ा सकते हैं और सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी (न्यूरॉन्स के बीच संचार को नियंत्रित करने की क्षमता, जंक्शनों पर सिनैप्स कहा जाता है) को बढ़ा सकते हैं।

पोर्पनैकोट्टई साइट:

- तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में पोरपनाइकोट्टई स्थल पर संगम युग से संबंधित एक सोने की स्टड, एक हड्डी का बिंदु और एक कारेलियन मनका की खुदाई की गई है।
- संगम युग प्राचीन तमिलनाडु, केरल के इतिहास की अवधि को संदर्भित करता है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सी तक फैली हुई है। तीसरी शताब्दी ई.पू.
- उत्खनन स्थल ने एक दफन स्थल का संकेत दिया था, और किले क्षेत्र में स्थल के अंदर जलाशयों के संकेत मिले थे।
- कार्नेलियन मनके की खोज (आमतौर पर भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है) ने देश में व्यापार का संकेत दिया।
- हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलता है कि पोर्पनैकोट्टई बुनाई उद्योग का स्थल था।

प्रोजेक्ट 75 (भारत) - P75 (I):

- स्पेन की नवंतिया और लार्सन एंड टुब्रो P75 (I) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए बोली लगाएंगी।
- P75 (I), P75 का स्थान लेता है, जो 30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है जो 2030 में समाप्त होगी।
- P75 (I) के लिए भारतीय बोलीदाता को एक विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ करना आवश्यक है।
- इसमें बेहतर सेंसर और हथियारों और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP) के साथ छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- यह नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को लाने के अलावा, पनडुब्बियों की स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा।

गेहूं की नई किस्म:

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पीबीडब्ल्यू आरएस1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें आरएस प्रतिरोधी स्टार्च का संक्षिप्त रूप है।
- उच्च एमाइलोज़ स्टार्च सामग्री वाला पीबीडब्ल्यू (PBW) आरएस (RS)1, टाइप-2 मधुमेह और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जाना जाता है।
- इससे बनी चीजें ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेजी से वृद्धि नहीं करेंगी।
- इसके बजाय, उच्च एमाइलोज़ और प्रतिरोधी स्टार्च, यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्तप्रवाह में अधिक धीरे-धीरे जारी हो।
- धीमी गति से पचने के कारण तृप्ति की भावना भी बढ़ती है जिससे मोटापे से निपटने में मदद मिलती है।
- हालाँकि, इस उपज से औसत अनाज उपज औसत उपज से कम दर्ज की गई है।

एंटअमीबा मोशकोव्स्की:

- यह डायरिया पैदा करने वाला रोगज़नक़ है जो कोलकाता में फैलता हुआ पाया गया है।
- पहली बार 1941 में मॉस्को में वर्णित, एंटअमीबा मोशकोवस्की आमतौर पर एनोक्सिक तलछट (ऑक्सीजन की कमी) से लेकर खारे तटीय पूलों में पाया जाता है।
- ई मोशकोव्स्की और अन्य संबंधित प्रजातियाँ जैसे ई हिस्टोलिटिका और एंटामोइबा डिस्पर रूपात्मक रूप से समान हैं।
- वे अमीबियासिस का भी कारण बनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।
- उनमें से, ई हिस्टोलिटिका संक्रमण प्रचलित हैं।

डी-डॉलरीकरण:

- बांग्लादेश और भारत ने रुपये में व्यापार लेनदेन शुरू किया, जो डी-डॉलरीकरण की दिशा में एक कदम है।
- डी-डॉलरीकरण से तात्पर्य उन देशों से है जो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अपनी मुद्रा या वैकल्पिक संसाधनों में व्यापार और आर्थिक भंडार को आगे बढ़ा रहे हैं।
- इससे क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार मजबूत होगा।
- साथ ही दोनों देश धीरे-धीरे व्यापार के लिए बांग्लादेशी मुद्रा 'टका' को अपनाएंगे।
- विनिमय दर बाजार की मांग और प्रक्रिया में शामिल बैंकों के अनुरूप तय की जाएगी।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) और यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बीच अंतरसंचालनीयता लागू करेगा।
- 2022 में, RBI ने CBDC लॉन्च किया, जिसे डिजिटल रुपया (e₹) के रूप में जाना जाता है, जिसमें आम तौर पर ब्लॉकचेन तकनीक (सार्वजनिक खाता बही) पर आधारित घटक होते हैं।
- इसे कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्यवर्ग में जारी किया जा रहा है।
- इसे वित्तीय मध्यस्थों, यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
- उपयोगकर्ता बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे।

शेल्फ़ क्लाउड:

- हाल ही में उत्तराखंड के रूड़की में शेल्फ क्लाउड देखा गया।
- शेल्फ बादल - जिन्हें आर्कस बादल के रूप में भी जाना जाता है - अक्सर शक्तिशाली तूफान प्रणालियों से जुड़े होते हैं, और कई बार उन्हें दीवार बादल, फ़नल बादल या रोटेशन के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।
- ये बादल कभी-कभी क्यूम्यलोनिम्बस बादलों के नीचे देखे जाते हैं, घने, ऊंचे ऊर्ध्वाधर बादल जो तीव्र वर्षा का कारण बनते हैं।
- इसका निर्माण तब होता है जब क्यूम्यलोनिम्बस बादल से ठंडा डाउनड्राफ्ट जमीन पर पहुंचता है, ठंडी हवा तेजी से जमीन पर फैल सकती है, जो मौजूदा गर्म नम हवा को ऊपर की ओर धकेलती है।
- जैसे ही यह हवा ऊपर उठती है, जल वाष्प संघनित होकर शेल्फ बादलों से जुड़े पैटर्न में बदल जाता है।

विश्व चुनाव निकायों का संघ (A-WEB):

- 2013 में स्थापित A-WEB चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसमें वर्तमान में 110 देशों के 119 चुनाव प्रबंधन निकाय (EMB) शामिल हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग 2019-22 कार्यकाल के लिए ए-वेब अध्यक्ष था और वर्तमान में 2022-24 के लिए इसके कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है।
- ए-वेब सदस्यों के अधिकारियों की सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को साझा करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत ए-वेब केंद्र स्थापित किया गया है।

भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (IICA):

IICA Indian Institute of Corporate Affairs
Partners in Knowledge. Governance. Transformation.

- IICA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो देश में एक प्रमुख संस्थान के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- IICA को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2008 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- IICA सोसाइटी का नेतृत्व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री करते हैं, जो IICA सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- यह कॉरपोरेट विकास, सुधारों और विनियमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, कॉरपोरेट्स और अन्य हितधारकों को नीति वकालत, अनुसंधान और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है।

ऑडिटऑनलाइन:

- ऑडिटऑनलाइन का एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मॉड्यूल लॉन्च किया गया।
- ऑडिटऑनलाइन एक ओपन-सोर्स एप्लिकेशन है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय (MOPR) द्वारा शुरू किए गए ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, एमओपीआर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज में बदलाव के लिए ई-पंचायत एमएमपी (MMP) लागू कर रहा है।
- इसके तहत एक सरलीकृत कार्य-आधारित लेखांकन एप्लिकेशन eGramSwaraj भी लॉन्च किया गया।
- यह सरकारी विभाग/पीआरआई (PRI) के आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):

- वित्त मंत्रालय ने एसडीआरएफ (SDRF) को जारी की राशि।
- अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ (SDRF) का गठन किया गया है।
- केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ (SDRF) में 75% और उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों में 90% योगदान देती है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।
- एसडीआरएफ (SDRF) का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और ठंढ और शीत लहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

मौन का अधिकार:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
- चुप्पी का अधिकार अनुच्छेद 20(3) से उत्पन्न होता है, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
- संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही तक सीमित है।
- जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है, उसे अधिकार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति "अपराध का आरोपी" नहीं है और वकील का हकदार नहीं है।
- नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. में दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है।

कास (Kaas) पठार:

- कास पठार में एक मौसमी झील से तलछट के नए अध्ययन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है।
- कास पठार या पथार, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के जीवमंडल में आता है।
- इसका नाम कासा पेड़ से लिया गया है, जिसे वानस्पतिक रूप से एलेओकार्पस ग्लैंडुलोसस (रुद्राक्ष परिवार) के नाम से जाना जाता है।
- यह आग्नेय चट्टानों से बना है।
- यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है।

एम्बरग्रिस (तैरता हुआ सोना):

- एम्बरग्रीस एक मोमी पदार्थ है जो शुक्राणु व्हेल द्वारा स्रावित होता है जब वे स्क्विड चोंच जैसे अपचनीय पदार्थ को निगलते हैं।
- उपयोग: इत्र, अतीत में भोजन, मादक पेय और तंबाकू को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने के रिकॉर्ड।
- संरक्षण: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में एम्बरग्रीस के कब्जे और व्यापार पर प्रतिबंध।
- स्पर्म व्हेल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है।
- एम्बरग्रीस और इसके उप-उत्पादों सहित इसके किसी भी उप-उत्पाद का कब्ज़ा या व्यापार, WPA, 1972 के प्रावधानों के तहत अवैध है।

कृषि इन्फ्रा फंड योजना (AIF):

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एआईएफ के तहत बैंकों के लिए भारत अभियान शुरू किया।
- एआईएफ फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है।
- योजना की अवधि FY2020 से FY2029 (10 वर्ष) है।
- इसके तहत रु. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- योग्य लाभार्थियों में किसान, एफपीओ (FPO), पैक्स, विपणन सहकारी समितियां, एसएचजी (SHGs) आदि शामिल हैं।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC):

- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव विरोधी (GMO) कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जीईएसी राज्य की स्थिति पर विचार किए बिना निर्णय ले रहा है।
- जीईएसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत भारत में शीर्ष बायोटेक नियामक निकाय है।
- इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- जीईएसी पर्यावरण में जीएम जीवों और उत्पादों (आमतौर पर खतरनाक माने जाने वाले) की "जारी" से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार निकाय है।

Click here now ⟶ www.ojaank.com

नमदा कला:

- ऐसा कहा जाता है कि नमदा कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी जब मुगल सम्राट अकबर अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए एक आवरण बनवाना चाहते थे।
- ऐसा माना जाता है कि शाह-ए-हमदान नाम के एक सूफी संत ने कश्मीरियों को नामदा कला से परिचित कराया था।
- विशिष्ट विशेषता यह है कि ऊन को फेल्ट किया जाता है, बुना नहीं जाता।
- नमदा कार्यों का उपयोग कालीन, कालीन, फर्श मैट आदि के रूप में किया जाता है।

रेत और धूल भरी आँधी (SDS):

- एसडीएस (SDS) के प्रबंधन और प्रभावों को कम करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2023 को एसडीएस का मुकाबला करने का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है।
- एसडीएस (SDS) तब होता है जब तेज़ हवाएँ नंगी या सूखी मिट्टी से मिलती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में रेत और धूल वातावरण में फैल जाती है।
- प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन रेत और धूल वायुमंडल में प्रवेश करती है।
- प्राथमिक हॉटस्पॉट सहारा रेगिस्तान, मध्य पूर्व, उत्तर पश्चिम चीन में टकलामकन रेगिस्तान, दक्षिण पश्चिम एशिया आदि हैं।

मेकोंग गंगा सहयोग (MGC):

- 12वीं एमजीसी (MGC) बैठक में, भारत और उसके सहयोगी देशों ने कृषि और जल संसाधन प्रबंधन में आदान-प्रदान का विस्तार करने के लिए मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया।
- एमजीसी (MGC) पहल जिसमें छह देश शामिल हैं - भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम - 2000 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM):

- उत्तर कोरिया ने ह्वासोंग-18 ICBM का परीक्षण किया है. ह्वासोंग-18 ठोस प्रणोदक का उपयोग करता है जो इसे तेजी से फायर करने और उड़ान भरने पर अधिक तेजी से गति करने की अनुमति देता है।
- ICBM बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 5,500 किमी से अधिक है और इनमें परमाणु हथियार वितरण तकनीक है।
- वर्तमान में, उत्तर कोरिया के अलावा, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत और इज़राइल ने भूमि-आधारित आईसीबीएम का दस्तावेजीकरण किया है।
  - अग्नि-5 भारत की ICBM है. इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था।

अरुणा आसफ़ अली (1909- 1996):

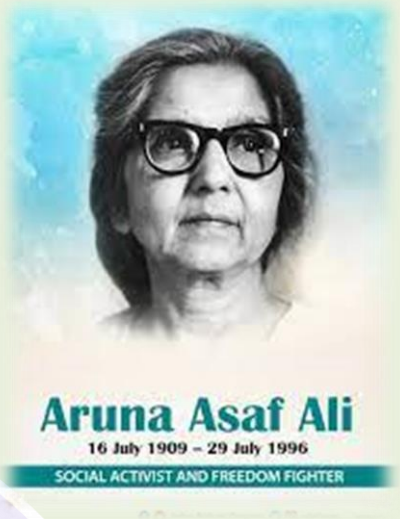

- वह स्वतंत्रता आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के नाम से लोकप्रिय हैं।
- उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है।
- स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिलाओं की स्थिति के उत्थान की दिशा में काम किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साप्ताहिक पत्रिका 'वीकली' और समाचार पत्र 'पैट्रियट' शुरू किया।
- 1958 में, उन्होंने दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर के रूप में कार्य किया।
- पुरस्कार: पद्म विभूषण (1992), भारत रत्न (1997) ।

अग्रिम प्राधिकरण योजना:

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू करता है।
- अग्रिम प्राधिकरण योजना इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, जो निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होते हैं।
- किसी भी इनपुट के अलावा, पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/उपयोग किया जाता है, की भी अनुमति है।
- अग्रिम प्राधिकरण निर्माता निर्यातकों या सहायक निर्माता से जुड़े व्यापारी निर्यातकों को कवर करता है।

गम्बूसिया एफिनिस (G affinis):

- आंध्र प्रदेश ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में गम्बूसिया मछली छोड़ी।
- गम्बूसिया एफिनिस दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है।
- मछली, जिसे मॉस्किटोफ़िश भी कहा जाता है, मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
- भारत सहित कई देशों ने गंबूसिया को आक्रामक प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- मछली की प्रजनन क्षमता उच्च होती है।
- वे प्रतिस्पर्धी मछलियों और मेंढक टैडपोल के अंडे खाने के लिए जाने जाते हैं।

इस्पात धातुमल:

- स्टील स्लैग, स्टील निर्माण का एक उप-उत्पाद, स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है।
- प्राकृतिक समुच्चय से बनी सड़कों की तुलना में निर्माण लागत लगभग 30% कम, कम मोटी, अधिक टिकाऊ और कम कार्बन फुटप्रिंट है।
- मिट्टी की अम्लता को ठीक करने की क्षमता के कारण अन्य अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में हैं, सिलिकेट उर्वरक के रूप में जो पौधों को सिलिकॉन प्रदान करने में सक्षम है, सीमेंट के निर्माण में, अम्लीय पानी का उपचार करने में सक्षम है।

लोक लेखा समिति (PAC):

- राज्य विधानमंडल की PAC ने सरकार पर COVID-19 महामारी से निपटने में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
- पीएसी सबसे पुरानी संसदीय समिति है और इसका गठन पहली बार 1921 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर किया गया था।
- यह तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।
- इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
- इसका गठन हर साल सरकार के विनियोग खातों और उस पर भारत के सीएजी की रिपोर्टों की जांच के लिए संसद द्वारा किया जाता है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU):

- यूपीयू वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके सीमा पार प्रेषण के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का मूल्यांकन करने के लिए सहमत हो गया है।
- यूपीयू (मुख्यालय: बर्न, स्विट्जरलैंड) की स्थापना 1874 में हुई थी। यूपीयू भारत सहित 192 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी गैर-सदस्य देश यूपीयू का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसके अनुरोध को यूपीयू के कम से कम दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- यूपीयू का उद्देश्य डाक सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम स्थापित करना और डाक मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

(सिकाडा) Cicada:

- आमतौर पर दक्षिण भारत में पाए जाने वाले 'विदेशी' सिकाडा ने भारतीय पहचान बना ली है।
- कीट प्रजाति पुराण चीवीदा (इसके मलयालम नाम चीवीदु के बाद) को गलती से पुराण टिग्रीना समझ लिया जाता था, यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका वर्णन पहली बार 1850 में मलेशिया में किया गया था।
- सिकाडस हेमिप्टेरा परिवार (ध्वनि पैदा करने वाले कीड़ों का एक समूह) के कीड़े हैं।
- आमतौर पर दो प्रकार के सिकाडा मौजूद होते हैं: वार्षिक सिकाडा और आवधिक सिकाडा।
- सिकाडस कुछ पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सकता है जिसमें पक्षियों के लिए मूल्यवान भोजन स्रोत, लॉन को हवा देना और जमीन में पानी के निस्पंदन में सुधार करना, मिट्टी में पोषक तत्व शामिल करना शामिल है।

भारत में निवेश करें (Invest India):

- इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ की नियुक्ति की गई है।
- यह राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश कर रहे निवेशकों की मदद करती है।
- इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत किया गया था।
- इसे उद्योग संघों (फिक्की (FICCI), सीआईआई (CII) और नैसकॉम में से प्रत्येक का 17%) और शेष 49% केंद्र और कई राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
- अनिवार्य रूप से, इन्वेस्ट इंडिया एक निजी कंपनी है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के विपरीत, ब्रांड इंडिया बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट।

एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी:

- भारी उद्योग मंत्रालय ने 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज' पर पीएलआई योजना के तहत एसीसी विनिर्माण की फिर से बोली लगाने की घोषणा की।
- एसीसी (ACC) नई पीढ़ी की उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियाँ हैं जो विद्युत ऊर्जा को या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती हैं।
- वे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बल्कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सौर छतों और बिजली ग्रिडों को भी सेवाएं प्रदान करेंगे।

टैंकाई जहाज निर्माण विधि:

- संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक जिसे टैंकाई पद्धति के नाम से जाना जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू करेंगे।
- इस विधि में जहाज का निर्माण कीलों के प्रयोग के स्थान पर लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलकर किया जाता है।
- इस विधि ने लचीलेपन और स्थायित्व की पेशकश की, जिससे उन्हें उथले और सैंडबार से क्षति होने की संभावना कम हो गई।
- यूरोपीय जहाजों के आगमन से जहाज निर्माण तकनीकों में बदलाव आया।

सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केन्द्र [STAR C] पहल:

- भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की STAR-C पहल को प्रशांत द्वीप देशों में विस्तारित करने पर विचार कर रहा है।
- यह STAR केंद्र बनाने की एक परियोजना है जो सौर ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी, ज्ञान और विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO), फ्रांस सरकार की फंडिंग से इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।
- यह निम्नलिखित चार प्राथमिक कार्य करता है: क्षमता निर्माण, परीक्षण, नवाचार और ज्ञान प्रबंधन।

भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (ICED) 3.0:

- नीति आयोग ने ICED 3.0 जारी किया।
- सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटासेट पर वास्तविक समय के डेटा के लिए वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म।
- एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित, यह उपयोगकर्ताओं को एक विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करके डेटासेट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
- प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए ऊर्जा और जलवायु क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है और समझ बढ़ाता है।
- भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा की प्रगति की निगरानी में बेहद उपयोगी।

वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान शुरू की गई पहल:

- शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा प्रणालियों और नियामक ढांचे को मजबूत करने पर दृष्टिकोण का आदान-प्रदान करने के लिए खाद्य नियामकों का एक वैश्विक मंच बनाने का एफएसएसएआई का एक प्रयास है।
- फ़ूड-ओ-कोपिया का विमोचन, खाद्य श्रेणी-वार मोनोग्राफ का एक संग्रह और एक विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के लिए सभी लागू मानकों के लिए एक एकल बिंदु संदर्भ।
- सामान्य नियामक मंच 'संग्रह', दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों, उनके अधिदेश, खाद्य परीक्षण सुविधाओं आदि का एक डेटाबेस है।

अमृत भारत स्टेशन योजना:

- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है।
- रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी।
- इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।
- इसमें स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है।
- इसका लक्ष्य स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाना है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न ग्रेड/प्रकार के वेटिंग हॉल को क्लब करना और अच्छी कैफेटेरिया/रिटेल सुविधाएं प्रदान करना है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट):

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम (पीईसीए) के तहत उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
- ई-सिगरेट सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम PECA के तहत प्रतिबंधित हैं।
- ई-सिगरेट बैटरी से चलने वाली प्रणालियाँ हैं जो किसी पदार्थ (तरल या ठोस) को गर्म करती हैं, जिसमें निकोटीन और अक्सर स्वाद होते हैं, ताकि साँस लेने के लिए एक एरोसोल बनाया जा सके।

- ई-सिगरेट के एरोसोल में निकोटीन जैसे हानिकारक पदार्थ, कैंसर पैदा करने वाले रसायन, निकल, टिन और सीसा जैसी भारी धातुएं, डायएसिटाइल जैसे फेफड़ों के रोग पैदा करने वाले रसायन होते हैं।

डिग्री दिवस (DD):

- डिग्री दिन यह मापते हैं कि कोई स्थान कितना ठंडा या गर्म है और इसका उपयोग लोगों को आरामदायक रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- डीडी किसी स्थान के लिए दर्ज किए गए औसत बाहरी तापमान की तुलना मानक तापमान से करता है।
- बाहरी तापमान जितना अधिक होगा, डीडी की संख्या उतनी अधिक होगी और स्थान को गर्म करने या ठंडा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी।
- कूलिंग DD शीतलन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को मापता है जबकि हीटिंग डीडी हीटिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को मापता है।

भांग:

- सीएसआईआर-आईआईआईएम (CSIR-IIIM) जम्मू की कैनबिस अनुसंधान परियोजना मानव जाति की भलाई के लिए दुरुपयोग की सामग्री डालने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना है।
- कैनबिस-आधारित उत्पाद कैनबिस सैटिवा (भांग) पौधे के सूखे फूलों के शीर्ष, पत्तियों, तनों और बीजों से आते हैं।
- इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो इसे औषधीय औषधि के रूप में उपयोगी बनाते हैं। इसमें उत्साहवर्धक, दर्दनिवारक और मनो-सक्रिय प्रभाव हो सकते हैं।

- कैनबिस में प्रमुख मनोसक्रिय घटक Δ-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) है।
- कैनबिस अब तक सबसे व्यापक रूप से खेती, तस्करी और दुरुपयोग की जाने वाली अवैध दवा है।

लुडविगिया पेरुवियाना (Ludwigia peruviana):

- लुडविगा पेरुवियाना एक आक्रामक खरपतवार है, जो तमिलनाडु में हाथियों के आवास और चारागाहों को खतरे में डाल रही है।
- इसने हिल स्टेशन के अधिकांश दलदलों को संक्रमित कर दिया है, जिन्हें स्थानीय तौर पर वायल कहा जाता है।
- इसे लोकप्रिय रूप से प्रिमरोज़ विलो कहा जाता है और यह पेरू सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है।
- इसके छोटे पीले फूलों के कारण इसे सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है।
- यह जल निकायों के किनारे तेजी से बढ़ता है।
- यह तमिलनाडु के 22 प्राथमिकता वाले आक्रामक पौधों में से एक है।

फ्रैगाइल एक्स या मार्टिन-बेल सिंड्रोम:

- फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम (FXS) एक आनुवंशिक विकार है जो बौद्धिक विकलांगता और ऑटिज्म का कारण बनता है।
- एफएक्सएस फ्रैगाइल एक्स मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन 1 (FMR1) नामक जीन में परिवर्तन के कारण होता है।
- FMR1 आमतौर पर FMRP नामक प्रोटीन बनाता है जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है।
- एफएक्सएस (FXS) का कोई इलाज नहीं है। हालाँकि, उपचार सेवाएँ लोगों को महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद कर सकती हैं।

औद्योगिक लाइसेंस:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर पंद्रह साल कर दिया है।
- यदि लाइसेंस धारक ने लाइसेंस जारी होने के 15 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय तीन साल का विस्तार दे सकता है।
- कोई भी औद्योगिक लाइसेंस, जहां वाणिज्यिक उत्पादन विस्तारित अवधि (15+3 वर्ष) के भीतर शुरू नहीं हुआ है, स्वचालित रूप से समाप्त माना जाएगा।
- भारत में, औद्योगिक लाइसेंस उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम (IDRA), 1951 के तहत जारी और विनियमित किए जाते हैं।

हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी (Hygroelectricity):

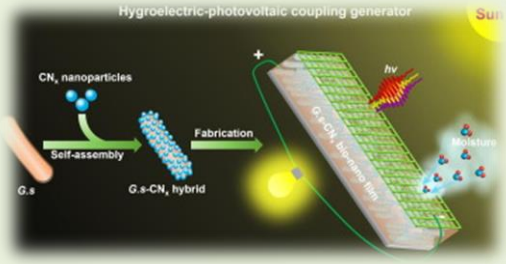

- This technique, which can produce power from humid air, has successfully been created by researchers.
- Hygroelectricity is a method for generating electricity from air that involves absorbing gaseous or vaporous water molecules, which are present in large amounts in the environment.
- Versatility: Air humidity is a sustainable energy source since it is constantly accessible, unlike other renewable energy sources like sun and wind.
- The biggest challenge is scaling up the technology to meet realistic energy demands.

Fluorochemicals (फ्लोरोकेमिकल्स):

- वैज्ञानिकों ने खतरनाक हाइड्रोजन फ्लोराइड (HF) गैस के उपयोग के बिना फ्लोरोकेमिकल्स के लिए एक नई सुरक्षित उत्पादन विधि तैयार की है।
- नई विधि प्राकृतिक बायोमिनरलाइजेशन प्रक्रिया से प्रेरणा लेती है जो दांत और हड्डियों का निर्माण करती है।
- इस विधि में, एचएफ के उत्पादन को दरकिनार करते हुए फ्लोरोकेमिकल्स को सीधे फ्लोरस्पार से बनाया जाता है।
- फ्लोरोकेमिकल्स में पॉलिमर, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और लिथियम-आयन बैटरी सहित औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है।
- वर्तमान में सभी फ्लोरोकेमिकल्स अत्यधिक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया में जहरीली और संक्षारक एचएफ गैस से उत्पन्न होते हैं।
- सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्लोरस्पार (कैल्शियम फ्लोराइड) की प्रतिक्रिया से एचएफ का उत्पादन होता है।

नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण:

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नागालैंड सरकार दोनों से शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों में महिलाओं के लिए कोटा लागू न करने का कारण पूछा।
- इससे पहले, 2006 में, 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया था।
- अनुच्छेद 371 (A) द्वारा गारंटीकृत विशेष अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर यूएलबी (ULB) में महिलाओं के कोटा के खिलाफ नागा आदिवासी निकायों का विरोध।
- पितृसत्तात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएं और नागा जनजातियों के प्रथागत कानून जो महिलाओं द्वारा निर्णय लेने को प्रतिबंधित करते हैं।

अनुसूचित जनजाति में जोड़े गए समुदाय:

- राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
- जोड़े गए समुदायों में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंद्रा, सोंरा और बिंझिया और पंडो समुदाय के तीन देवनागरी संस्करण हैं।
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में और जहां वह एक राज्य है, राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में एसटी को सूचित कर सकता है।
- संसद कानून द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट एसटी की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) 5.2:

- नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)-UDAN 5.2 लॉन्च की।
- इसे देश के दूरदराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- यह 1ए (<9 सीटें) और श्रेणी 1 (<20 सीटें) जैसे छोटे विमानों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करेगा।
- उड़ान एक बाजार-संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है।
- इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP)-2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था।

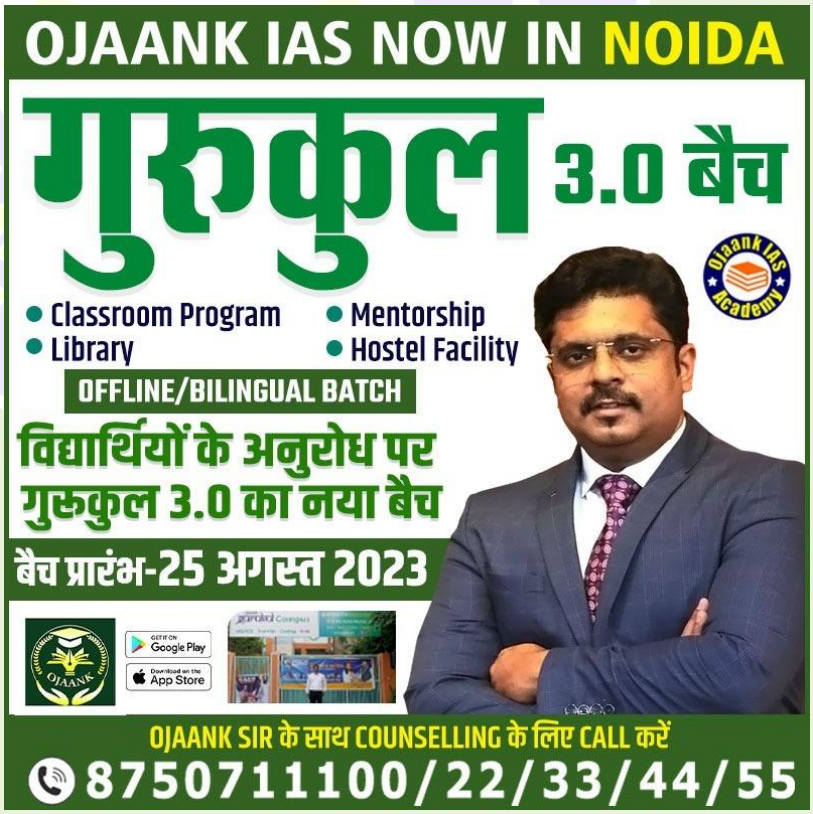

Visit Now

OJAANK IAS ACADEMY

INNOVATION IN EDUCATION

Our Acchivments

TOPPERS

ISHITA KISHOR — AIR-01 (2023)

SHRUTI SHARMA — AIR-01 (2022)

RANK-95

RANK-154

RANK-189

RANK-248

RANK-354

RANK-398

RANK-550

RANK-652

RANK-730

RANK-854

C 49A, Sector – 48, Noida Ojaank Gurukul Campus